द्वितीय माला, खण्ड २४—अंक २३

१७ दिसम्बर, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २४ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

310 (AI) LSD.

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २४—अंक २१ से २६—१५ दिसम्बर से २० दिसम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से ९३६, ९३८, ९३९, ९४०, ९४२ से ९४७ और ९५० . . . . . २३२१—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४८, ९४९ और ९५१ से ९९२ . २३४३—६०

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६३ से १५३३, १५३५ से १५४१, १५४३ से १५८० और १५८३ से १५८५ . . २३६०—२४०४

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २४०४

याचिका समिति . . २४०५

कार्यवाही सारांश

याचिका समिति . . . २४०५

पांचवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से सन्देश . . . २४०५

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक २४०५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . . २४०५

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक . २४०६

मत विभाजन के आंकड़ों की शुद्धि

समितियों के लिये चुनाव . . २४०६-०७

प्राक्कलन समिति २४०६

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड . . . २४०६-०७

जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया २४०८

विधेयक पुरःस्थापित . . २४०८-१०

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८ . २४०८

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८ . . २४०९

पृष्ठ

(३) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ . . २४०९-१०

(४) उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९५८ . २४१०

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . २४११-४६

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक २४४६-५४

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . २४५४

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

कार्य मंत्रणा समिति . . २४५४

तैंतीसवां प्रतिवेदन

दैनिक संक्षेपिका . . . २४५५-६२

अंक २२—मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से ९९७, १०३१, ९९८ से १००२ और १००४ से १००८ . २४६३-८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००३, १००७ से १०५९ और ५५० . . २४८७–२५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १६६२, १६६६ से १६६९, १६७१ से १६७७, १६७९ से १६८० . २५०९-८७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . २५४८-४९

गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २५४९-५०

लोक लेखा समिति २५५०

ग्यारहवां प्रतिवेदन

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . . २५५०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २५५१-५२

फोलीडोल का यातायात

देश में तेल की खोज में प्रगति के बारे में वक्तव्य . . . २५५२–५४

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित . . २५५४

कार्य मंत्रणा समिति २५५४

तैंतौसवां प्रतिवेदन

सत्र की अवधि का बढ़ाया जाना २५५५

विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक—पारित . . . २५५५

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक—पारित . . . २५५६

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक २५५६–९९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५५६–९४

खण्ड २ से ५ और ६ . . . . . २५९९–२६०२

फिल्म उद्योग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . २६०३–१०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . .

अंक २३—बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से १०७४ . . . . २६११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ से ११०४, ११०६, ११०७, ११०७क और ११०८ से ११३६ . . . . . . २६३३–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १७४२, १७४४ से १९४६, १९४८ से १९६१, १९६३ से १९८६, १९८८ से १९९५, १९९५क, १९९५ख, १९९५ग, १९९५घ, १९९५ङ, १९९५च और १९९५छ . . २६६१—२७९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७९२–९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २७९३

तैंतीसवां प्रतिवेदन

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २७९३

हवाई अड्डों का विकास

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४

विशेषाधिकार समिति २७९४–९५

छठा प्रतिवेदन

विनियोग (संख्या ५) विधेयक २७९६

विचार करने का प्रस्ताव २७९६

खण्ड २, ३ अनुसूची और खण्ड १ . . . . २७९६

पारित करने का प्रस्ताव २७९६

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक २७९६–२८१५

खण्ड ६ से १४, १६ से ३५, १५, ३६ से ५७ . . . २७९६–२८१४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २८१४–१५

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . . २८१५–२५

विचार करने का प्रस्ताव

सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करने के बारे में चर्चा २८२५–४३

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . २८४३–४६
दैनिक संक्षेपिका २८४७–६२

अंक २४—गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४३ से ११४७ और ११४९ २८६३–८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . २८८२-८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३७, ११४१, ११४२, ११४८, ११५० से ११६८, ११६८क, ११६८ख, ११६९ से ११७६, ११७६क, ११७७, ११७७क, ११७८ से ११८०, ११८०क और ११८१ . . . २८८४–२९००

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९६ से २०१४, २०१६ से २१३१, २१३१क, २१३१ख, २१३१ग और २१३१घ २९००–५७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . २९५७–६०

संसद् भवन के बाहर प्रदर्शन

सभा पटल पर रखे गये प २९६०-६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २९६१

तीसवीं से चौतीस ीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

याचिका समिति २९६१

तेईसवीं बैठक का कायवाही सारांश

सदस्यों की अ ुपस्थिति सम्बन्धी समिति २९६१

ग्यारहवां प्रतिवेदन

तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि २९६१-६२

शस्त्र विधेयक—पुरःस्थापित . . २९६२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक २९६३–७३

विचार करने का प्रस्ताव २९६३–७१

खण्ड २ और १ . . २९७१

पारित करने का प्रस्ताव . २९७१–७३

चलचित्र (संशोधन) विधेयक . २९७३–८२

विचार करने का प्रस्ताव

गन्ने की अधिक कीमत निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव . . २९८२–३००७

कुलटी की भट्टियों के बन्द हो जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३००७–१२

दैनिक संक्षेपिका . . ३०१३–२१

पृष्ठ

अंक २५—शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८२, ११८३-क, ११८४ से ११८७, ११९० से ११९३ और ११९५ से ११९८ . . . ३०२३—४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . . . ३०४५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८३, ११८३-क, ११८८, ११९४, ११९९ से १२०६, १२०८ से १२२१ और १२२३ से १२४९ . . . ३०५०—७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२०१ और २२०३ से २२१८ . . . ३०७३—३११३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३११३

जानकारी का प्रश्न . . . ३११३-१४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३११४—१६

राज्य सभा से संदेश . . . ३११६

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . . ३११६

चौथा प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति . . . ३११६

बत्तीसवां प्रतिवेदन

सदस्य द्वारा क्षमा याचना . . . ३११७

चलचित्र (संशो न) विधेयक . . . ३११७—३१

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३११७—२५

खण्ड २ से ६ और १ . . . ३१२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . . ३१३१

तैंतीसवां प्रतिवेदन

देश में भूमि सुधार की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये एक समिति के बारे में संकल्प . . . ३१३१—५१

देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . . . ३१५२

आन्ध्र में चीनी के सहकारी कारखानों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३१५२—६०

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१६१—६९

अंक २६—शनिवार, २० दिसम्बर, १९५८

सभा पटल पर रखे गये प . . . ३१७१-७२

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति . . . ३१७२

दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . . ३१७३

दसवीं व ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

	पृष्ठ
राज्य-सभा से संदेश .	३१७३
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक . .	३१७३
राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३१७४
आसाम रेलवे ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कर्मचारियों का अस्थायी रूप से हटाया जाना	
अनुपस्थिति की अनुमति . .	३१७४
तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर की शुद्धि	३१७५
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक	३१७५—७९
विचार करने का प्रस्ताव . . .	३१७५—७८
खण्ड २ और १ .	३१७९
पारित करने का प्रस्ताव . .	३१७९
विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक	३१७९—८४
विचार करने का प्रस्ताव .	३१७९—८४
खण्ड १ और २ .	३१८४
पारित करने का प्रस्ताव .	३१८४
लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक . . .	३१८४—९६
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा से सहमत होने का प्रस्ताव	
लोक तिनिर्मि त्व (संशो न) वि यक .	३१९६—३२३०
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रू में विचार करने का प्रस्ताव . .	३१९६—३२१५
खण्ड २ से १४, १६ और १८ से २३, २८-क और २८-ख, १५, १७, २६, ३० से ३७ और १	३२१५—३०
संशोि त रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३२३०
उड़ीसा बांट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक .	३२३१
विचार करने का प्रस्ताव	३२३१
खण्ड २, ३ और १	३२३१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	३२३१
आन्ध्र में चावल की वसूली के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२३१—३८
दैनिक संक्षेपिका . .	३२३९—४१
छटे सत्र का कार्यवाही सारांश	३२४१—४४

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जम्मू और काश्मीर में टेलीफोन व्यवस्था

†*१०६०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जम्मू और काश्मीर राज्य में ट्रंक टेलीफोन सर्किट प्रायः एक-एक सप्ताह तक खराब रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में टेलीफोन व्यवस्था का सुधार करने के हेतु टेलीफोन लाइनों को सुरक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी नहीं। जम्मू और काश्मीर राज्य में ट्रंक टेलीफोन सर्किटों में खराबी आने के वही कारण हैं जो देश के अन्य भागों में लाइनें खराब होने के हैं परन्तु वह इलाका ऐसा है और वहां अधिक सरदी और बर्फ पड़ने के कारण जल वायु ऐसी होती है कि टेलीफोन लाइनों को ठीक करने में अधिक समय लगता है।

(ख) खराबी को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाती है परन्तु उक्त कारणों से काफी कठिनाई पैदा होती है। ये हमारे बस की बात नहीं है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक रेडियो ट्रांसमीटर की योजना बनाई गई थी परन्तु आग लग जाने से ट्रांसमीटर नष्ट हो जाने के कारण वह भी पूरी नहीं हो सकी। एक और ट्रांसमिटर उपलब्ध होने पर यह योजना पुनः कार्यान्वित की जायेगी।

श्री अ० मु० तारिक : काश्मीर का तमाम हिन्दुस्तान से ताल्लुक है और यह सय्याहों का भी मरकज है, लेकिन काश्मीर से ताल्लुक कायम करने के लिये सिर्फ एक सर्किट है अमृतसर से, और इस लिये ट्रंक काल के लिये दो दो दिन लग जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस के बारे में हुकूमत ने क्या इन्तिजामात किये हैं, क्या कोई दूसरा सर्किट कायम करने का इरादा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

310 (A) LSD.—1.

श्री स० का० पाटिल : अभी चन्द रोज पहले, ३० सितम्बर से थ्री चैनल स्कीम शुरू की है। उसके मानी हैं कि तीन काल किये जा सकते हैं। जब रेडियो ट्रांसमीटर आ जायेगा तब और सहूलियत मिल सकती है ।

†**श्री आसर** : क्या जम्मू और काश्मीर के कुछ व्यक्तियों और राजनैतिक दलों से सरकार को ये शिकायतें मिली हैं कि राज्य सरकार राजनीतिक कारणों से ट्रंक कालों की अनुमति नहीं देती है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : क्योंकि राजनीतिक कारणों का जिक्र किया गया है इसलिये प्रश्न किसी दूसरे मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

भाखड़ा नंगल परियोजना

+

†*१०६१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २७ सितम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई और विद्युत् कार्यों के बारे में नवम्बर, १६५८ की समाप्ति तक क्या प्रगति हुई थी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७**].

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भाखड़ा परियोजना निश्चित समय में पूरी हो जायेगी या कि अधिक समय लगेगा ?

†**श्री हाथी** : जी नहीं। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार यह १६६० तक पूरी हो जायेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कितने ट्रांसमिशन सिस्टमों पर काम हो रहा है और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री हाथी** : जिन ट्रांसमिशन सिस्टमों पर काम हो रहा है वे विवरण के ३ (ख) में बताये गये हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार इस के लिये प्रयत्न कर रही है कि दिल्ली को बिजली की सप्लाई पहले से अधिक हो ?

†**श्री हाथी** : दिल्ली को ४०,००० किलोवाट बिजली अधिक मिलेगी। इस समय कुल २०,००० किलोवाट बिजली मिलती है : १६६० के पश्चात् ४०,००० किलोवाट अधिक मिलेगी।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या पंजाब सरकार ने इस बांध को पूरा करने के लिये १६ रुपये और ऋण मांगा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री हाथी : जी नहीं। उन्हों ने और ऋण नहीं मांगा है क्योंकि परियोजना के लिये कुल १७० करोड़ रुपये की जरूरत थी उस की व्यवस्था कर दी गई है और वह दे दिया जायेगा। प्राक्कलनों के अतिरिक्त ऋण देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि 'सेन्ट्रल स्पिलवे' बांध टूट गया है क्योंकि चट्टान के साथ जहां उसे मिलाया गया था वहां पर्याप्त मात्रा में सीमेंट न डालने के कारण काफी सूराख रह गये थे ?

†श्री हाथी : स्पिल बांध के टूट जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। मैं ने सभा में बताया था कि स्पिलवे का विभाजन करने वाली दीवाल को क्षति पहुंची है।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या यह भी सच है कि इस दिशा में परिवर्तन हो जाने के कारण १० से १५ करोड़ रुपये तक खर्च करना पड़ेगा ?

†श्री हाथी : जी नहीं। परियोजना का वर्तमान प्राक्कलन १७० करोड़ रुपये है। इस कारण अधिक खर्च नहीं होगा परन्तु इस समाचार से, कि वे दाहिने किनारे पर एक और बिजली घर का निर्माण करने का विचार कर रहे हैं, कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। यदि ऐसा किया जाता है तो १० करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा परन्तु वह वर्तमान योजना में शामिल नहीं है। यह मद तो अलग होगी।

†श्री राम कृष्ण : क्या इस बांध में पानी जमा करना शुरू कर दिया गया है ?

†श्री हाथी : जी हां, अंशतः पानी जमा किया जा रहा है।

†श्री आचार : सिंचाई के लिये पानी का प्रयोग करने के विषय में क्या प्रगति हो रही है ? और क्या प्रगति आशानुसार हो रही है ?

†श्री हाथी : पंजाब और राजस्थान में पानी का प्रयोग किया जा रहा है। पंजाब में लगभग १३ लाख एकड़ और राजस्थान में १,८०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है।

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजना का प्रारूप

+

†*१०६२. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में रावी, व्यास और सतलुज नदियों की बाढ़ नियंत्रण योजना के प्रारूप का बाढ़ों सम्बन्धी उच्च स्तर समिति ने परीक्षण कर लिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : जी हां।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या राज्य नियंत्रण बोर्ड ने योजना का परीक्षण किया है ?

†**श्री हाथी** : जी हां। वस्तुतः यह सारे पंजाब की योजना के बारे में है। राज्य सरकार न उसका परीक्षण कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री राम कृष्ण : इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार कितनी राशि देगी ?

†श्री हाथी : यहां इस पर विचार नहीं किया गया है। पंजाब में बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिये १९५८-५९ के आय व्ययक में १३० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

सड़क परिवहन निगम

†*१०६३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने सरकारी क्षेत्र में सड़क परिवहन निगमों की स्थापना की है अथवा इस वर्ष करने का विचार है ; और

(ख) केन्द्र से क्या सहायता मांगी गई और क्या सहायता दी जा रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८].

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कौन कौन से राज्य निगमों की स्थापना करने के खिलाफ हैं, इसके क्या कारण हैं और इसके प्रति सरकार का रवैया क्या है ?

†श्री राज बहादुर : विवरण में यह मोटे तौर पर बताया गया है। इस से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, बम्बई और भूतपूर्व पेप्सू क्षेत्र, अन्य राज्यों में सड़क परिवहन निगमों की स्थापना नहीं की गई है और केवल तीन क्षेत्रों, अर्थात् पंजाब में पठानकोट-मनाली और बिहार और मैसूर राज्यों के बारे में प्रस्ताव मिले हैं। इन के अतिरिक्त अन्य राज्य इसके लिये तैयार नहीं हुए।

उन्हें शायद यह आपत्ति है कि यदि वे निगमों की स्थापना करेंगे तो उन्हें आय कर देना पड़ेगा, श्रमिकों को और सुविधायें देनी पड़ेंगी और खर्च अधिक करना पड़ेगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह नहीं बताया गया कि इसके बारे में सरकार का क्या रवैया है।

†श्री राज बहादुर : योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने कई बार यह स्पष्ट किया है और सम्बन्धित राज्य सरकारों को यह सूचना भी भेजी थी कि जब तक वे सड़क परिवहन निगमों की स्थापना नहीं करेंगे उन्हें परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विस्तार के लिये ऋण अथवा अनुदान नहीं मिलेंगे।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और केरल सरकारों ने यह सूचना भेजी है कि उन्होंने विभागीय अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि निगम की स्थापना करने से कोई लाभ नहीं होगा? क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है और यदि हां, तो उनकी क्या राय है ?

†श्री राज बहादुर : उत्तर प्रदेश और आंध्र राज्य की सरकारें इस बात पर जोर देती रही हैं कि उन्हें अपने परिवहन उपक्रम विभागीय तौर पर चलाने दिये जायें क्योंकि इस प्रकार वे ठीक चल रहे हैं। इस से केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय कोष को आय-कर प्राप्त नहीं होता। इस समय वित्त मंत्रालय इसी मामले पर विचार कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रामी रेड्डी** : आंध्र प्रदेश की सड़क परिवहन निगमों को ऋण और अंशदान के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : आंध्र प्रदेश के आंकड़े अलग से बताने में तो मैं असमर्थ हूं परन्तु १९५९-६० तक राज्य सरकारों को ३८९ लाख रुपये दिये गये हैं।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को देखते हुए कि राज्यों का अभ्यंश १३.५ करोड़ रुपये से कम करके ९ करोड़ रुपये कर दिया गया है, क्या निगमों की स्थापना न करने पर, जैसे कि केरल और मद्रास में हो रहा है, भी राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों को निधि दी जायेगी ?

†**श्री राज बहादर** : योजना आयोग के विचारों और मत के अनुसार उपबन्धित राशि में से सहायता अथवा ऋण प्राप्त करने के लिये निगमों की स्थापना करना एक ज़रूरी शर्त है।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच है कि केरल में राज्य परिवहन १९३८ में आरम्भ किया गया था और यदि हां, तो क्या उस राज्य को उस आय से वंचित करना अनुचित नहीं होगा ?

†**श्री राज बहादुर**: यह तो अपनी-अपनी राय है ....

†**श्री पुन्नूस** : जी नहीं, यह तो तथ्य है।

†**श्री राज बहादर** : यह तथ्य भी है और राय भी। क्योंकि यह तो तथ्य है कि परिवहन व्यवस्था कब से शरू हुई परन्तु यह राय का सवाल है कि केरल सरकार को ऋण अथवा अनुदान के तौर पर वित्तीय सहायता देना उचित होगा या नहीं अथवा क्या यह उचित होगा कि राष्ट्रीय कोष या केन्द्रीय सरकार को उस आय-कर से वंचित रखा जाये जो उसे केरल सरकार के राज्य परिवहन उपक्रम से प्राप्त होगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगमों की स्थापना करके केन्द्रीय सहायता मांगी थी और चालू वर्ष में ५० लाख रुपये देने का वचन दिया गया है परन्तु उस राशि की मंजूरी न देने के क्या कारण हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : इसके लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये। जो राशि आवंटित की गई है वह दी जायेगी यह सूचना मुझे मिली है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : चालू वर्ष के लिये रेलवे के आय-व्ययक में २.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जब सड़क परिवहन निगम में रेलवे विभाग सहयोग देगा तो क्या उसे पहले परिवहन मंत्रालय से परामर्श करना पड़ेगा ?

†**श्री राज बहादर** : रेलवे विभाग तभी सहयोग देगा जब निगम की स्थापना की जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : उन राज्यों में जहां निगमों की स्थापना हो चुकी है और जिन राज्यों ने निगम स्थापित करने से इन्कार कर दिया है उनमें अन्तर्राज्यिक संचार स्थापित करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : माननीय सदस्य को मालूम ही होगा कि परिवहन संविधान की सातवीं अनुसूची में सम्वर्ती सूची के ३५वीं प्रतिष्टि के अन्तर्गत आता है और इसका कार्यपालिका प्राधिकार राज्य सरकारों में विहित है। इस लिय प्रारम्भ में सम्बन्धित राज्य परस्पर सम्मति से अन्तर्राज्यिक

†मूल अंग्रेज़ी में

परिवहन आयोग के द्वारा, जिसे मोटर गाड़ी अधिनियम के नवीनतम संशोधन के अन्तर्गत कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, अन्तर्राज्यिक परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या बिहार सरकार ने कोई अनुदान मांगा है और यदि हां, तो कितना, और क्या वह स्वीकृत कर दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस बारे में मुझे निश्चित रूप से कुछ मालूम नहीं है।

†**श्री शंकरय्या** : क्या सरकार चाहती है कि माल परिवहन भी राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले ?

†**श्री राज बहादुर** : हिमाचल प्रदेश में माल परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण पुरा हो चुका है। आसाम, बम्बई, केरल और मनीपुर में भी माल परिवहन का अंशत : राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ।

†**श्री चे० र० पट्टाभिरामन** : क्या इन निगमों की स्थापना के लिये ऋण देने के इलावा कोई और प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ?

†**श्री राज बहादर** : प्रोत्साहन यही है कि हम ने द्वितीय योजना में व्यवस्था कर दी है और जब सभी राज्यों में निगमों की स्थापना हो जाने पर और प्रोत्साहन देने के बारे में विचार किया जा सकता है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी मालिकों को यह आश्वासन दिलाया है कि द्वितीय योजना की समाप्ति से पूर्व वह माल परिवहन का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी ?

†**श्री राज बहादर** : तृतीय पंच वर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व यह नीति घोषित की जा चुकी है। परन्तु मुझ से यह प्रश्न पूछा गया था कि . . . .

†**श्री हरिश्चन्द्र माथूर** : रेलवे ने जो १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की उसमें से कितना खर्च किया जा चुका है और क्या यह सच है कि रेलवे विभाग सहयोग देने और अन्यथा खर्च करने से बचना चाहता है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं यह तो नहीं कहता कि रेलवे विभाग इस से बचना चाहता है। जैसाकि मैं पहले भी बता चुका हूं योजना आयोग ने यह निश्चय किया है कि इस प्रकार के ऋण और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिये तीनों में—परिवहन उपक्रम, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी, राज्य सरकारें और रेलवे मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार—परस्पर सहयोग होना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब निगमों की स्थापना हो जावे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथूर** : रेलवे ने १० करोड़ रुपये में से अब तक कितना खर्च किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : शायद अभी तक कुछ भी खर्च नहीं हुआ है ?

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या इन निगमों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार एकरूप नीति निर्धारित करने वाली है ?

†**श्री राज बहादुर** : नीति एकरूप है, केन्द्रीय सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है और अक्तूबर, १९५७ में योजना आयोग ने राज्य सरकारों और रेलवे मंत्रालय का ध्यान इसकी ओर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आकृष्ट किया था। रेलवे मंत्रालय तभी योग देगा जब निगमों की स्थापना हो जायेगी। हमें इसकी पूरी आशा है।

†**श्री तंगामणि :** असल में २३.५ करोड़ रुपये की इस राशि में से १३.५ करोड़ रुपये राज्यों को दिये जाने थे जो कि घटा कर ९ करोड़ रुपये कर दिये गये हैं और १० करोड़ रुपये रेलवे मंत्रालय से प्राप्त होंगे। १९ करोड़ रुपये की इस राशि में से राज्य उपक्रमों को दिये गये हैं? क्या यह देखते हुये कि यह राशि व्ययगत हो जायेगी क्या सरकार प्रस्थापना में कुछ रूप भेद करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** विवरण में बताया गया है और मैं भी बता चुका हूं कि राशि को घटा कर ९ करोड़ रुपये कर दिया गया है और १९५९-६० की समाप्ति तक राज्य सरकारों को ३८९ लाख रुपये दिये गये हैं।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य परिवहन उपक्रम के प्रति मील भाड़े की दरों में अन्तर होता है, क्या सरकार इन्हें समान बनाने के लिये कार्यवाही करना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यही प्रश्न किसी दूसरे ढंग में पहले भी पूछा जा चुका है।

†**श्री राज बहादुर :** मुख्य प्रश्न सरकारी क्षेत्र में निगमों की स्थापना के बारे में है, भाड़े के ढांचे के बारे में नहीं, इसलिये इस बारे में अलग पूर्व सूचना दी जाये।

†**श्री आचार :** यह देखते हुये कि राज्य सरकारों की मूल आपत्ति यह है कि उन्हें आय-कर देना पड़ेगा क्या सरकार इन्हें आय कर से मुक्त करने के बारे में विचार कर रही है क्योंकि ये लाभ कमाने वाले उपक्रम नहीं हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** वे लाभ कमाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में जड़ी-बूटियां

*१०६४. **श्री पद्म देव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के वन विभाग के अन्तर्गत जड़ी-बूटियों के विकास की योजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का इस योजना को चम्बा के अतिरिक्त महासू के जंगलों के बड़े पंसारखानों में चालू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) चम्बा जिले की २ एकड़ भूमि में नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जिन पर सितम्बर १९५८ तक १२,७४८ रुपये खर्च हो चुके हैं।

(ख) अभी नहीं।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री पद्म देव : क्या मंत्री महोदय प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी मैडिसनल हर्बस पाई जाती हैं और क्या इसका सर्वे किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य १०१ जड़ी बूटियों की सूची चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पद्म देव : मैं जानना चाहता हूं कि जड़ी बूटियों का सर्वे हुआ है या नहीं ?

श्री करमरकर : हिमाचल प्रदेश में काफी तादाद में और काफी अच्छी किस्म की हर्बस पाई जाती हैं ।

श्री पद्म देव : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जो लोग जड़ी बूटियों को उखाड़ते हैं वे इतनी बेरहमी के साथ इनको उखाड़ते हैं कि कई जड़ी बूटियों का नितान्त अभाव पैदा हो रहा है और उनका नाश हो रहा है । इस सम्बन्ध में क्या कोई ऐसे नियम बनाये जायेंगे जिससे कि इन जड़ी बूटियों का नाश न हो ?

श्री करमरकर : जो जड़ी बूटियां निकाल ली जाती हैं वे तो निकाल ही ली जाती हैं । इनका नाश न हों, इस दृष्टि से नर्सरीज़ वगैरह स्थापित की जा रही हैं, डिवेलैप वगैरह इनको किया जाता है । आशा है कि कभी इनका नाश नहीं होगा बल्कि इनकी वृद्धि ही होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि..........

श्री करमरकर : वह यह पूछ रहे थे कि क्या जड़ी बूटियों का विदोहन करने से यह खत्म तो नहीं हो जायेंगी । मैं ने बताया कि ये नर्सिरियां इन बूटियों के विकास के लिये स्थापित की जा रही हैं इसलिये ये खत्म नहीं होंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने प्रश्न का यह अर्थ निकाला था कि इन जड़ी बूटियों के वृक्षों ईंधन के लिये गिराया जा रहा है इत्यादि ....

†**श्री करमरकर** : मेरे ख्याल से यह अर्थ नहीं था ।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि १२०००, रुपये की लागत से एक नर्सरी चम्बा में स्थापित की गई है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लाखों रूपये मूल्य की दवाइयां हर साल हिमाचल से बाहर जाती हैं, जड़ी बूटियां बाहर जाती हैं और ये जो जड़ी बूटियां हैं इनको लोग अपने नफे इत्यादि के लिये इतनी बेरहमी और बेदर्दी के साथ उखाड़ते हैं जिस से कि उनका जो असली मूल्य है वह नष्ट हो जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा नियम जारी किया गया है जिस से लोग इस तरह से जड़ी बूटियां न उखाड़ें और नियमों में रहते हुये काम करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ठीक कह रहा था ।

श्री करमरकर : शायद हम दोनों ही ठीक कह रहे थे । यह चीज़ ऐसी है जोकि कभी कभी हो जाती है । हो सकता है यह हिमाचल प्रदेश में व दूसरे इलाकों में होती है । लेकिन जिस वक्त इस तरह की कोई चीज़ हमारी नज़र में आ जाती है तो यह जरूरी हो जाता है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाये । हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा देश है और कई किस्म की जड़ी बूटियां यहां पाई जाती हैं । अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जिससे पता चलता हो कि इनका ह्रास हो रहा है । अगर माननीय सदस्य को पता होगा और हमारी नज़र में भी यह चीज़ आएगी तो इसका ठीक इंतिज़ाम कर दिया जायेगा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सराकार ने हमारे बनों में पाई जाने वाली ज़ड़ी बूटियों और औषधियों का पता लगाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की है । विदेशी समवायों ने यहां जड़ी बूटियों का कैसे पता लगाया और उनका ब्यापार करने लगे । 'सपटाइना' तो पहले से ही

†मूल अंग्रेजी में

थी जो करवड़ वनों में मिली थी अब उन्होंने क्षय रोग के लिये जड़ी बूटियों से एक औषधि तैयार की है ।

†अध्यक्ष महोदय : हम एक से दूसरे विषय में जा रहे हैं राल्फिया सर्पेटाइना एक पुरानी औषधि है और इस बारे में सभी जानते हैं ।

श्री रा० क० वर्मा : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जड़ी बूटियों के साथ साथ उनके विकास के लिये भी श्रीमान ने कोई योजना बनाई है ?

श्री करमरकर : विकास योजनायें अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह से चलती हैं। हिमाचल प्रदेश में, काश्मीर में और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में ये चलती हैं और इनमें काफी दिलचस्पी स्टेट गवर्नमेंटस द्वारा खिाई जाती हैं और वे काफी दिलचस्पी इनमें लेती हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैं ने पूछा था कि विदेशी समवायों को हमारी जड़ी बूटियों का कैसे पता चलता है ?

†**श्री करमरकर** : विस्तृत इन्साइक्लोपीडिया में लेटिन भाषा में जड़ी बूटियों के नाम दिये हुये होते हैं। विदेशी समवायों को इन का पता चल जाता है । जब हम उनका निर्यात करते हैं तो वे उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं और कई बार वे देशीय समवायों के सहयोग से भारत में ही कारोबार करने लगते हैं ।

लगभग तीन या चार वर्ष पूर्व राल्फिया सर्पेटाइना की सप्लाई कुछ कम हो गई थी तब यह आशंका पैदा हो गई थी कि कहीं बाद में सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । तब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने निर्यात का विनियमन करने के लिये कार्यवाही की थी । हम इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। हम राष्ट्रीय सम्पत्ति को बनाये रखने के लिये और उस से अधिकतम लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं ।

दरभंगा मुजफ्फरपुर रेलवे लिंक

१०६५. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर **रेलवे** पर दरभंगा और मुजफ्फरपुर स्टेशनों को मिलाने वाली प्रस्तावित रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में कोई निश्चय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह विषय इस समय किस अवस्था में है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) जी हां। यह इलाक़ा कुछ इस तरह का है कि आर्थिक दृष्टि से इस लाइन का बनाना उचित नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायणदास** : कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने कहा था कि समस्तीपुर और दरभंगा के बीच रेलवे लाइन को दोहरे करने के विकल्प स्वरूप ही यह सर्वेक्षण किया गया था । क्या इस लाइन को दोहरा किया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : समस्तीपुर तक लाइन दोहरा कर दी जायेगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि गंगा नदी पर मोकामेह पुल बन जाने के पश्चात् बरौनी से दरभंगा तक बड़ी लाइन चलेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सर्वप्रथम हम समस्तीपुर तक ही विचार कर रहे हैं। इसे अभी दरभंगा तक करने का विचार नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास**: क्या बरौनी से समस्तीपुर तक बड़ी लाइन का निर्माण कार्य ारम्भ कर दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह लाइन समस्तीपुर से नहरकटियागंज तक जायेगी, मुजफ्फरपुर होते हुये ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अभी तो समस्तीपुर तक ही जायेगी। इसके बाद कहां तक जायेगी, यह कहना अभी सम्भव नहीं है।

गंडक परियोजना

†*१०६६. { †पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम कृष्ण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गंडक परियोजना के बारे में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किये गये टिप्पण तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को दृष्टि में रखकर बिहार सरकार परियोजना प्रतिवेदन की पुनरीक्षा कर रही है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या नेपाल सरकार के साथ वार्ता को अंतिम रूप दे दिया गया है और समझौता हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या इस में कुछ बाधा है —क्या सिसवान म किसी वैकल्पिक स्थान ढूढ़ने का विचार है ?

†**श्री हाथी** : नेपाल सरकार से अभी वार्ता चल रही है; अभी उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जहां तक वैकल्पिक स्थान का प्रश्न है अभी हमने इसका निर्णय नहीं किया है क्योंकि अभी नेपाल सरकार के साथ बात चीत चल रही है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में गंडक और रिहंद नदियों के लिये निर्धारित ५ करोड़ रुपये वापस ले लिये गये हैं ? यदि हां, तो यह कब किया गया है ?

†**श्री हाथी** : जी नहीं, अभी यह रकम वापस नहीं ली गई है। प्रारम्भ में ५ करोड़ रूपये की रकम का उपबन्ध किया गया था। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं योजना का मूल्यांकन करते समय अब उसे घटा कर २.०३ करोड़ रूपये का उपबन्ध कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या नेपाल राजी हो गया है और जो यू० पी० गवर्नमेंट है वह इस में राजी नहीं है ?

श्री हाथी : नहीं अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या नेपाल सरकार ने उक्त स्थान पर किसी दल अथवा आयोग को भेजा है ?

†**श्री हाथी :** वस्तुतः नेपाल सरकार ने किसी दल अथवा आयोग को नहीं भेजा है । किन्तु हमारे इंजीनीयर वहां गये हैं और उनके साथ नेपाल सरकार के इंजीनीयर भी हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ारा बिहार सरकार को सुझाये गये उन सुझावों की, जिन पर राज्य सरकार विचार कर रही है, मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं । ?

†**श्री हाथी :** बांध, नहर, लागत की पुनरीक्षा । सामान की वर्तमान कीमतें इत्यादि सब का स्वरूप टेक्नीकल है ।

श्री विभूति मिश्र : हिन्दुस्तान में जितनी भी स्कीम्स चली हैं उन सब में सस्ती स्कीम यह है और बिहार में अब तक कोई भी प्रोडक्टिव **स्कीम** नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस में बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाने के लिये तैयार ै या नहीं ?

†श्री हाथी : केवल तर्क है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि नेपाल से वार्ता होने तक वह नहर बनाने की अनुमति दे दें ताकि यह काम शीघ्रता-पूर्वक किया जा सके ?

†**श्री हाथी:** जब तक बातचीत वस्तुतः पूरा नहीं हो जाता है और बांध के स्थान का निर्णय नहीं कर लिया जाता है तब तक नहरें प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है ।

गुडिवाड़ा-भीमवरम् सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

†**१०६७. श्री ठ० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुडिवाडा-भीमवरम् सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, १९५८ के अंत तक इस परियोजना की कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके कब प्रारम्भ होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ग). जी नहीं । हाल ही में प्राप्त परियोजना के वित्तीय पक्ष का परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें शीघ्र ही मंजूर करने की आशा की जाती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** चालू वर्ष के बजट में २६ लाख रूपये की रकम का उपबन्ध किया गया है जब कि इस परियोजना पर खर्च २·२५ करोड़ रूपये हैं। क्या इसका यह अभिप्राय है कि इसे प्रयुक्त न करने की संभावना होने से यह रकम व्ययगत हो जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह अन्य दो मदों से जुड़ी हुई थी। इसका निराकरण हाल ही में किया गया है और अब कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

†**श्री गा :** क्या यह सच नहीं है कि आंध्र के चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र में सब से अधिक उपज वाले भाग से चावल के निर्यात को सुविधामय बनाने के लिये ही इस में परिवर्तन किया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसके अतिरिक्त अन्य बातों पर भी विचार किया जायेगा जैसे, निर्यात सम्बन्धी सुविधाएं। सब से पहले हम कृष्णा नदी के पुल पर मिली जुली लाइन और बैजवाडा में मीटर लाइन को समाप्त करना चाहते हैं। यह कुछ मुख्य मुख्य सिफारिशें हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यदि इस पर कार्य प्रारम्भ किया गया तो क्या यह द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में ूरा हो जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** श्रीमान इसके लिये प्रयत्न किया जायेगा।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या टेक्नीकल दृष्टि से यह परियोजना लाभप्रद है तथा क्या इसका परीक्षण किया जायेगा और क्या इस योजना को परित्यक्त कर देने की कोई सम्भावना नहीं है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** कौन सी योजना ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यही गुडिवाडा-भीमवरम् सैक्शन। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इसे बीच में ही छोड़ देने की संभावना है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

† **श्री त० ब० विट्ठल राव :** प्राक्कलन समिति ने रेलवे मंत्रालय के कार्य-व्यवस्था के बारे में अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है और वह व्ययगत हो जाते हैं। रेलवे मंत्रालय इसके लिये क्या प्रयत्न कर रहा है कि बजट की रकम व्ययगत न होने पाये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह एक सामान्य प्रश्न है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह निर्दिष्ट प्रश्न है।

†**श्री तंगामणि :** २६ लाख रुपये की इस रकम का क्या होगा ? चालू वर्ष में २६ लाख रुपये का उपबंध किया गया है और अभी तक एक भी पाई खर्च नहीं हुई है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** माननीय सदस्य व्ययगत रकम के बारे में चिन्तित हैं अथवा रेलवे लाइन के बारे में व्यग्र हैं ? रेलवे लाइन के सम्बन्ध में बाद में विचार किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यदि इस पर कोई रकम खर्च नहीं की गई है तो इस पर क्यों विचार किया जायेगा ?

† मूल अंग्रेजी में

† अध्यक्ष महोदय : हम किसी भी समय रकम पारित कर सकते हैं किन्तु इस काम में शीघ्रता करने की आवश्यकता है ।

रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम

+
†*१०६८. { श्री संगण्णा :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५८ अभी तक न तो क्रियान्वित किया गया है और न उसके अधीन कोई नियम ही बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) प्रारूप नियमों की रचना की गई है और इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी इस की सावधानी पूर्वक परिनिरीक्षा कर रहे हैं। आशा है कि इस वर्ष के अंत तक अन्तिम प्रारूप तैयार हो जायेगा । और फिर सम्बन्धित मंत्रालय इस पर विचार करेंगे । अगले वर्ष के मध्य तक इन नियमों को लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

†श्री संगण्णा : रेलवे में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी ?

† अध्यक्ष महोदय : यह विषय से सम्बन्धित नहीं है ।

†श्री तंगामणि : जब जुलाई, १९५७ में यह अधिनियम पारित किया गया था तो फिर इसके अधीन नियम बनाने में दो वर्ष क्यों बीत गये हैं ?

†श्री शाहनवाज़ खां : नियमों की रचना अत्यन्त जटिल विषय है। रिजर्व पुलिस बल अधिनियम १९४९ में पारित किया गया था और पांच वर्ष बाद १९५५ में यह नियम लोकसभा की पटल पर रखे गये ।

किन्तु मैं यह निवेदन कर दूं कि हमने एक अधिकारी नियम बनाने के प्रयोजन से ही नियुक्त कर दिया है और आशा है कि अगले वर्ष के मध्य तक इन्हें सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

† अध्यक्ष महोदय : वर्तमान परिस्थिति में अधीनस्थ विधान समिति बनाने में कोई लाभ नहीं है। किसी भी अधिनियम को पारण करते समय यह अनुमान कर लेना चाहिये कि इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा । ऐसा उचित समय करना चाहिये ।

† रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : श्रीमान् , मैं निवेदन कर रहा था कि इसे उदाहरण के रूप में नहीं समझना चाहिये । यदि ऐसा ही है तो यह बुरी बात है । मैं स्वयं यह अनुभव करता हूं कि इस में काफी समय लग गया है और इस विषय में शीघ्रता होनी चाहिये थी । मुझे यह बात मालूम हुई कि अभी नियम नहीं बनाये गये हैं तो मैंने परामर्श दिया कि उचित समय में नियम बनाने के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाये ।

---

† मूल अंग्रेजी में

निस्संदेह ही इस में कुछ कठिनाइयां हैं किन्तु कुछ समय पहले इन पर ध्यान देना चाहिये था-- इसके लिये राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक है। मैं प्रयत्न करूंगा कि इस में शीघ्रता की जाये ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : मैं अधीनस्थ विधान समिति की स्थिति स्पष्ट कर दूं। इस समिति ने बारबार यह सिफारिश की है कि ये नियम बनाये जाने चाहिये और इन्हें लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत करना चाहिये। अब यह लोक सभा का कार्य है कि वह स विषय पर विचार कर सरकार को निदेश दें ।

† **अध्यक्ष महोदय**: माननीय मंत्री ने इस विषय में शीघ्रता करने के लिये कह दिया है; हमें अगले सत्र तक प्रतीक्षा कारनी चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान आपने अभी कहा था कि अधीनस्थ विधान समिति को अधिक सतर्क होना चाहिये। जब तक समिति के सामने नियम प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तब तक उसे इन पर कुछ भी विचार करने का क्या अधिकार है? नियमों की रचना करना मंत्रालयों का काम है । सच तो यह है कि इस विषय की रिपोर्ट लोक सभा को तीन बार दे दी गई थी।

† **अध्यक्ष महोदय** : यदि अधिनियम में नियमों की रचना का इन निहित है तो उन्हें उसके लिये उचित समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि ऐसा न किया जाये तो वह मंत्रालय को लिखें। तब भी कोई परिणाम न हो तो फिर लोक सभा के समक्ष इस विषय की चर्चा की जाये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री भविष्य में शीघ्रता करेंगे ।

† **श्री च० का० भट्टाचार्य** : रेलवे मंत्रालय को इस विषय में कार्यवाही करनी चाहिये थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह बात उनकी जानकारी में नहीं आई थी और अब वह इस में शीघ्रता करेंगे ।

राज्यों में खाद्य समितियां

†*१०६९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में सर्वदलीय खाद्य समितियां स्थापित कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या देश में सामान्य रूप से खाद्य स्थिति का लेखा जोखा तैयार करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य खाद्य समिति के सदस्यों की मिलीजुली कान्फ्रेंस आयोजित करने का प्रस्ताव है ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). कुछ राज्यों में ऐसी समितियां स्थापित कर दी गई हैं और कुछ राज्यों की सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री कालिका सिंह** : इस प्रकार की समिति की रचना क प्रति विशेष रूप से केरल राज्य की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: केरल सरकार ने एक समिति नियुक्त की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरीखे राज्यों में कुछ राजनीतिक दलों ने खाद्य समितियों के साथ सहयोग करने से मना कर दिया है अथवा प्रारम्भिक सहयोग के पश्चात अपना सहयोग वापस ले लिया है। यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जहां तक मुझे स्मरण है एक राजनीतिक दल--समाजवादी पार्टी ने सहयोग करने से इन्कार कर दिया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह बात माननीय मंत्री को बताई गई है कि यद्यपि यह सर्वदलीय खाद्य समितियां राज्यों में स्थापित की गई हैं इनकी क्रियान्विति तालुक स्तर पर नहीं की जा सकती है क्योंकि वहां सर्वदलीय खाद्य समितियां नहीं हैं और मंत्रीगण इसके लिये इन्कार कर रहे हैं ? क्या इस विषय पर संयुक्त कान्फ्रेंस में भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन**: प्रथम, कोई संयुक्त कान्फ्रेंस नहीं हो रही है। दूसरे, कुछ राज्य सरकारों ने जिला अथवा तालुक स्तर पर समितियां स्थापित नहीं की हैं। इस विषय पर राज्य सरकारें निर्णय करेंगी और वह समुचित तथा व्यावहारिक कार्यवाही करेगी।

श्री जगदीश अवस्थी : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश की सर्वदलीय खाद्य समिति में सोशलिस्ट पार्टी ने सहयोग नहीं दिया तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ऐसा सुझाव दे सकती है कि उसको सर्वदलीय खाद्य समिति न कह कर केवल खाद्य समिति ही कहा जाय ?

श्री अ० प्र० जैन: : मैं आपके सवाल को पूरे तौर पर समझा नहीं।

श्री जगदीश अवस्थी : मेरा मतलब था जैसा कि अभी आपने निवेदन किया कि सोशलिस्ट पार्टी ने उस सर्वदलीय खाद्य समिति में भाग लेने से इन्कार किया, ऐसी स्थिति में उसको सर्वदलीय खाद्य समिति न कहा जाय, क्या केन्द्रीय सरकार इस तरह का सुझाव राज्य सरकार को देगी कि इसका नाम केवल खाद्य समिति रखा जाय सर्वदलीयि खाद्य समिति न रखा जाय ?

श्री अ० प्र० जैन : हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक दल प्रारम्भिक सहयोग के पश्चात् समिति से अलग हो गया है और यदि हां, तो इसके और समाजवादी दल द्वारा सहयोग से मना करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैंने यह कहा है कि एक राजनैतिक दल ने सहयोग करने से मना कर दिया है। सहयोग करना अथवा न करना राजनीतिक दल का काम है। यदि वह अनुभव करते हैं कि इससे सहयोग न किया जाये तो मैं क्या कर सकता हूं।

†**श्री विमल घोष** : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं कि सभी स्तरों पर खाद्य समितियां स्थापित की जानी चाहियें और यदि नहीं तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में सम्मति व्यक्त की है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : प्रधान मंत्री ने अपनी पाक्षिक चिटठी में एक सामान्य सिफारिश की थी किन्तु उन्होंने यह अनुभव किया कि कुछ राज्यों में कठिनाइयां होती हैं क्योंकि यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और वही इसका निर्णय करेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट या सेंटर में जो यह कमेटी बनाई गई है, वह स्थायी है या अस्थायी ?

श्री अ० प्र० जैन : स्थायी है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं उन राज्य सरकारों के नाम जानना चाहता हूं कि जहां यह खाद्य समितियां नहीं बनाई गई हैं और उसके क्या कारण हैं और इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाय गये हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : आसाम, बम्बई, केरल और उतर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अनौपचारिक समितियां स्थापित की गई हैं ; अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर नहीं दिया जायेगा । यह कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : प्रधान मंत्री की भी यही नीति है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री परामर्श देते हैं। हमने कहा था कि एक सर्वदलीय समिति स्थापित की जाये जो समय-समय पर इन पर विचार करेगी। इसके अतिरिक्त क्या किया जा सकता है ?

†**श्री कालिका सिंह** : क्या राज्य व्यापार भी इस समिति के क्षेत्राधिकार में रहेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने इस पर--खाद्यान्नों का राज्य व्यापार-- पर केन्द्रीय समिति में चर्चा की है .....

†**श्री कालिका सिंह** : क्या केन्द्र में स्थापित समिति ने खाद्यान्नों के राज्य व्यापार पर विचार किया था ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमने इस पर विचार किया है इसका अर्थ है कि हमने समिति की मीटिंग में इस पर चर्चा की थी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : श्रीमान्, खाद्यान्नों का राज्य-व्यापार महत्वपूर्ण विषय है। इस पर यहां चर्चा नहीं की गई है क्या इस पर एक या दो घंटे चर्चा की सम्भावना हो सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरी सम्मति जानने से क्या लाभ होगा ? यदि माननीय सदस्य कुछ चाहते हैं तो लिख कर दें ।

हावड़ा और बर्दवान के बीच बिजली से चलने वाली रेलें

†*१०७०. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हावड़ा और बर्दवान के बीच बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों को निर्धारित स्थान पर पहुंचने में लगभग २½ घंटे लगते हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि बहुप्रयोजनीय सवारी डिब्बों में स्नान-आवास न होने से यात्रियों को पर्याप्त असुविधाओं का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इन असुविधाओं को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). हावड़ा और बर्दवान के बीच गाड़ी चलने में कम समय लगने के कारण स्नान कक्ष के अभाव में सवारियों को अधिक असुविधा अनुभव नहीं करना चाहिये--उपनगरीय सवारियों के लिये अधिकतम स्थान उपलब्ध कराने और भीड़ कम करने की दृष्टि से ही ऐसा किया गया है ।

†श्री सुबिमन घोष : क्या माननीय मंत्री का विचार है कि २ ½ घंटे का समय कम होता है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : सभा इससे पूर्व अवगत है कि उपनगरीय सेक्शन में भारी भीड़ रहती है। उपनगरीय गाड़ियों में भीड़ कम करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी समिति ने सिफारिश की थी कि यात्रियों के लिये जगह का पूरा लाभ उठाया जाये । समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि उनमें स्नानघर और पाखानों की आवश्यकता नहीं है ।

†श्री हेम बरूआ : क्या यह समय कम है ? यह पूरे २ ½ घंटे है।

†श्री शाहनवाज़ खां : मद्रास और बम्बई की उपनगरीय रेलगाड़ियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

†कुछ माननीय सदस्य : उनमें २ ½ घंटे नहीं लगते हैं ।

†श्री मोहम्मद इलियास : बिजली की गाड़ियां चलने से पहले हमसे कहा गया था कि हावड़ा और बर्दवान के बीच यात्रा में केवल एक घंटा लगेगा । फिर इसमें इतना समय क्यों लगता है ? कालका मेल में एक ही घंटा लगता है ।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह गाड़ियां पूर्ण रूपेण इ एम यू डिब्बों के साथ नहीं चलती हैं। हमारे पास बिजली से चलने वाले और पुराने डिब्बों की मिली जुली गाड़ियां हैं। ज्योंही इ एम यू डिब्बों की संख्या बढ़ जायेगी और हम पूर्णरूपेण इ एम यू डिब्बों और रैक से गाड़ियां चलायेंगे कदाचित इसमें कम समय लगेगा ।

†श्री सुबिमन घोष : हावड़ा और बर्दवान के बीच अप और डाउन कितनी गाड़ियां चलती हैं और इनमें चलने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह विषय इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†श्री सुबिमन घोष : यह सब यात्री ढाई घंटे तक टट्टी और पेशाब रोक कर बैठ सकते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : शौच क्रिया का सम्बन्ध व्यक्तिगत होने के साथ सामुदायिक भी है । रेलवे यात्रियों में वृद्ध भी हो सकते हैं ; ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो बहुमूत्र से पीड़ित हैं। और भी अनेक कारण हो सकते हैं ...... ढाई घंटे का यह समय कम नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन्फ्लुएंजा

+
†*१०७१. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति की श्वास विषाणु रोगों[1] के बारे में की गई रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार आगामी वर्षों में इन्फ्लुएंजा की रोक थाम के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) तथा (ख). कथित रिपोर्ट सरकार को अभी-अभी मिली है अभी हमें इसके प्रकाशन की अनुमति नहीं मिली है। इसकी सिफारिशों पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

†**श्री वारियर**: क्या इसमें किसी नई बीमारी का भी जिक्र है ।

†**श्री करमरकर** : जी नहीं ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार को इससे यह पता चला है कि भारत के कुछ भागों में इन्फ्लुएंजा का बड़ा प्रकोप है ? यदि हां तो क्या सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया है कि वहां यह हर वर्ष ऐसा ही न बना रहे ?

†**श्री करमरकर**: जी नहीं । हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह रोग कहीं भी स्थायी न बन पाये ।

†**श्री वें० रा० पट्टाभिरामन** : पेसटर इंस्टीच्यूट ने इसके कृमि को पृथक करने का उपाय निकाला है । सरकार इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिये इस औषधि को बड़े पैमाने पर तैयार करने का क्या उपाय सोच रही है ?

†**श्री करमरकर** : अभी बड़े पैमाने पर निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है किन्तु हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

ब्रह्मपुत्र बेसिन में विद्युतशक्ति का सर्वेक्षण

†*१०७२. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रह्मपुत्र बेसिन में विद्युतशक्ति के सर्वेक्षण के बारे में कोई योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). ब्रह्मपुत्र बेसिन में विद्युत-शक्ति के बारे में सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है । इस सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि यहां पर १२३

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Respiratory Virus Disease

लाख किलोवाट जल विद्युत का ६० प्रतिशत भारवहन के हिसाब से निर्माण हो सकता है। किन्तु इसके बारे में कोई विशेष सुझाव नहीं दिये गये हैं।

†श्रीमती मफीदा अहमदः क्या यह सर्वेक्षण भारतीय इंजीनियरों द्वारा किया गया था अथवा विदेशी विशेषज्ञों द्वारा तथा क्या यह सर्वेक्षण केवल आंकड़े इकट्ठे करने के लिये किया था अथवा कोई विशेष योजना बनाने के लिये ?

†श्री हाथी : यह सर्वेक्षण भारतीय इंजीनियरों द्वारा विशेष योजनायें बनाने के लिये जैसे वहां पर जल-चालक अगारों, सुरंगों, नहरें आदि बनाने के लिये किया गया था। इन सब की अभी जांच की जा रही है तथा यहां पर उपयुक्त स्थान खोजे जा रहे हैं।

†श्री हेम बरूआ : क्या इसी स्थान पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने भी एक सर्वेक्षण किया था। यदि हां तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले थे तथा इन योजनाओं के लिये उस जानकारी का कहां तक प्रयोग किया जा रहा है ?

†श्री हाथी : जिस सर्वेक्षण का मैंने उल्लेख किया है वह केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा किया गया सर्वेक्षण ही है।

†श्रीमती मफीदा अहमद : आयोग के चेयरमैन श्री सेन ने यह प्राक्कलन तैयार किया था कि इस बेसिन में इतनी विद्युत शक्ति उपलब्ध होगी कि वह आसाम, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल तीनों राज्यों के लिये १० वर्ष के लिये काफ़ी होगी। इस बात को देखते हुये क्या सरकार ने इस शक्ति का उपयोग उठाने के लिये कोई योजना तैयार की है अथवा नहीं, यदि हां तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

†श्री हाथी : मैं पहले बता चुका हूं कि यहां से लगभग १३० लाख किलोवाट विद्युत शक्ति उपलब्ध होने की आशा है। शेष जानकारी व खोज अभी जारी है।

†श्रीमती मफीदा अहमद : इस बात को देखते हुये कि आसाम में जलविद्युत का सब से अधिक स्रोत है उस राज्य के लिये कोई जलविद्युत योजना क्यों नहीं बनाई गई ?

†श्री हाथी : मैं पहले कह चुका हूं कि वहां पर कुछ योजनायें चालू करने के लिये खोज हो रही है। इनकी एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और अब अन्तिम रिपोर्ट बनाई जा रही है। कुछ अन्य स्थानों पर भी ऐसी खोज की जा रही हैं।

आन्ध्र में चावल की वसूली

+

†*१०७३. { श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री राजेन्द्र सिंह : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश की सरकार से राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों द्वारा चावल की वसूली के बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है ;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है ; और

(ग) सरकार इस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने यह कहा है कि राज्य के डेल्टा ज़िलों में चावल धान को अधिकतम वसूली कीमत में और वृद्धि की जाये तथा बढ़िया किस्म के चावल को राज्य से बाहर दूसरे ज़ोन में भेजने की अनुमति दी जाये। राज्य की यह प्रार्थना स्वीकार करना कठिन है क्योंकि सरकार इस समय दक्षिणी चावल ज़ोन में चावल की कीमतों को उचित मूल्य पर स्थिर करने की फिक्र में है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या यह सच है कि जब इन तीन ज़िलों में चावल की वसूली शुरू की गई उस समय बाजार में चावल के दाम बहुत बढ़ रहे थे तथा उस समय आन्ध्र की सरकार ने यह कहा था कि केन्द्र को इस समय चावल की वसूली नहीं शुरू करनी चाहिये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य का निर्देश किस काल से है किन्तु एक समय आन्ध्र सरकार ने इतना अवश्य बताया था कि चावल की कीमतें बहुत गिरती जा रही हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार मंदी के दिनों में बाज़ारों से धान इकट्ठा करने की बजाय ऋतु में सीधे किसानों से धान खरीदने के प्रश्न पर विचार करने को तैयार है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमने अभी तक इस प्रश्न पर आन्ध्र सरकार से कोई बातचीत नहीं की। किन्तु मैं माननीय सदस्य के सुझाव की सराहना करता हूं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या यह सच नहीं है कि जैसे ही वसूली प्रारम्भ हुई बाज़ार में एकदम कीमतें बढ़ गई यदि हां तो वर्ष के उत्तरार्द्ध में वसूली कीमत तथा बाज़ार भाव में कितना अन्तर था ?

†**श्री अ० प्र० जैन**: जब हमने वसूली शुरू की तो कभी कीमतें ऊंची हो गई और कभी कम। परन्तु प्रायः मिलों वाले वसूली दाम पर ही चावल खरीदने के लिये तैयार रहते थे।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि जब केन्द्रीय सरकार ने राज्य में चावल तथा धान की पैदावार बढ़ाने के लिये उर्वरक कारखाना नहीं खोला तब उसको राज्य में चावल व धान की वसूली में इतना उत्साह दिखाने का कोई हक नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न में से नहीं उत्पन्न होता।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या यह सच है कि चावल की वसूली के लिये केरल सरकार के अपने अभिकरण हैं तथा उसने वसूली दाम बढ़ा दिये हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय सदस्य के प्रश्न का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं। मूल प्रश्न आन्ध्र प्रदेश में वसूली के दामों के बारे में है जिसको वहां की सरकार बढ़ाना चाहती है किन्तु जिसके लिये केन्द्रीय सरकार ने इन्कार कर दिया है।

†**श्री तिरुमल राव** : मेरा आशय यह है कि केवल आन्ध्र प्रदेश की सरकार ही कीमतें नहीं बढ़ाना चाहती है अपितु केरल राज्य ने भी ऐसा किया है। इसलिये मैं यह जानना चाहता था।

† मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : इसके लिये आन्ध्र वालों को अपने आपको बधाई देनी चाहिये।

†श्री तिरुमल राव : केरल सरकार ने दाम ऊंचे करके कुछ हद तक आन्ध्र की बात को पूरा कर दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : सभा के लिये यह नई जानकारी है।

†श्री रंगा : क्या आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह कहा है कि यदि वह चावल की वसूली का एकाधिकार रखना चाहती है तब उसे किसानों को कम से कम ऐसे दाम देने चाहिये कि उनको उचित लाभ हो सके।

†श्री अ० प्र० जैन: उन्होंने ऊंचे दाम देने का सुझाव रखा था। किन्तु हम वर्तमान दामों को उचित समझते हैं।

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है .....

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। हम विषय से बाहर जा रहे हैं।

†श्री रंगा : आन्ध्र सरकार ने चावल की वसूली के बारे में भारत सरकार को क्या कहा है सरकार इसको गुप्त रखना चाहती है किन्तु मैं प्रैस में छपी कुछ बातों के आधार पर यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री ने भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस कीमत पर वह चावल खरीद रही है उससे किसानों को चावल पैदा करने में कोई प्रेरणा नहीं रह सकती ?

†श्री अ० प्र० जैन : यह सच है कि आन्ध्र सरकार इस कीमत को पर्याप्त नहीं समझती। किन्तु अनेक अन्य बातों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने इसी कीमत को बनाये रखना अच्छा समझा है।

कई सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं पहले ही बहुत अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं। प्रश्न यह है कि क्या केरल सरकार ने आन्ध्र सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

†श्री वासुदेवन नायर : जी नहीं, आन्ध्र सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : मंत्री महोदय ने कहा है कि कभी-कभी बाज़ार मूल्य वसूली के दामों से कम रहा है क्या वह पिछले वर्ष में इसका एक भी उदाहरण दे सकते हैं ?

†श्री रंगा : वह वसूली दाम से कैसे कम हो सकता है ?

†श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार को ज्ञात है कि अब भी दक्षिणी जोन में आन्ध्र की सीमा पर बड़े पैमाने पर चावल का तस्कर व्यापार हो रहा है यदि हां, केन्द्रीय सरकार आन्ध्र सरकार के साथ मिलकर इसको रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†श्री अ० प्र० जैन : किसी समय हमें यह खबर मिली थी कि आन्ध्र से अवैध रूप से बम्बई को बहुत बड़ी मात्रा में चावल जा रहा है। हमने आन्ध्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया। उसने इसको रोकने के लिये उचित कार्यवाही की है। इसके इलावा हमने 'दक्षिणी ज़ोन' के इर्द-गिर्द पांच मील का ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर दिया है जिसमें कोई व्यक्ति बिना परमिट के चावल नहीं ले जा सकता।

† मूल अंग्रेजी में

चिल्का झील में विश्राम-गृह

*१०७४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अप्रैल, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिल्का झील में जाने वाले पर्यटकों की रिहायश के लिये विश्राम गृह बानाने के लिये एक भूतपूर्व देशी नरेश का राज महल लेने के बारे में जो प्रस्ताव था वह पूरा किया जा चुका है या नहीं ; और

(ख) वहां पर पर्यटन का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने और क्या प्रस्ताव भेजे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) राज्य सरकार ने यह बताया है कि अभी रम्भा महल को खरीदने बात चीत पूरी नहीं हुई है अतः यह प्रश्न अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) अभी तक चिल्का झील के विकास के लिये राज्य सरकार ने और कोई सुझाव नहीं भेजे हैं । राज्य में अन्य स्थानों पर पर्यटन के विकास के लिये उड़ीसा की राज्य सरकार ने पुरी तथा भुवनेश्वर में (प्रत्येक स्थान पर २५ बिस्तरों वाला) कम आय वालों के लिये एक एक विश्रामगृह बनाने की योजनायें भेजी हैं । इन पर १ ५० लाख रुपये व्यय होगा । केन्द्रीय सरकार ने इनका अनुमोदन कर दिया है और इसका आधा व्यय अपने जिम्मे लेने का विश्वास दिलाया है । सूचना मिली है कि ये विश्रामगृह बड़ी शीघ्रता से बन रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : अभी तक चिल्का झील के सुधार के लिये क्या काम किये गये हैं तथा उन पर कितना व्यय किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : राज्य सरकार ने उसके विकास व्यय का आधा व्यय देने का आश्वासन दिया है किन्तु क्योंकि हमें राज्य सरकार से इसके विकास के बारे में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं मिला है इसलिये हम उस पर कुछ व्यय नहीं कर सकते ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या इसका यह अभिप्राय है कि इन वर्षों में वहां पर कुछ नहीं किया गया हालांकि वहां पर प्रतिवर्ष अनेक पर्यटक जाते हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि वहां के विकास के लिये हमारे पास जो भी योजना आयेगी हम उसका स्वागत करेंगे । हम राज्य सरकार के प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : भारत सरकार को कब तक वहां से कोई प्रस्ताव आने की आशा है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम राज्य सरकार को जल्दी से प्रस्ताव भेजने के लिये लिखते रहे हैं । हमने उनको सितम्बर, १६५६ में कोई प्रस्ताव भेजने के लिये लिखा था । हम आज तक उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रूरकेला से बरसुआ तक रेलवे लाइन

†*१०७५. **श्री सूपकार :** क्या रेलवे मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला से बरसुआ की लोहे की खानों तक रेलवे लाइन बनाने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अक्तूबर, १९५८ के अंत तक ७० प्रतिशत कार्य हो चुका था ।

(ख) सितम्बर, १९५८ के अन्त तक लगभग ३ करोड़ रुपये ।

राजस्थान में गेहूं के भाव बढ़ना

१०७६. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर और अक्तूबर, १९५८ के महीनों में राजस्थान के बीकानेर तथा अन्य जिलों में गेहूं का भाव २२ रुपये से २५ रुपये प्रति मन तक रहा; और

(ख) इतने ऊंचे भाव के क्या कारण थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) सितम्बर, और अक्तूबर १९५८ में गेहूं के भाव १८ रुपये से २५ रुपये प्रति मन तक रहे ।

(ख) भाव की वृद्धि का प्रधान कारण १९५७-५८ में अनाज की उपज में कमी था

'विचारों से लाभ उठाओ' योजना

†१०७७. **श्री वाजपेयी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेराम्बुर इंटेगरल कोच फैक्टरी के कर्मचारियों के लिये चलाई गई 'विचारों से लाभ उठाओ' (कैश योर आइडियाज़) योजना को अन्य क्षेत्रीय रेलों में भी चलाया गया है है; और

(ख) क्या इस प्रयोग से कोई सारवान लाभ हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) सुझावों को प्रोत्साहन देने के लिये सभी रेलों में एक योजना चलाई गई थी । यह योजना केवल इंटेगरल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में ही नहीं चलाई गई थी । मगर इस योजना का नाम 'विचारों से लाभ उठाओ' (कैश योर आइडियाज़) योजना नहीं था ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में विद्युत् सम्भरण

*१०७८. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों से यह प्रकट होता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य रूप से विद्युत शक्ति की बड़ी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रदेश में विद्युत संभरण को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार इस राज्य में विद्युत् की कमी को पूरा करने के लिये पहले से ही चिन्ताशील है । इसको सुधारने के लिये वहां पर दो मुख्य विद्युत योजनायें; कोरबा बिजली घर विस्तार तथा बीरसिंहपुर थर्मल पावर स्टेशन योजना, चालू करने का विचार है ।

मनीपुर में मेडिकल कर्मचारी

*१०७९. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनिपुर में डाक्टरों, हेल्थ विजिटरों और सेनीटरी इन्स्पेक्ट्रों की बड़ी कमी है ; और

(ख) क्या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् को मनिपुर में विकास खण्डों के लिये कुछ मेडिकल आफिसर नियक्त करने के लिये कोई योजना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की द्वितीय बैठक में एक राज्य से दूसरे राज्य में डाक्टरों तथा प्राविधिकों को भेजने के प्रश्न पर विचार किया गया था । पश्चिमी बंगाल की सरकार ने मनिपुर की ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकताओं के यथासम्भव पूरा करने का आश्वासन दिया है ।

ताम्बरम्-विल्लीपुरम् सेक्शन का विद्युतीकरण

†१०८०. { **श्री सुब्बया अम्बलम :**
श्री नर सिंहन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेल के ताम्बरम-विल्लीपुरम सेक्शन के विद्युतकिरण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** सिविल इंजीनियरिंग का ३३ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है ।

बम्बई में खाद्यान्न

†*१०८१. **श्री पांगरकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में बम्बई राज्य से कुल कितना अनाज बाहर भेजा गया; और

(ख) इसी अवधि में खाद्य स्थिति का मुकाबला करने के लिये बम्बई राज्य को कितना अनाज भेजा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख) जून से नवम्बर, १६५८ तक की अवधि में सरकार के खर्चे पर बम्बई राज्य से लगभग ३००० टन ज्वार बाहर भेजा गया इसी अवधि में केन्द्रीय सरकार ने बम्बई राज्य को लगभग २,६१,००० टन चावल और गेहूं का संभरण किया ।

अनाज का यातायात व्यापार के आधार पर भी किया जाता है। इस तरह अनाज के यातायात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

परादीप पत्तन का विकास

†*१०८२. { श्री महन्ती :
श्री राम कृष्ण :
श्री उ० च० पटनायक :
श्री पाणिग्रही :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री परादीप में पत्तन सुविधाओं के विकास के बारे में १२ अगस्त, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पूना गवेषणा संस्था से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) इस पत्तन के विकास के लिये उड़ीसा सरकार ने कितना ऋण मांगा है ; और

(घ) सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकार की है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). १० दिसम्बर, १६५८ को १५ लाख रुपये के ऋण के लिये एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था । उस पर विचार किया जा रहा है ।

सड़कों के सिगनल की बत्तियां

†*१०८३. श्री अरविंद घोषाल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर, ने सड़कों के सिगनल की बत्तियां बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें मंडी में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड ने देश की विभिन्न नगरपालिकाओं और यातायात पुलिस प्राधिकारों से इसको लोकप्रिय करने के लिये सम्पर्क स्थापित किया है और कुछ एक को माल परीक्षण के लिये भी दिया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे श्रमिक संघ

†*१०८४. { श्री दशरथ देव :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री तंगामणि :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार : }

क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे श्रमिक संघों से सरकार को ये शिकायतें प्राप्त हुई है कि विवादों और शिकायतों को निबटाने के लिये जो वर्तमान मशीनरी है, वह काम नहीं कर रही ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस शिकायतों वाली मशीनरी के कार्य न करने के कारण, शिकायतों के ढेर लग रहे हैं और उनका समय पर निबटारा नहीं हो रहा ; और

(ग) उस मशीनरी को उपयुक्त और योग्य बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४६]

सवारी डिब्बों के गैर-सरकारी निर्माता

†*१०८५. { श्री अगाड़ी :
श्री काशीनाथ पांडे :
श्री म० कु० घोष :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि : }

क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे बोर्ड ने सवारी डिब्बों और माल-डिब्बों के लिये इलाहाबाद और बरेली के गैर-सरकारी निर्माताओं को आर्डर न देने का निर्णय किया है। और इसके परिणाम-स्वरूप दो कारखाने बन्द हो चुके हैं जिससे कि ५००० श्रमिक बेकार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सवारी-डिब्बे बनाने के कार्यक्रम में कमी हो जाने के कारण, रेलवे प्रशासन ने यह निश्चय किया कि आगे के लिये डिब्बे बनाने के कार्य का आर्डर किसी भी गैर-सरकारी निर्माता को न दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा की सड़कें

†*१०८६. श्री बांगशी ठाकुर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में धर्मनगर को कैलाशहर से मिलाने वाली महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके निर्माण में देरी क्यों लगाई जा रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं ।

(ख) त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् ने आगामी वित्तीय वर्ष में इस सड़क के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेने का विचार किया है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो । सड़क का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है ।

दक्षिणी चावल क्षेत्र में बम्बई का सम्मिलित किया जाना

†१०८७. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई की सरकार और जनता ने यह मांग की है कि बम्बई को दक्षिणी चावल क्षेत्र में सम्मिलित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या निर्णय किया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). बम्बई सरकार ने सुझाव दिया था कि दक्षिणी चावल क्षेत्र से बम्बई में चावल के आयात की अनुमति दे दी जाये । परन्तु दक्षिणी चावल क्षेत्र में चावल के मूल्यों को एक स्तर पर लाने के विचार से इस सुझाव को स्वीकृत नहीं किया जा सकता ।

खेती का चीनी तरीका

†*१०८८. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार देश में गहन खेती के चीनी तरीके का परीक्षण करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो यह ढंग विस्तार से क्या है, और इससे क्या लाभ हैं ; और

(ग) धान की खेती के जापानी तरीके और इसमें क्या अन्तर है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब को एक्सरे फिल्मों का सम्भरण

*१०८९. श्री दलजीत सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक्सरे फिल्मों के सम्भरण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):(क) नहीं, परन्तु पंजाब राज्य में सरकार ने राज्य व्यापार निगम को एक्सरे फिल्मों के सम्भरण के लिये प्रार्थना की है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम के साथ एक्सरे फिल्मों की छूट के लिये व्यवस्था की गयी है । सरकार ने इसके अतिरिक्त एक्सरे फिल्मों के निर्यात का भी प्रबन्ध किया है ।

कोचीन पत्तन

†*१०९०. श्री कोडियान : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने ऐसी प्रस्थापना प्रस्तुत की है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सक्रिय कार्यक्रम में कोचीन पत्तन के विकास को भी सम्मिलित कर लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्थापना को सरकार और योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय इस प्रस्थापना पर विचार किया जा जायेगा ।

भारी गाड़ियों के निरीक्षण के लिये समिति

*१०९१. श्री सरजू पाण्डे : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भारी गाड़ियों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी है ;

(ख) यदि हां , तो उन विशेषज्ञों के क्या नाम हैं ; और

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उनके द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ के अनुसार हर एक गाड़ी पर नियत अधिकारी का उस गाड़ी के दुरुस्त होने के बारे में निर्धारित फार्म पर दिया हुआ प्रमाण पत्र लगा रहना चाहिये । दिल्ली में इस कार्य के लिए शुरू में परिवहन विभाग के दो इन्सपैक्टरों को नियुक्त

---

†मूल अंग्रेजी में

किया गया था । मई, १९५८ में प्रशासन ने यह तय किया कि स्कूल की सारी बसों और १९४८ की भारी परिवहन गाड़ियों तथा उस से पहले के मांडल की गाड़ियों की जांच परिवहन विभाग के इन्सपैक्टेर और पुलिस विभाग के मोटर गाड़ी इन्सपैक्टर दोनों को मिल कर करना चाहिये। बाद के मॉडल की बनी भारी गाड़ियों की जांच परिवहन विभाग के दो इन्सपेक्टरों द्वारा की जाती है। इस समय जो भी इन्सपैक्टर गाड़ियों की जांच रह रहे हैं—उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

१—श्री एन० सी० मुखर्जी,
मोटर गाड़ी इन्सपैक्टर, परिवहन विभाग

२—श्री डी० के० कपिल,
मोटर गाड़ी इन्सपैक्टर , परिवहन विभाग

३—श्री प्रेम सिंह,
टैकनिकल इंसपैक्टर, परिवहन विभाग

४—श्री गुगन सिंह ,
मोटर ट्रांसपोर्ट इन्सपैक्टर, पुलिस विभाग

(ग) सड़क दुर्घटनाओं की रोक थाम के उपायों के लिए निरीक्षण स्टाफ का काम सुझाव देना नहीं है, मोटर गाड़ी अधिनियम के आधीन शासन सम्बन्धी काम ही इसके जिम्मे हैं।

सिलेरू जल विद्युत् परियोजना

†*१०९२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आन्ध्र प्रदेश के अपर सिलेरू जल विद्युत् परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी अवस्थाओं को कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया है; और

(ग) इसके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धन राशि स्वीकृत हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं, परियोजना के प्रथम चरण के प्रतिवेदन का परीक्षण हो चुका है और प्रविधिक रूप में उसे स्वीकार करने योग्य समझा गया है । योजना आयोग की अन्तिम स्वीकृति के भी शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

(ख) इसे दो चरणों में कार्यान्वित करने का विचार है ।

(ग) द्वितीय योजना में इसके लिए ३५० लाख रुपये की व्यवस्था है।

त्रिपुरा और आसाम के लिये विमान सेवा

†*१०९३. **श्री राम गरीब** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय स्वतंत्र विमान संचालक ने ढाके और अगरतला के मार्ग से कलकत्ता से त्रिपुरा और आसाम को विमान सचालन को अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या इस स्वतंत्र भारतीय संचालक ने जनता विमान सेवा चालू करने और कलकत्ता से त्रिपुरा और आसाम को विमान द्वारा सस्ते भाड़े पर सामान उठाने की पेशकश की है ;

(ग) क्या यह अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहउद्दीन) : (क) जी हां; एक गैर अनुसूचित संचालक ने गैर अनुसूचित उड़ानों के संचालन की अनुमति के लिए कहा है। यह उड़ानें ढाका और अगरताला के मार्ग से कलकत्ता और बेलोनिया के बीच की जायेंगी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). कलकत्ता से बेलोनिया तक गैर अनुसूचित उड़ानों की अनुमति नहीं दी गयी है क्योंकि इंडियन एयर लाइन कारपोरेशन जो इस से पूर्व बेलोनिया तक अनुसूचित सेवा का संचालन कर रही है, इसे अगरताला से बेलोनिया तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। कलकत्ता तथा त्रिपुरा और आसाम के बीच सस्ती यात्रियों और माल की विमान सेवा के लिए इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन बहुत ही अनुसूचित विमान सेवाओं का इस क्षेत्र में संचालन कर रहा है। उसे किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं। विमान निगम अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित विमान सेवाओं का संचालन यह निगम ही कर सकता है। स्वतंत्र संचालक इस क्षेत्र में गैर अनुसूचित उड़ानों को चला ही रहे हैं।

एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड

†*१०९४. श्री हाल्दार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ नवम्बर के तारांकित प्रश्न संख्या १३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटिड को 'समानान्तर लाइन पर इंडियन एयर लाइनज़ कोरपोरेशन के भाड़ा दरों से कम दरों पर विमान संचालन की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एयर वेज़ (इंडिया) लिमिटिड पर सरकारी नियंत्रण हो जाने के बावजूद, समवाय गैर-सरकारी नाम से ही कार्य कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहउद्दीन): (क) से (ग). एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटिड के पास गैर-अनुसूचित परमिट है। वर्तमान परमिट प्रदान करने की शर्तों के अनुसार इस परमिट के होने पर समवाय उन स्थानों के बीच गैर-अनुसूचित उड़ाने कर सकते हैं जिनके बीच एयर लाइन कारपोरेशन की अनुसूचित सेवा चालू नहीं है। गैर-अनुसूचित संचालकों पर दरों के सम्बन्ध में कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं है।

एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड एक गैर-सरकारी निकाय था, जिस से कि राष्ट्रीयकरण पर सारा कार्य इंडियन एयर लाइनज़ कोरपोरेशन ने ले लिया था। परन्तु अभी भी उसके पास गैर-अनुसूचित परमिट है। इस प्रकार के गैर-अनुसूचित संचालन में लगे निकायों पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते की वे उन शर्तों को पूरी कर दें जो कि गैर-अनुसूचित परमिट के प्रदान करने के लिये सरकार ने निर्धारित कर रखी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर प्रदेश से धान और चावल का निर्यात

†१०९५. { सरदार इक़बाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश से धान और चावल के निर्यात किये जाने पर रोक लगा दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस से अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त हुई है ;

(घ) उत्तर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल और धान के दाम क्या हैं ; और

(ङ) गत दो वर्षों तक निर्यात पर रोक लगाने के समय के मुकाबले में अब यह दर भाव कैसा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क), (ख) और (ग). जी हां ; उत्तर-प्रदेश से चावल और धान के निर्यात पर रोक लगा दी गयी है ताकि उपलब्ध स्टाक का राज्य में ही उपयोग किया जाये। इस से राज्य में चावल की स्थिति काफी ठीक हो गयी है।

(घ) और (ङ). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]** ।

भारत-मलाया स्टीमर सेवा

†*१०९६. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार, भारत और मलाया के बीच चलाने के लिये एक नये जहाज का अर्जन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक किया जायेगा ; और

(ग) क्या, जो दो जहाज वर्तमान समय में चल रहे हैं, उनके आने जाने की संख्या में वृद्धि कर दी गयी है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१६ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२ के उत्तर देने के समय से लेकर, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी ने मुगल लाइन जहाज 'रिजनानी' को एक बार मद्रास से सिंगापुर जाने और आने की व्यवस्था कर दी । सरकार ने इनको अतिरिक्त यात्रियों को ले लेने की भी अनुमति प्रदान कर दी । पता चला है कि इस विशेष समुद्र यात्रा के परिणामस्वरूप १०९९ यात्रियों और उनके सामान इत्यादि के लिये व्यवस्था हो सकी । अब जो इस सेवा के जहाज नियमित रूप से चल रहे हैं उसमें काफी खाली जगह होती है । ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन और ब्रिटिश इंडिया

†मूल अंग्रेजी में

स्टीम नैवीगेशन कम्पनी भी मिल कर 'मद्रास राज्य' और 'राजूला' नाम के दो जहाजों को चलाने का सम्मिलित कार्यक्रम बना रहे हैं। और इसी प्रकार की स्थिति के विचार से २८ के स्थान पर आगामी वर्ष में ३० बार चला करेंगे। इन हालात में मलाया–भारत सेवा के लिये एक अतिरिक्त जहाज की आवश्यकता दिखाई नहीं देती और न ही विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण वर्तमान अवस्था में यह सम्भव ही है।

दिल्ली में दाइयां

†*१०९७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवैध रूप से गर्भपात करने में दाइयों के सहायता देने तथा नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में छोड़े जाने वाले शिशुओं के मामलों की संख्या बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) नई दिल्ली नगरपालिका को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इन्डामेर कम्पनी

†*१०९८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन के महानिदेशक ने श्री आर० एन० काटजू के सभापतित्व में नियुक्त जांच समिति की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार समिति की खोजों को सभा-पटल पर रखेगी ;

(ग) क्या इन्डामेर कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध किसी काल में उड्डयन संचालन करने के कारण कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या कोई निदेशक कलिंगा एयरलाइन्स में चले गये हैं; और

(ङ) क्या कलिंगा एयरलाइन्स इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की साथी थी और नेपाल विमान मार्ग पर विमान चला रही थी तथा हाल में उनकी नई विमान दुर्घटनायें हुईं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) इन्डामेर कम्पनी का आन-अनुसूचित पर्मिट २८ फरवरी, १९५८ के उपरान्त नया नहीं बनाया गया। भारतीय विकास नियमों का उल्लंघन करने वाले विमान-चालकों तथा विमान संधारण इंजीनियरों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई। मैं की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१-क]**

(ख) नहीं, श्रीमान्। रिपोर्ट की मुख्य खोजें ५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६५ के भाग (ख) के उत्तर में पहिले ही बताई जा चुकी हैं।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

---

† मूल अंग्रेजी में

(घ) कलिंगा एयरलाइन्स से प्राप्त सूचना के अनुसार इन्डामेर कम्पनी का कोई भी निदेशक कलिंगा एयरलाइन्स के प्रबन्ध में सम्मिलित नहीं हुआ है।

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का साथी, जो नेपाल में अन्तर्देशीय विमान-सेवा चलाते थे, श्री बी० पटनायक थे। साथी द्वारा सेवाओं के संचालन में पांच दुर्घटनायें हुई।

अन-अनुसूचित विमान संचालक

† १०९९. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन-अनुसूचित विमान संचालकों को एक वर्ग के आधार पर परमिट दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके उद्योग तथा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये सरकार उन्हें कैसे सहायता देना चाहती है ;

(ग) क्या अन-अनुसूचित विमान संचालकों को पड़ौसी देशों के लिये अपने अनसूचित मार्गों के अतिरिक्त भी विमान चलाने के लिये ए० आई० आई० और आई० ए० सी० से कोई आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र लेना पड़ता है ;

(घ) यदि हां, तो क्यों ;

(ङ) क्या यह सच है कि अन-अनुसूचित विमान संचालकों को विज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी जाती; और

(च) यदि हां, तो क्यों ?

†असैनिक उड्डतन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अन-अनुसूचित परमिट देने की शर्तें विमान सेवा कारपोरेशन अधिनियम तथा औद्योगिक नीति संकल्प के उपबन्धों की दृष्टि से निश्चित की गई हैं। अन-अनुसूचित विमान-संचालकों के प्रति सरकार की मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) विचार यह है कि विदेशी राजलिखित उड़ानें चालू करने में कारपोरेशन को प्राथमिकता दी जाये।

(ङ) तथा (च) १४, श्रीमान् दो राष्ट्रीयकृत कारपोरेशनों के हित में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

खंड परामर्शदात्री समितियां

†*११००. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री २३ सितम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्य सरकारों ने अब तक अपनी

†मूल अंग्रेजी में।

खंड परामर्शदात्री समितियों में गैर सरकारी सभापति ऐसा करने के अनुदेश दिये जाने के उपरान्त नियुक्त किये हैं।

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० `)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२**]

डूंगर कालिज, बीकानेर के पास ऊपरी पुल

†*११०१. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मंत्री १२ अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूंगर कालिज, बीकानेर के पास एक ऊपरी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). राजस्थान सरकार ने रेलवे लाइन का मार्ग बदलने का वैकल्पिक सुझाव दिया है जो विचाराधीन है।

रेल के इंजन, डिब्बों आदि के लिये मरम्मत का सामान

†*११०२. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में रेल के इंजन, डिब्बे आदि के लिये मरम्मत के सामान के पर्याप्त संभरण के बारे में गंभीर कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली

*११०३. **श्री फ० गो० सेन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत धन्वंतरि जयंती समारोह के अवसर पर देश में अनेक जगहों पर पास किये गये सैकड़ों संकल्प सरकार को प्राप्त हुये हैं जिन में जनता के स्वास्थ्य के हित में और आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के हेतु आयुर्वेदिक औषधियों पर प्रतिबन्ध हटाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। कुछ संकल्प प्राप्त हुए हैं।

(ख) आयुर्वेदिक दवाओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, अतएव यह प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में आटे का विक्रय

†*११०४. { श्री जगदीश अवस्थी :
श्री यादव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री जाधव :
श्री काने :
श्री पु० र० पटेल :
श्री फतह सिंह घोडासर :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री तंगामणि :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल दिल्ली में खुले बाजार में लगभग १६ रु० प्रति मन के घटे मूल्य पर बिकने वाला आटा पहिले २० रु० प्रति मन पर बिकने वाले आटे की अपेक्षा गिरी किस्म का है;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि अब दिल्ली में गिरी किस्म के आटे के बिकने के परिणाम-स्वरूप लोगों ने विवश होकर पहिली अच्छी किस्म का आटा उन्हीं पुराने दामों पर अर्थात् २० रु० मन लेना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) तथा (ख). आजकल दिल्ली में फुटकर में २ सेर ८½ छटांक प्रति रु० या लगभग १५ ० १३ आने प्रति मन बिकने वाला आटा अच्छी किस्म के आयात किये गये उस गेहूं से बनता है जो आटा मिलों को दिया जाता है एवं पौष्टिक है । इस आटे के विक्रय से निम्न आय वर्ग के लोगों को काफी अपेक्षित सहायता मिली है । देशी गेहूं पसन्द करने वाले लोग जो अधिक मूल्य दे सकते हैं, देशी गेहूं का आटा लेते हैं जो बाजार में मिलता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विषैले रसायन

†*११०६. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीड़े मारने, बेकार के घास नष्ट करने के विषैले पाउडरों तथा अन्य कृषि रसायनों के बड़े पैमाने पर प्रयोग के फलस्वरुप लोगों को होने वाले नशे को निश्चित करने के लिए कोई कार्य किया गया है या किया जा रहा है;

(ख) क्या भारत सरकार इंगलैंड और अमरीका जैसे देशों में हुए कार्य पर ध्यान रख रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कैसे ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) हां, श्रीमान । कुछ फलों, सब्जियों तथा चाय पर कीड़े मारने के पाउडर का विषैला अवशेष निर्धारित करने के लिए कुछ कार्य किया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है । कीड़े मारने के किसी नये पाउडर का देश में आयात करने की अनुमति देने से पहिले, इसके नशीलेपन और लोक स्वास्थ्य पर जिस रूप में प्रभाव डाले उस रूप पर विचार किया जाता है।

(ख) तथा (ग). हां, श्रीमान् । यह निम्न ढंग से किया जाता है ;

(१) विदेशी सरकारी विभागों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों तथा रचनाओं से ;

(२) विदशों की वैज्ञानिक संस्थाओं तथा वैज्ञानिकों के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क व विचार विमर्श से; और

(३) कीड़े मारने के पाउडरों के निर्माताओं द्वारा दिये जाने वाले साहित्य से।

बम्बई बन्दरगाह में पानी के साथ आये रेत का जमाव

†*११०७. **श्री जाधव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई बन्दरगाह में पानी के साथ आये रेत के जमाव की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) रेत को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है ;

(ग) इसके लिए लगभग कितना व्यय करना होगा ; और

(घ) हटाये जाने के उपरान्त रेत कहां जमा किया जाएगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) बम्बई बन्दरगाह के मुख्य मार्ग में रेत का जमाव बढ़ता रहा है । आजकल मार्ग की गहराई १९२१ के एडमाइरल्टी चार्ट में अंकित गहराई की अपेक्षा लगभग ५, ६ फीट कम है । कुछ भागों की गहराई आजकल चार्ट में अंकित गहराई से २७ फीट अधिक है।

(ख) गहरे डुबाव वाले जहाज़ों के प्रवेश को सुविधापूर्ण बनाने की दृष्टि से बम्बई बन्दरगाह न्यास का बन्दरगाह मार्ग में गहराई बढ़ाने के लिए रेत हटाने का बड़े पैमाने का प्रोग्राम आरम्भ करने का विचार है ।

(ग) लगभग ८ करोड़ रुपये ।

(घ) रेत जमा करने के लिए मलाबार प्वाइन्ट के पश्चिम में तीन मील दूर एक क्षेत्र चुना गया है । परन्तु अन्तिम निर्णय प्रस्तावित 'रेडियो एक्टिव ट्रेसर' के प्रयोगों के परिणामों की प्राप्ति पर किया जायेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

नागार्जुन सागर परियोजना

†*११०७—क. { श्री दे० वें० राव :
श्री रामम :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना की सिंचाई तथा जल-विद्युत् विकास की एक पूर्ण योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है ?

†सिंचाई और विद्यु् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) आन्ध्र और हैदराबाद सरकारों की १९५४ की नागार्जुन सागर परियोजना संबंधी संयुक्त रिपोर्ट सिंचाई तथा जल विद्युत् प्रजनन के विकास की पूर्ण योजना थी। इस योजना पर विस्तृत रूप से विचार करने के फल-स्वरूप स्वीकृत वर्तमान नागार्जुन सागर परियोजना योजना में सम्मिलित की गई थी। सिंचाई तथा जल विद्युत् विकास की कोई अन्य योजना सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दुर्गम क्षेत्र समिति

११०८ श्री भक्त दर्शन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पहाड़ी क्षेत्र में खाद्य सम्बन्धी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये जो "दुर्गम क्षेत्र समिति" नियुक्त की गयी है क्या उसके निर्देश पदों और कार्य विधि आदि का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ख) उस समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ग) उसे कब तक अपनी रिपोर्ट दे देने को कहा गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) और (ख). पूछी हुई जानकारी का एक विवरण सभा की टेबिल पर रख दिया गया है।

(ग) जून १९५९ के अन्त तक।

विवरण

समिति के निर्देश पद निम्न प्रकार हैं :—

(१) निम्न क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन की कमी के प्रश्न पर अध्ययन करना :—

(क) हिमाचल प्रदेश के चिनी और पुंगी क्षेत्र ;

(ख) पंजाब की कुलू घाटी ;

(ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी ज़िले ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) बम्बई का रतनागिरी जिला ;

(ङ) आसाम के पहाड़ी क्षेत्र ; और

(च) त्रिपुरा और एन० ई० एफ० ए० के प्रदेश ।

कार्य विधि

यह समिति अपनी कार्य विधि स्वयं निश्चित करेगी और जहां तक मुमकिन होगा वहां तक के क्षेत्रों को देखने जायेगी तथा खाद्य समस्या का परीक्षण ब्यौरे सहित करेगी ।

अब तक की गई उन्नति

एक प्रश्न पत्र तैयार किया गया और २७ सितम्बर, १९५८ को सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया गया, इस में परिवहन और खाद्य समस्याओं आदि के सम्बन्ध में ब्यौरे सहित जानकारी मांगी गई है । उत्तर अभी तक केवल बम्बई, त्रिपुरा और एन० ई० एफ० ए० से प्राप्त हुये हैं । जबाब न देने वाले राज्यों को लगातार स्मरण कराया जा रहा है । सम्बन्धित राज्यों के उत्तरों के प्राप्त होने पर, यह समिति उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिये क्षेत्रों को देखने जायेगी ।

(ग) जून १९५९ के अंत तक ।

जमुना बाजार क्षेत्र के निवासियों के लिये बस्ती

†*११०९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जमुना बाजार के निवासियों को बसाने के लिये दिल्ली में जमुना पुल के उस पार एक बस्ती बसाने के सम्बन्ध में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]**

चीनी उत्पादन की लागत

†*१११०. { श्री राम कृष्ण :
श्री बहादुर सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री जाधव :
श्री कुम्भार : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रशुल्क आयोग से मांग की है कि वह चीनी उत्पादन की लागत का फिर से परीक्षण करके चीनी उद्योग को देय उचित मूल्य के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक क्या प्रगति हो चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) आयोग आवश्यक आंकड़े इकट्ठा कर रहा है।

सिकन्दराबाद में बच्चों के लिये होस्टल

†*१११९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री १९ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद में, रेलवे कर्मचारियों के १०० बच्चों के लिये जो राजकीय सहायता प्राप्त होस्टल बनने वाला था उसके निर्माण का काम कब शुरू होगा ;

(ख) भवन की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) यह भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) लगभग जनवरी १९५८ में।

(ख) लगभग ५ लाख रुपये।

(ग) लगभग दिसम्बर, १९५९ तक ?

कलकत्ता-इलाहाबाद स्टीमर सेवा

†*१११२. **श्री कालिका सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्र ही कलकत्ता और इलाहाबाद के बीच स्टीमर परिवहन सेवा शुरू की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस स्टीमर सेवा से बलिया, गाजीपुर, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों के व्यापारियों तथा सामान्य जनता को इससे क्या विशेष लाभ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन भवन

†*१११३. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार कलकत्ते में अपनी निजी इमारत बनवाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां।

(ख) २५ लाख रुपये।

आल इंडिया इन्स्टीच्यूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता

†*१११४. श्री सुबिमन घोष : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया के अन्य सभी देशों के प्रशिक्षु आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता के सिंगूर हेल्थ एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर में आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो वहां प्रशिक्षुओं की संख्या, उनकी श्रेणियां तथा उनकी योग्यतायें क्या हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४]

रेंड़ बांध

†*१११५. श्री बाजपेयी : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रेंड़ बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र का कितना क्षेत्र उसमें चला जायेगा और इस कारण कितनी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान देने के लिये क्या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें किसी सूत्र पर सहमत हो गयी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर प्रदेश के रेंड़ बांध बनाने में मध्य प्रदेश राज्य का ४६ वर्गमील का क्षेत्र आ जायेगा। इस का परिणाम कितनी जनसख्या पर पड़ेगा, यह ठीक पता नहीं है। यह जनसंख्या अनुमानतः १५,००० होगी।

(ख) और (ग) ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान देने के सम्बन्ध में अभी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों में कोई बात तय नहीं हुई है। मामले केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् के विचाराधीन हैं।

हीराकुड परियोजना

†*१११६. श्री पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५८ के प्रथम सप्ताह में हीराकुड नियंत्रण बोर्ड की बैठक में क्या यह प्रश्न अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया था कि हीराकुड परियोजना का नियंत्रण उड़ीसा को हस्तान्तरित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई शर्तों तथा निबन्धनों का अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक

†*१११७. **श्री आसर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उर्वरक की कमी का नाजायज फायदा उठा कर जाली उर्वरक कारखाने उर्वरक में मिट्टी, घोघा, मछली का पाउडर, कूड़ा करकट तथा अन्य चीजें मिला रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को बताया गया है कि सुपरफास्फेट का जाली माल कई मामलों में दिया गया है ।

(ख) इस प्रकार की बातों को रोकने के लिये भारत सरकार ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश १९५७ निकाला था और राज्य सरकारें उस आदेश को लागू कर रही हैं । राज्य सरकारों को यह भी राय दी गयी है कि अपने अभिकर्त्ताओं या सहकारी समितियों के द्वारा किसानों में बटवाने के लिये वे सीधे निर्माताओं से सुपरफास्फेट खरीदें ।

खतरे की जंजीर का खींचा जाना

†*१११८. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेलवे में अनावश्यक रूप से खतरे की जंजीर खींचने वालों में से बहुत थोड़े लोगों पर मुकदमे चलाये जाते हैं और उनमें से भी बहुत थोड़े लोगों को सजा दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत पाल डाक करार

†*१११९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच डाक तथा तार संचार के लिये दोनों देशों के बीच होने वाले करार की बातचीत का अन्तिम निर्णय हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो जो निश्चय किये गये हैं वे क्या हैं ; और

(ग) यदि हां, इस पार से उस पार तार भेजने के लिये सीमावर्ती तारघरों में क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) नेपाल को भेजे जाने वाले तार नई दिल्ली या पटना से काठमण्डू स्थित भारतीय दूतावास डाकघर को बेतार के तार से भेजे जाते हैं और वहां उन्हें नेपाल के प्राधिकारियों को अग्रेतर वितरण के लिये दे दिया जाता है।

नेपाल में विमान दुर्घटनायें

†*११२०. **श्री राम गरीब :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन एसोसिएट्स की जो दुर्घटनायें हुई उनमें इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के ४ डकोटा विमान अन्तर्ग्रस्त थे ; और

(ख) क्या इन डकोटा विमानों के चालक भी इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के कैप्टन थे ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां, इन चारों दुर्घटनाओं में इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के वे २ कैप्टन अन्तर्ग्रस्त थे, जिनकी सेवायें एसोसियेट्स को उधार दी गयी थीं।

चटनी उद्योग

†*११२१. **श्री तंगामणि :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चटनी उद्योग के संबंध में फल उत्पाद मंत्रणा समिति की उपसमिति के प्रतिवेदन के संबंध में तथा चटनी के निर्यात को बढ़ाने संबंधी उपायों के संबंध में निर्णय कर लिया है ;

(ख) सितम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले ६ महीनों में कितने मूल्य की तथा कितनी मात्रा में चटनी का निर्यात किया गया ; और

(ग) मार्च १९५९ में समाप्त होने वाले ६ महीने के संबंध में क्या अनुमान है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां, २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०० के उत्तर में चटनी के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाये गये जिन उपायों का जिक्र किया गया था उनके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही और की गयी है :

(एक) निर्यात उत्पादों के लिए प्रयोग में आने वाले शीशे तथा शीशे के सामान पर आयात शुल्क का लौटाया जाना।

(दो) फल परिरक्षण उद्योग की विकास परिषद् के अधीन विभिन्न फल उत्पादों, जिसमें चटनी भी सम्मिलित है, के निर्यात की देखभाल करने के लिए निर्यात सम्वर्द्धन समिति बना दी गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) बम्बई और कलकत्ते में—जो निर्यात के बड़े केन्द्र हैं—चटनी के प्रमाण के स्तर का परीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही हैं।

(चार) निर्यात चटनी के रेलवे भाड़े पर ५०% की छूट भी दी जाती है।

(ख) लगभग ३५० टन चटनी जिसका मूल्य लगभग ६,६८,००० पये है।

(ग) लगभग ५०० टन जिसका मूल्य लगभग ७,६८,००० रू० है।

हैफकिन इंस्टीट्यूट बम्बई

†*११२२. { श्री हाल्दर :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते से बम्बई लाये गये १५० चूहों का परीक्षण करने के बाद हैफकिन इन्स्टीच्यूट, बम्बई का मत है कि कलकत्ता तथा हावड़े में प्लेग फैलने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). हैफकिन इन्स्टीच्यूट, बम्बई ने जो परीक्षण किये हैं, वे इस मामले में कोई निश्चित राय देने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

भाखड़ा बांध

†*११२३. श्री दलजीत सिंह : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध के निर्माण में १० करोड़ रुपये के व्यय की वृद्धि होगी;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने भाखड़ा में बिजली के ५ अतिरिक्त कारखाने खोलने की योजना संघ सरकार के पास विचारार्थ भेजी है; और

(ग) यदि हां, ो उसका विवरण क्या है?

†सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). जानकारी का क विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अभी हाल में पंजाब सरकार ने एक प्रस्थापना भेजी है कि भाखड़ा के दक्षिणी बिजली कारखाने पर काम तुरन्त आरम्भ कर दिया जाये। इस समय भाखड़ा नंगल परियोजना के स्वीकृत रूप में यह बिजली कारखाना सम्मिलित नहीं है। राज्य सरकार की प्रस्थापना है कि ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा कर वाले ४ कारखाने खोले जायें। बिजली कारखाने का पूरा व्यय लगभग १० करोड़ है जिसमें से आधा व्यय विदेशी मुद्रा में होगा। इस मामले में कोई निर्णय करने के पूर्व इस पर योजना आयोग विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में तेरा के पौधे

†*११२४. **श्री ले० अचौ० सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वन अधिनियम १९२७ के अन्तर्गत मनीपुर प्रशासन ने हाल ही की एक अधिसूचना द्वारा तेरा (कपास के सदृश एक पौधा) को रक्षित पौधे उद्घोषित कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कपास के अतिरिक्त उस की काष्ठ से दियासलाई की तिलियां भी बनती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तेरा बागान लगाने के लिये वहां प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). मनीपुर प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास में चीनी के सहकारी कारखाने

†*११२५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में चीनी के सहकारी कारखाने स्थापित करने के लिये कितने आवेदकों को कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई है ;

(ख) अभी तक कितनी स्वीकृत की गई है ;

(ग) क्या उत्तर अर्काट जिले के चीनी के कारखाने ने अनुसूची के अनुसार ही प्रगति की है ;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या अंशों की प्रत्याशित सारी राशि प्राप्त हो गई थी ; और

(च) क्या सज्जा तथा मशीनों के आयात के लिये कोई आज्ञा दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) (ख) तथा (च). तीन चीनी के सहकारी कारखानों के लिये आवश्यक १·५ करोड़ की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर दी गई।

(ग) तथा (घ). आशा थी कि ३१-१२-१९५८ तक परियोजना पूरी हो जायेगी किन्तु संयंत्र तथा सज्जा प्राप्त करने के बारे में विलम्ब हो जाने से यह कारखाना १९५९-६० में चालू होगा।

(ङ) उत्तर अर्काट सहकारी चीनी के कारखाने के लिये ११·८३ लाख के अंशों में से अंशधारियों ने १०·१३ लाख की राशि दी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अंश पूंजी में १० लाख दिया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली तथा नई दिल्ली में कैंसर के रोगी

†*११२६. **श्री जाधव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में अब कैंसर के कितने रोगी हैं तथा गत पांच वर्षों में कितने थे ;

(ख) किन-किन हस्पतालों में रोग के उपचार के लिये विशेष प्रबन्ध है ;

(ग) रोग के कारण क्या हैं ; और

(घ) इस रोग की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) चूंकि कैंसर के रोगियों की संख्या दी नहीं है अतः उनकी संख्या बताना कठिन है। इरविन तथा लेडी हार्डिंग हस्पताल में सभी प्रकार के कैंसर के रोगियों जिनका उपचार १९५६, १९५७ तथा १९५८ में हुआ, की संख्या इस प्रकार है :—

गत वर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

वर्ष	जितने रोगियों का उपचार किया गया
१९५६	३२५
१९५७	५३९
१९५८ (३०–९–५८ तक) . .	५७०

(ख) जिन हस्पतालों में इस रोग के इलाज के विशेष उपबन्ध हैं उनके सम्बन्ध में जानकारी एक विवरण में दी जाती है जो सभा-पटल पर रखा जाता है? **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ग) जिन कारणों से यह रोग होता है उनका अभी तक पूरा ज्ञान नहीं हुआ है।

(घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५]**

उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र अनुभाग

†*११२७. **श्री हाल्दर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र अनुभाग, कलकत्ता को बन्द कर देने का विचार रखती है ;

(ख) क्या कलकत्ते के गैर-सरकारी विमान संचालकों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र अनुभाग खोलने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†असैनिक उड्डयन उप-मंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार को अभी तक तो इस प्रकार की कोई प्रस्थापना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

माधोपुर और कथूरा के बीच रेलवे लाइन

†*११२८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में माधोपुर से कथूरा तक की रेलवे लाइन को बढ़ाने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना पर लगभग कितना खर्च आयेगा ;

(ग) क्या सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्रारम्भ करने की आशा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (घ). माधोपुर से रावी के पार तक रेलवे लाइन बढ़ाने की प्रस्थापना विचाराधीन है।

राज्य की परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी तदर्थ समिति का प्रतिवेदन

†*११२९. { श्री राम कृष्ण :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री नारायण दास :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की परिवहन सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में नियुक्त की गयी तदर्थ समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो समिति द्वारा अभी तक कितना कार्य किया गया है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अभी तक उस समिति की ७ बैठकें और उसकी उप-समिति की चार बैठकें हो चुकी हैं। मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करने और जानकारी एकत्रित करने का काम पूरा हो चुका है। १८ से २१ दिसम्बर तक दिल्ली में होने वाली बैठकों में सभी सिफारिशों पर चर्चा की जायेगी। आशा है कि समिति का प्रतिवेदन मार्च, १९५९ तक तैयार हो जायेगा।

चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी समिति

†*११३०. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर कब से कार्यवाही करने का विचार है?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) समिति की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). ज्योंही सरकार आवश्यक फैसला कर लेगी, त्योंही रेलवे प्रशासनों को आवश्यक हिदायतें भेज दी जायेंगी और उन निर्णयों की एक संक्षेपिका सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जनता ट्रेन

†*११३१. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में मीटर लाइन की अपेक्षा बड़ी लाइन पर अधिक जनता ट्रेन चल रही हैं ;

(ख) क्या सरकार इस वर्ष मीटर लाइन पर कोई नयी जनता ट्रेनें प्रारम्भ करने का विचार रखती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मदुरै और मद्रास के बीच एक जनता एक्सप्रैस चलाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(घ) क्या दक्षिण रेलवे की मीटर लाइन पर इस समय कोई जनता एक्सप्रैस चल रही है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) १–१०–५८ से दिल्ली और अहमदाबाद के बीच एक जनता एक्सप्रैस गाड़ी प्रारम्भ की गयी है जो कि सप्ताह में तीन बार चलती है। चालू वर्ष में मीटर लाइन पर और कोई जनता गाड़ियां चलाने का विचार नहीं है।

(ग) दक्षिण रेलवे में मदुरै और मद्रास के बीच जनता एक्सप्रैस चलाने की फिलहाल कोई प्रस्थापना नहीं है।

(घ) जी नहीं।

भारतीय बहु प्रयोजनीय अन्न

†*११३२. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय बहु-प्रयोजनीय अन्न का अधिक मात्रा में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) चालू वर्ष में अनुमानतः कितना उत्पादन हो सकेगा ;

(ग) किस राज्य में इस अन्न की सब से अधिक खपत होती है ;

(घ) दो औंस बहु-प्रयोजनीय में कितनी अन्न-अर्हा होती है ; और

(ङ) प्रति औंस बहु-प्रयोजनीय अन्न पर कितनी लागत आती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं। बहुप्रयोजनीय अन्न इस समय मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था में एक कारखाने में तैयार किया जा रहा है।

(ख) लगभग १,५०,००० पौंड।

(ग) मद्रास और उत्तर प्रदेश में सब से अधिक।

(घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ङ) लगभग ५ नये पैसे।

†मूल अंग्रेज़ी में

विमान किरायों में वृद्धि

†*११३३. **श्री बाजपेयी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन का शीघ्र ही विमान किरायों में और अधिक वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ एक मार्गों पर खर्च को घटाने के लिये यात्रियों को दी जाने वाली कुछ सुविधाओं, जैसे अल्पहार तथा मध्याह्न भोजन आदि, को समाप्त कर देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). हाल ही में खाद्य के व्यर्थ नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में जो अध्ययन किया गया था, उसके परिणामस्वरूप इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन ने यह निर्णय किया है कि 'शार्ट हॉल डकोटा' की उड़ान में पूरा गर्म खाना देना धीरे धीरे खत्म कर दिया जाये और उसके स्थान पर उष्ण पेय अथवा शीत पेय के साथ साथ कुछ अल्पाहार का सामान दिया जाये। 'वाईकाऊंट' की यात्रा में पूरा गर्म खाना मिलता रहेगा।

कोसी पर तटबन्ध

*११३४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोसी नदी पर जो तटबन्ध इस बीच निर्माण किये गये हैं उन्हें कोसी के निचले भाग तक बढ़ाने की एक योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(घ) इस विषय में सरकार कब तक निर्णय कर लेगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं, अभी तक बिहार सरकार से ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं आई किन्तु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कोसी नदी के दोनों ओर के तटबन्धों को नदी के बहाव की ओर आगे तक बढ़ाने के प्रस्ताव की छानबीन की जा रही है।

(ख) से (घ). अभी ये प्रश्न नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उड़ीसा में चावल की वसूली

†*११३५. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री तंगामणि :
श्री कुम्भार : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार से विचार विमर्श करने के बाद उस सरकार को इस बात के लिये अनुमति देने का निर्णय कर लिया है कि वह आगामी फसल में १५ रुपये प्रति मन के स्थान पर १५·५० रुपये प्रति मन के हिसाब से चावल की वसूली कर सकती है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार को उस नये दर के अनुसार चावल की वसूली करने के लिये सूचित कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार उड़ीसा से कितना चावल खरीदना चाहती है ; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार से कहा गया है कि वह कुछ चावल पश्चिमी बंगाल को भी बेच दे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी, नहीं। भारत सरकार ने आम चावल की वसूली के लिये १५ रुपये प्रति मन की ही दर बतायी है।

(ग) निर्यात योग्य सम्पूर्ण अतिरिक्त चावल उड़ीसा सरकार द्वारा खरीद लिया जाये।

(घ) जी हां।

चावल की वसूली के दाम

†*११३६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इस वर्ष चावल की वसूली के दाम बढ़ा देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या कुछ एक राज्यों ने चावल की वसूली के दामों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने मांग की है और वहां पर इस समय क्या मूल्य प्रचलित है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश ने इस सम्बन्ध में मांग की है। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि इन राज्यों में इस समय वसूली के दाम क्या-क्या हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७]**

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के लाहौरी गेट पर लाइन के ऊपर का पुल

†१६८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लाहौरी गेट पर ऊपर के पुल के निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसके कब तक पूरा हो जाने की अशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) उत्तर रेलवे ने तो अपना काम पूरा कर लिया है, परन्तु लोक निर्माण विभाग ने उपागमन मार्गों को चौड़ा करने का काम अभी पूरा नहीं किया है क्योंकि ज़मीन को खाली कराकर कब्जा लेने में अभी कुछ कठिनाई आ रही है।

(ख) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण

†१६८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : कार्य का अन्तिम चरण भी पूरा कर दिया गया है।

चीनी का निर्यात

†१६८३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री दामानी :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश, १९५८ के लागू होने के बाद १५ दिसम्बर, १९५८ तक कुल कितनी चीनी का निर्यात किया जा चुका है ;

(ख) यह चीनी किस किस देश को भेजी गयी है ;

(ग) क्या सभी चोनी फैक्टरियों ने सरकारी अधिसूचना के अनुसार चीनी के निर्यात के लिये अपना अपना अभ्यंश दे दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो किस किस फैक्टरी ने अपना अभ्यंश नहीं दिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). १३ दिसम्बर, १९५८ तक निर्यात के लिये बेची गयी और वास्तव में विदेशों को भेजी गयी चीनी के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

देश का नाम	बेची गयी चीनी की मात्रा (मीट्रिक टनो में)	वास्तव में जहाजों में लाद दी गयी मात्रा (मीट्रिक टनों में)
१. अदन	६,५५०	५,००८
२. अरब देश	२,०००	७२५
३. सूडान .	६,२८९	६,२८९
४. जिबौटी .	१,४००	२४६
५. पूर्वी अफ्रीका .	५००	—
६. मलाया तथा सिंगापुर	२६,२२०	१८,०१६
७. बर्मा	३,०४१	३,०४१
८. लंका	१,०१५	१,०१५
योग	५०,०१५	३७,३४३

(ग) और (घ). चीनी फैक्टरियां निर्यात एजेन्सी द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार ही चीनी का अभ्यंश देती रही हैं। इस सम्बन्ध में अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आयी है ।

पैराम्बूर का सवारी डिब्बे बनाने वाला कारखाना

*१६८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवारी-डिब्बा कारखाना, पैराम्बूर द्वारा १९५८ में, ३० नवम्बर, १९५८ तक प्रतिमास कितने सवारी-डिब्बे तैयार किये गये ;

(ख) १९५७ में उसी अवधि में कितने सवारी डिब्बे तैयार किये गये ; और

(ग) फैक्टरी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये और क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८]**

†मूल अंग्रेज़ी में

परिवार नियोजन

†१६८५. **श्री दी० चं शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक उन्नत देशों में गर्भ निरोध के उपायों का अध्ययन करने के लिये प्रत्येक देश में कितने डाक्टर भेजे गये हैं ;

(ख) उन्होंने किस-किस संस्था में अध्ययन किया है ; और

(ग) वे कितनी कितनी अवधि के लिये वहां ठहरे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दो डाक्टर अमरीका भेजे गये थे।

(ख) उन्होंने अगस्त, १९५६ तक नार्थ करोलिना विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी ; और

(ग) लगभग १२ मास।

दिल्ली और नई दिल्ली में गन्दी बस्तियां

†१६८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सेवक सभाज द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली की गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : उस रिपोर्ट की ओर दिल्ली विकास प्राधिकार मंडल का ध्यान आकृष्ट किया गया है। एक विवरण सम्बद्ध है जिसमें बताया गया है कि भारत सेवक समाज द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी थी और उनके सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकारमंडल के क्या क्या टिप्पण हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५९]**

पठानकोट रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण

†१६८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में पठानकोट रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण के लिये कोई राशि निर्धारित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सुधार करने की प्रस्थापना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। १९५८-५९ में पठानकोट रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण के लिये १.२८ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

(ख) निम्नलिखित मुख्य-मुख्य कार्य करने की प्रस्थापना है :--

(१) 'ट्रांजिट प्लेटफार्म' पर छत वाला शेड लगाना।

(२) ५० फुट लम्बा छत वाला शेड तथा गुड्स आफिस।

(३) मालगोदाम की चारदीवारी, एक गेट और आफिस।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(४) आउट एजेन्सी पैकेजों के लिये एक अलग शैड।

(५) यार्ड में रोशनी का सुधार।

(६) स्टेशन की इमारत के सामने के बरामदे का सुधार।

(७) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पर्यटकों के लिये अतिरिक्त प्रतीक्षाकक्ष (वेटिंग रूम)

(८) टिकट कलक्टर के दफ्तर के साथ वाले वर्तमान प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षा कक्ष (वेटिंग रूम) को विश्राम कक्ष (रिटायरिंग रूम) में बदल देना।

(९) तीसरी श्रेणी के मुसाफिर खाने का विस्तार करना।

उत्तर रेलवे में खतरे की जंजीरें खींचने की घटनायें

†१६८८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १ जुलाई, १९५८ से अब तक खतरे की जंजीरें खीचने की प्रतिमास कितनी घटनायें हुई हैं ;

(ख) उनमें से कितनी घटनाओं में उसका दुरुपयोग किया गया था ; और

(ग) कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये हैं और कितनों को दोषी सिद्ध किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०]**

दिल्ली रिंग रोड

†**१६८९. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : एक विवरण संलग्न है जिसमें बताया गया है कि रिंग रोड के निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१]**

विमान दुर्घटनायें

†१६९०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५८ से होने वाली उन विमान दुर्घटनाओं के क्या ब्यौरे हैं जिनमें एयर इण्डिया इन्टर्नेशनल अथवा इण्डियन एयर लाइन्ज़ कार्पोरेशन के विमानो को क्षति पहुंची थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणाम-स्वरूप एयर इण्डिया इन्टेंनेशनल और इण्डियन एयर लाइन्स को कितनी-कितनी हानि हुई थी ;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना के क्या क्या कारण थे ; और

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम क लिये और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२]**

तार जांच समिति का प्रतिवेदन

†१६६१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ अगस्त, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं ; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है और इसलिये इसी समय उन सिफारिशों को प्रकट कर देना बड़ा कठिन है।

अवकाश गृह

†१६६२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री १२ अगस्त, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से नान-गजेटिड कर्मचारियों के लिये सस्ते अवकाशगृहों की व्यवस्था की गई है उसी प्रकार से पदाधिकारियों को भी सस्ते अवकाशगृह प्रदान करने की योजना के सम्बन्ध में निर्णय करने के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** रेलवे प्रशासन से प्राप्त प्रस्थापनायें में अभी विचाराधीन हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर रेलवे के विरुद्ध डिग्रियां

†१९९३. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
{ **श्री दलजीत सिंह :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ (३० नवम्बर, १९५८ तक) में असैनिक न्यायालयों की कितनी डिगरियां लागू की गईं और उनके वर्षवार क्या परिणाम रहे;

(ख) उसी काल में उत्तर रेलवे के विरुद्ध असैनिक न्यायालयों द्वारा स्थगित किये गये मुकदमों पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या ऐसे व्यय से बचना सम्भव न था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क)

१९५४-५५	३०
१९५५-५६	३६
१९५६-५७	७४
१९५७-५८	३५
१९५८-५९ (३०-११-५८ तक)	३८

संबधित वर्षों में डिगरियों की तामील नोटिस मिलते ही तुरन्त की गई तथा डिगरियों की तामील होने के कारण कोई कुर्की आदेश नहीं दिये गये ।

(ख)

	रु०	नये पसे
१९५४-५५	२१,११६	५०
१९५५-५६	११,३४६	०६
१९५६-५७	१३,५३२	००
१९५७-५८	९,८०१	००
१९५८-५९ (३०-११-५८ तक)	६,४७५	४६

(ग) नहीं, श्रीमान ।

रेलवे सुरक्षा बल

†१९९४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० नवम्बर, १९५८ को उत्तर रेलवे पर रेलवे सुरक्षाबल के कर्मचारियों की क्या संख्या थी;

(ख) मुख्य सुरक्षा अधिकारियों, इंस्पैक्टरों और अन्य कनिष्ठ अधिकारियों की क्या संख्या थी; और

(ग) १९५८-५९ में ३० नवम्बर, १९५८ तक बल बनाये रखने में कितना व्यय हुआ ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी निम्न है :

मुख्य सुरक्षा अधिकारी .	१
सुरक्षा अधिकारी	१
कमान्डेन्ट ए० डब्लू० . .	१
असिस्टैन्ट कमान्डेन्ट ए० डब्लू० .	१
सहायक सुरक्षा अधिकारी	१०
इंस्पैक्टर .	३८
सब-इंस्पैक्टर	१४६
सूबेदार .	. ९२
अन्य कर्मचारी .	७५०३
कुल कर्मचारी . .	७७९३

(ग) १९५८-५९ (३०-११-५८ तक) ५१,६४,०००/- व्यय हुए ।

खतरे की जंजीर खींचना

†*१६६५. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में सब भारतीय रेलों पर खंडवार कितनी बार खतरे की जंजीर खींची गई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): एक विवरण संलग्न किया जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३]

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस

†१६६६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में दिल्ली और मद्रास के बीच ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने के लिये लाइन क्षमता, सिगनल-कार्य, दोहरी लाइन डालना तथा लाइन के अन्य सुधारों पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कितना व्यय हुआ ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) सभी गाड़ियों के लिये, जिन में मालगाड़ी भी शामिल हैं, जो निर्माण कार्य किये गये उन पर लगभग ६४० लाख रुपये व्यय हुए ।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये लगभग ३६० लाख रुपये व्यय किये गये ।

†मूल अंग्रेजी में

बिना टिकट यात्रा

१६६७. श्री पद्म देव : क्या रेलवे मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(क) १६५७ और १६५८ में अब तक बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्री पकड़े गये; और

(ख) उनमें से कितनों को दण्ड दिया गया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर रेलवे के संवरण पद

†१६६८. श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के छोटी लाइन व बड़ी लाइन सेक्शनों पर आजकल अनेक संवरण पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने और कितने वर्षों से; और

(ग) इनके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) स्थान कोई रिक्त नहीं है; हां, कुछ स्थान नियमित संवरण न होने पर तदर्थ कार्यवाही के रूप में भर दिये गये हैं।

(ख) इस प्रकार भरे गये स्थानों की संख्या ६३० है और उनका काल १ से ६ साल तक है।

(ग) मिलाये गये विभिन्न यूनिटों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के अन्तिम रूप से तैयार न होने एवं सेवा विवरण (सर्विस रिकार्ड) आदि के उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब हुआ है। तदर्थ रूप से भरे गये कुछ स्थानों के सम्बन्ध में संवरण हो गया है और कुछ में किया जा रहा है।

दिल्ली और फाजिल्का के बीच एक्सप्रेस रेल गाड़ी

†१६६९. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री १४ मार्च १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और फाजिल्का के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की व्यवस्था की नवीनतम स्थिति क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : पहिले बताई हुई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रथम श्रेणी के डिब्बे

†१७००. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे की छोटी लाइन खंड पर प्रथम श्रेणी के कितने डिब्बे हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : १-४-१९५८ को उत्तर पर रेलवेनिम्न प्रथम श्रेणी के डिब्बे थे :

पूर्णतया प्रथम श्रेणी	पूरे डिब्बे .	७
	एफ० डब्लू०	५७
प्रथम श्रेणी के मिले जुले डिब्बे	पूरे डिब्बे .	५०
	एफ० डब्लू०	४

भाखड़ा नंगल परियोजना जाने वाले दर्शक

१७०१. श्री राम कृष्ण : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ५ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५८ से प्रति मास कितने दर्शक भाखड़ा नंगल परियोजना देखने गये ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** :

मास	दर्शकों की संख्या
जनवरी, १९५८	९,६६३
फरवरी, १९५८	१०,१२१
मार्च, १९५८	४६,२५१
अप्रैल, १९५८	१५,७७४
मई, १९५८	१६,४८५
जून, १९५८	१४,८०५
जुलाई, १९५८	२५,००६
अगस्त, १९५८	१८,६९३
सितम्बर, १९५८	१३,८०४
अक्टूबर, १९५८	१९,३७३
कुल . .	१,८९,९७५

दामोदर घाटी निगम की नहरें

†**१७०२. श्री सुबिमन घोष** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई-अगस्त १९५८ में पश्चिम बंगाल के जिला बुर्दवान के छनूई गांव पी० एस० मेमरी के पास ग्रांड ट्रंक रोड के साथ वाला दामोदर घाटी निगम नहर का सीधा किनारा बह गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्षाकाल में बैदियादंगा, रसूलपुर, राजपुर, चकनारा, उकारा, ज्योतकां गांवों में जमीन की सिंचाई के लिये दामोदर घाटी निगम नहरों से पानी नहीं दिया जा सका ; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) तथा (घ). नहीं । बैदियादंगा और रसूलपुर गांवों तथा आंशिक रूप में चकनारा व ज्योतकां की जमीनों को सिंचाई का पार्याप्त पानी मिला । बाकी क्षेत्र में, नाम्ना, चकनारा व ज्योतकां के भागों और उकारा व राजपुर गांवों को पुराने बेहुका के निकास के पास गंगूर के आर पार पानी का अस्थायी मोड़ बनने पर पानी प्राप्त हुआ । यदि गांव वाले च० १४५ नियंत्रक (रेगूलेटर) के ऊपर की ओर से आरम्भ करके लगभग छः फर्लांग लम्बी खेत की नाली खोद लेते तो यह मोड़ बनाना आवश्यक न होता ।

केसिंगा रेलवे स्टेशन पर पुल

†१७०३. श्री ० के० देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कालाहंडी में केसिंगा रेलवे स्टेशन पर पुल बनाने की योजना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की क्या स्थिति है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, श्रीमान् । रेलवे प्रशासन ने प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ।

(ख) स्थान तथा व्यय के लिये राज्य सरकारों की अनुमति की प्रतीक्षा है ।

पोस्टमैनों तथा मेलगार्डों के पदों के लिये प्रार्थनापत्र

†१७०४. श्री कुम्भार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग, उड़ीसा सर्किल को अक्टूबर १९५८ के अन्त तक पोस्टमैनों, गांव के पोस्टमैनों और मेलगार्डों के पदों के लिये पदानुसार कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने उम्मीदवार चुने गये ;

(ग) उनमें कितने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हैं ;

(घ) क्या अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के चुने गये उम्मीदवार अपने रक्षित कोटा के अनुसार हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) पोस्टमैन तथा गांव के पोस्टमैन—२८६ ।

मेलगार्ड--२२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पोस्टमैन, गांव के पोस्टमैन तथा मेलगार्डों के पदों के लिये भर्ती की परीक्षा ९ नवंबर १९५८ को हुई थी तथा परीक्षाफल लगभग दो मास में घोषित होगा। नियुक्ति से पहिले की आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति में और तीन, चार मास लग सकते हैं।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

संघ राज्य-क्षेत्रों में अस्पताल और डिस्पैंसरियां

†१७०५. **श्री कुम्भार** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के अस्पतालों और डिंस्पैंसरियों में अब तक नौकरियों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थान भर गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). जानकारी निम्न है :

लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह

इस संघ राज्यक्षेत्र में नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई रक्षण नहीं है। सारे निवासी अनुसूचित आदिम जाति घोषित हो गये हैं। अतः अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोटा के रक्षण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सारे द्वीप-निवासी जो नौकरियों के योग्य हैं, नौकर रख लिये गये हैं। शिक्षा में पिछड़े होने के कारण बहुत थोड़े व्यक्ति केवल निम्न श्रेणी के पदों के योग्य हैं। श्रेणी २ और श्रेणी ३ के अधिकतर पद केरल राज्य के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। द्वीपों में शिक्षित व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर वर्तमान कर्मचारी जो केरल राज्य से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं, उन के द्वारा बदल दिये जायेंगे।

त्रिपुरा

उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति का रक्षित कोटा नहीं भरा गया है।

हिमाचल प्रदेश

उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण अनुसूचित आदिमजातियों व अनुसूचित जातियों के रक्षित स्थान नहीं भरे गये हैं।

दिल्ली

उपयुक्त शिक्षित उम्मीदवार न मिलने के कारण श्रेणी ३ के पद जो अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित हैं, नहीं भरे गये हैं। श्रेणी ४ के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित पदों से अधिक उम्मीदवार नियुक्त किये गये हैं।

मनीपुर

इस संघ राज्य क्षेत्र में श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार रक्षित पदों से अधिक नियुक्त हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

इस संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में अभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोटा रक्षित नहीं किया गया है क्योंकि इस राज्य क्षेत्र में ऐसी कोई जाति अथवा आदिम जाति नहीं है ।

रेल कर्मचारियों द्वारा जमानतें

†१७०६. **श्री कुम्भार** : क्या रेलवे मंत्री १५ सितम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशन तथा सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियों नकद जमानतों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४**]

बरहामपुर-गंजो स्टेशन पर भंगी बस्ती

†१७०७. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्वी रेलवे पर बरहामपुर-गंजो रेलवे स्टेशन पर भंगी बस्ती बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : भंगियों को अन्य चतुर्थ श्रेणी वाले कर्मचारियों के साथ ही आवास स्थान दिये जाते हैं । पृथक भंगी बस्तियां नहीं बनाई जातीं । बरहामपुर में २० प्रतिशत सफाई करने वालों को आवास दिये हुए हैं ।

बैलगाड़ियां

†१७०८. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ सितम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन चार राज्यों में योजना कार्यान्वित की गई ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितना व्यय किया गया ;

(ग) अग्रिम योजना, १६५६ के अन्तर्गत स्वीकृत १.५० लाख की राशि के अनुदानों से लाभ उठाने के लिये राज्य सरकार ने लोगों को राजी करने के क्या क्या प्रयास किये ; और

(घ) राज्य सरकार ने क्यों योजना आरम्भ नहीं की ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बिहार, बम्बई, मद्रास तथा मध्य प्रदेश ।

(ख) बिहार . . . २५०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई . . .	१,५२५ रुपये
मद्रास	१,८५० रुपये
मध्य प्रदेश . . .	जानका ी उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जा े ी।

(ग) तथा (घ). अग्रिम ोजना का उद्देश्य था कि लोगों को न्यूमेटिक टायरों के वास्तविक लाभों का प्रदर्शन करके दिखाया जा े तथा इन टाय ों के चलने तथा मजबूती इत्यादि का विश्वासनीय हाल नि ीरित किया जाय और यह भी देखा जाये कि लोहे के पहियों वाली बैलगाड़ियों से इनमें कितनी बचत है। जैसा कि पहले तारांकित प्रश्न संख्या १३७१ के उत्तर में बताया जा चुका है इन टायरों के स्थान पर बड़े नगरों में तो रबड़ के टायर प्रयुक्त ोने लग ही गये हैं और उत्तर प्रदेश के पक्की सड़कों वाले क्षे ों में भी नका प्रयोग होने लगा है। ससे यही समझा गया कि प्रदर्शन करना वहां ज्यादा लाभदायक न होगा जहां सड़कें अच्छी हैं। तदनुसार अग्रिम ोजना का आगे अनुसरण ही नहीं किया गया।

बम्बई राज्य में कृषि तरीकों का सर्वेक्षण

†१७०९. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में उर्वरकों के प्रयोग तथा अन्य कृषि तरीकों का सर्वेक्षण हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन जिलों में; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी हां। एक सितम्बर, १९५५ से बम्बई राज्य में खेती के तरीकों तथा खाद डालने के ों के सम्बन्ध में सांख्यकी एकत्रित करने की योजना चल रही है।

(ख) अब तक निम्न जिलों में सर्वेक्षण चालू हुआ है : कैरा, कोलावा, कोल्हापुर, धारवाड़, बड़ौच, नासिक, अहमदनगर, बीजापुर, बड़ौदा, शोलापुर, पंचमहल, थाना, सावरकन्ठा, पूर्व खानदेश, रत्नगिरि तथा सूरत।

(ग) सांख्यकी एक ित की जा रही हैं और उसका विश्लेषण इत्यादि भी चल रहा है।

मालडिब्बे

†१७१०. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ तथा १९५८-५९ (३० सितम्बर, १९५८ तक) मध्य रेलवे के स्टेशनों से पश्चिम रेलवे के स्टेशनों के लिये प्रतिदिन कितने औसत डिब्बे लादे गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मध्य रेलवे के स्टेशनों से, पश्चिमी रेलवे के स्टेशनों के लिये लादे जाने वाले डिब्बों का व ौरा इस प्रकार है :

१९५७-५८	१९५८-५९ (३०-९-५८ तक)
८३.७	७०.१

†मूल अंग्रेजी में

कैंसर

†१७११. **श्री पांगरकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर रोग का उपचार हो सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उपचार की स्पष्ट विधि कौन सी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कैंसर का यदि आरम्भ ही में पता चल जाये तो इसका उपचार हो जाता है ।

(ख) चिकित्सा की कोई स्पष्ट विधि तो नहीं । शल्यचिकित्सा से भी उपचार होता है तथा कैमोथरेपी प्रणाली से रेडियमधर्मिता के प्रभाव से इसका उपचार होता है ।

परिवार नियोजन केन्द्र

†१७१२. **श्री पांगरकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री ११ मार्च, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८–५६ में बम्बई राज्य में कितने परिवार आयोजन केन्द्र खोले गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : सात नगरीय केन्द्र तथा एक ग्रामीण केन्द्र १६५८–५६ में अब तक वहां खोला गया है ।

बम्बई राज्य में बी० सी० जी० दल

†१७१३. **श्री पांगरकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में कितने बी० सी० जी० दल हैं ;

(ख) इस आन्दोलन में कितने डाक्टर काम कर रहे हैं ; तथा

(ग) राज्य के विभिन्न भागों में ऐसे कितने एकक काम कर रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) २२ दल ।

(ख) २० डाक्टर ।

(ग) सितम्बर, १६५८ में बी० सी० जी० दल निम्न स्थानों पर काम कर रहे थे :—

दलों की संख्या	कार्य का स्थान
१	बम्बई जिला
७	शोलापुर जिला
५	सूरत जिला
२	औरंगाबाद जिला
३	अकोला जिला
१	नालार जिला
१	सौराष्ट्र जिला
१	हालर जिला
१	कच्छ जिला

†मूल अंग्रेजी में

मध्य रेलवे ज़ोन में बच्चों के लिये स्कूल

†१७१४. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे ज़ोन के विभिन्न स्टेशनों पर इस समय कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं ;

(ख) इन स्कूलों में कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मध्य रेलवे ज़ोन पर कितने स्कूल खोले जाने वाले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) २१

(ख) ४,७०३ ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मध्य रेलवे पर २८ प्राइमरी स्कूल खोलने की सहमति दी जा चुकी है । और अधिक प्राइमरी स्कूल खोले जाने की दृष्टि से स्थिति पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

बम्बई राज्य में मुर्गीपालन केन्द्र

†१७१५. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य को १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक अखिल भारतीय मुर्गी पालन विकास योजना के अधीन विस्तार एवं विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :

	अनुदान	ऋण	योग
		(रुपये लाखों में)	
१९५७-५८	२.७८	०.८६	३.६४
१९५८-५९	०.२६	१.२७	१.५३

समुद्र से मछली पकड़ना

†१७१६. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में समुद्र से मछली पकड़ने की सम्भाव्यता की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो समुद्र से मछली पकड़ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने जावा, इण्डोनेशिया अथवा फिलिप्पाइन्स में समुद्र से मछली पकड़ने के बारे में कोई विशेषज्ञ अथवा किसी विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च स्टेशन, मंडापम ने समुद्र से मछली पकड़ने के बारे में जांच-पड़ताल की है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १९५२ में राज्य सरकारों के कुछ पदाधिकारी खारी पानी में मछली पालन के तरीकों का अध्ययन करने के लिये इण्डोनेशिया भेजे गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी तट के जीव जन्तु

†१७१७. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट की वाणिज्यिक दृष्टि से जीव जन्तुओं सम्बन्धी स्थिति क्या है ; और

(ख) पश्चिमी तट पर जीव जन्तुओं का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र०जैन) :** (क) 'चैंक' तथा 'पर्ल आयस्टर' के अलावा वाणिज्यिक किस्म की मछलियां जिनका उपयोग खाने में किया जाता है, जिसमें मुसेल्स, आयस्टर, कलैम और सेफालोपोड्स शामिल हैं, पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। पश्चिमी तट पर 'पर्ल' मछली केवल कच्छ की खाड़ी तक ही सीमित है और उसकी मात्रा भी कम ही है तथा पूर्वी तट की अपेक्षा उसकी पैदावार भी कम होती है। 'चैंक' मछली कुछ मात्रा में कच्छ की खाड़ी, काठियावाड़ से कुछ दूर पर तथा केरल में क्विलोम से कुछ दूर पर पाई जाती है। हाल के कुछ वर्षों में कच्छ की खाड़ी की 'विंडोपेन आयस्टर' की मात्रा कम हो गई है। 'कलैम' का उपयोग मनुष्य के भोजन के रूप में किया जाता है। बम्बई में खाने वाली आयस्टर मछलियों की काफी मांग रहती है यद्यपि उसे पकड़ने के साधन बहुत हैं तो भी उसका उपयोग बड़ा सीमित है।

(ख) पश्चिमी तट पर जीव जन्तुओं का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(१)	'पर्ल आयस्टर' .	३५,३०० संख्या
(२)	विंडोपेन आयस्टर	१,५०,००० ,,
(३)	चैंक्स .	३७,००० ,,
(४)	क्लैम्स . .	३३,००० दशमिक टन
(५)	खाने योग्य आयस्टर .	२४,००,००० संख्या
(६)	स्क्विड्स और कटलफिश . .	५६० दशमिक टन
(७)	चूने आदि के लिये शेल . . (जमीन से निकाले गये पदार्थों से)	४,८२,८५० टन (लगभग)

तेल वाली सारडीन शोल मछलियां

†१७१८. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के कथन पर समुद्र से १० मील दूर तेल वाली सारडीन शोल मछलियों के पाये जाने के बारे में कोई जानकारी एकत्र की गई है ; और

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई काम किया गया है कि पश्चिमी तट के तटीय जल में तेल वाली सारडीन मछलियां कहां से आ जाती हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) १० मील की दूरी से अधिक में सारडीन शोल मछली के पाये जाने के बारे में अब तक नियमित रूप से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) इस कार्य की ओर केन्द्रीय मेरीन फिशरीज़ रिसर्च स्टेशन का ध्यान आकर्षित हो चुका है :

---

†मूल अंग्रेजी में

मत्स्य पालन

†१७१९. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कहने पर सामुदायिक विकास मंत्रालय के अधीन सामुदायिक विकास खंडों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अन्तर्गत मत्स्य पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). मत्स्य पालन के लिये जुलाई, १९५८ में मैसूर में राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में जैसी कि सिफारिश की गई थी प्रत्येक राज्य में विस्तृत रूप से मत्स्य पालन के विकास के लिये २ से लेकर ५ केन्द्र खोलने का विचार सामुदायिक विकास मंत्रालय के विचाराधीन है ।

नदी घाटी योजनाओं में मत्स्य पालन

†१७२०. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की नदी घाटी योजनाओं में मत्स्य पालन के विकास के लिये कोई विशेष राशि निश्चित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा समय सभा-पटल पर दी जायेगी ।

मछलियों का लाना ले जाना

†१७२१. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय क्षेत्रों से भूमि वाले क्षेत्रों में रेल अथवा सड़क के द्वारा मछलियों को इस प्रकार लाने ले जाने के लिये क्या सुविधायें उपलब्ध हैं जिससे वे खराब न हों ; और

(ख) भारत में प्रतिदिन अनुमानत: रेफ्रीजिरेटर अथवा इंसुलेटेड दशा में कितनी लाई ले जाती हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) पैदा किये जाने वाले केन्द्रों से उपभोक्ता केन्द्रों तक मछलियों को ले जाने के लिये प्रबन्ध विद्यमान हैं । उतारे जाने वाले केन्द्रों से लेकर मुख्य सड़कों और रेल स्टेशनों तक शीघ्र ही ले जाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त मिलाने वाली सड़कें बनवाई जा रही हैं । राज्य सरकारों को उनके राज्यों में मछलियों के लाने ले जाने के लिये विदेशी सहायता कार्यक्रम के अधीन इन्सुलेटेड मोटर गाड़ियां प्राप्त कर ली गई हैं ।

(ख) मछलियां अब वातानुकूलित अथवा इन्सुलेटेड मोटर गाड़ियों में लाई ले जाई जाती हैं । कुछ चुने हुये मार्गों पर प्रयोग के रूप में कुछ रेल कारें प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्लासगो के मालवाही पोत पर एक भारतीय नाविक की मृत्यु

†१७२२. { श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ६ नवम्बर, के इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि ग्लासगो के मालवाही पोत "फौंसबैंक" पर कार्य करते समय एक भारतीय नाविक की मृत्यु इस कारण हो गई कि डर्बन से १५० मील दक्षिण में जहाज़ में आग लग गई थी ;

(ख) क्या बचे हुये लोगों में से कोई भारतीय भी था ; और

(ग) दुर्घटना ग्रस्त लोगों को उचित प्रतिकर दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां। जिस जहाज़ का उल्लेख किया गया है उसका नाम "फौरसबैंक" है। भारतीय नाविक दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। जहाज़ चलाने वाले कर्मचारी पाकिस्तान में रखे गय थे।

(ख) जहाज़ पर दो भारतीय पदाधिकारी (इंजीनियर) थे किन्तु उनके कोई चोटें नहीं लगीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वन गवेशणा संस्था का डिप्लोमा

१७२३. { श्री पद्म देव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री नक राम नेगी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन गवेशणा संस्था, देहरादून का डिप्लोमा सब मामलों में अन्य विदेशी डिप्लोमाओं के समकक्ष समझा जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) जी हां, यह डिप्लोमा विदेशी विश्वविद्यालयों में डिग्री कोर्स के बराबर माना जाता है, क्योंकि इस डिप्लोमा के प्राप्त करने वालों को ओक्सफोर्ड के एडवान्स डिप्लोमा कोर्स में भर्ती कर लिया जाता है। ये केवलमात्र वन विज्ञान में ग्रेज्यूएटों के लिये खुला हुआ है और इनको अमेरिका के विश्वविद्यालयों में वन विज्ञान की एम० ए० डिग्री में भी भर्ती कर लिया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन भी देहरादून में दिये गये प्रशिक्षण को मानता देता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

शाहगंज-मऊ रेलवे लाइन

†१७२४. **श्री कालिका सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की शाहगंज-मऊ शाखा लाइन पर निर्माण, मशीनरी तथा इंजन आदि का क्या कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस लाइन के कौन-कौन से स्टेशनों में सुधार हो रहे हैं और १९५८-५९ में क्या-क्या निर्माण कार्य होने जा रहे हैं तथा कौन-कौन सी सुविधाओं को व्यवस्था की जा रही है ;

(ग) क्या शाहगंज और मऊ तथा वाराणसी और मऊ के बीच अधिक मार्ग बनाना सम्भव है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव की जांच की जा चुकी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) शाहगंज-मऊ जंकशन शाखा के स्टेशनों पर १९५८-५९ और १९५९-६० के कार्यों की सूची में लाइन की क्षमता बढ़ाने संबंधी निर्माण कार्य, वाणिज्यिक सुविधाएं देने तथा अन्य सुविधायें देने के काम सम्मिलित हैं जिसमें बिजली का लगाना भी शामिल है। १९५९-६० के कार्यों की सूची में विद्यमान ४१/२ पाउण्ड वाली पटरियों को फिर से बिछाने तथा ६० पाउण्ड वाली पटरियों से कसने का काम शामिल कर लिया गया है।

(ख) निम्न कार्य या तो आरम्भ किये जा चुके हैं अथवा विभिन्न स्टेशनों पर आरम्भ करने का विचार है :

१. शाहगंज : अतिरिक्त यार्ड सुविधायें।

२. मऊ जंगशन : यार्ड में वृद्धि तथा कुछ हेर-फेर करना, सामान रखने के शेड एंव आफिस, माल गोदाम और आफिस, स्ट्रांग रूम का विस्तार, वेटिंग हाल का विस्तार और १२ बेंचों को व्यवस्था करना।

३. आजमगढ़: यार्ड में कुछ थोड़ा बहुत हेर-फेर करना, सामान शेड और आफिस, माल-गोदाम और आफिस, स्ट्रांग रूम का विस्तार, वेटिंग हाल में बेंचें बनवाना तथा दो घनाकार वाले स्नानागार बनाना।

४. रानी की सराय : नया माल रखने का शेड और बिजली लगाना।

५. खुरासान रोड : बिजली लगाना।

६. सराय शीर
७. फरिहा
८. दीदारगंज रोड
९. जहानागंज रोड
१०. खुराट
} हाथ से खींच कर चलाने वाले नल।

११. मुहम्मदाबाद (गोहना) बिजली लगाना।

(ग) और (घ). शाहगंज और मऊ तथा वाराणसी और मऊ के बीच अधिक पटरियां बिछाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है।

रेलवे स्कूल

†१७२५. **श्री कुम्भार** : क्या रेलवे मंत्री ५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों से पूर्वोत्तर रेलवे के स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये जिन सुविधाओं और वित्तीय सहायता की व्यवस्था है उन के बारे में उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं। रेलों को निदेश दे दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित फीस में छूट उन सभी रेलवे स्कूलों के छात्रों को दी जाये जिस के अन्तर्गत वे आते हैं भले ही यह छूट देना राज्य सरकार के विनियमों के अधीन उन सरकारी स्कूलों के लिये लागू न होती हो जो उस सरकार के अन्तर्गत नहीं आते और ऐसा करने से यह हानि तब तक रेलवे प्रशासन द्वारा उठाई जायेगी जब तक कि संबंधित राज्य सरकार उस की पूर्ति नहीं करती है।

पंजाब का विद्युतीकरण

†१७२६. श्री दलजीत सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पंजाब सरकार को ऐसे कामों पर व्यय करने के लिये जिस से बिजली का उत्पादन बढ़े कुल कितनी राष्ट्रीय और विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया है ; और

(ख) किन-किन मदों में इस राशि का उपयोग किया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]

ब्रह्मपुत्र नदी में मालगाड़ी के डिब्बों का गिर जाना

†१७२७. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ४ नवम्बर, १९५८ को एक माल गाड़ी का एक डिब्बा ब्रह्मपुत्र नदी में गिर पड़ा था और एक और डिब्बा अमीनगांव वेगन फेरीघाट पर पटरी से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस से कितनी हानि हुई थी ; और

(ग) उन डिब्बों में किस प्रकार की वस्तुएं लदी हुई थीं ;

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। ४-११-५८ को ०३-१५ बजे जबकि वह जहाज़ पर चढ़ाया जा रहा था।

(ख) अनुमान है कि रेल डिब्बे और जहाज़ को लगभग ८०० रुपयों की क्षति हुई है।

(ग) जो डिब्बा ब्रह्मपुत्र में गिर पड़ा था उस में सरसों के तेल के ३९६ टीन थे।

दिल्ली और हावड़ा के बीच खाने के पैकेटों की बिक्री

†१७२८. { श्री हीं० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभातकार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और हावड़ा की लम्बी यात्रा के बीच भी बड़े-बड़े स्टेशनों पर सस्ते और स्वच्छ खाने की बिक्री के लिये कोई स्पष्ट प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) दिल्ली और हावड़ा के बीच बड़े बड़े स्टेशनों पर रेलवे भोजनालयों के बैरों और प्राधिकृत ट्रेन साइड वेंडरों के द्वारा खाने के पैकट बेचे जाने का प्रबंध पहले से ही है। ये स्टेशन हैं—हावड़ा, आसनसोल, पटना, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और दिल्ली ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हावड़ा-दिल्ली के बीच चलने वाली गलियारे वाली वायु अनुकूलित गाड़ी

†१७२९. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि हावड़ा और नई दिल्ली के बीच तीसरी श्रेणी की गलियारे वाली वायु अनुकूलित गाड़ी में कुछ प्रकार के प्रबन्ध अपर्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) वर्कशाप में की गई गत मरम्मतों के समय चेयर कारों में कुछ सुधार कर दिये गये थे। अन्य सुधारों के बारे में विचार किया जा रहा है और उचित सुधार यथासमय कर दिये जायेंगे ।

उत्तर पूर्व रेलवे के विरुद्ध दावे

†१७३०. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को पूर्वोत्तर रेलवे से प्राप्त हुए प्रतिकर के दावों के मामलों में से कुल कितने मामले अभी अनिर्णीत हैं और उन में कुल कितनी राशि मांगी गई है ;

(ख) उस समय से कुल कितने मामले निपटा दिये गये हैं और कुल कितनी राशि प्रतिकर के रूप में अदा की गई है ; और

(ग) शेष मामलों को निपटाने में देर लगने के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री स० व० रामस्वामी) : (क) ३,४६० मामले और लगभग १२.८ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५८ तक २,२७१ मामले निपटा दिये गये थे और लगभग १.९ लाख रुपये अदा किये गये हैं।

(ग) विलम्ब का कारण यह है कि पूर्वोत्तर रेलवे को पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में विभाजित करना था और दावों की फाइलों को गोरखपुर से पांडू भेजने में देर लग गई थी। इस के अतिरिक्त पांडू में काम को संभालने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त करने में भी कुछ देर लग गई थी।

फिर भी मामलों पर विचार किया जा रहा है और उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिये विशेष कार्यवाही की जा रही है।

टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों की देख-रेख

†१७३१. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या रेलवे मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :–

(क) १ जनवरी, १९५८ से ३० अक्तूबर, १९५८ तक की अवधि में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की निम्नलिखित ब्रांच लाइनों पर उच्च अधिकारियों द्वारा कितनी बार चैकिंग की गई थी ;

(१) धुबरी-गोलकगंज-फकीराग्राम

(२) रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ तेज़पुर

(३) चपरमुख-सिलघाट

(४) फरकटिंग-जोरहाट-मरियानी

(५) नागिनीमोरा-सिमलगुड़ी-मोरनहाट ; और

(ख) क्या इन पदाधिकारियों ने टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों को पहले ही सूचित कर दिया था अथवा उन्हों ने अचानक निरीक्षण प्रारम्भ कर दिया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क)

सेक्शन का नाम	कितनी बार चैकिंग हुई
धुबरी-गोलकगंज-फकीराग्राम	५९
रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ तेज़पुर	७६
चपरमुख-सिलघाट .	१५
फरकटिंग-जोरहाट-मरियानी	१८
नागिनीमोरा-सिमलगुड़ी-मोरनहाट .	२३
कुल	१९१

(ख) ४१ अवसरों पर तो निरीक्षण अचानक ही किया गया था, और १५० अवसरों पर निरीक्षण उस समय किया गया था जबकि सम्बन्धित कर्मचारी अपने दौरों पर थे।

†मूल अंग्रेज़ी में

ठेके

†१७३२. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को ये आदेश जारी किये गये कि वह ५,००० रुपयों से कम की कीमतों के ठेके स्वयं ही पंजीबद्ध श्रमिक सहकारी समितियों से निश्चित कर लिया करे और उस के लिये टेण्डर मांगने की कोई आवश्यकता नहीं जैसाकि पहले निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने आदेश दिया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) सभी रेलों को सामान्य रूप से हिदायतें भेज दी गई हैं। फिर भी, बम्बई और पंजाब सरकारों के कहने पर, जहां पर कि सहकारी समितियां प्रयोग के रूप में प्रारम्भ की गई हैं, पश्चिम, मध्य, दक्षिण और उत्तर रेलवे को विशेष रूप से हिदायतें जारी की गई हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तिनसुकिया-मकम एक्सप्रेस रोड

†१७३३. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिनसुकिया और मकूम के बीच एक एक्सप्रेस रोड बनाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं। परन्तु तिनसुकिया और मकूम के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ को चौड़ा करने और उसे पक्का करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ का यह सेक्शन कोई एक्सप्रेस मार्ग नहीं है।

(ख) १ अक्तूबर को तिनसुकिया और मकूम के बीच के राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ अर्थात् आसाम ट्रंक रोड को ३०३/६ से ३०८/० मील तक चौड़ा करन और उसे पक्का बनाने के लिये लगभग ४·६१ लाख रुपयों की राशि की मंजूरी दे दी गई थी।

ओक ग्रोव स्कूल

†१७३४. **श्री दिनेश सिंह :** क्या रेलवे मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओक ग्रोव स्कूल के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये प्रिंसिपल ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी अर्हतायें क्या क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों का राज्य-व्यापार

†१७३५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार खाद्यान्नों के सम्पूर्ण व्यापार को राज्य की ओर से चलाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सभी सम्बन्धित पक्षों का एक सम्मेलन बुलाने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस सम्बन्ध में व्यौरा तैयार करने के लिये पदाधिकारियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है । सरकार उस दल की रिपोर्ट आने पर और विभिन्न पक्षों द्वारा अभिव्यक्त किये गये विचारों के प्रकाश में ही इस पर विचार करेगी ।

आलू

†१७३६. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के कनायहतशाल कोल्ड स्टोरेज में रखा गया लगभग १८०० मन आलू खराब हो गया ;

(ख) उससे लगभग कितना नुकसान हुआ ;

(ग) क्या उस नुकसान की किसी पर जिम्मेवारी निश्चित की जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) केवल ७०० मन आलू खराब हुआ था १८०० मन नहीं ।

(ख) तत्कालीन विक्रय भाव के आधार पर कुल ६००० पये के आलू का नुकसान हुआ है, परन्तु स्टोर में रखने की शर्तों के अधीन यह नुकसान दामोदर घाटी को वहन नहीं करना पड़ेगा ।

(ग) यह ुकसान आलुओं के अंकुर निकल आने से हुआ था, परन्तु अंकुर निकलने का वास्तविक कारण नहीं ज्ञात हो सका है । यद्यपि इस का एक कारण बताया जाता है कि पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संभरित की जाने वाली बिजली कभी कभी फेल हो जाया करती थी और इस पर दामोदर घाटी निगम का कोई नियंत्रण नहीं था ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गोहाटी में पर्यटक निवास[1]

†१७३७. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोहाटी में एक पर्यटक निवास बनाने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना पर लगभग कितना खर्च आयेगा;

(ग) क्या उसके लिये धन खर्च करने की मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस परियोजना को कब आरम्भ करने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tourist Lodge

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). पर्यटन सम्बन्धी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोहाटी में पर्यटकों के लिये दो विश्रामगृह (रेस्ट हाउस) बनाने की योजना है । उन में से क विश्राम गृह विदेशी तथा उच्च श्रेणी के भारतीय पर्यटकों के स्तर की दृष्टि से बनाया जायेगा जिस पर लगभग २.५० लाख रुपये खर्च आयेगा । यह सारा का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायगा । दूसरा विश्राम गृह निम्न तथा मध्यम वर्ग के भारतीय पर्यटकों के लिये होगा और जिस पर लगभग १.६६ लाख रुपया खर्च आयेगा । इस में से आधा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा और आधा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । जहां तक इस दूसरी योजना का सम्बन्ध है, इसके लिये राज्य सरकार ने वित्तीय मंजूरी दे दी है और कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । पहली योजना को वर्तमान पंचवर्षीय योजना काल में ही कार्यान्वित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में पुर्नविचार किया जा रहा है क्योंकि पर्यटन योजना पर केन्द्र की ओर से निश्चित की गई राशि को २ करोड़ रुपये से घटा कर १ करोड़ दस लाख रुपया कर दिया गया है ।

रेलवे स्कूलों के शिक्षा परामर्शदाताओं की रिपोर्ट

†१७३८. श्री प्र० ग० देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं और उन में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के स्तर का सवेक्षण करने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा १९५६ में जो शिक्षा परामर्शदाता नियुक्त किये थे, उनकी रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि शिक्षा परामर्शदाताओं द्वारा कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७]**

इन सामान्य प्रकार की सिफारिशों के अतिरिक्त शिक्षा परामर्शदाताओं ने कुछ एक रेलवे स्कूलों के स्थान तथा सामान आदि के सम्बन्ध में भी कुछ सिफारिशें की हैं । रेलवे प्रशासनों से यह कहा जा रहा है कि वे इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये गये माप दंडों की दृष्टि से विचार करें ।

बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१७३९. श्री प्र० ग० देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में रेलवे प्रशासन को सुधारने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में एक एक बहुप्रयोजनीय स्कूल स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजन के लिये सम्बलपुर अथवा रूरकेला में एक बहुप्रयोजनीय स्कूल स्थापित किया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं, सरकार तो केवल कुछ एक वर्तमान रेलवे हाई स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित कर देने का विचार रखती है ।

(ख) जी नहीं, इस समय सम्बलपुर अथवा रूरकेला में एक भी बहुप्रयोजनीय स्कूल नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६

†१७४०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा में क्योंझर तथा समरपुर के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के निर्माण कार्य की प्रगति राज्य के अन्य निर्माणकार्यों के समान ही है; और

(ख) यदि नहीं कार्य की धीमी गति के क्या कारण हैं और सरकार गति को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) माननीय सदस्य सम्भवतः क्योंझर और सम्बलपुर के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ की ओर निर्देश कर रहे हैं। जितने निर्माण कार्य के लिये उसकी प्रगति सन्तोषजनक है, परन्तु निधि की कमी के कारण नये कार्यों की अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

बर्दवान स्टेशन

†१७४१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ में पूर्व रेलवे के बर्दवान स्टेशन से कितने यात्री बाहर गये और कितने यात्री वहां पहुंचे थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : बर्दवान पहुंचने वाले और वहां से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	बाहर जाने वाले	पहुंचने वाले
१९५७	१५,५२,८७८	१०,४६,५१८
१९५८ (३१ अक्तूबर, १९५८ तक)	१५,३६,५०७	९,५०,६०४

मजदिया और बगूला के बीच नया स्टेशन

†१७४२. **श्री सुबिमन घोष** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की सियालदा-बानपुर लाइन पर मजदिया और बगूला के बीच एक नये स्टेशन का निर्माण करने के लिये स्थानीय लोगों से बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, कुछ अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) सुझाव का परीक्षण किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न कृषि योजनाओं के लिये सहायता

†१७४४. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के आरम्भ होने के समय से लेकर विभिन्न राज्यों को "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं, खाद्य की खरीद, पशु पालन योजनाओं, मुर्गी पालन, मीन क्षेत्रों और वन योजनाओं के लिये अनुदानों, ऋणों और राज सहायता के तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** एक विवरण, जिस में १६५७-५८ तक दी गई वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी है सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८]**. पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार १६५८-५६ के लिये मंजूरी चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दी जायेगी ।

टेलीफ़ोन राजस्व कार्यालय (उत्तर प्रदेश) में क्लर्कों की भर्ती के लिये परीक्षा

१७४५. **श्री नारायण दीन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन राजस्व कार्यालय (उत्तर प्रदेश), लखनऊ में क्लर्कों की भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा का अंग्रेज़ी का प्रश्न पत्र २२ सितम्बर, १६५८ को परीक्षा होने से पहले ही मालूम हो गया था ; और

(ख) यदि तो इसके लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) (क) और (ख). लेखा-अफ़सर, टेलीफोन आय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के दफ्तर में लोवर श्रेणी के क्लर्कों की भरती के लिये आयोजित परीक्षा के बारे में दुराचार-विषयक कुछ-एक आरोप देखने में आये हैं। डाक-तार महा-अध्यक्ष, लखनऊ को इस मामले में जांच-पड़ताल करने के लिये कहा गया है। उक्त अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली और नई दिल्ली की सड़कें

†१७४६. **श्री डी० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और नगर निगम से इस बारे में प्रतिवेदन मांगा है ; और

(ग) क्या यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) परिवहन तथा संचार मंत्रालय के पास केवल राष्ट्रीय राजपथों और रिंग रोड का प्रशासकीय प्रभार ही है। दिल्ली और नई दिल्ली की अन्य सड़कों की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर समिति के हाथ में है।

गत मानसून में दिल्ली और नई दिल्ली की सड़कें भारी वर्षा के कारण बहुत खराब हो गई थीं। काफी मरम्मत की जा चुकी है और अब भी मरम्मत का काम जारी है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

चरखी दादरी स्टेशन पर नल

†१७४७. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चरखी दादरी स्टेशन पर पानी के नल लगाने के काम में क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : नलकूप लगाया गया है और शीघ्र ही नल लगाये जायेंगे, जैसा कि २-९-५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९५ के उत्तर में बताया गया था आशा है कि यदि सारा सामान मिल जाये तो काम मई, १९५९ तक पूरा हो जायेगा।

दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की सामान की चोरी के सिलसिले में गिरफ्तारी

†१७४८. { श्री राम कृष्ण :
श्री कोडियान :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान की चोरी के सिलसिले में हाल ही में दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल के चार सैनिकों और एक सब इंस्पैक्टर को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे कोई चोरी का माल मिला ; और

(ग) बरामद हुए माल का क्या मूल्य है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). जी हां। उन्हें भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३७९, ४०९ और १२०-ख के अधीन शक में एक ऐसे मामले के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था जिसमें सरकारी रेलवे पुलिस ने पहले और लोगों को भी गिरफ्तार किया था। रेलवे सुरक्षा बल के इन व्यक्तियों से कोई चोरी का माल बरामद नहीं हुआ था।

परिवार नियोजन

†१७४९. श्री राम कृष्ण : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा के अतिरिक्त परिवार नियोजन के बारे में भी मशविरा दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो परिवार नियोजन के लिये मशविरा देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) ९ अंशदायी स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरियों के साथ परिवार नियोजन क्लिनिकों की भी व्यवस्था की गई है जहां परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में मंत्रणा दी जाती है और जिन लोगों के लिये आवश्यक होता है उन्हें रासायनिक और यान्त्रिक गर्भ निरोधक भी निःशुल्क दिये जाते हैं ;

कटक रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण

†१७५०. { श्री संगण्णा :
श्री बैं० च० मलिक :
श्री महन्ती :

क्या रेलवे मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कटक रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी): तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में निर्माण तथा परिवर्तन करने के लिये अब तक ४,००० रुपये आवंटित किये गये हैं। लगभग ६५,००० रुपये के और प्राक्कलन पर विचार किया जा रहा है।

तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में कमी बेशी करने का काम पूरा हो चुका है।

गाड़ी परीक्षकों के लिये शिशिक्षु योजना[1]

†१७५१. श्री बहादुर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च समितियों, जैसे कि आइज़क एण्ड लैंथम समिति और दुर्घटना जांच समिति ने गाड़ी परीक्षकों के लिये शिशिक्षु योजना आरम्भ करने की सिफारिशें सरकार को भेजी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सिफारिशें स्वीकृत हो गई थीं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) आइज़क एण्ड लैंथम समिति ने सिफारिश की थी कि जहां पहले से शिशिक्षु योजना चालू न हो वहां इसे चालू कर दिया जाये।

(ख) और (ग). उपरोक्त सिफारिश पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी क्यों कि सभी रेलवे में गाड़ी परीक्षकों के शिक्षु रखे जाते हैं।

आंख की पुतली बदलना[2]

†१७५२. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फ्रांसीसी सेना के पशु चिकित्सक सर्जन के उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है जो २६ सितम्बर, १९५८ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था और जिसमें यह कहा गया है कि मनुष्य की आंख में कुत्ते की आंख की पुतली डालने में पूरी सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आंख की सर्जरी की इस नई ईजाद का ब्यौरा प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। पहले भी पुतली बदलने में कभी-कभी सफलता मिलती रही है परन्तु बाद में वह खराब हो जाती है और अधिक समय तक वह ठीक काम नहीं देती। फ्रांसीसी पशु चिकित्सक सर्जन ने सफलता का जो दावा किया है वह अस्थायी सा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Apprentice Scheme for Train Examiners.

[2]Eye Grafting.

हिमाचल प्रदेश में चीनी का कारखाना

१७५३. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ के लिये हिमाचल प्रदेश के राज्य बजट में जिस चीनी के कारखाने के खोलने की व्यवस्था की गयी है, वह कारखाना कहां खोला गया है ; और

(ख) उस पर कितना व्यय हुआ है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) हिमाचल प्रदेश शासन ने १९५८–५९ के बजट में किसी चीनी फैक्टरी के खोलने की व्यवस्था नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल देश में सीमा-निर्धारण कार्य

१७५४. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वनों के सीमा-निर्धारण का कार्य कब से चालू हुआ है :

(ख) यह काम कहां-कहां हो रहा है और अब तक कितना काम हो चुका है ; और

(ग) स कार्य को पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १९५१ से ।

(ख) सन् १९५१ से अक्तूबर १९५८ तक सुकेत विभाग (चम्बा सर्किल) में और राजगढ़ और नहान विभागों (सिरमूर सर्किल) में निम्न कार्य किये गये हैं :—

(चम्बा सर्किल)

	वन	एकड़
परिसीमन .	२३३	९४२०२
अन्तिम निरीक्षण .	१८१	७५१६९
सीमा, थम्बों का निर्माण	१५८	८२२६८ संख्या
सर्वे किया हुआ	१४६	७०४०३

(सिरमूर सर्किल)

सीमा के थम्बों का निर्माण	१५८४७ संख्या

उन स्थानों के नामों को इकट्ठा किया जा रहा है, जहां पर कार्य हो रहा है और यथासमय सभा की टेबिल पर रख दिये जायेंगे ।

(ग) कार्य के करने में कोई देरी नहीं हुई है ।

हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पाद विक्रय योजना

१७५५. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पाद विक्रय योजना कब से चालू की गई है ; और

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी वस्तुयें बेची जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). कोई कृषि पणन योजना जिसमें पदार्थों के बेचने का उपबन्ध हो, हिमाचल प्रदेश में नहीं हैं। तथापि मार्केट-इन्टेलिजेन्स के विकास के लिये एक योजना सितम्बर, १९५७ में आरम्भ की गई। यह योजना प्राइस-कोटेशन्स की रिपोर्ट देने के लिये केन्द्रों की स्थापना, प्रतिदिन मार्केट न्यूज़ बुलेटिन का प्रसारण बाज़ार के भावों का सप्ताहिक रिव्यू का निकालना और नियतकालिक मार्केट न्यूज़ बुलेटिनों के प्रकाशन तक सीमित है।

हिमाचल प्रदेश में मधु-मक्खी-पालन

१७५६. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में मधु-मक्खी पालन के विकास के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) शहद निकालने के पुराने तरीकों के स्थान पर नये तरीके चालू करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) हिमाचल प्रदेश में चम्बा स्थान पर मधु-मक्खी पालन के विकास के लिये अप्रैल १९५४ से एक योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :--

(१) ग्रामों में मधु-मक्खी पालने के सुधरे हुए तरीकों का परिचय। दिलचस्पी रखने वाले ग्रामीणों को लगभग ४०० सुधरे हुए बाक्स हाइव्स और वाल हाइव्स अभी तक दिये गये हैं।

(२) ग्रामीणों को शहद निकालने में और उसके पणन में सहायता देना। ग्रामीणों के वाल हाइवों से लगभग १५०० पौंड शहद निकाला गया है, उसको साफ किया गया है और ग्रामीणों ने सहकारिता के आधार पर अपने आप बेचने के लिये उसको बोतलों में भरा है।

(३) मधु-मक्खी पालने के वर्तमान तरीकों में प्रशिक्षण देना। हिमाचल प्रदेश के अनेक रिजन्स (Regions) से ४८ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) पुराने देसी मधु पेटिकाओं को वाल हाइव्स में बदल दिया गया है, जिन में निकाले जा सकने वाले फ्रेम लगे हुए हैं और इन हाइवों से शहद निकालने वाले वर्तमान सेन्ट्रीफ्यूगल ढंग के द्वारा शहद निकाला जाता है।

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे

†१७५७. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे पर यात्रियों से होने वाली आय बसों की प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे कम्पनी ने यह अभ्यावेदन भेजा है कि बसों की प्रतिस्पर्धा दिसम्बर, १९५७ से शुरू हुई जिसके कारण यात्रियों से होने वाली आय बहुत कम हो गई है। कम्पनी ने बताया है कि पूर्वगामी वर्ष की तुलना में दिसम्बर, १९५७ से सितम्बर, १९५८ तक यात्रियों से होने वाली आय में जो कमी हुई वह ४६ प्रतिशत है।

(ख) यह मामला परिवहन तथा संचार मंत्रालय को सौंपा गया है क्योंकि मुख्यतः उन्हीं से सड़क परिवहन का सम्बन्ध है और जो योजना आयोग से परामर्श करते हुए इस मामले का परीक्षण कर रहे ।

बसों और रेलवे में प्रतिस्पर्धा

†१७५८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य परिवहन प्राधिकारियों से इस बारे में बातचीत करना चाहती है कि शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे लाइनों के साथ साथ की सड़कों पर चलने वाली बसों को परमिट देने पर नियन्त्रण कर दिया जाये ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेलवे की आय में होने वाली कमी को रोकने के लिये ऐसी प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन से इस बारे में बातचीत की गई थी कि शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे का सड़क परिवहन की प्रतिस्पर्धा से बचाव किया जाये ताकि वह लाभप्रद रूप में चल सके। इस बारे में कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है और आशा है कि यथासमय कोई सन्तोषजनक हल निकल आयेगा ।

कोयला खान साइडिंग

†१७५९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्याण खनि (सिंगारेनी कोलियरीज़ कम्पनी) से बेलमपल्ली तक कोयला खान साइडिंग कब तक पूरी होगी ;

(ख) इस साइडिंग पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या तंदूर कोलियरीज़ से कोयले का उत्पादन बढ़ जाने पर भी उसका परिवहन करने के लिये बेलम्पल्ली में पर्याप्त मार्शलिंग यार्ड हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इस साइडिंग का निर्माण कार्य १९५९–६० के कार्यक्रम में शामिल है। कार्य आरम्भ होने के बाद इसके पूरा होने में १२ मास लगेंगे ।

(ख) लगभग १८.३५ लाख रुपये ।

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रामवरम में रेलवे स्टेशन

†१७६०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे में भद्राचलम रोड और कोलियरी साइडिंग के बीच रामवरम स्थान पर स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को किन आधारों पर स्वीकार नहीं किया जा सका ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (१) अपेक्षित स्टेशन एसिस्टिड साइडिंग पर होगा जहां से केवल उन्हीं लोगों को माल भेजा जायेगा जो लागत का कुछ भाग वहन करेंगे और वह यात्रियों के लिये नहीं होगा ।

(२) सवारी गाड़ियां चलाने से कोलियरी साइडिंग में होने वाली शंटिंग और अन्य दैनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होगी ।

(३) प्रस्तावित कोलियरी साइडिंग को जाने वाली पटरी इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि वहां सवारी गाड़ी सुरक्षित रूप से चलाई जा सके ।

(४) रामवरम में पटरी के स्तर को इतना ऊंचा उठाना कि वहां सवारी गाड़ियां चल सकें और अतिरिक्त लूप लाइनों की व्यवस्था करने में खर्च करना उचित नहीं होगा क्योंकि यात्री परिवहन से अधिक आय होने की आशा है ।

राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ[1]

†१७६१. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री रामी रेड्डी :
श्री इ० मधूसूदन राव : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो संघ का मूल उद्देश्य क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां । एक संस्था जिस का नाम "नैशनल एग्रीकल्चुरल को-आप्रेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड" (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०) है, २ अक्तूबर, १९५८ को रजिस्टर की गई थी ।

(ख) संघ का मुख्य उद्देश्य कृष्य वस्तुओं को तैयार करने और उन का विपणन करने वाली सम्बद्ध संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ाना और उन में समन्वय करना और आन्तरिक व्यापार में और आयात तथा निर्यात में उन की सहायता करना है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]National Cooperative Marketing Federation.

क्षतिग्रस्त 'स्काईमास्टर' विमान

†१७६२. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री रात्रि विमान सेवा स्काईमास्टर सम्बन्धी २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षतिग्रस्त स्काईमास्टर विमान एक मास से अधिक समय तक खुले में पड़ा रहा और उस का कोई बचाव नहीं किया गया ;

(ख) क्या विमान की मरम्मत करके और पुर्जे बदल कर उसे पुनः चालू कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च हुआ ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) विमान लगभग २० दिन तक दुर्घटना स्थल पर पड़ा रहा क्योंकि जब तक दुर्घटना निरीक्षक को प्रारम्भिक जांच पूरी करनी थी तभी विमान वहां से हटाया जा सकता था। जिस बीमा समवाय के पास विमान का बीमा कराया गया था उसे भी सर्वेक्षण करना था। विमान को वहां से हटाने के लिये विशेष व्यवस्था की जानी थी। घटनास्थल पर पड़े विमान की देख भाल के लिये गार्द नियुक्त की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) विमान की, जोकि बीमाशुदा है, मरम्मत पर लगभग २४ लाख रुपये लागत आयेगी।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का देर से चलना

†**१७६३. श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिये विशेष रूप से भेजे गये पदाधिकारियों और निरीक्षकों को उस के लेट चलने के क्या कारण बताये हैं ;

(ख) हाल ही में जो विशेष आन्दोलन चलाया गया है उस का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस को ठीक समय पर चलाने के बारे में १९५२ से ले कर जनरल मैनेजरों को कितने निदेश जारी किये गये ; और

(घ) कर्मचारियों के खिलाफ कितनी बार अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की गई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी० टी० एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिये विशेष रूप से नियुक्त किये गये पदाधिकारियों और निरीक्षकों ने ये कारण बताये हैं :—

(१) समय सारणी में सावधानी से गाड़ी चलाने के लिये जितना समय निश्चित किया गया है उस से अधिक समय लेना।

(२) अनधिकृत लोगों द्वारा खतरे की जंजीर खींचना। इस के अतिरिक्त भारी वर्षा के कारण काजीपेट—बलहारशाह सैक्शन में पटरी के टूट जाने से ३१-८-१९५८ से दिल्ली और मद्रास के बीच गाड़ी सेवा

†मूल अंग्रेज़ी में

स्थगित कर दी गई थी। और ११-९-५८ तक नं० १५ डाउन/१६ अप ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ियां वाल्टेयर-रायपुर-नागपुर के रास्ते से, जो कि लम्बा रास्ता है, चलाई गई। १२-९-५८ मे असल मार्ग पर गाड़ियों का चलना फिर से शुरू कर देने पर भी रफ्तार पर कुछ प्रतिबन्ध रखना पड़ा। इन अनिवार्य कारणों और कुछ अन्य कारणों से सितम्बर और अक्तूबर, १९५८ के दौरान में गाड़ियां लेट चलती रहीं।

(ख) नवम्बर और दिसम्बर (१० तारीख तक) १९५८ में ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के लेट चलने में कुछ सुधार हुआ है। इस अवधि में नं० १५ डाऊन ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस नई दिल्ली में ३० दिन ठीक समय पर पहुंची और नं० १६ अप जी० टी० एक्सप्रेस २७ बार ठीक समय पर मद्रास पहुंची।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं कि १९५२ के बाद कितने निदेश जारी किये गये। सभी सवारी गाड़ियों के चलने के बारे में समय-समय पर रेलवे बोर्ड जनरल मैनेजरों को सामान्य निदेश जारी करता रहता है। जनरल मैनेजरों के साथ सम्मेलन करते हुए रेलवे बोर्ड इस बात पर जोर देता है कि गाड़ियां समय पर चलें। बोर्ड के कार्यालय में प्रतिदिन एक विवरण भेजा जाता है जिसमें बताया गया होता है कि मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां, जिन में जी० टी० एक्सप्रेस गाड़ियां भी शामिल हैं, किस समय पर चलीं। इन की छानबीन और अकारण विलम्ब के बारे में रेलवे विभाग से पूछ-ताछ की जाती है।

(घ) कर्मचारियों के खिलाफ की गई अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६९]**

मिलरगंज क्षेत्र और लुधियाना नगर के बीच ऊपरी पुल

†१७६४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या रेलवे मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मिलरगंज क्षेत्र और लुधियाना नगर के बीच एक ऊपरी पुल के निर्मा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जी० टी० रोड पर रेल के फाटक के स्थान पर ऊपरी पुल के निर्माण की पुनरीक्षित योजना, प्राक्कलन और लागत में उन के अंश के आवंटन की मंजूरी की तीक्षा की जा रही है।

स्नेहन पदार्थ[1]

†१७६५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के लिये स्नेहन पदार्थों का आयात विदेशों से किया जाने वाला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जी नहीं। रेलवे स्नेहन पदार्थों की आवश्यकता संभरण तथा निबटान के डायरेक्टर जनरल द्वारा समाहार कर के पूरी कर दी जाती है जो कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Lubricants

उत्तर रेलवे के भूतपूर्व बीकानेर सेक्शन पर रेल का फाटक (लेवल क्रासिंग)

†१७६६. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के भूतपूर्व बीकानेर सैक्शन पर रेलवे फाटक (लेवल क्रासिंग) नहीं है और वहां कई गम्भीर दुर्घटनायें हो जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सेक्शन पर रेलवे फाटक की व्यवस्था करेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ; रेलवे फाटक लगे हुए हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नये रेलवे फाटक लगाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रार्थना करने पर विचार किया जाता है और नियमों के अनुसार उन्हें सारी लागत भी स्वयं ही वहन करनी पड़ती है ।

टेलीफोन मशीनरी

†१७६७. श्री राम कृष्ण : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये टेलीफोन के सामान, औजारों और अन्य मशीनरी की आवश्यकता निर्धारित की गई है ; और

(ख) सरकार टेलीफोन मशीनरी की आवश्यकता को कैसे पूरा करेगी ;

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) डाक तथा तार कर्मशालाओं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जैसे सरकारी उपक्रमों से और यदि आवश्यकता पड़े तो बाजार से खरीद कर ।

हसन-मंगलौर रेल सम्पर्क

†१७६८. { श्री राम कृष्ण :
श्री नंजप्प :

क्या रेलवे मंत्री १६ अगस्त १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ख). रिपोर्ट अभी विचाराधीन है ।

पाकिस्तान पर बकाया बिजली की रकम

†१७६६. { श्री राम कृष्ण :
श्री बहादुर सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २० अगस्त, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब (भारत) सरकार ने सचिवालय आधार पर पाकिस्तान सरकार के साथ १६५७–५८ के लिए वाजिब ४४०६.६६ रु० के बारे में बातचीत आरम्भ कर दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). पंजाब (भारत) के विद्युत् विभाग के मुख्य इंजीनियर ने पश्चिमी पाकिस्तान के अपने प्रतिरूप पदाधिकारी से बातचीत की थी। अभी तक वाजिब राशि का भुगतान न होने के कारण अब पाकिस्तान सरकार से सचिवालय आधार पर बातचीत आरम्भ की गई है ।

गाड़ी के साथ चलने वाले रेल कर्मचारी

†१७७०. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ी के साथ चलने वाले रेल कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ता समिति की सिफ़ारिशें, जिसे रेलवे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त था, उत्तर पूर्वी खंड में लागू नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें प्रायः लागू हो गई हैं ।

रेलों पर पुलियों तथा पुलों का निर्माण

†१७७१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के वित्त तथा राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने एवं पानी भर जाने का उत्तरदायित्व रेलों पर है ; और

(ख) यदि हां तो पानी के आसानी से निकलने के लिये अधिक पुलियों व पुलों के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):(क) तथा (ख). उत्तर पूर्व रेलवे पर राया और मथुरा छावनी के बीच पानी भरने का कारण यह बताया गया है कि रेलवे बांध में पानी के निकास की पर्याप्त व्यवस्था न थी ।

असैनिक तथा रेलवे प्राधिकारियों ने संयुक्त निर्णय किया है कि अमुक क्षेत्र में २ × ५' चौड़ी विद्यमान पुलिया के बजाय एक पुलिया १ × ६' चौड़ी और दूसरी २ × १०' चौड़ी बनाई जाये तथा निर्माण लागत समान रूप में सहन की जायें । अपेक्षित नकशे आदि तैयार किये जा रहे हैं तथा कार्य यथाशीघ्र आरम्भ होगा ।

बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क पर विश्रामगृह

१७७२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २५ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क पर विश्राम-गृहों के निर्माण तथा विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : तारीख २५ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५७ के उत्तर में उल्लिखित १५ लकड़ी के कमरों के बारे में उत्तर

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि ये अगोरा, गौना, बिराही और औसला में बन कर तैयार हो चुके हैं और फुरकिया में यह काम पूरा होने वाला है । सुखी, मल्ला, ग्वालदम, लोपकल, झाला, धरारीं, भैरोंघाटी, गंगोत्री, पांडुकेश्वर और भुंइधर में ऐसे कमरे तैयार करने के लिए जगहें चुन ली गई हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस काम में अधिक उन्नति नहीं हो सकी है क्योंकि जहां ये जगहें बर्फ से ढकी रहती हैं वहां यहां आने जाने का रास्ता भी बहुत खराब रहता है, फिर भी इस दिशा में यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । राज्य सरकार बदरीनाथ-केदारनाथ के रास्तों पर तीर्थ यात्रियों के लिए कई जगहों पर बड़े विश्राम-गृह बनाने का विचार कर रही है ।

अनाज को नुकसान

१७७३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री साधन गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर (बिहार) में वर्षा में भीग जाने के कारण जो ४१९ मन गेहूं बेकार हो गया था उसके सम्बन्ध में की गयी जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) इसके लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) मुजफ्फरपुर के अलावा और किन-किन स्थानों से इसी प्रकार अनाज के खराब होने की खबरें मिली हैं और कितना अनाज खराब हुआ है ; और

(घ) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी) : (क) जांच से पता चला है कि २५-७-५८ को रेलवे रसीद सं० ४१३१२० इन्वायस सं० १८ पर विशाखापत्तनम से मुजफ्फरपुर जं० को ४१६० बोरों में १०५७९ मन गेंहूं बुक किया गया था । ये बोरे कटनी मुरवारा और मंडुआडीह के रास्ते भेजने के लिए १८ खुले माल-डिब्बों में लादे गये थे । इन में से हर डिब्बा ३० × २०′ नाप के मजबूत तिरपाल से ढका हुआ था । इन तिरपालों से डिब्बों का केवल ऊपरी हिस्सा ही नहीं बल्कि उनके चारों ओर का बहुत सा हिस्सा भी ढका हुआ था । ये तिरपाल मजबूत रस्सी से कसे हुए थे । सभी माल-डिब्बे एक साथ भेजे गये थे और उन पर निगरानी रखने वाले मौजूद थे । गेहूं भीग जाने से जो नुकसान हुआ उसकी वजह यह थी कि (क) रास्ते में माल चुराने के लिए कुछ चोरों ने तिरपाल काट दिये और (ख) रास्ते में माल डिब्बों के ऊपर तिरपालों में झोल पड़ जाने के कारण उन पर बारिश का पानी जमा हो गया जो गेहूं के बोरों पर टपकता रहा ।

(ख) तिरपाल काटे जाने की रोक थाम के लिए जरूरी कार्रवाई न करने और गलत ढंग से लगाने के लिए कौन से कर्मचारी जिम्मेदार हैं, इस सम्बन्ध में अभी जांच हो रही है ।

(ग) मुजफ्फरपुर के अलावा जिन जगहों पर जितनी मात्रा में अनाज के नुकसान की सूचना मिली है उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

जगह का नाम	मात्रा		हर परेषण में कितने प्रतिशत नुकसान हुआ
	मन	सेर	प्रतिशत
मोतीपुर .	३०८	११	५
पूसा रोड .	७	१५	०.४
समस्तीपुर . .	१२३	३१	१
कटिहार .	३४१	४	२.२
ढोली .	१,२५१	१९	१०.२
जोड़	२,०३२	००	

(घ) रेल-प्रशासन को जब अनाज के नुकसान की सूचना मिली, तो खुले माल-डिब्बों में अनाज का लदान बन्द कर दिया गया ।

उभयलिंगी व्यक्ति

१७७४. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के अस्पतालों में उभयलिंगी व्यक्तियों के उदाहरण समय-समय पर मिलते रहते हैं ;

(ख) क्या स्त्री से पुरुष व पुरुष से स्त्री बन जाने वाले व्यक्तियों के मामले किसी अस्पताल में दृष्टिगोचर हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के अन्दर सारे भारत में उपरोक्त तीनों प्रकार के अलग-अलग कुल कितने मामले अस्पतालों में आये ; और

(घ) इस प्रकार के मामलों में चिकित्सा करने व अन्य प्रकार की सहायता देने के बारे में क्या व्यवस्था की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों एवं संघ-परिक्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रेलें

†१७७५. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारतीय रेलों में श्रेणी १ और २ के पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) आजकल कुल कितने श्रेणी ३ और ४ के कर्मचारी हैं ;

(ग) १९५७–५८ में प्रतिदिन के आधार पर औसतन कितने आकस्मिक मजदूर रखे गये ;

(घ) १९४७–४८ में भारतीय रेलों पर श्रेणी १ और २ के या समान पद वाले कितने अधिकारी थे; और

(ङ) १९४७–४८ में श्रेणी ३ और ४ के कुल कितने कर्मचारी थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३१–३–१९५८ को ३५४६ ।

(ख) ३१–३–१९५८ को

श्रेणी ३	४,१८,३४८
श्रेणी ४	६,७०,९९४

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) ३१–३–१९४८ को १७३५ ।

(ङ) ३१–३–१९४८ को

श्रेणी ३	१,७४,०१३
श्रेणी ४	६,५१,६५१

रेलों के डीज़ल इंजन

†१७७६. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों पर डीज़ल इंजनों की संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक इंजन का कार्यकाल क्या है;

(ग) प्रत्येक इंजन पर कुल कितना व्यय हुआ;

(घ) प्रत्येक प्रकार के इंजन का प्रति मील चालन-व्यय क्या है;

(ङ) एक वर्ष में उनमें से प्रत्येक कितने घंटे चला है; और

(च) इन इंजनों के क्रय में अब तक कुल कितना विदेशी विनिमय प्रयोग हुआ है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७०]

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड

†१७७७. श्री राम कृष्ण : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड की वार्षिक गवेषणा समिति की बैठक की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न किया जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७१]

कृषक मंडल

†१७७८. श्री राम कृष्ण : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक किन किन राज्यों में कृषक मंडल स्थापित हो गये हैं ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : निम्न राज्यों ने विभिन्न स्थानीय नामों से कृषक मंडल स्थापित किये हैं :

(१) आन्ध्र प्रदेश
(२) आसाम
(३) बम्बई
(४) केरल
(५) मध्य प्रदेश
(६) मद्रास
(७) उड़ीसा
(८) पंजाब
(९) राजस्थान
(१०) उत्तर प्रदेश
(११) पश्चिमी बंगाल

पर्यटक यातायात परामर्शदात्री समिति

†१७७९. श्री राम कृष्ण : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की पर्यटक यातायात परामर्शदात्री समिति की १८ अक्टूबर, १९५८ की बैठक में क्या निर्णय किये गये; और

(ख) उन निर्णयों की कार्यान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न किया जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७२]

(ख) समिति की बैठक हाल में ही हुई थी एवं हिमाचल प्रदेश प्रशासन अभी सिफ़ारिशों पर विचार कर रहा है ।

विद्यार्थियों के लिये रेलवे रियायत

†१७८०. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक ५० प्रतिशत रेलवे रियायत का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक इस रियायत से कितने विद्यार्थियों ने लाभ उठाया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). रियायत से लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े नहीं रखे जाते । यह जानकारी एकत्रित करने में श्रम व समय का अनोपयोगी प्रयोग होगा क्योंकि प्राप्त परिणाम इसके अनुसार न होंगे । प्रवृत्ति यह रही है कि विद्यार्थी रियायत अधिक विद्यार्थियों को दी गई है ।

कीड़े मारने की नई दवा 'सिटीसाइड'[1]

†१७८१. **श्री राम कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद की प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला ने कीड़े मारने की एक नई दवा 'सिटीसाइड' बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह नई दवा डी० डी० टी० से अधिक प्रभावशाली है; और

(ग) यदि हां, तो कैसे कीड़ों पर ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां ।

(ख) पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । प्रयोगशाला के सीमित प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि यदि समान परिस्थितियों में प्रयोग किया जाये तो यह डी० डी० टी० से अधिक प्रभावशाली है ।

(ख) यह गोबरौला, काकरौच, खटमल, चींटियां, किलनी, दीमक, गोदाम के खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि सम्बन्धी कीड़ों पर अधिक प्रभावशाली बताई जाती है ।

गलियारे वाली रेलें

†१७८२. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा और दिल्ली के बीच तथा दिल्ली और हावड़ा के बीच ८१ अप व ८२ डाउन गलियारे वाली रेलें बीच के स्टेशनों पर केवल इंजन की आवश्यकताओं के लिये रुकती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे प्राधिकारियों ने ऐसी रेलों को बुर्दवान स्टेशन पर रोकने के लिये मना कर दिया है क्योंकि वहां इंजन आवश्यकता नहीं है;

(ग) क्या ऐसी गलियारे वाली रेलों के धनबाद स्टेशन पर रुकने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). तेज़ गाड़ियां चलाने की दृष्टि से सप्ताह में दो वातावस्थापित एक्सप्रेस गाड़ियां केवल उन थोड़े से स्टेशनों पर रोकी जाती हैं जहां संचालन आवश्यकता पूरी करनी होती है । हावड़ा और दिल्ली के बीच अन्य तेज़ गाड़ियां बुर्दवान रुकती हैं तथा वे स्टेशन से होने वाले दूरगामी यातायात के लिये पर्याप्त समझी जाती हैं । इसके अतिरिक्त, हावड़ा से बुर्दवान तक बिजली की रेलें भी चलती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Citicide

(ग) ८२ डाउन/८१ अप वातावस्थापित एक्स्प्रेस गाड़ियां २०/२१-१०-५८ से धनबाद रुकती हैं।

(घ) सिन्दरी फर्टीलाइज़र एण्ड कैमिकल्स लि०, ईंधन गवेषणा संस्था, आदि जैसे सरकारी उद्योगों के कारण धनबाद स्टेशन पर सीधे जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है।

लापता जलयान[1]

†१७८३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १५ जलयान जिनमें कुल १०० व्यक्ति थे और पोरबन्दर बन्दरगाह से १७ अक्टूबर १९५८ को या इसके आस पास य बम्बई या मलाबार के लिये चले थे, गुम बताये जाते हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सरकार को पूछ-ताछ से पता चला है कि जलयानों के लापता होने की सूचना, जहां तक विदित है, निराधार है।

खेती के तरीके

१७८४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेती करने के आधुनिक तरीकों से कृषकों को परिचित कराने के लिये कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है और वह कब तक कार्यान्वित की जायेगी?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) व (ख). सम्भवतः इसका निर्देश ग्राम सहायकों के कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण शिविरों से है जो कि राज्य सरकारों द्वारा विकास खंडों में किसानों को खेती के उन्नत तरीकों से परिचित कराने के लिये अक्टूबर, १९५७ से चालू हैं। इनका पूरा विवरण ग्राम नेता शिविर नियमावली[2] नामी पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में मिल सकती हैं।

पूर्व रेलवे पर चोरी व डाके की घटनायें

†१७८५. **श्री सुबिमन घोष**: क्या रेलवे मंत्री निम्न जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५८ में अब तक पूर्व रेलवे पर चोरी व डाके की कितनी घटनायें हुई हैं तथा तत्संबंधी निम्न जानकारी क्या है : (१) चलाये गये अभियोगों की संख्या (२) आरोप लगाये गये मामलों की संख्या (३) कितनी घटनाओं का अन्त अन्तिम रिपोर्ट में हुआ, (४) कितने मुकद्दमों का अन्त दोषसिद्धि में हुआ; और (५) रेलवे, यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को खंडवार कितनी हानि हुई; और

(ख) पूर्व रेलवे पर ऐसी चोरी व डाकों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Missing Sailing Vessels.

[2]Manual of Village Leaders camps.

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां). (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

	चोरी	डाके
(१) आरम्भ किये गये अभियोगों की संख्या	३१०९	४०
(२) आरोप लगाये गये मामलों की संख्या .	७४४	९
(३) अन्तिम रिपोर्ट में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या .	२१२९	२६
(४) दोषासिद्धि में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या .	१९९	—

(५) उठाई गई हानि—

(क) रेलवे द्वारा . . . . लगभग ६,८६,००० रु०

(ख) यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा . . लगभग ३,०१,००० रु०

[नोट.—उपरोक्त जानकारी पुलिस द्वारा राज्यवार दी गई जानकारी से ली गई है। रेलवे खंडों के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।]

(ख) साधारण रूप में की जाने वाली प्रतिबन्धात्मक कार्यवाहियों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में वर्दी में तथा साधारण वस्त्रों में रेल सुरक्षा दल[1] भेजा जाता है। प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा दल तथा असैनिक पुलिस कर्मचारी संयुक्त छापे भी मारते हैं।

सोमासन स्टेशन

†१७८६. श्री पु० र० पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महसना के पास सोमासन स्टेशन निर्मित हो गया है ;

(ख) निर्माण कब आरम्भ हुआ था और कब पूर्ण हुआ ;

(ग) क्वार्टरों आदि सहित सोमासन रेलवे स्टेशन के निर्माण पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) स्टेशन कब खुलेगा।

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कार्य दिसम्बर, १९५७ में आरम्भ हुआ और मई १९५८ में समाप्त हुआ।

(ग) लगभग ३.२८ लाख रु०।

(घ) स्टेशन के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी शीघ्र ही वहां भेजे जायेंगे औरफि र स्टेशन कार्य करना आरम्भ करेगा।

विदेशी फर्मों से केरल को चावल

†१७८७. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी फर्मों ने केरल सरकार को चावल देने का प्रस्ताव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके फर्मों के तथा उनके देशों के नाम क्या हैं ?

---

†मल अंग्रेजी में

[1]Railway Protection Force

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) तथा (ख). भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव का पता नहीं है जो केरल सरकार को किसी विदेशी फर्म ने दिया हो।

आसाम–त्रिपुरा सड़क

†१७८८. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम-त्रिपुरा सड़क को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, क्या निर्णय हुआ ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय जनपथ व्यवस्था के साधारण विस्तार के लिए धन उपलब्ध होने पर इस प्रश्न पर इसकी विशेषताओं के अनुसार विचार किया जायेगा त्रिपुरा और शेष भारत के बीच शिलांग होकर सर्व-ऋतु संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि भारत सरकार पहिले से ही शिलांग-अगरतला सड़क के पासी-बदरपुर-चुराईबारी-अगरतला भाग के विकास के लिए धन / सहायता दे रही है। शिलांग-पासी भाग पहिले से ही विद्यमान सर्व ऋतु सड़क है।

मध्य रेलवे के यातायात अधिकारी

†१७८९. श्री कोडियान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में प्राविधिक अधिकारी जिन्हें मध्य रेलवे में यातायात अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षण दिया गया, उप कर्मचारी-अधिकारी जैसे अप्राविधिक पदों पर, जिनके लिए उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, रखे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ख). नहीं। कर्मचारियों संबंधी पद जो साधारण पद माने जाते हैं, विभिन्न विभागों में होते हैं तथा उन विभागों के उपयुक्त अधिकारियों से भरे जाते हैं।

दिल्ली–कलकत्ता सड़क

†१७९०. श्री सुबिमन घोष : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-दिल्ली सड़क परियोजना को छोड़ देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना छोड़ने के क्या कारण हैं तथा इसका निर्णय कब किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि प्राप्त भूमि के मालिकों को नोटिस दिया गया है कि वे एक मास में प्राप्त मुआवज़ा लौटा दें अन्यथा उनकी भूमियां जब्त कर ली जायेंगी ;

(घ) मुआवज़े का अन्तिम भुगतान कब किया गया तथा योजना पर कितना व्यय हो चुका है ; और

(ङ) यदि योजना नहीं छोड़ी गई है तो कार्य कब तक समाप्त होगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण निम्न है:

विवरण

(क), (ख) और (ङ). कलकत्ता-दिल्ली परियोजना नामक कोई परियोजना नहीं है। कदाचित माननीय सदस्य जिला हुगली में कमालपुर से जिला बुर्दवान में राष्ट्रीय राजपथ संख्या २, जी० टी० रोड के ५३वें मील में छोटखंडा (मेमरी) तक की सड़क का उल्लेख कर रहे हैं। यह भूमि १९४६-४७ में मन्दी विरोधी कार्यवाही के रूप में प्राप्त की गई थी तथा अधिक उपयुक्त सड़क के कारण, जो अप्रैल, १९५२ में अनुमोदित हुई, छोड़ दी गई।

योजना छोड़ने का कारण यह था कि नागपुर योजना में सम्मिलित राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ का निर्माण सड़क के एक सर्वथा नये भाग का निर्माण था। तत्पश्चात् देखा गया कि मन्दे विकल्प संभव हैं। यह निर्णय अप्रैल १९५२ में किया गया था।

(ग) तथा (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गन्ना

†१७९१. **श्री झूलन सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सुर्मा जिले में मीरगंज, मैरवा तथा गुठाई थानों गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों की जो गन्ना विपणन संघ लि० के क्षेत्र में हैं, सिंचाई तथा अन्य गन्ना विकास सुविधाओं की दृष्टि से कई वर्षों से उपेक्षा की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि अब तक भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला; और

(ग) संबन्धित क्षेत्रों की शिकायत दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) ये क्षेत्र बिहार चीनी कारखानों के रक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। इन क्षेत्रों का गन्ना उत्तर प्रदेश के कारखानों को बेचा तथा भेजा जाता है तथा गन्ना उत्पादन शुल्क की आय भी उत्तर प्रदेश सरकार के नाम जमा की जाती है। उनके पास धन के अभाव के कारण, बिहार सरकार इन क्षेत्रों में, जो बिहार के कारखानों को गन्ना भेजने के लिये रक्षित नहीं है, विशिष्ट विकास कार्य नहीं कर सकी है।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) दोनों सम्बन्धित सरकारों से प्रार्थना की जा रही है कि वे संयुक्त विचार विमर्श द्वारा इसका निर्णय कर लें।

पूर्वोत्तर रेलवे का भूतपूर्व अवध-तिरहुत सेक्शन

†१७९२. श्री **झूलन** सिंह: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे के भूतपूर्व अवध-तिरहुत सेक्शन में विद्यमान रेलों, डिब्बों तथा साधारण सुविधाओं की गिरी हुई हालत की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे अन्य रेलों पर वर्तमान साधारण स्तर तक उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) भूतपूर्व अवध तिरहुत सेक्शन में रेलें निम्न स्तर की नहीं हैं। ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि अन्य रेलों की छोटी लाइनों की रेलों की अपेक्षा इनका स्तर गिरा हुआ है : सब रेलों पर निश्चित सामान्य सुविधायें इस रेलवे के डिब्बों में भी दी जाती हैं। यात्री सुविधा समिति के परामर्श से, जिसमें जनमत सम्मिलित होता है, स्टेशनों पर सामान्य सुविधायें दी जाती हैं। परन्तु ये सुविधायें धन तथा सामान के उपलब्ध होने पर दी जाती हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गंडक नदी पर पुल

†१७९३. श्री सूरज सिंह: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ११ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस राष्ट्रीय जनपथ के लिये गंडक नदी पर पुल के लिये किसी विशिष्ट स्थान के बारे में कोई निर्णय हुआ है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : अभी नहीं। जो स्थान अस्थायी रूप से पहिले चुना गया था सर्वेक्षण किये जाने के बाद, १९५८ की बाढ़ से धार का मार्ग बदल जाने के फलस्वरूप अनोपयुक्त हो गया। अन्य स्थान चुनने के लिये और सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

स्थानापन्न भत्ते[1] का भुगतान न किया जाना

†१७९४. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली डिवीज़न में उच्च श्रेणियों में अभुगतान के ७०० मामले पिछले लगभग तीन वर्ष से अनिश्चित पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) ये सारे मामले चलने वाले कर्मचारियों के हैं। स्थानापन्न भत्ता देने में विलम्ब का कारण यह है कि भत्ते के लिये उनकी पात्रता की साक्ष्य नहीं मिली है।

मैसूर राज्य में सामुदायिक विकास

†१७९५. { श्री वोडयार :
श्री आगाड़ी :

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने श्री गोरवाला की वह टिप्पणी देखी है जो उन्होंने मैसूर प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में दी है कि उन्होंने मैसूर राज्य में सामुदायिक विकास के संचालन की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर संघ सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां।

(ख) सरकार उनके विचारों से सहमत नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

[1] Officiating allowance

रेलवे वायरलेस कार्यालय, बीकानेर

१७९६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत फरवरी में बीकानेर स्टेशन पर एक रेलवे वायरलेस आपरेटर को पीटा गया क्योंकि उसने कुछ व्यक्तियों को बेतार पर पाकिस्तान से बात-चीत नहीं करने दी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के दैनिक वेतन प्राप्त कर्मचारियों की छंटनी

†१७९७. श्री तंगामणि : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, दिल्ली के सभी दैनिक वेतन प्राप्त कर्मचारियों की छंटनी के लिये एक वरिष्ठता सूची बनाई जाती है ;

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २५ जी तथा औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम की धारा ५५ बी के अनुसार क्या आवश्यकता होने पर इस वरिष्ठता सूची से कनिष्ठतम व्यक्तियों की छंटनी की जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २५ एच तथा औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम की धारा ५५ सी के अधीन क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने के लिये प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :(क) से (ङ). एक विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था का कार्य सात मुख्य खण्डों में विभाजित है। दैनिक वेतन प्राप्त कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची खण्डवार रखी जाती है ।

(ख) और (ग). मूलतः समस्त संस्था की एक वरिष्ठता सूची बनाई जाती थी। कर्मचारियों तथा उन के संघों (अमान्यता प्राप्त) से अभ्यावेदन मिलने पर, यह तय पाया गया कि प्रत्येक खण्ड के लिये दैनिक वेतन प्राप्त कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अलग अलग बनाई जायेगी। खण्डों में बनाई गई वरिष्ठता सूची के अनुसार कनिष्ठतम व्यक्ति की प्रत्येक खण्ड में छंटनी की जाती है ।

(घ) और (ङ). प्रत्येक खंड में पुनः नियुक्ति के लिये छंटनी किये गये कर्मचारियों को सर्वदा मान्यता दी जाती है तथा इस का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जब तक सभी खण्डों में, केवल उन व्यक्तियों को छोड़ कर, जिन को अनुपयुक्तता, अदक्षता, अनुशासनहीनता आदि के कारण पुनः नियुक्ति के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, शेष सभी छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुनः नियुक्त न किया गया हो, नये व्यक्ति न भरती किये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल गाड़ियों में चोरी

†१७९८. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अक्तूबर १९५८ को कटिहार और सेमापुर स्टेशनों के बीच बरौनी जाने वाली एक माल गाड़ी में चोरी हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । १६-१०-५८ को कटिहार तथा सेमापुर स्टेशनों के बीच १ के० टी० अप मालगाड़ी में लगे एक वैगन से २४ बोरे चाय चलती गाड़ी से चुरा लिये गये ।

(ख) चोरी गये २४ बोरों में से २१ बोरे मिल गये । सरकारी रेलवे पुलिस ; थाना बहिपुर ने ३७९/४११ भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है और नौ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं ।

गाड़ी की रक्षा रेलवे संरक्षण दल के सैनिक कर रहे थे ।

खुर्दा रोड में डिवीज़नल हेडक्वार्टर

†१७९९. श्री संगण्णा : क्या रेलवे मंत्री १२ फरवरी १९५८ को खुर्दा रोड में डिवीज़नल हेडक्वार्टर (दक्षिणपूर्व रेलवे) के सम्बन्ध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि इस रेलवे पर डिवीज़नल पद्धति को इस समय लागू करना उचित नहीं है ।

विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्ड

†१८००. श्री संगण्णा : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्डों का अध्ययन करने के लिये तथा सरकार को उस के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये, पदाधिकारियों का एक दल भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन खण्डों की वास्तविक स्थिति क्या है ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) इस मंत्रालय के पदाधिकारियों का एक दल विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्डों समेत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति का निर्धारण करने के लिये विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है ।

(ख) उचित प्रगति हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे की परियोजनायें तथा निर्माण कार्य

†१८०१. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत २० लाख रुपये की लागत वाली प्रत्येक परियोजनाओं तथा कार्यों में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) शेष योजना आवंटन की योजना कब प्रस्तुत होगी; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजनायें तथा कार्य लिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९५७-५८ तथा उसके बाद की आयव्ययक प्रस्तावों के भाग एक (सारांश, जो संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, में महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति का उल्लेख है।

(ख) १९५९-६० तथा १९६०-६१ में प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें उन वर्षों की आय-व्ययक प्रस्तावों में संसद् में प्रस्तुत होंगी।

(ग) प्रथम योजना काल से द्वितीय योजना में लिये गये निर्माण कार्य १९५६-५७ आयव्ययक पुस्तक भाग २ में "प्रारम्भ किये गये कार्य" शीर्षक के अधीन प्राप्त हैं। यह आयव्ययक पत्र संसद् में प्रस्तुत किये गये थे जो संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

मिशन अस्पतालों को सरकारी सहायता

†१८०२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी तथा भारतीय धर्म-उपदेशकों द्वारा संचालित अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार ने, अनुदानों के रूप में अथवा अन्यथा, कितनी धनराशि की सहायता दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५६-५७, १९५७-५८, तथा १९५८-५९ (अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक) विदेशी अथवा भारतीय धर्म उपदेशकों द्वारा संचालित अस्पतालों को निम्नलिखित धनराशि दी गई है :

	रुपये
१९५६-५७	१५,०३,१४०
१९५७-५८	१०,३३,९३४
१९५८-५९ (अक्तूबर के अन्त तक)	४,९९,९९९

रेलवे डिस्पेंसरियों में बाहर के रोगी

†१८०३. **श्री वि० दास गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे की खड़गपुर शाखा, खड़गपुर न्यू सैटलमेंट, अनारा, गड़बेता, रांची तथा दामोदर स्टेशनों की रेलवे डिस्पेंसरियों में बाहर के रोगियों की औसत दैनिक उपस्थिति कितनी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरिलिखित डिस्पेंसरियों में कितने असिस्टेंट सर्जन काम कर रहे हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री स० व० रामस्वामी): (क) और (ख).

डिस्पेंसरियां	औसत दैनिक उपस्थिति	असिस्टेंट सर्जनों की संख्या
खड़गपुर शाखा	४८२	२
खड़गपुर न्यु . . .	४४२	२
सैटलमेंट अनारा .	११४	१
गड़बेता	४४	२*
रांची .	६०	१
दामोदर	२७	१

*(एक लाइन के लिये नियुक्त असिस्टेंट सर्जन समेत)

तुनि वाल्टर सेक्शन पर लाइन का टूटना

†१८०४. श्री रामी रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५८ में बाढ़ के कारण दक्षिण रेलवे के तुनि-वाल्टेयर सेक्शन पर लाइन टूट गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन पर कोई पुल टूट गया था;

(ग) हानि किस प्रकार को तथा कितनी हुई;

(घ) क्या कुछ गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया था; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या सुविधा कार्य तथा वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). किसी पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ मामलों में 'एप्रन' बह गये तथा 'पिचिंग' को नुकसान पहुंचा था।

(घ) २०-१०-५८ से २७-१०-५८ तक एलमंचिलि तथा वाल्टेयर के बीच गाड़ियों का आवागमन नहीं हो सका। नं० ४ तथा ३ मद्रास-हावड़ा तथा हावड़ा-मद्रास मेल गाड़ियां विजयवाड़ा, नागपुर, बिलासपुर तथा खड़गपुर से चलाई गईं। अन्य सभी यात्री गाड़ियां केवल तुनि तक चलीं।

(ङ) वाल्टेयर से आगे दोनों दिशाओं—अर्थात् रायपुर और कलकत्ते तक—भारी टूट फूट होने से यात्रियों के आवागमन की कोई व्यवस्था संभव नहीं थी।

कृष्ण नगर में अस्वास्थ्यकर स्थिति

†१८०५. श्री कुम्भार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के अन्य निवासियों के समान करों का भुगतान करने पर भी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव (चाणक्यपुरी) के भाग कृष्ण नगर के निवासी अस्वास्थ्यकर स्थिति जैसे जल संभरण, नालियों, पाखानों की अपर्याप्त व्यवस्था में रह रहे हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने बताया है कि कृष्ण नगर क्षेत्र (चाणक्यपुरी के खण्ड ३६ तथा ४८) में पर्याप्त सफाई की व्यवस्था, जैसे, जल संभरण, नालियां, पाखाने आदि, अन्य नई बस्तियों, जैसे जोरबाग नर्सरी, तथा गोल्फ लिंक, के समान की गई है। परन्तु इन क्षेत्रों में कुछ अनधिकृत झोपड़ियों के लिये यह सुविधायें नहीं हैं, जन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है।

गोमोह जंकशन पर चोरियां

१८०६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्व रेलवे के गोमोह जंकशन पर बहुत चोरियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर चोरियों को कम करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) १६५६ से अब तक रेलवे पुलिस ने कितने मामलों का पता लगाया है; और

(घ) इन अपराधों के लिये कितने व्यक्तियों को सज़ा दी गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) गत वर्ष में चार चोरियां हुई थीं तथा इस वर्ष अब तक तीन चोरियां हुई हैं।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गश्त (पेट्रोलिंग) व अचानक जांच (सर्प्राइज़ चैकिंग) अधिक कर दी गई हैं।

(ग) १६५६ से १६५८ तक चोरी के ६ मामलों में से केवल एक मामले का पता लग सका है। जिसमें चोरी की समस्त सम्पत्ति वापस मिल गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है।

(घ) अब तक कोई नहीं।

खड़गपुर स्टेशन पर कार खड़ी करने के लिये शेड

१८०७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़गपुर रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के कार खड़ी करने के शैडों में साइकिलें खड़ी की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो यह शैड मूलतः कारों के लिये बनाये गये थे अथवा साइकिलों के लिये; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) जो व्यक्ति यहां पर कार अथवा साइकिलें रखते हैं उसके लिये उनसे क्या कोई फीस ली जाती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) जी हां । १९५४ से ।

(ख) कारों तथा साइकिलों दोनों के लिये ।

(ग) जी हां, जिस ठेकेदार को इसका भार दिया गया है, वह साइकिल रखने के लिये कुछ थोड़ी सी धनराशि लेता है । ठेकेदार रेलवे प्रशासन को ३१ रुपये ६ नये पैसे महावार देता है ।

मक्खी पकड़ने का उपाय

†१८०८. **श्री संगण्णा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशालय ने एक सहायक द्वारा मक्खी पकड़ने के उपाय के आविष्कार को भारत सरकार ने आविष्कार मान लिया है ;

(ख) इस आविष्कार के लिए क्या कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) इस उपाय के प्रचार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) इस उपाय के प्रचार के लिए भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में खाद्यान्न वसूली आन्दोलन

†१८०९. **श्री संगण्णा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में खाद्यान्न वसूली आन्दोलन के प्रभाव का अध्ययन करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है क्योंकि, जो मूल्य किसानों को यहां पर दिया जाता है वह अन्य स्थानों पर दिए जाने वाले मूल्य से कम है ; ओर

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों में साधारण चावल की वसूली के मूल्यों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७२क]** । इससे पता लग जाता है कि आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में वसूली के मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में कम नहीं हैं । यह ठीक समझा गया कि, वसूली के जो मूल्य निश्चित हैं उनसे उत्पादक को उत्पादन के लिए उचित धन मिल जाता है ।

बीकानेर डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए संवरण

†१८१०. **श्री चुनीलाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ में बीकानेर खण्ड में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए बहुत से व्यक्तियों का संभरण कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो चुने गये व्यक्ति कितने थे ;

(ग) चुने गए व्यक्तियों में से अब तक कितने नियुक्त कर लिए गए ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) चुने गए व्यक्तियों में से अब तक कितने प्रतीक्षा सूची में है ;

(ङ) क्या संवरण के लिए नई परीक्षा ली गई थी ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(छ) जो व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं उनकी स्थिति क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५६ में कोई चुनाव नहीं हुआ था ।

(ख) से (घ) उपरिलिखित भाग (क) के उत्तर के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ङ) से (घ). जी हां । क्योंकि प्रतीक्षा सूची में कोई नाम नहीं था ।

मालगाड़ी के डिब्बों का उलट जाना

†१८११. श्री आगाडि : क्या रेलवे मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्तकल–द्रोणाचलम सेक्शन पर तुग्गाली रेलवे स्टेशन के निकट ९ अक्तूबर १९५८ को दक्षिण रेलवे की एक माल गाड़ी के १८ डिब्बे उलट गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार की प्राक्कलित हानि तथा माल भेजने वालों को प्राक्कलित हानि कितनी हुई ।

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) दक्षिण रेलवे के पेंदाकल्लु तथा तुग्गाली स्टेशनों के बीच ९-१०-५८ को लगभग १३ १० बजे ३१२१ अप मालगाड़ी के इंजन से ११हवें तथा ३०वें डिब्बे पटरी से उतर गये तथा १२हवें तथा २९ वें डिब्बे उलट गए थे ।

(ख) डिब्बों के पटरी से उतर जाने का कारण ट्रैक का धंस जाना था । इसका एक कारण यह भी था कि डिब्बों में कल एक सा नहीं लगाया गया था ।

(ग) रेलवे सम्पत्ति की हानि ६,८०० रुपये निर्धारित की गई।

वैगनों में भरे माल की कोई हानि नहीं हुई ।

खम्भात के बन्दरगाह का विकास

†१८१२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य के खम्भात बन्दरगाह के विकास की क्या स्थिति है ।

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : छोटे बन्दरगाहों का विकास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारो की होती है । पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देती है । खम्भात के बन्दरगाह की सुधार योजनाओं के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३.६८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । बन्दरगाह के विकास की सही स्थिति के बारे में जानकारी, जो बम्बई सरकार से मंगाई गई है, की प्रतीक्षा की जा रही है । यथासंभव शीघ्र उसको सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रक्सौल स्टेशन पर माल की चोरी

१८१३. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष रक्सौल स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) से हजारों रुपये का माल मालगोदाम से चुरा लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो १९५६, १९५७ और १९५८ में १५ नवम्बर, तक कितने का माल चोरी गया ;

(ग) क्या यह सच है कि इन चोरियों में रेलवे कर्मचारियों का हाथ रहता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन चोरियों को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जो सूचना मांगी गयी उसका विवरण नीचे दिया गया है :—

	चोरियों की तादाद	खोये माल की कीमत	बरामद माल की कीमत
१९५६	कोई नहीं	—	—
१९५७	३	२६५६	५०७
१९५८ १५-११-५८ तक	१	१,७००	१,६९७

(ग) जी नहीं ।

(घ) रात में माल गोदाम ठीक तरह से बन्द करके उसमें ताला लगा दिया जाता है । रेलवे सुरक्षा दल के सैनिक वहां २४ घंटे पहरा देने के लिए तैनात किये जाते हैं । रेलवे सुरक्षा दल का हवलदार रात को गश्त लगाकर इस बात का इत्मीनान कर लेता है कि रेलवे सुरक्षा दल के जो कर्मचारी ड्यूटी पर हैं वे सजग हैं या नहीं ।

महेन्द्रूघाट स्टेशन का विस्तार

१८१४. श्री विभूति मिश्र: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्तमान महेन्द्रूघाट स्टेशन के विस्तार के लिये कोई योजना बना रही है और क्या उसे किसी दूसरी जगह बनाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और उस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) विचार है कि महेन्द्रूघाट स्टेशन पी० डब्ल्यू० डी० सुपरिन्टेन्डिंग इंजिनीयर के बंगले और दफ्तर के पास एक नयी जगह पर बनाया जाय ।

(ख) इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि इस पर अनुमानत : कितना खर्च होगा क्योंकि अभी तक इस योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) अभी कोई तारीख नहीं बतायी जा सकती ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस

†१८१५. श्री सुबिमन घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९५८ से सितम्बर १९५८ तक ग्रान्ड ट्रंक एक्सप्रैस (१५ डाउन) कितनी बार मद्रास से हज़रत निज़ामुद्दीन जंकशन स्टेशन पर ठीक समय पर पहुंची ; और

(ख) इस अवधि में इस स्टेशन पर देर से पहुंचने के अधिकतम तथा न्यूनतम घंटे क्या हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अप्रैल से सितम्बर १९५८ की अवधि में १५ डाउन ग्रान्ट ट्रंक एक्सप्रैस मद्रास से हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर २२ बार देर से पहुंची । इस अवधि में गाड़ी गर्मी के मौसम की स्थिति जैसे पानी की कमी, कर्मचारियों की बीमारी और सितम्बर १९५८ में काज़ पेठ—बल्दारशाह विभागीय लाइन के टूट जाने से गाड़ी का रास्ता बदल देने और १२ दिन तक लम्बे रास्ते से चलाने और रास्ता खुल जाने पर भी इसकी रफ़तार पर प्रतिबन्ध लगाने से ठीक समय पर नहीं चल सकी ।

टिकटों को छापने तथा जारी करने वाली मशीनें

†१८१६. श्री सुबिमन घोषः क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे ने मैसर्स ईस्टर्न स्केल्स (प्राइवेट) लिमिटेड से कितनी स्वयंचालित टिकटों को छापने तथा जारी करने वाली मशीनें किस मूल्य पर खरीदी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विदेशी समवाय को इन मशीनों की देखभाल का काम भी सौंपा गया है ;

(ग) यदि हां, तो समवाय से कितना धन लिया है और उनको कितना धन दे दिया गया है ;

(घ) क्या इन मशीनों की देखभाल करने के लिये कोई भारतीय विशेषज्ञ नहीं हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) मैसर्स ईस्टर्न स्केल्स (प्राइवेट) लिमिटेड से भारतीय रेलों ने लगभग १०.८ लाख रुपये की लागत की ११० स्वयंचालित टिकट छापने तथा जारी करने की मशीनें खरीदी हैं ।

(ख) और (ग). मैसर्स ईस्टर्न स्केल्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा रेलवे द्वारा समझौते की शर्तों के आधीन, मशीनों को लगाने के पश्चात् समवाय एक वर्ष तक उनकी देखभाल तथा टूट-फूट बिना किसी शुल्क के करेगा । एक वर्ष समाप्त होने पर, यदि उनसे देखभाल कराई गई तो सार्थ को निम्नलिखित दरो पर धन दिया जायेगा :—

	रुपये
२-वे मशीन के लिए प्रतिवर्ष	१००.००
४-वे मशीन के लिये प्रतिवर्ष	२००.००
६-वे मशीन के लिये प्रतिवर्ष	३००.००
८-वे मशीन के लिये प्रतिवर्ष . .	४००.००
१०-वे मशीन के लिये प्रतिवर्ष	५००.००

†मूल अंग्रेजी में

स्वयंचालित छपाई मशीनों की देखभाल कुछ रेलें विभागीय तौर पर अपने निशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों से कराती हैं। अन्य रेलें भी इस व्यवस्था को लागू करने के सम्बन्ध में विचार कर रही हैं।

१०८ स्वयंचालित छपाई मशीनों की मरम्मत के लिए मैसर्स ईस्टर्न स्केल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को लगभग १०८ लाख रुपये दे दिये गये हैं।

(घ) और (ङ). सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि इन मशीनों की देखभाल के भारतीय विशेषज्ञ भी हैं।

बरहामपुर से दुर्गाप्रसाद तक रेलवे लाइन

†१८१७. श्री उ० च० पटनायक : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक उड़ीसा (श्री निकलसन) के प्रतिवेदन का परीक्षण किया है, जो कि १६४२–४३ में प्रस्तुत की गयी थी और जिसमें बरहामपुर अथवा गोपालपुर से दुर्गाप्रसाद तक रेलवे लाइन का औचित्य सिद्ध किया गया था, ताकि पूर्वी धारों के आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध लकड़ी (टिम्बर) का पूरा उपयोग किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) रेलवे बोर्ड को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में रेलवे लाइन

†१८१८. श्री उ० च० पटनायक : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में रेलवे लाइनों की लम्बाई मीलों में कितनी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी): रेलवे लाइनों की लम्बाई का ब्यौरा राज्यवार नहीं रेलवे वार तैया किया जाता है।

मनीपुर की सिंचाई योजनायें

†१८१६. **श्री** ले० अचौ० सिंह : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लघु सिंचाई के प्रयोजनों के लिए खण्ड बजटों में कर्जे को अनुदान के रूप में समझा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो १६५७–५८ में इन प्रयोजनों के लिए स्वीकृति राशि क्या थी ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) जी हां, परन्तु तीसरे पक्षों को दिया जाने वाला कर्जा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया कर्जा समझा जाता है।

(ख) विशेष बहुप्रयोजनीय खण्ड समेत खण्डों पर स्वीकृत और खर्च किया गया धन ४६८०० रुपये है। जिसमें से तीसरे पक्ष के कर्जों की राशि ३४३०० रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दूमालकोट-भटिण्डा सेक्शन

†१८२०. सरदार इकबाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू मालकोट-भटिण्डा सैक्शन के रेलवे स्टेशनों के प्लैटफार्मों को ऊंचा करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). बुलुआना, पक्की और किलनवाली पंजाब के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने की प्रस्थापना का परीक्षण किया गया था, परन्तु धन के अभाव के कारण उसके विचार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है ।

कलकत्ते के पूजा उत्सव पर रेलवे के प्रबन्ध

†१८२१. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९५८ को हुए कलकत्ते के पूजा उत्सव पर रेलवे की ओर से क्या क्या विशेष प्रबन्ध किये गये थे ;

(ख) क्या इस उत्सव के कारण सरकार को कुछ विशेष राजस्व प्राप्त हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अक्तूबर, १९५८ को कलकत्ते में पूजा की छुट्टियों में रेल यातायात में काफी भीड़भाड़ होने के कारण, रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष प्रबन्ध किये गये :—

(१) पूर्व रेलवे द्वारा १० विशेष गाड़ियां चलाई गयीं—

२ हावड़ा से अमृतसर, ३ हावड़ा से दिल्ली, १ हावड़ा से दीनापुर, २ हावड़ा से देहरादून, १ सियालदा से वाराणसी और १ सियालदा से साहबगंज ।

दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा छः विशेष गाड़ियां चलाई गयीं—४ हावड़ा से पुरी, १ हावड़ा से वाल्टायर और १ पुरी से हावड़ा ।

(२) गाड़ियों और डिब्बों के उपलब्ध होने पर पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे पर कुछ डाक और सीधी यात्री गाड़ियां भी चलाई गयीं, ताकि इसी काल में अधिक गाड़ियों में स्थान मिल सके ।

(३) अतिरिक्त टिकट घर, स्थान रक्षित तथा माल बुक करने के स्थान तथा जांच अधिकारियों की पूरी व्यवस्था हावड़ा स्टेशन पर की गयी थी । सियालदा स्टेशन पर भी अतिरिक्त टिकट स्थानों की व्यवस्था की गयी थी ।

(४) यात्रियों के मार्ग दर्शन के लिए भी टिकट स्थानों इत्यादि विभिन्न स्थानों पर लोग खड़े किये गये थे ।

(५) हावड़ा स्टेशन पर घोषणाकक्ष में अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये थे और वह सारा दिन कार्य करता था ।

(ख) और (ग). अनुमान है कि पूजा उत्सव के दिनों में ११ लाख का अतिरिक्त राजस्व कलकत्ता से बाहर के यात्री यातायात से उपलब्ध हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे स्टेशनों के अनधिकृत फेरी वाले

†१८२२. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अनधिकृत फेरी वालों को केन्द्रीय रेलवे के पुराना हिंगोली सैक्शन के रेलवे प्लेट फार्मों पर फेरी लगाने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही हुई है, और क्या किये जाने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टीके[1]

†१८२३. डा० सुशीला नायर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष हैजे, चेचक और प्लेग के टीकों का किस मात्रा में उत्पादन हुआ ।

(ख) इसमें से कितने का उपयोग देश में ही किया गया और कितने का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) क्या ये टीके फालतू थे अथवा इसमें से कुछ नष्ट भी हुये ; और

(घ) यदि हां, तो उनका मूल्य क्या था और उसके कारण क्या थे ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण जल संभरण योजनायें

†१८२४. डा० सुशीला नायर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) ग्रामीण जल सम्भरण को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूर्ण हुए वर्षों के प्रत्येक वर्ष में जो व्यय की व्यवस्था इस योजना के लिये की गई थी उस में क्या कमी रही ; और

(ग) इस व्यय की कमी के कारण क्या थे ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत १३४ योजनाओं पर १२.८४ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था, और उसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत कर दिया गया था । और २.८ करोड़ रुपये की राशि इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सहायता के रूप में दी गई थी जिस का आधार कुल ६ करोड़ की दी गई राशि के लिये ५० प्रतिशत सहायता का था ।

द्वितीय योजना काल के बीच लगभग १८०० करोड़ रुपये की राज्यों की ग्राम्य योजनाओं के लिये व्यवस्था की गई थी । प्रथम योजना की इधर-उधर की योजनाओं के अतिरिक्त ६९ नई

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vaccine.

योजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है और उस पर ३.६९ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। १९५६-५७ और १९५७-५८ के वर्षों में देहाती योजनाओं के लिये ८४.९५ लाख रुपये और १७४.५ लाख रुपये सहायक अनुदान के रूप में दिये गये जबकि बजट में उपबन्ध क्रमशः १ करोड़ रुपये और १.५ करोड़ रुपये का था। २.०० करोड़ की राशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की गई है।

(ख) और (ग). प्रथम योजना काल में व्यय की कमी का कारण यह था कि राज्य सरकारों के पास न कोई सामग्री थी और न ही कोई कर्मचारी थे और न ही ऐसे अनुदान ही प्राप्त थे कि योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके। ग्रामीण राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई कार्यक्रम के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो व्यवस्था की गई थी उस में अभी तक व्यय में कमी नहीं हुई है।

राज्यों की चावल मिलें

†१८२५. श्री वोडयार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों में नई चावल मिलों के स्थापित करने की अनुमति दे रही है ;

(ख) क्या नई चावल मिलों की स्थापना को नियमित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कुछ नियंत्रण प्राप्त है ; और

(ग) कितने राज्यों में चावल कूटने का कार्य राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारों द्वारा किया जा रहा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). चावल कूटने के उद्योग (विनियमन) अधिनियम १९५८ के लागू करने पर इस के अन्तर्गत राज्यों में चावल कूटने के उद्योग पर नियंत्रण किया जायेगा। जब तक यह अधिनियम लागू नहीं होता नई चावल मिलों का विनियमन सम्बद्ध राज्य सरकारों के वर्तमान नियमों के अनुसार होगा।

(ग) हाथ से चावल कूटने के कार्य को प्रायः सभी राज्यों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

तिलडांगा और निमतीता स्टेशनों के बीच सीधा यातायात

†१८२६. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या रेलवे मंत्री १८ सितम्बर १९५८ के पूर्व रेलवे के तिलडांगा और निमतीता रेलवे स्टेशनों के बीच सीधे यातायात को पुनः चालू करने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के सम्बद्ध अधिकारियों से प्रस्तावित फरक्का नहर के 'ऐलाइनमेंट' के सम्बन्ध में कोई सुझाव मिला है, जिस के कि पश्चिमी किनारे पर नियतीता और तिलडांगा स्टेशनों के बीच २५ मील लम्बी रेलवे लाइन बनाने का सुझाव प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट में दिया गया है ;

(ख) क्या उपरोक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किसी प्रकार से यह प्रस्तावित रेलवे लाइन प्रस्तावित फरक्का नहर पर आश्रित होगी ; और

(ग) क्या इस रेलवे लाइन का कोई और विकल्प भी रेलवे अधिकारियों के विचाराधीन है, जिस से कि बरहारवा के नीचे क्यूल साहिबगंज लूप और निमतीता से बी० ए० के लूप के बीच सीधा यातायात चालू हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार करने पर यही परिणाम निकाला गया था कि २५ मील की रेल अधिक स्थायी हल होगा। फरक्का नहर के सम्बन्ध में अभी अन्तिम रूप में कोई निर्णय नहीं किया गया। यह रेलवे लाइन नहर के पश्चिमी किनारे पर होगी जिस से गंगा के भूमि कटावों से इस की रक्षा होती रहेगी।

(ग) जी हां।

इंजन चालकों द्वारा निश्चित समय से अधिक समय तक कार्य किया जाना

†१८२७. श्री नागी रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मध्य रेलवे के नागपुर डिवीज़न की आमला डिपो मेनलाइन में इंजन चालकों को लगातार २० से ३० घंटे तक कार्य करने को कहा जाता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दो चालकों की मृत्यु केवल अधिक कार्य और थकान के कारण हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को आगे से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) चालकों की मृत्यु का कारण किसी भी हालत में अधिक कार्य और थकान नहीं कहा जा सकता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल की केन्द्रीय दुग्धशाला योजना

†१८२८. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के समक्ष केरल राज्य के लिये केन्द्रीय दुग्धशाला की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). राज्यों में भारत सरकार सीधे किसी भी दुग्धशाला योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही। राज्य सरकारों की दुग्धशालाओं के विकास की अपनी योजनायें हैं, और यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग हैं। भारत सरकार उन्हें वित्तीय और प्रविधिक सहायता प्रदान करती है। केरल की सब से महत्वपूर्ण योजना त्रिवेंद्रम में सहकारी दुग्धश सम्भरण संघ की स्थापना है। योजना पूरी हो जाने पर यहां १५० मन दूध का प्रति दिन कार्य होगा।

पशु पालन

†१८२९. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में पशुधन के विकास और सुधार के लिये क्या किया जा रहा है जहां कि दूध की उपलब्धि बहुत कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : पशुधन का सुधार और विकास प्रारंभिक रूप में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और उन्हों ने अपने क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओं को चालू किया है। उन के साधनों को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने निम्न योजनायें चालू की हैं और राज्य सरकारों को वित्तीय और प्रविधिक सहायता दी जा रही है ताकि वे अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें।

(१) भारतीय पशुओं की उपयुक्तता और उत्पादन क्षमता की सर्वमुखी प्रगति के लिये अखिल भारतीय आधार ग्राम योजना।

(२) पशुओं के रहने और दुग्ध उत्पादन केन्द्रों के रूप में विशेष गोशालाओं के सुधार के लिये गोशाला विकास योजनायें।

(३) अधिक वर्षा वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में संकरण योजना।

(४) कीटाणुओं को समाप्त करने की योजना।

(५) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में पशुधन विकास की योजना।

(६) पिछड़े हुए और आदिम जाति क्षेत्रों में पशु धन विकास के लिये वित्तीय सहायता।

(७) शहरी क्षेत्रों में दुग्धशाला विकास और दूध सम्भरण योजना।

(८) विभिन्न प्रकार की योजनाओं की मांग पूरी करने के लिये प्रविधिक कर्मचारी प्रशिक्षित करने की दृष्टि से वर्तमान पशु चिकित्सा कालिजों का विस्तार और नये कालिजों की स्थापना करना।

रेलवे के टिकट

†१८३०. श्री अरविंद घोषाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रचलित और फालतू रेल के टिकट गोदामों में ही फेंक दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष से हैं और इन टिकटों की कीमत क्या है और ये गोदाम कौन से हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) अप्रचलित और फालतू टिकटों को अभी तक दो रेलवे पर नष्ट नहीं किया गया है। एक रेलवे पर तो इन्हें एक निर्धारित कमरे में रख दिया गया है, और दूसरे के यहां इन्हें अलग अलग गांठों में टिकट स्टाक के कमरे में रख दिया गया है। एक रेलवे में यह १९५० से पहले के हैं और दूसरे में १९५६ से पहले के। अप्रचलित और फालतू टिकटों की कीमत गत्ते और छपाई की लागत को मिला कर लगभग ५० हजार की होगी।

संथाल पहाड़ियां सेवा मंडल, बिहार

†१८३१. श्री मुबिमन घोष : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में संथाल परगना में कुष्टरोग नियंत्रण के लिये केन्द्रीय सरकार ने संथाल पहाड़ियां सेवा मंडल (देवधर) को कितनी राशि दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): इमारत बनाने और आवश्यक सामान खरीदने के लिये १९५७-५८ में संथाल पहाड़िया सेवा मंडल को ५० हजार रुपये का अनुदान दिया गया था ताकि सन्थाल परगना में कुष्ठ रोग का मुकाबला किया जाये। यह सहायता सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत दी गयी थी।

रामगंगा पर पुल

१८३२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद के निकट रामगंगा पर बनाये गये पुल को दोहरा करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) सड़क और रेल यातायात के लिये अलग-अलग डेक बनाने के कई वैकल्पिक सुझावों पर रेलवे और परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) विचार कर रहे हैं।

(ख) अन्तिम रूप से अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है, लेकिन रकम और सामान की स्थिति को देखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना से पहले इस योजना पर अन्तिम निर्णय होने की सम्भावना नहीं है।

पुलिस के जाली वारंट

†१८३३. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे से १९५४, १९५५ और १९५६ में पुलिस के जाली वारन्टों पर हावड़ा चन्द्रनगर और चिनसुराह रेलवे स्टेशनों से जो टिकट जारी किये गये थे, उनका पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संख्या क्या है; और

(ग) यह सब कितनी राशि का चक्कर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जाली वारान्टों पर टिकटें जारी किये जाने के कुछ मामलों का १९५५ में हावड़ा से और १९५६ में चन्द्रनगर से पता लगा था, चिनसुराह स्टेशन से नहीं।

(ख) और (ग). विवरण नीचे दिया जाता है :—

	हावड़ा		चन्द्रनगर	
	१९५५	१९५६	१९५५	१९५६
जाली पुलिस वारन्टों के पता लगने वाले मामलों की संख्या	८८	—	—	१४१
जाली पुलिस वारन्टों पर जारी किये गये टिकटों का मूल्य	लगभग ९४०० रुपये	—	—	लगभग ६३०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

सामान की चोरी

†१८३४. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा स्टेशन पर ४ नवम्बर, १९५८ को डाउन बम्बई मेल से जो बीमा हुआ सामान चोरी हुआ था उसका पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बीमा हुए सामान की कीमत क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ८०० रुपये ।

(ग) रेलवे पुलिस हावड़ा ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३७९ के अन्तर्गत मामला रजिस्टर कर लिया है और जांच की जा रही है ।

मनीपुर के लिये विद्युतिकरण योजना

†१८३५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की ग्राम्य विद्युतिकरण योजना को कार्यान्वित किया गया है;

(ख) क्या मनीपुर प्रशासन द्वारा प्रस्तुत योजना को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में कितने उपविभागीय नगर तथा ग्रामों को बिजली प्राप्त हो जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री जयसुख लाल हाथी)** : (क) और (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मनीपुर के लगभग ७६ क्षेत्रों में ग्राम्य विद्युतिकरण हो जायेगा । इसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) विद्युत विकास के लिये योजना के अन्तर्गत ९५ लाख रुपये की व्यवस्था है । ४२ लाख रु० तक की योजनायें मनीपुर प्रशासन से प्राप्त हो चुकी हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है ।

कृत्रिम गर्भाधान योजना

†१८३६. **श्री० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गायों के संकरण' के लिये **कृत्रिम** गर्भाधान (आधार ग्राम) योजना से मनीपुर के बैलों की अवस्था खराब हो गयी है; और

(ख) क्या इस प्रकार से उत्पन्न पशुओं में कृषि के कामों को पूरा करने की शक्ति और क्षमता नहीं होती ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). गायों का संकरण आधार ग्राम योजना के अन्तर्गत नहीं किया जाता । परन्तु, एक निदेशक गवेषणा योजना जनवरी १९५७ से

---

†मूल अंग्रेजी में

'Cross-breeding.

मनीपुर में लागू की गई है । इसके अन्तर्गत जो बछड़े पैदा हुए हैं वे अभी इतने परिपक्व नहीं हुए कि कृषि के कामों के बारे में उनकी उपयुक्तता का अनुमान लगाया जा सके ।

मनीपुर में उर्वरकों की बिक्री

†१८३७. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के कृषि फार्मों पर जो मिश्रित खाद बेचा जाता है, क्या वह किसानों को पसन्द है;

(ख) क्या यह सत्य है कि उसे केवल मध्यम श्रेणी के लोग, और सरकारी अधिकारी ही बागों के लिये ले रहे हैं; और

(ग) कुल कितनी मात्रा में उर्वरक वितरण और बिक्री के लिये आया और १९५८ में वास्तव में कितनी मात्रा में बिका ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) हाल ही में जो खाद मनीपुर राज्य-क्षेत्र में दिया गया है वह किसानों को बहुत पसन्द नहीं है ।

(ख) कुछ मात्रा में यह मिश्रित खाद कुछ मध्य वर्ग के लोगों और सरकारी अधिकारियों ने बागों के लिये खरीदा ।

(ग) अक्तूबर १९५८ तक ७७ टन आया था और ३५ टन, १३ हंडरवेट बिका ।

मनीपुर प्रशासन के लिये ट्रकों की खरीद

†१८३८. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में मनीपुर प्रशासन के लिये खरीदे गये १० ट्रकों की कीमत क्या है;

(ख) इन ट्रकों के बौडी निर्माण की क्या लागत है;

(ग) इन ट्रकों को लाने वाले अधिकारियों के परिवहन एवं पर्यटन व्यय तथा अन्य आनुषंगिक खर्चे मिला कर इन ट्रकों की कुल कीमत क्या फैली; और

(घ) क्या मनीपुर राज्य परिवहन के ड्राइवरों की गोहाटी से इम्फाल तक लाने के लिये सेवायें प्राप्त की गयी थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जमशेदपुर से खरीदे गये १० ट्रकों की कीमत २,९९,८४० पये है ।

(ख) ४३,००० रुपये ।

(ग) इसे लाने के लिये कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि अभी तक सभी ट्रक इम्फाल नहीं पहुंचे । उन सब की कुल कीमत बताना सम्भव नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

मनीपुर को ऋण

†१८३९. **श्री ले० अचौ सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के लिये स्वीकृत कृषि-ऋण व्यक्तियों को दिया जाता है अथवा सहकारी समितियों को; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८ में कृषि-ऋण के रूप में कितनी धन राशि वितरित की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) व्यक्ति को।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई धन राशि वितरित नहीं की गई है।

मनीपुर में सहकारी समितियां

†१८४०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में जो बड़ी सहकारी समितियां मनीपुर में बनाई गई थीं, क्या उन को कृषि-ऋण देने के लिये कुछ कर्मवाहक पूंजी दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य के लिये उन को कर्मवाहक पूंजी कब दी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

टिड्डी नियंत्रण

१८४१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिड्डी नियंत्रण विभाग के कितने कर्मचारियों को टिड्डी नियंत्रण कार्य करने के लिये जनवरी १९५५ से ले कर अक्तूबर, १९५८ तक की अवधि में सऊदी अरेबिया जैसे देशों को भेजा गया ;

(ख) उन में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति थे ;

(ग) उन यूनिटों पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त विभाग के कुछ लोग एक अरसे से एक ही स्थान में काम कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या यह सच हैं कि प्रत्येक वर्ष टिडडी नियंत्रण कार्य के लिए दो दल भेजे जाते हैं क्या इन दलों में और उन्हीं व्यक्तियों को बार-बार भेजा जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १०१।

(ख) १।

(ग) ७,७५,१४६ पये जिस में स्टाफ और सामान के भारत से सऊदी अरेबिया जाने और वापिस आने के परिवहन चार्जेज़ ,उपनियुक्ति के समय के लिये यात्रा भत्ता, और इस्तेमाल की गई कीटनाशी औषधियां तथा सऊदी अरेबिया में स्थानीय ओपरेशन के व्यय शामिल हैं।

(घ) जी हां, मगर दूर दूर के लोकस्ट आउट पोस्ट्स के कुछ स्थानों में कार्य करने वाले स्टाफ को आम तौर पर लगभग दो वर्षों के बाद बदल दिया जाता है।

(ङ) जी नहीं। प्रत्येक वर्ष एक दल को ही भेजा जाता है। कुछ लोगों को एक बार से अधिक भेजा गया है, ताकि मिशन में कुछ अनुभवी व्यक्ति रहें।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल बुक करने में जालसाजी

†१८४२. { श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ शिकायत मिली है कि पश्चिम रेलवे के डेटोल स्टेशन पर कुछ ठेकेदार रासायनिक लकड़ी को ईंधन घोषित कर के कम भाड़ा दरें दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†रेलवे उपमंत्री श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) जिस आदमी के नाम से शिकायत आई थी उस ने इन्कार कर दिया है कि उस ने शिकायत की है तथा और जांच करने पर पता लगा है कि इस आरोप में कोई सचाई नहीं थी ।

रेलवे-फाटकों पर दुर्घटनायें

१८४३. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री ५ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन रेलवे-फाटकों पर चौकीदार नहीं होते वहां फाटक लगाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ताकि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : साधारण तौर पर कोटद्वार-नजीबाबाद सेक्शन पर रात के समय गाड़ियां नहीं चलतीं, इसलिये सम्बन्धित समपार को सांकल से बन्द कर दिया गया है। सुबह ६ बजे से शाम के ६ बजे तक या यदि आखिरी गाड़ी नं० ६ के० एन० देरी से आ रही हो, तो उस के गुजरने के समय तक उस पर एक चौकीदार रहता है ।

सड़कों के निर्माण के लिये अनुदान

१८४४. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २२ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की आर्थिक महत्व की जिन तैंतीस सड़कों के विकास के लिये ढाई करोड़ रुपयों का विशेष अनुदान कुछ वर्ष पहले स्वीकार किया गया था, उन में से प्रत्येक के निर्माण में और क्या प्रगति हुई ;

(ख) उन में से प्रत्येक के लिये भारत सरकार द्वारा अब तक कितना अनुदान दिया जा चुका है ;

(ग) उन सड़कों के शेष निर्माण-कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के बारे में कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या उन सड़कों को आगे बढ़ाने अथवा उत्तर प्रदेश की अन्य सड़कों के लिये इस बीच कुछ और अनुदान स्वीकार किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन नये अनुदानों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). एक विवरण साथ में लगा दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(ग) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार चालू योजना की अवधि में अधिकतम कामों के पूरे हो जाने की आशा है। इस कार्यक्रम के अनुसार किये जाने वाले कामों में प्रगति कोष की उपलब्धि पर निर्भर है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता।

रेलों में स्थानों के आरक्षण की सूचना देने वाले चार्ट आदि

†१८४५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बड़े स्टेशनों के रेल आरक्षण कार्यालयों पर स्थानों के आरक्षण की सूचना देने वाले चार्टों आदि की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो रेल-वार किन स्टेशनों पर यह व्यवस्था की जा चुकी है अथवा की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). प्रत्येक रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर चार्टों के द्वारा प्रत्येक गाड़ी में स्थान आरक्षण दिखाने की व्यवस्था इस समय भी है। इन चार्टों में व्यक्ति का नाम, गाड़ी तथा डिब्बे जिस में आरक्षण हो, तथा अपर या नीचे की बर्थ तथा खाली बर्थ के विवरण दिये जाते हैं। यह चार्ट सामान्यतः विभिन्न प्लेटफार्मों पर तथा आरक्षण कार्यालयों पर लगाये जाते हैं।

इस के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों के रक्षित स्थान तथा खाली स्थान प्रत्येक दिन आरक्षण-कार्यालय के सूचना पटों पर निर्धारित समय पर लगाये जाते हैं।

जिन स्टेशनों पर आरक्षण चार्ट लगाये जाते हैं तथा जिन पर निर्धारित समय पर स्थान की सूचना बताई जाती है, उन के सम्बन्ध में विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[दखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४]**

सवारी तथा माल-डिब्बे

†१८४६. **श्री अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में इलाहाबाद और बरेली के ग़ैर-सरकारी उद्योगपतियों ने कितने सवारी तथा माल-डिब्बे बनाये और सरकार को दिये ?

(ख) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा बनाये गये सवारी तथा माल-डिब्बे रेलवे कारखानों में बने सवारी तथा माल-डिब्बों से ३० प्रतिशत सस्ते होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनाज खां)** : (क) इलाहाबाद तथा बरेली में अब तक गैर-सरकारी ठेकेदारों ने कोई माल-डिब्बे नहीं बनाये हैं। इन ठेकेदारों ने पूर्वोत्तर रेलवे के लिये १९५७-५८ में ५९ सवारी-डिब्बे बनाये थे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) और (ग). रेलवे कारखानों में बनाये गये डिब्बों की लागत छोटे ठेकेदारों की लागत से सामान्यतः कुछ अधिक होती है क्योंकि इज्जतनगर और गोरखपुर के बड़े औद्योगिक कारखानों में ऊपरी व्यय इन छोटे ठेकेदारों से अधिक होता है। के की दरों में गलती से रेलवे द्वारा किये गये निरीक्षण तथा साइडिंग सुविधाओं के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

गाड़ी की टक्कर

१८४७. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुबिमन घोष :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ नवम्बर, १९५८ को देहरादून एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे के बन्डेल स्टेशन पर खड़े एक डिब्बे से टकरा गई जिस के फलस्वरूप रेलवे असिस्टेंट मेकेनिकल इंजीनियर के गले की हड्डी टूट गई और उन की पत्नी को चोटें आईं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हां, ८-११-५८ को सुबह लगभग ६ बज कर १५ मिनट पर १० डाउन दून एक्सप्रेस पूर्व रेलवे के हावड़ा बर्दवान सेक्शन में बण्डेल स्टेशन के प्लेटफार्म लाइन नं० ४ पर लेली गई जिस पर पहले से एक निरीक्षण यान खड़ा था। दोनों में टक्कर हो गई जिस की वजह से असिस्टेंट मेकेनिकल इंजीनियर की, जो उस निरीक्षण यान में बैठे हुए थे, हंसली की हड्डी टूट गई और उन की पत्नी को मामूली चोटें आयीं।

(ख) सरकारी निरीक्षक ने जो अन्तिम रिपोर्ट दी है उस के अ ुसार यह दुर्घटना दुन एक्सप्रेस को गलती से प्लेटफार्म लाइन नं० ४ पर लेने के कारण हुई।

पूना-लोनावाला सेक्शन पर अनियमित ट्रेन सेवा

†१८४८. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना-लोनावाला सेक्शन (मध्य रेलवे) पर ट्रेन सेवा अनियमित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). पूना-लोनावाला सेक्शन पर गाड़ियों के चलने में अनियमितता हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि देहू रोड के प्रतिरक्षा विभाग के कारखानों में नियुक्त कर्मचारी अधिकांशतः खतरे की जंजीर खेंच अन्य यात्रियों को असुविधा पहुंचा कर अनधिकृत स्थानों पर गाड़ी रोक देते हैं। पूना-लोनावाला विभाग पर बहुत गाड़ियां चलती हैं इसलिए एक भी गाड़ी के लेट हो जाने पर शेष सभी गाड़ियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। स्थानीय गाड़ियों को भी रोक लिया जाता है क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण गाड़ी जो सीधी जाती है को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) इस विभाग पर ट्रेन सेवा ठीक करने के लिये निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :—

(१) अधिक रोकी जाने वाली गाड़ियों पर सुरक्षा विभाग के कर्मचारी यात्रा करते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(२) देहू रोड के प्रतिरक्षा विभाग के प्राधिकारियों से कहा गया है कि कर्मचारियों को अनधिकृत रूप से गाड़ी न रोकने के आदेश दें ।

(३) इस प्रकार के अनधिकृत रूप से गाड़ी न रुक सके इसलिये हाल में ही गाड़ियों में से वैकुअम हटा दिया गया है ।

कोंकण रेलवे

†१८४९. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को कोंकण लाइन बनाने की मांग के संकल्प, ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा अन्य संस्थाओं के पत्र मिले हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दीवा-दासगांव रेलवे का सर्वेक्षण हो चुका है ;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई सरकार ने दीवा-दासगांव रेलवे योजना की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). जी हां ।

(घ) राज्य सरकारों के अन्य प्रस्तावों के बाद इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है ।

खाद्यान्नों के मूल्य

†१८५०. **श्री विमल घोष** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं तथा धान के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निश्चित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह मूल्य समस्त भारत के आधार पर निश्चित होंगे अथवा राज्य के आधार पर ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). कुछ राज्यों के लिए चावल तथा धान के अधिकतम नियंत्रित मूल्य निर्धारित किये गए हैं; परन्तु गेहूं के मूल्य निश्चित नहीं किए गए हैं । गेहूं तथा धान के न्यूनतम मूल्य निश्चित नहीं किये गए हैं । परन्तु राज्य सरकारें कुछ राज्यों में उचित मूल्य पर धान खरीदने का प्रबन्ध कर रही हैं जिससे किसान को उचित मूल्य मिल सके ।

जामसर रेलवे स्टेशन

१८५१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामसर जिप्सम कम्पनी, बीकानेर ने रेलवे प्रशासन को जामसर रेलवे स्टेशन आदि के मकान उठाने का नोटिस दे दिया है ;

(ख) क्या रेलवे के मकानों के नीचे का भी जिप्सम निकालने का कम्पनी को अधिकार है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे स्टेशन को उठाने का हर्जाना कौन देगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५३ में कम्पनी ने पूछा था कि स्टेशन को उसकी मौजूदा जगह से हटाने की लागत क्या होगी लेकिन जब सर्वे के लिए आवश्यक फीस जमा करने के लिये उससे कहा गया तो कम्पनी की ओर से आगे कोई जवाब नहीं मिला। १९५५ में कम्पनी ने राजस्थान सरकार और रेलवे पर १३ लाख रुपये हर्जाने का दावा कर दिया जिसका कारण यह बताया गया कि रेलवे ने १९५२ में जो ज़मीन ली और जिस पर रेलवे क्वार्टर्स बनाये गये उसके नीचे जिप्सम की खान थी जिसका नुकसान कम्पनी को हुआ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

जमीन की खरीद

१८५२. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे हनुमानगढ़ के भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में जमीन खरीदना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ जमीन खरीदी जायेगी और किस प्रयोजन के लिये ; और

(ग) राजस्थान सरकार ने इस जमीन की प्रति वर्ग फुट की क्या कीमत मांगी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों के रहने के लिये मकान, यार्ड के विस्तार और दूसरी सर्विस इमारतों आदि के लिए लगभग १२० एकड़।

(ग) इस पर अभी पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

उड़ीसा में नदियों पर पुल

†**१८५३. श्री बैं० च० मलिक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में महानदी ब्रह्माणी तथा बैतरणी नदियों पर पुल बनाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को पुनरीक्षित योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन नदियों पर पुन: निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि का वहन क्या केन्द्रीय सरकार करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) सम्भवतया माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ (मद्रास-कटक-बालासोर-बहारागोटा रोड) के महानदी, ब्रह्माणी, तथा बैतरणी की ओर निर्देश कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ (बम्बई-नागपुर-सम्बलपुर-कलकत्ता रोड) के महानदी, ब्रह्माणी तथा बैतरणी नदियों पर पुल बनाये जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ के पुलों के प्राक्कलन राज्य सरकार से मिल चुके हैं।

(ख) महानदी के पार पुल बनाने के काम को स्वीकृति मिल चुकी है। ब्रह्माणी नदी पर पुल बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है तथा निधियों की उपलब्धता पर संभवतया १९५९-६० के

†मूल अंग्रेज़ी में

लिए स्वीकार हो जायेगी। परन्तु वैतरणी नदी पर पुल चालू योजना काल में निधियों की कमी के कारण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ग) क्योंकि राष्ट्रीय राजपथ के विकास तथा मरम्मत की जिम्मेदारी केन्द्र की है इसलिये इन परियोजनाओं का कुल व्यय भारत सरकार करेगी।

बाढ़ के कारण हानि

†१८५४. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) अक्तूबर, १९५८ के बाद में आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तथा श्री काकुलम जिलों में रेलवे ट्रैक तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई है ; और

(ख) इसकी मरम्मत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). ऐसी जानकारी राज्यवार अथवा जिलेवार इकट्ठी की जाती है। परन्तु दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण रेलवे के विजयनगरम वालटेयर तथा वालटेयर-तुनि सेक्शनों के सम्बन्ध में जानकारी बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४-क]**

उत्तर रेलवे पर भोजन व्यवस्थापक[1]

†१८५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की दिल्ली अमृतसर मेन लाइन पर कितने भोजन व्यवस्थापक हैं ; और

(ख) १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में अब तक उनके विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ९०।

(ख) १९५७-५८ में २७ शिकायतें मिलीं तथा १९५८-५९ में ३१-१०-१९५८ तक ३२।

ट्रैक्टर की जांच करने का केन्द्र

†१८५६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में किन-किन स्थानों पर तथा कितने ट्रैक्टर की जांच करने के केन्द्र हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस समय देश में ट्रैक्टर की जांच करने के कोई केन्द्र नहीं हैं। परन्तु ऐसा विचार है ट्रैक्टर की जांच करने के लिए बूंदी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र का विस्तार कर दिया जाये।

रोहतक रोड पर ऊपरी पुल

१८५७. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातायात में सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के निकट पुरानी रोहतक रोड और नई रोहतक रोड को जोड़ने के लिये एक ऊपरी पुल बनाने की योजना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Caterers.

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऊपरी पुल बनाने के लिए आवेदन पत्र मिला है ।

(ग) इस सुझाव पर तभी विचार किया जायेगा जब दिल्ली प्रशासन इसके लिए निश्चित रूप से कहे और इस बात पर राज़ी हो जाय कि वर्तमान नियमों के अनुसार वह खर्च देने के लिए तैयार है ।

मनीपुर में मत्स्य पालन का विकास

†**१८५८. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में मत्स्य पालन का विकास करने के लिए १९५८–५९ में कोई धन राशि स्वीकार की गई है ; और

(ख) क्या इस कार्य के लिए किसी व्यक्ति अथवा सहकारी समिति को कोई ऋण दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां । १८,८०० रुपये ।

(ख) किसी व्यक्ति अथवा सहकारी समिति के लिए कोई ऋण स्वीकार नहीं किया गया है ।

मनीपुर में मत्स्य पालन केन्द्र

†**१८५९. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में मछली संवर्धन[1] के लिए व्यक्तियों तथा व्यक्तियों की संस्थाओं के लिए कितने मत्स्य पालन केन्द्र आवंटित किए गए हैं ; और

(ख) मनीपुर में १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में मत्स्य पालन केन्द्रों से कुल कितने एकड़ भूमि अरक्षित कर दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में वन

†**१८६०. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर की घाटी में घास महाल तथा रक्षित वनों का सर्वेक्षण तथा उचित सीमांकन नहीं किया गया है और इसी कारण अभ्यवासियों का इन रक्षित वनों में कथित प्रवेश के कारण प्राय : उत्पीड़न किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो मनीपुर प्रदेश में रक्षित वनों तथा घास महालों का उचित सीमांकन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). घास महालों तथा रक्षित वनों का आयोजित सर्वेक्षण तथा सीमांकान किया जा रहा है । वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए घास महालों तथा रक्षित वनों में अनधिकृत रूप से बसने वालों को बेदखल किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Pisciculture.

मनीपुर में तिल्ली तथा रक्त का सर्वेक्षण

†१८६१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन ने मनीपुर में तिल्ली तथा रक्त का सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) इस सर्वेक्षण से पता लाग कि मलेरिया नियंत्रण कार्यों से तिल्ली के मामले १९५३–५४ में ४३.१ प्रतिशत से १९५८–५९ में ५.९ प्रतिशत रह गए हैं तथा बाल परजीवी अनुपात और शिशु परजीवी अनुपात क्रमशः १९५४–५५ में ०.५ प्रतिशत तथा ०.८ प्रतिशत से १९५८–५९ में ०.०२ प्रतिशत तथा ०.० प्रतिशत रह गया ।

मनीपुर में कोढ़

†१८६२. **श्री ले० अचौ सिंह** : : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है कि मनीपुर के तामेंगलांग उपखण्ड में कुष्ठ रोग बहुत फैला है ;

(ख) क्या यह सच है कि ४९६८ व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि १९५८ के पूर्वार्द्ध में ६ व्यक्तियों में रोग पाया गया ; और

(ग) यदि हां, तो किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). समस्त तामेंगलांग उपखण्ड का सर्वेक्षण किया गया और ३५,५०३ व्यक्तियों की जांच की गई । इनमें से ४६ मामलों में कुष्ठ रोग पाया गया और ११२ स्वस्थ लोगों में रोग के कीटाणु पाये गये । ३५,५०३ व्यक्तियों में से ४९६८ व्यक्तियों की १९५८ के पूर्वार्द्ध में परीक्षा की गई जिनमें दो रोगी तथा ६ स्वस्थ व्यक्तियों में रोग के कीटाणु पाये गये ।

मनीपुर में भूमि राजस्व विभाग

†१८६३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में भूमि राजस्व विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या विभाग में अधिक लम्बित मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पुनर्गठन किस प्रकार का है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) शीघ्र ही घाटी में पर्वतीय क्षेत्रों समेत ११ और प्रशासनिक एकक खुलेंगे । इन एककों में से दो सब-डिविजनल आफीसरों के अधीन होंगे तथा शेष के प्रभारी

---

†मूल अंग्रेजी में

सब-डिप्टी कलक्टर होंगे । पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया गया है तथा १ दिसम्बर, १९५८ से इनका २ महीने का प्रशिक्षण होगा । तत्पश्चात् उनको अनेक केन्द्रों में नियुक्त कर दिया जायेगा और उनको दांडिक, राजस्व तथा प्रशासनिक अधिकार दे दिए जायेंगे ।

मामलों को सीधा न्यायालय में पहुंचाया जा रहा है और जैसा कि अभी तक होता था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है जिससे इनको शीघ्रता से निबटाया जा सके ।

"एस० एस० सिटी आफ न्यू-यार्क"

†१८६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १४ नवम्बर, १९५८ को शिबपुरघाट, हावड़ा के निकट हुगली नदी में "एस० एस० सिटी आफ न्यू-यार्क" ज़मीन में धंस गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी हां । १३ नवम्बर, १९५८ की रात्रि में जहाज़ 'हेस्टिंग्स बार' में ज़मीन में धंस गया था । दुर्घटना के तथ्यों को जानने के लिए तथा जहाज़ की हानि के बारे में प्रारंभिक जांच की जा रही है ।

सामुदायिक विकास खंड

†१८६५. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास खण्डों में अच्छे बीज, उर्वरक, ऋण तथा खेती के अच्छे तरीकों का सामान्य ज्ञान कराने के सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं ; और

(ख) सामुदायिक परियोजनाओं के पांचवें मूल्यांकन प्रतिवेदन में बताई गई गलतियों तथा कमियों को दूर करने के लिए क्या कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी हां ।

(ख) खेती के अच्छे तरीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में किए गए विशेष कार्य यह हैं :—

(१) किसानों के खेतों में प्रदर्शनों पर अधिक बल ।

(२) अच्छे बीज, उर्वरक, पौधा संरक्षण सामग्री तथा यंत्र के संभरण तथा प्राकृतिक और हरी खाद का उत्पादन और उपयोग के सम्बन्ध में प्रयत्न बढ़ा दिए गए हैं ।

(३) अच्छे बीज के उत्पादन के लिए बीज फार्मों की स्थापना तथा पंजीबद्ध बीज उत्पादकों द्वारा और बीज उत्पादन ।

(४) कृषि सम्बन्धी विषयों के वर्गों में किसानों के प्रशिक्षण के शिविर ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†१८६६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के हुबली-बेलगांव सेक्शन पर १९ नवम्बर, १९५८ को देवरायी तथा लोंदा स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण यातायात बन्द हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). ९-११-१९५८ को (१९-११-५८ को नहीं) लगभग २२.३६ बजे न० २७९१ अप मालगाड़ी का, जब वह देवरायी तथा लोंदा स्टेशनों के बीच चल रही थी, तब वैगन पटरी से उतर गया। फलस्वरूप निम्नलिखित सवारी गाड़ियां रोक ली गईं :—

(१) न० २०४ डाउन पूना-बंगलौर एक्सप्रेस—२७५ मिनट लोंदा में।

(२) न० २०३ अप बंगलौर-पूना एक्सप्रेस—३३८ मिनट अलनावर में।

(३) न० २०९ अप हुबली-पटना पैसेंजर—१३६ मिनट अलनावर में।

१०-११-५८ को ०१.५८ बजे लाइन साफ कर दी गई थी। कोई घायल नहीं हुआ था। रेलवे सम्पत्ति की अनुमानतः १००० रुपये की हानि कूती गई।

पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर सुविधायें

†१८६७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के उन स्टेशनों पर जहां पीने का पानी, प्रतीक्षालय, शौचालय आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है, वहां इनकी व्यवस्था के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उसी रेलवे के तुरतीपर, सतरांव और गोकुलनगर स्टेशनों पर इन सुविधाओं के अभाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ग) क्या तुरतीपर स्टेशन पर माल गोदाम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सब स्टेशनों पर न्यूनतम यात्री सुविधाओं की, जिनमें पीने का पानी, प्रतीक्षालय और शौचालय सम्मिलित हैं, एक निश्चित कार्यक्रमानुसार व्यवस्था की जा रही है। यह कार्य रेलवे प्रयोक्ता सुविधा समिति के परामर्श से, जिसमें जनमत भी सम्मिलित है, होता है।

(ख) प्रत्येक स्टेशन की स्थिति निम्नानुकूल है :

(१) तुरतीपर—एक प्रतीक्षालय, ६ प्लेटफार्म बेंचें, २ तेल के लैम्प, पीने के पानी के घड़े तथा एक ८ व्यक्तियों का शौचालय विद्यमान है। १९५८-५९ के कार्यों में एक हाथ का नल और एक प्रतीक्षालय सम्मिलित है।

(२) सतरांव—एक प्रतीक्षालय, ६ प्लेटफार्म बेंचें, एक तेल का लैम्प, पीने के पानी के घड़े और ८ व्यक्तियों का एक शौचालय विद्यमान है। १९५८-५९ के कार्यों में एक हाथ का नल, तथा १९५९-६० के कार्यों में प्रतीक्षालय एवं माल गोदाम में एक हाथ का नल सम्मिलित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) गोकुल नगर (फ्लेग स्टेशन) —६ प्लेट फार्म बेंचें और पीने के पानी के घड़े विद्यमान हैं।

(ग) नहीं श्रीमान। तुरतोपर स्टेशन से माल भेजना आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है।

मंत्रणा समितियां

†१८६८. **श्री थानुलिंगम नादर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त विभिन्न मंत्रणा समितियों ने १९५७-५८ में कुल कितना व्यय किया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** १९५७-५८ में कोई मंत्रणा समिति नहीं बनाई गई। इससे पहिले इस मंत्रालय द्वारा बनाई मंत्रणा समितियों के १९५७-५८ के व्यय का एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७५]**

डाक तथा तार भवन

†१८६९. **चौ० रणवीर सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १९५८-५९ में डाक तथा तार विभाग द्वारा बनाई जाने वाली दफ्तर की इमारतों तथा कर्मचारी क्वार्टरों के विस्तृत कार्यक्रम का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७६]**

सिकंदराबाद में डाक तथा तार भवन

†१८७०. **चौ० रणवीर सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद दक्षिण में एक तार-कार्यालय भवन तथा कर्मचारी क्वार्टर बनाने की योजना स्वीकृत तथा अनुमोदित हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना कब पूर्ण होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) तथा (ख). सिकन्दराबाद में तार कार्यालय की इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव स्वीकृत या अनुमोदित नहीं हुआ है। स्टेशन पर कर्मचारी-क्वार्टरों के निर्माण की एक योजना मंजूर हुई है और उस पर कार्य हो रहा है। यह योजना १९५९-६० में पूर्ण हो जायेगी।

सैलम में डाक तथा तार भवन

†१८७१. **चौ० रणवीर सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम में विभागीय तार घर की इमारत बनाने की योजना अनुमोदित तथा स्वीकृत हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भूमि प्राप्त कर ली गई है तथा निर्माण आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इमारत कब तैयार और प्रयोग के लिये उपलब्ध होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हां।

(ख) विभागीय भूमि उपलब्ध है और कार्य हो रहा है।

(ग) इमारत पूरी होने वाली है। यह १९५९-६० के आरम्भ में प्रयोग के लिये उपलब्ध हो जायेगी।

जयपुर में डाक तथा तार भवन

†१८७२. **चौ० रणबीर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में तार कार्यालय की इमारत और कर्मचारी क्वार्टर बनाने की योजना अनुमोदित तथा स्वीकृत हुई है;

(ख) उसके लिये कितनी भूमि ली गई है;

(ग) निर्माण कब आरम्भ होगा; और

(घ) इमारत तथा क्वार्टर प्रयोग के लिये कब उपलब्ध होंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हां।

(ख) बड़े डाकखाने और केन्द्रीय तार घर तथा कर्मचारी क्वार्टरों की संयुक्त इमारत के लिये ४ एकड़ भूमि।

(ग) निर्माण पहले ही आरम्भ हो चुका है।

(घ) कार्यालय की इमारत तथा कर्मचारियों के क्वार्टर कदाचित १९५९-६० में प्रयोग के लिये उपलब्ध हो जायेंगे।

डी० टी० ओ० कलकत्ता की इमारत

†१८७३. **चौ० रणबीर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बड़ा बाज़ार डी० टी० ओ० के तार घर की इमारत बनाने की योजना अनुमोदित तथा स्वीकृत हो गई है ;

(ख) क्या कथित इमारत के लिये भूमि ले ली गई है तथा निर्माण आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इमारत प्रयोग के लिये कब उपलब्ध होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख). प्रस्तावित तार घर की इमारत के लिये भूमि चुन ली गई है तथा अधिग्रहण कार्यवाही आरम्भ हो गई है।

(ग) अभी यह बताना असम्भव है कि नई इमारत प्रयोग के लिये कब उपलब्ध होगी। भूमि उपलब्ध होने के बाद इस में दो वर्ष लग सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोजीकोड में तार कर्मचारियों के क्वार्टर

†१८७४. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजीकोड में तार कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने की योजना अनुमोदित तथा स्वीकृत हो गई है ;

(ख) क्या भूमि ले ली गई है तथा निर्माण आरम्भ हो गया है ; और

(ग) परियोजना कब पूर्ण होगी तथा इमारतें प्रयोग के लिये कब उपलब्ध होंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** :(क) तथा (ख). प्रतिरक्षा मंत्रालय से उनकी कुछ अतिरिक्त भूमि के क्रय की बातचीत आरम्भ हुई थी। पता लगा है कि यह भूमि उपलब्ध नहीं है। पोस्टमास्टर जनरल को अन्य स्थान चुनने को कहा गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास में सामुदायिक विकास कार्य

†१८७५. **श्री संबंदम्** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में सामुदायिक विकास के लिये आवंटित कुल धन व्यय करने के बाद केन्द्रीय सरकार से और धन की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

१८७६. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** १५ नवम्बर, १९५७ के तारांकित **प्रश्न** संख्या १७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये टाऊन प्लानिंग कमीशन द्वारा इस बीच कितनी ले-आउट योजनायें तैयार की गई हैं ;

(ख) उन गन्दी बस्तियों के क्या नाम हैं ; और

(ग) उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आठ योजनायें।

(ख) और (ग). गन्दी बस्तियों के नाम तथा जिन-जिन जगहों के लिये योजना तैयार की गई है, उनके पुर्नविकास पर होने वाले अनुमानित खर्च का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७७]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में दूध की बस्तियां

१८७७. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दूध की बस्तियां बनाई जा रही हैं ; और

(ख) ये कहां-कहां बनायी जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). माननीय सदस्यों का प्रश्न शायद दिल्ली मिल्क सप्लाई योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले एक केन्द्रीय डेरी और दूध इकट्ठा और ठिठरा करने के केन्द्रों के सम्बन्ध में है। मुख्य डेरी पश्चिम पटेल नगर में बनाई जा रही है और मई, १९५९ के अन्त तक इसके पूरा होने की आशा है। तीस दूध इकट्ठा और ठिठरा करने के केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। दिल्ली में चार केन्द्रों, पंजाब में दो और उत्तर प्रदेश में एक के लिये भूमि ले ली गई है।

दिल्ली मिल्क योजना में २००० दूध देने वाले पशुओं को हटाने और पुनः बसाने के लिये भी उपबन्ध है। हटाने का ढ़ंग उनको पुनः बसाने के स्थान और इसके लिये अन्य ब्यौरे के साथ उत्तर-दायित्व रखने वाले अधिकारी के प्रश्न विचाराधीन हैं।

चीन की कृषि प्रणाली के अध्ययन के लिये प्रतिनिधिमण्डल

†१८७८. **श्री रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गहन कृषि प्रणाली का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजने का है ताकि इस देश में कृषि उत्पादन बढ़ाई जा सके ;

(ख) क्या प्रतिनिधिमंडल में केवल सरकारी कर्मचारी हैं अथवा कृषि हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति हैं ; और

(ग) प्रतिनिधिमंडल चीन कब जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) हां। दो प्रतिनिधिमंडल भेजने का विचार है : (१) चीनी कृषकों द्वारा अपनाई गई सिंचाई तथा जल संचय परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिये, और (२) उस देश में खाद्यान्न के उत्पादन में, विशेषकर चावल-उत्पादन में सूचित आश्चर्यजनक वृद्धि का अध्ययन करने के लिये।

(ख) प्रथम प्रतिनिधिमंडल में केवल सरकारी विशेषज्ञ होंगे। द्वितीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बारे में अभी निर्णय करना है।

(ग) जल संचय तथा सिंचाई विशेषज्ञ जनवरी, १९५९ के मध्य में जायेंगे। द्वितीय प्रतिनिधिमंडल मार्च १९५९ में जायेगा।

भारत-तिब्बत सड़क पर टेलीफोन सुविधा

†१८७९. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-तिब्बत सड़क पर मतिमाना, नरकंडा, कोटगढ़, थानेसर, नेथार, रामपुर, सरलियन तथा उस से आगे तिब्बत सीमा पर कोई टेलीफोन सुविधा नहीं है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजपथ पर टेलीफोन व्यवस्था कब तक उपलब्ध होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख). रामपुर, नेथार और सरहन के अतिरिक्त सब स्थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था है। रामपुर में सर्वसाधारण टेलीफोन की व्यवस्था स्वीकृत हो गई है और कदाचित मार्च, १९५९ के अन्त तक उपलब्ध हो जायेगा। शेष दो स्थानों पर दूर-संचार सुविधाओं के प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा उचित पाये जाने पर स्वीकार हो जायेंगे।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन

†१८८०. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन सड़कों पर हिमाचल प्रदेश सरकार की मोटरें चल रही हैं उन पर यात्री तथा सामान यातायात की बहुत भीड़ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यात्रियों को अपने स्थान रक्षित कराने में भी दो, तीन दिन नष्ट करने पड़ते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार गैर सरकारी वाहकों को कोई मार्ग परमिट नहीं देती ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में कुछ मेलों तथा पर्वों के समय यात्री यातायात की भीड़ होती है। एवं आलू के मौसम में सामान यातायात में असाधारण वृद्धि हो जाती है तथा भीड़ को निकालने के लिये अतिरिक्त गाड़ियां किराये पर ली जाती हैं।

(ख) कभी कभी यात्रियों को कुछ असुविधा होती है। अतः सड़कों पर अधिक गाड़ियां चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन

†१८८१. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश ट्रांस्पोर्ट विभिन्न मार्गों पर कितना कितना यात्रा तथा सामान किराया लेता है;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का मोटर ट्रांस्पोर्ट सामान तथा यात्री यातायात के लिये अपर्याप्त है;

(ग) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार २५ प्रतिशत कमीशन पर निजी ठेले काम पर रखता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अब कमीशन बढ़ा कर ३७½ प्रतिशत कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७८**]

(ख) यात्री तथा सामान यातायात की मांग प्रति ऋतु में बदलती रहती है तथा मोटर गाड़ियों की संख्या केवल औसत यातायात के लिये पर्याप्त है। आलू के मौसम में जो ६ से ८ सप्ताह तक रहता है, असाधारण मांग की पूर्ति के लिये अतिरिक्त गाड़ियां किराये पर रखी जाती हैं।

(ग) हां। आलू तथा फलों के मौसम में जबकि यातायात में अस्थायी वृद्धि होती है कुछ निजी ठेले थोड़े समय के लिये रखे जाते हैं।

(घ) नहीं।

जहाज़ों की मरम्मत

†१८८२. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्री दे० वें० राव :

क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह में जहाज़ों की मरम्मत करने वाली कुछ भारतीय फर्मों ने शिकायत की है कि विदेशी एजेंसियां मरम्मत करने वाली विदेशी फर्मों के हित में पक्षपात करती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी नौवहन निगम भी जहाज़ों की मरम्मत के लिये विदेशी फर्मों को प्राथमिकता देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस बारे में भारतीय फर्मों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परामर्शदाताओं की टीम

†१८८३. **श्री श० च० गोडसोरा** : क्या **सामुदायिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्रालय के परामर्शदाताओं की एक टीम बिहार राज्य गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने सरकार से क्या मुख्य सिफ़ारिशें की हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) हां।

(ख) टीम के भ्रमण-टिप्पणों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उन के विचार विमर्श के सारांश की एक कापी सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी है। देखिये अनुक्रमणिका संख्या एल० टी० ११३५/५८**].

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिंगोली-खंडवा रेल सम्पर्क

†१८८४ { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंगोली-खंडवा रेल सम्पर्क की बाहर गांव से शिवपुर तक लाइन यात्री यातायात के लिये कब खुलेगी ; और

(ख) उपरोक्त भाग में कितने स्टेशन इंटरलाक[1] होंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) आशा है कि भाग दिसम्बर १९५९ के अन्त तक खुल जायेगा ।

(ख) इस भाग के सभी नौ स्टेशन स्तर १ के साथ इंटरलाक[1] हो जायेंगे ।

नया फ्लैग स्टेशन

†१८८५. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला संगरूर (पंजाब) के बहादुरगढ़, सिलाखेड़ी, सिंघाना, आकास हठ, छप्पर और जयपुर गांवों के निवासियों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उत्तर रेलवे के पानीपत-जींद ब्रांच लाइन पर बुद्धखेड़ा तथा सफीदोन स्टेशनों के बीच एक नया फ्लैग स्टेशन खोला जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामवासियों ने फ्लैग स्टेशन के निर्माण के लिये श्रमदान तथा अपेक्षित धन देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख) हां ।

(ग) प्रस्ताव की विस्तृत रूप से जांच हो रही है ।

रेलवे साइडिंग

†१८८६. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समर गोपालपुर गांव तथा आस पास के जिला के गांवों के कृषकों ने प्रार्थना की है कि रोहतक के हरियाना चीनी सहकारी कारखाने को गन्ना भेजने की सुविधा के लिये दिल्ली-भटिण्डा लाइनों पर समर गोपालपुर स्टेशन पर रेलवे साइडिंग की व्यवस्था की जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि इन गांवों ने पिछले मौसम में कारखानों को पांच लाख मन गन्ना भेजा था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्टेशन पर पार्श्वक की व्यवस्था करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे को विदित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Interlocked.

(ग) समर गोपालपुर स्टेशन पर पार्श्वक का व्यवस्था रेलवे के १९५८-५९ के कार्य प्रोग्राम में सम्मिलित हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रेस मशीनों का गायब होना

१८८७. **श्री सरजू पांडे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ में पूर्वोत्तर रेलवे प्रेस, गोरखपुर की कुछ प्रेस मशीनें तथा सादे कागज के ४ हजार रिम गायब हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). पूर्वोत्तर रेलवे प्रेस, गोरखपुर की इस तरह की कोई प्रेस-मशीनें गायब नहीं हुई लेकिन जुलाई १९५६ में चोरी की एक घटना हुई थी जिस में टाइप ढालने के तांबे के सांचे[1], टाइप की कुछ धातु, स्टीरियोप्लेटें और मेज के दो पंखे चोरी गये। कुल ४,४२५ रुपये का नुकसान हुआ। इस तरह की चोरियों की रोक-थाम के लिये ज़रूरी कार्रवाई की गई है। मार्च-अप्रैल, १९५८ में स्टाक की जांच--पड़ताल के दौरान में विभागीय जांच की गई थी जिस से पता लगा कि सादा कागज कुछ कम है। २००० रीम कागज कम निकला। एक सीनियर क्लर्क को, जिस के आचरण की इस मामले और दूसरे मामलों में जांच की जा रही थी नौकरी से हटा दिया गया है।

द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सोने का स्थान

†१८८८. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सोने का कोई स्थान नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां।

(ख) अभी तक इस श्रेणी में सोने के स्थान की व्यवस्था करने के बारे में निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि यह श्रेणी धीरे धीरे समाप्त की जा रही है।

गन्ना

†१८८९. **श्री जाधव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखानों को गन्ना देने वाले कृषकों से, प्रति कारखानावार, कुल कितना जमा-धन लिया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Matrices.

(ख) कारखाने कृषकों को उन के जमा-धन पर कितना ब्याज देंगे ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निदेश दिया है कि वे गन्ना देने वाले कृषकों को जमा-धन की वापसी के लिये कार्यवाही करें ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) कुल जमा ९.१९ लाख रुपयों में से लक्ष्मीवाड़ी, सकरवाड़ी और रावल गांव कारखानों ने क्रमानुसार २.०६,०.५८ और ६.५५ लाख लिये।

(ख) रावलगांव कारखाना ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देता है। लक्ष्मीवाड़ी और सकरवाड़ी कारखाने कोई ब्याज नहीं देते।

(ग) नहीं, श्रीमान्। धन पारस्परिक करारों के अनुसार जमा किया जाता है तथा मौसम के अन्त पर वापस कर दिया जाता है।

रावल गांव शुगर फैक्टरी

†१८९०. श्री जाधव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावल गांव शुगर फैक्टरी में १९५७-५८ के गन्ना पेरने के मौसम में कितने दिन काम हुआ था ;

(ख) इस मौसम में कितना गन्ना पेरा गया था ;

(ग) जितना गन्ना पेरा गया था उसमें से कितना गन्ना फैक्टरी का अपना था, कितना काश्तकारों द्वारा संभरित किया गया था और कितना दभादी सहकारी शुगर फैक्टरी द्वारा संभरित किया गया था ; और

(घ) क्या रावलगांव शुगर फैक्टरी की गन्ना पेरने की क्षमता में हाल ही में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी क्षमता इस समय कितनी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : १९१ दिन।

(ख) १,६२,३०५ टन।

(ग) क्रमशः (१) ७५,८७५, (२) ७५०१९ तथा (३) १२,४१२ टन।

(घ) फैक्टरी की क्षमता ८५० टन प्रति दिन से बढ़ा कर १२०० टन गन्ना प्रतिदिन कर देने का एक लाइसेन्स दिया गया है। यह क्षमता १९५९-६० तक पूरी कर ली जायेगी।

(ङ) लगभग ९०० टन गन्ना प्रति दिन।

होमियोपेथिक जांच समिति

†१८९१. श्री मोहननायक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपेथिक जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : होम्योपैथिक जांच समिति की सिफ़ारिशों पर एक अन्य समिति ने विचार किया था जो कि १९५५ में डा० डी० टी० दवे के सभापतित्व में नियुक्त की गयी

---

†मूल अंग्रेजी में

थी दवे समिति ने यह सिफारिश की थी कि होम्योपैथिक शिक्षा और उसके व्यवसाय के सम्बन्ध में एक समान स्टैण्डर्ड स्थापित करने की दृष्टि से होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली सम्बन्धी एक केन्द्रीय परिषद् की स्थापना की जाये। दवे समिति की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को भेज दी गयी थीं। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने जनवरी, १९५८ में अपनी एक बैठक में यह सिफारिश की थी कि यह काम विभिन्न राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाये और अपने अपने राज्य में होम्योपैथिक प्रणाली के विकास के लिये जैसे अच्छा समझे वैसा ही करें।

टेलीफोन रिसीवर

†१८९२. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता टेलीफोन प्राधिकारी कलकत्ता के काटन स्ट्रीट के सिल्वर कटड़ी में १२ टेलीफोन रिसीवरों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायत के सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ग) रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

वणिक् पोतों में नौकरी

†१८९३. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौपरिवहन के महानिदेशक ने उन लड़कों की नौकरी के सम्बन्ध में आपत्ति की है जिन्होंने वणिक पोत के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय की सैकण्ड क्लास इंजीनियरिंग की परीक्षा के भाग 'क' को पास कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). नियम यह है कि वे लड़के, जो कि परिवहन मंत्रालय की सैकण्ड क्लास इंजीनियरिंग परीक्षा का पार्ट 'ए' पास कर लेते हैं, वे इण्डियन मर्चेण्ट नेवी में अप्रमाणित कनिष्ठ इंजीनियरों के रूप में काम कर सकते हैं। परन्तु इस वर्ष के प्रारम्भ से ही भूतपूर्व इण्डियन नेवल डाक यार्ड जनरल एप्रेंटिसों को जो कि नेवी से पूर्णतः रिलीज़ न हुए हों, अनुमति नहीं दी जा रही है। केवल सात ही व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी गयी है। उन भूतपूर्व इण्डियन नेवल डॉक यार्ड जनरल एप्रेंटिसों को, जिन्होंने अभी तक नेवी से अपना ठेका पूरा नहीं किया है, अनुमति न देने का फ़ैसला इस कारण यह है कि हम यह नहीं चाहते कि प्रतिरक्षा नौ सेना के प्रविधिक कर्मचारी अवैध रूप से किसी और तरफ चले जायं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

धर्मसाला आउट एजेन्सी

†१८९४. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मसाला की आउट एजेंसी को फिर से चालू करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**:(क) जी, हां।

(ख) धर्मसाला की आउट एजेंसी को पुनः चलाने के लिये टेंडर मांगे गये थे परन्तु अभी तक कोई टेंडर नहीं आया है।

केरल में जल संसाधनों की खोज के लिये बृहद् योजना

†१८९५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में जल संसाधनों की खोज के लिये बनायी गयी वृहद् योजना पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें और क्या परिणाम हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) वृहद् योजना पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वृहद् योजना में केरल की सिंचाई के लिये जल संसाधनों के विकास की सम्भव योजनायें विद्युत् उत्पादन, जल निस्सारण, भूमि कृष्यकाण, अन्तर्देशीय नौपरिवहन, जल संभरण छोटे पत्तन तथा मीन क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में योजनायें निहित हैं। इस प्रकार के अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार को भावी योजनाओं की कार्यान्विति में सहायता देने के लिये ब्यौरेवार अनुसंधान करने के लिये सरकार को आंकड़े प्रदान किये जा सकें। इसलिये रिपोर्ट उतनी जल्दी कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर तो केवल विचार करना ही आवश्यक है और उस पर भी कुछ समय और लगेगा।

सहकारी समिति के लिये भूमि का अधिग्रहण

†१८९६. { **डा० सुशीला नायर** :
श्री कोडियान :
श्री हेम बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति को देने के लिये दिल्ली के बसन्त नगर ग्राम की रेवेन्यू स्टेट में भूमि का अधिग्रहण करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति को भूमि सौंपने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या क्या शर्तें निर्धारित की हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या जिन लोगों की भूमियों का समिति को देने के लिये अधिग्रहण किया गया है, उन लोगों के निर्माण सम्बन्धी अधिकारों की भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ के सेक्शन ६ अथवा दिल्ली विकास प्राधिकार अधिनियम, १९५८ के अधीन सुरक्षा सम्बन्धी कोई व्यवस्था करने का कोई विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) दिल्ली के मुख्यायुक्त ने सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड के लिये लगभग २५९ एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिये भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ के सेक्शन ४ के अधीन तीन अधिसूचनायें जारी की थीं। उन्होंने अब इस अधिनियम के सेक्शन ६ के अधीन उस क्षेत्र की १०० एकड़ भूमि के लिये अन्तिम अधिसूचना जारी करने के लिये कहा है। मुख्यायुक्त द्वारा पीड़ित संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा दायर की गयी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ख) हमारा दिल्ली के मुख्यायुक्त से यह कहने का विचार है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति के लिये ऐसी कोई भी भूमि न ली जाये जिस पर किसी अन्य वैध सहकारी भवन निर्माण समिति का अधिकार हो।

(ग) सरकार किसी भी भवन निर्माता को उसकी भूमि से वंचित नहीं करना चाहती।

पर्यटक गाड़ियां

१८९७. श्री सरजू पांडे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रेलों के पास कितनी पर्यटक गाड़ियां हैं ; और

(ख) वे जनता को किस हिसाब से दी जाती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब तीसरे दर्जे के पर्यटन यान से है। भारतीय रेलवे में तीसरे दर्जे के ५२ पर्यटन यान हैं जिनमें से ३५ बड़ी लाइन पर और १७ मीटर लाइन पर चलते हैं।

(ख) तीसरे दर्जे के पर्यटन यान के किराये की दरें इस कार हैं :—

सफर का किराया : जितने लोग सफर करेंगे उन से पूरा या रियायती किराया लिया जायेगा, लेकिन यह किराया एक पया प्रति मील से कम न होगा।

गाड़ी खड़ी करने का किराया : चाहे गाड़ी में सवारियां बैठी हों या न बैठी हों, अगर वह उस पार्टी के कब्जे में है, तो हर २४ घंटे या उससे कम के लिए १० रुपये लिये जायेंगे।

नोट :—खड़ी गाड़ी का किराया तभी लिया जायेगा जब गाड़ी एक जगह पर ८ घंटे से अधिक की रहे। पर्यटन यान या सैलून जब चल रहा हो, उस अवधि में यह किराया नहीं लिया जायेगा।

खाली गाड़ी ले जाने का किराया : जितनी दूरी तक गाड़ी खाली जायेगी, उतनी दूरी का किराया ५० नये पैसे प्रति मिल के हिसाब से लिया जायेगा—

(१) जिस स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रहती है वहां से उस स्टेशन तक का किराया लिया जायेगा जहां वह मांगी गयी है। (अगर कोई दूसरी जगह न बतायी

---

† मूल अंग्रेजी में

गयी हो, तो वह गाड़ी रेलवे के प्रधान कार्यालय के स्टेशन पर खड़ी रहती है ।)

(२) जिस स्टेशन पर गाड़ी खाली की जायेगी वहां से उप-खण्ड (१) में बताये गये यान खड़े करने के स्टेशन तक सब से नजदीक चालू रास्ते का किराया लिया जायेगा ।

पर्यटन यान की मांग रद्द करने पर किराया :—यदि पर्यटन यान दे दिया जाय और उसका इस्तेमाल न हो तो उसके खड़े होने के स्टेशन से मांगे गये स्टेशन तक का एक तरफ का किराया लिया जायेगा जिसकी दर ५० नया पैसा प्रति मील होगी । कम से कम किराया ५० रुपये होगा । इसके अलावा हर एक घंटा या उससे कम समय के लिए एक रुपया प्रति गाड़ी प्रति मील के हिसाब से विलम्ब-शुल्क लिया जायेगा । कम से कम विलम्ब-शुल्क १० रुपये होगा । यह विलम्ब-शुल्क गाड़ी देने के समय से लेकर उस समय तक के लिए लगाया जायेगा जब तक इस बात की सूचना न मिल जाय कि गाड़ी की ज़रूरत नहीं है ।

कुल मिलाकर कम से कम किराया :—किराया ऊपर बतायी गई दरों से लिया जायेगा, लेकिन कुल मिला कर कम से कम किराया १०० रुपये होगा । यह न्यूनतम किराया केवल एक बार लिया जायेगा, चाहे संबंधित रेल-प्रशासनों की तादाद कुछ भी हो ।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिबिया कालेज, दिल्ली

†१८९८. **श्री पु० र० पटेल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली को केन्द्रीय सरकार की ओर से कितना अनुदान अथवा सहायता दी गयी थी ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली की डिग्रियों को राज्य सरकारों द्वारा अभिस्वीकार कराने के लिये क्या क्या कार्रवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५६-५७ में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली को ५,००० रुपयों का अनुदान दिया गया था । १९५७-५८ में कोई भी अनुदान नहीं दिया गया था ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है ।

दिल्ली के लिये जल संभरण

†१८९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नहर का दिल्ली के जल संभरण के लिये उपयोग करने के लिये कोई सम्पर्क नहर व्यवस्था बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के क्या ब्यौरे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कार्य कब आरम्भ होगा और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारत सरकार इस प्रकार की किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

खाद्यान्नों की खरीद के लिये ऋण

†१९००. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रशासन ने उस राज्य के लोगों को खाद्यान्नों की खरीद के लिये कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि दी गयी है ;

(ग) राजकीय सहायता की इस राशि से कुल कितना गेहूं खरीदा गया है ;

(घ) क्या उस राशि का उचित प्रकार से उपयोग किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका किस प्रकार से उपयोग किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हा ;

(ख) ५०,००० रुपये ।

(ग) यह राजकीय सहायता नहीं, अपितु, ऋण की राशि थी । उस ऋण से खरीदे गये गेहूं की कुल राशि के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ङ). यह ऋण केवल उन्हीं लोगों को दिया गया था जिन्हें खाद्यान्नों की खरीद के लिये धन की अत्याधिक आवश्यकता थी । बहुत से लोगों को यह ऋण नकद रूप में नहीं दिया गया था । उन्हें उतनी ही कीमत का खाद्यान्न दे दिया गया था ।

बिना टिकट यात्रा

†१९०१. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अनुमान लगाया है कि बिना टिकट यात्रा के कारण प्रत्येक रेलवे को कितना वार्षिक नुकसान उठाना पड़ा ;

(ख) सरकार ने विशे कर उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है जहां अधिक मात्रा में बिना टिकट के यात्रा की घटनायें होती हैं ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९५७ में टिकट चैक करने वाले एक विशेष केन्द्रीय संघटन के द्वारा इस सम्बन्ध में मूल्यांकन किया गया था और उसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक रेल को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाया है, वह एक वरण में निहित है जो यहां संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७९]** ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन क्षेत्रों में बिना टिकट की यात्रा की रोक थाम करने के लिये रेलवे द्वारा सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार की चैकिंग कर रही है ।

(ग) उसके बाद अभी तक उस क्षेत्र की बिना टिकट के यात्रा की घटनाओं का पुन : मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

रोहतक रोड दिल्ली पर पानी साफ करने का संयंत्र

†१९०२. **सरदार इकबाल सिंह** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक रोड दिल्ली में पानी साफ करने का संयन्त्र लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उस प्रस्थापना को मंजूरी दे दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) वह प्रविधिक समिति, जो कि दिल्ली की जल संभरण व्यवस्था की स्थिति तथा सुधार के प्रश्नों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गयी थी, इस प्रकार की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है ।

(ख) और (ग). अभी तक ब्यौरे तैयार नहीं किये गये हैं ।

डाक तथा तार विभाग में 'लोअर सेलेक्शन ग्रेड'

†१९०३. **श्री तंगामणि** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के 'लोअर सेलेक्शन ग्रेड' की पदाली के लिये संवरण सम्बन्धी नीति के बारे में राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ से कोई और भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ग) वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर होने वाली पदवृद्धि के अतिरिक्त शेष में 'सेलेक्शन' के द्वारा होने वाली पदवृद्धि कितनी प्रतिशत है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां, जुलाई, १९५८ में ।

(ख) राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ से इस सम्बन्ध में बात चीत करने के उपरान्त कुछ एक दृष्टियों से आ रों में परिवर्तन कर दिये गये हैं ।

(ग) ३३ १।३ प्रतिशत ।

स्टेशनों पर सुविधायें

†१९०४. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ एक स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधायें देने के लि धन खर्च करने से पहले सभी स्टेशनों को कम से कम आधारभूत आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस वर्ष के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है और उससे किस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी; और

(ग) दक्षिण रेलवे के स्टेशनों पर कितनी राशि खर्च की जा ेगी और किन किन स्टेशनों पर अतिरिक्त सुवि ायें दी जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) प्राथमिकता का निर्णय करने और आवश्यकताओं का परीक्षण करने का काम रेलवे उपभोक्ता समितियों द्वारा किया जाता है और सभी कार्यों के लिये यथासम्भव अधिक से अधिक न्यायिक आधार पर धन का वितरण करने का प्रयत्न किया जाता है ।

(ख) १९५८-५९ के आयव्ययक के लिये २.४७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है । एक विवरण संलग्न है ।जसमें बताया गया है कि किस किस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८०]**

(ग) उक्त राशि में से ३९.६८ लाख रुपये दक्षिण रेलवे के लिये आवंटित किये गये हैं । एक विवरण संलग्न है जिसमें बताया गया है कि इस वर्ष किस किस स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधायें देने का विचार है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८०]**

स्टेशनों पर सुविधायें

†**१९०५. श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्रशासन सर्वेक्षण १९५५-५६ के आधार पर स्टेशनों पर शीघ्र ही किस किस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : नीति के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधायें देने का विचार है :—

(क) बड़े तथा छोटे सभी स्टेशनों पर:—

(१) मुसाफिरखाना ।

(२) बेंचें ।

(३) मुसाफिरखाना तथा बुकिंग आफिस में रोशनी का उपयुक्त प्रबन्ध ।

(४) पीने के पानी का संभरण ।

(५) अच्छी प्रकार के शौचालय ।

(६) पक्के प्लेटफार्म ।

(७) बुकिंग का उचित प्रबन्ध ।

(८) छायादार वृक्ष ।

(ख) ठेकेदारों अथवा विभाग द्वारा चलाये जा रहे हाल्ट स्टेशनों पर :—

(१) हाल्ट स्टेशनों पर हरने वाली गाड़ियों की लम्बाई के अनुसार वहां पर लाइन के स्तर पर ही प्लेटफार्म बनाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) एक छोटा सा प्रतीक्षा के लिये शेड और वही बुकिंग आफिस के भी काम आयेगा।

(३) जहां गाड़ियां रात को भी ठहरती हैं, वहां पर रोशनी का प्रबन्ध।

(४) छायादार वृक्ष।

स्टेशनों पर बिजली लगाना

†१९०६. { **श्री तंगामणि :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद अलियास :
श्री प्रभात कार : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन शहरों के स्टेशनों पर बिजली लगाने का कोई विचार रखती है जहां पर बिजली उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो वह काम कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) उस प्रकार के कितने स्टेशनों पर अभी तक बिजली नहीं है;

(घ) चालू वर्ष में कितने स्टेशनों पर बिजली लगायी जायेगी; और

(ङ) दक्षिण रेलवे में कुल कितने स्टेशनों पर बिजली लगनी है और चालू वर्ष में कितने स्टेशनों पर बिजली लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). ३१-३-५८ को कुल लगभग ६५० ऐसे स्टेशन थे जिन में बिजली नहीं लगी थी, परन्तु उनके लिये बिजली उपलब्ध हो सकती थी। उनमें १२७ स्टेशन दक्षिण रेलवे पर थे जिनकी सूची सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८१]** आशा है कि यह काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरा हो जायेगा, परन्तु इस शर्त पर कि यात्री सुविधा समिति उन योजनाओं की मंजूरी दे दे, उनके लिये धन उपलब्ध हो और उचित दामों पर बिजली मिल सके।

चालू वर्ष (१९५८-५९) में २१५ स्टेशनों पर बिजली लगायी जायेगी। इन में से ४० स्टेशन दक्षिण रेलवे के हैं। इनकी सूची सभा-पटल पर रखे गये एक विवरण में निहित है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८१]**

यात्री सहायक

†**१९०७. श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े-बड़े स्टेशनों पर यात्री सहायक नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या-क्या काम करने होते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

यात्री सहायकों के कृत्य मुख्यतः ये हैं :—

(१) यात्रियों को ठीक टिकटघर और प्लेटफार्मों पर भेजना;

(२) गाड़ियों के समय, गाड़ियों के बदलने, भोजन व्यवस्था आगे के जंक्शन स्टेशनों पर गाड़ियों के कनैक्शनों के बारे में ठीक-ठीक जानकारी देना और यात्रियों को गाड़ी में स्थान प्राप्त करने में सहायता देना;

(३) इस बात का ख्याल रखना कि लाइसेंस प्राप्त पोर्टर यात्रियों से अधिक मजूरी न मांगें और उन्हें तंग न करें ।

(४) स्टेशनों, प्लेटफार्मों और गाड़ियों के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में भिखारियों और अनधिकृत विक्रेताओं को आने से रोकने में सहायता देना ।

(५) इस बात का ध्यान रखना कि स्टेशनों और गाड़ियों में जो सुविधायें दी गई हैं उनका दुरुपयोग न किया जाये और प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग क्षेत्र साफ सुथरे रहें ।

(६) यह देखना कि प्लेटफार्मों और टांगा स्टैंड पर आवारा लोग न घूमें और महिला यात्रियों की हर तरह से सहायता की जाये ।

(७) यात्रियों को इसके लिये राजी करना कि वे टिकट घरों, प्रवेश द्वारों और बाहर जाने के द्वारों पर लाइन लगा कर खड़े हों और वैसे ही गाड़ी में प्रवेश करें ।

(८) यात्रियों को फुट बोर्डों और डिब्बे की छत पर सफर करने से मना करना ।

(९) यात्रियों से मेल मिलाप करके उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना और उनकी सामान्य सहायता करना ।

कैम्पिंग कोच

†१९०८. श्री तंगामणि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कुछ स्थानों पर अवकाश के लिये जाने वाले यात्रियों और तीर्थ यात्रियों आदि के लिये कैम्पिंग कोचों की व्यवस्था की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों पर ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) लोनावला, नासिर रोड, मनमद, माल्दा कोर्ट, पुरी, बुलसर और बड़ौच ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक व तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी

†१९०९. **श्री तंगामणि:** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की कार्य स्थिति की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय किये गये हैं;

(ख) क्या सिफारिशें गत समय से लागू की जायेंगी; और

(ग) यदि हां तो किस तिथि से ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी नहीं; अभी प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). निर्णय हो जाने पर उन पर विचार किया जायेगा ।

मद्रास राज्य में चावल के मूल्य

†१९१०. **श्री तंगामणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में इस समय चावल का क्या मूल्य है;

(ख) क्या सरकार मद्रास राज्य में उचित मूल्य वाली दूकानें खोलने वाली हैं; और

(ग) सितम्बर, १९५८ तक समाप्त होने वाले छः वर्ष में दक्षिण जोन में से कुल कितना चावल बाहर भेजा गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १२-१२-१९५८ को मद्रास राज्य के कुछ स्थानों पर चावल के थोक भाव ये थे :

स्थान	किस्म	मूल्य प्रति मन
कुम्भकोनम्	कटसम्बा	२३.०० रुपये
तिरुनिवेली	दूसरे दर्जे का	२६.०० रुपये
मद्रास	सिरुमणि	२३.८८ रुपये
कोयम्बटूर	मोटा	२०.५० रुपये

(ख) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ग) लगभग ४२,००० टन ।

स्टेशनों पर सुविधायें

†१९११. **श्री राम कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यह विचार कर रही है कि सभी स्टेशनों पर न्यनतम मूल सुविधाओं की व्यवस्था अवश्य कर दी जाये और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). रेलवे प्रशासनों द्वारा प्रत्येक रेलवे की रेलवे प्रयोक्ता सुविधा समिति द्वारा तैयार किये गये वार्षिक सुविधा व्यवस्था कार्यक्रम के अनुसार उन स्थानों पर न्यूनतम सुविधायें दी जा रही हैं जहां वे पहले से उपलब्ध नहीं हैं।

रेलवे प्रशासनों को हिदायत दी गई है कि वे इन कार्यक्रमों के अनुसार सुविधायें देने का काम कम से कम समय में पूरा कर दें।

अफसरों के लिये बंगले

†१९१२. श्री हेम बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे में काम करने वाले अफसरों के लिये नये ज़ोन के उद्घाटन से छः मास पूर्व और उस के बाद कितने बंगले बनाये गये और उन में कौन-कौन सी आधुनिक सुविधायें दी गई हैं ; और

(ख) अफसरों को ये सुविधायें देने पर कुल कितनी लागत आई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) उद्घाटन से पूर्व १४ बंगले और बाद में ४० बंगले बनाये गये। स्नानगृहों और शौचालयों में कमोड और बेसिन आदि की व्यवस्था की गई है।

(ख) कमोड बेसिन आदि लगाने पर लगभग १.५० लाख रुपये खर्च हुए हैं।

रेलवे अस्पतालों में नर्सें

†१९१३. श्री हेम बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अस्पताल गौहाटी में नर्सों की संख्या पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के अस्पतालों के नर्सिंग विभाग में गत छः मास से कितने स्थान खाली पड़े हैं ; और

(घ) अब तक इन रिक्तियों के न भरने के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (घ). विज्ञापन देने पर भी प्राथियों की संख्या कम होने के कारण रेलवे सेवा आयोग पर्याप्त संख्या में नर्सें भर्ती न कर सका। उस के बाद रेलवे ने भर्ती कर ली है और गत छः मास से अधिक समय से जो आठ खाली स्थान थे उन में से सात भरे जा चुके हैं।

बरहन-एटा रेलवे लाइन

१९१४. श्री जगदीश अवस्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर बरहन-एटा रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किस हद तक पूरा हो चुका है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उक्त कार्य की पूर्ति में क्या कठिनाइयां हैं ;

(ग) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(घ) शष कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ; और

(ङ) इस के निर्माण में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) सड़क के ऊपर एक पुल, गैंगमैनों के रहने के लिये कुछ मकान और एक घूम चक्कर के अलावा कुल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) और (ग). भाग (क) को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(घ) लाइन माल यातायात के लिये १-१२-५८ को खोल दी गई।

(ङ) ३१-१०-५८ तक १०४ लाख रुपये।

दम दम हवाई अड्डे पर क्वार्टरों में बिजली लगाना

†१९१५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दम दम हवाई अड्डे पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में अभी तक बिजली नहीं लगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). इन क्वार्टरों में अभी तक बिजली नहीं लगाई जा सकी क्योंकि जब तक दम दम में बिजली की सप्लाई की पुनः व्यवस्था नहीं होती तब तक अतिरिक्त बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती। आवश्यक विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होते ही बिजली की सप्लाई की पुनः व्यवस्था करने का काम शुरू हो जायेगा।

असैनिक उड्डयन विभाग में चौकीदार

†१९१६. **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के कई चौकीदारों को अब भी प्रत्येक दिन १० घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है और कुछ एक का काम का समय और छुट्टी का दिन भी निश्चित नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी चौकीदारों से आठ घंटे काम लेना शुरू किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदारों को इन तीन वर्गों में रखा गया है :—

(१)	**लगातार ड्यूटी** अर्थात् वे जिन्हें हवाई अड्डों में महत्वपूर्ण जगहों पर विमान चालन सम्बन्धी काम करने के लिये शिफ्ट ड्यूटी पर रखा जाता है और जहां काम का बोझा अधिक होता है ।	काम का समय ५४ घंटे—सप्ताह में एक दिन अवकाश ।
(२)	**सविराम ड्यूटी** अर्थात् वे चौकीदार जिन्हें हवाई अड्डों पर अधिक महत्वपूर्ण जगहों पर नहीं रखा जाता और ड्यूटी अधिक कड़ी नहीं होती ।	काम का समय ७५ घंटे—१५ दिन में एक दिन अवकाश ।
(३)	**आकस्मिक ड्यूटी** अर्थात् वे चौकीदार जिन्हें छोटे हवाई अड्डों, खाली इमारतों, संचार केन्द्रों आदि में काम पर लगाया जाता है और जहां प्रायः परिवार के रहने के लिये भी जगह दी जाती है । इन का काम प्रायः यही होता है कि वे वहां उपस्थित रहें । इससे अधिक मेहनत उन्हें नहीं करनी पड़ती ।	काम का समय अनिश्चित—अवकाश कोई नहीं ।

(ख) और (ग). असैनिक उड्डयन विभाग में चौकीदारों के काम का समय अन्य सरकारी विभागों को देखने के बाद निश्चित किया गया था और निकट भविष्य में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

त्रिपुरा और आसाम में हावाई अड्डों पर कर्मचारियों के क्वार्टर

†१६१७. { **श्री मोहम्मद इलियास** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा और आसाम में अगरताला और गौहाटी के अतिरिक्त अन्य हवाई अड्डों पर कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण की क्या स्थिति है ;

(ख) इन क्षेत्रों में किन-किन हवाई अड्डों पर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनना शुरू हो गये हैं और कितने क्वार्टर बन चुके हैं ; और

(ग) किन-किन हवाई अड्डों पर अभी काम बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक उड्डयन विभाग की सेवा संहिता तथा भर्ती सम्बन्धी नियम

†१९१८. { **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन विभाग के सेवा संहिता तथा भर्ती सम्बन्धी नियमों के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो कब हो जायेगा ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) से (ग). असैनिक उड्डयन के घोषित तथा अघोषित पदों के लिये भर्ती के नियमों का अन्तिम प्रारूप तैयार किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद उन्हें लागू कर दिया जायेगा। अब तक भर्ती के नियम कार्यपालिका आदेशों और प्रशासकीय निदेशों के रूप में ही उपलब्ध थे जो समय-समय पर सरकार जारी करती रही है। अब उन्हें संहिताबद्ध कर के भर्ती के नियमों का स्वरूप दिया जा रहा है।

यात्री सुविधायें

†१९१९. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे विभागों को यात्री सुविधाओं के लिये दी गई राशि १९५६-५७ और १९५७-५८ में व्ययगत होने दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में सभी रेलवे विभागों को दी गई राशि में से क्रमवार १२.०६ लाख रुपये और ५५.५६ लाख रुपये अतिरिक्त थे। इसमें से उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे पर १९५६–५७ में और दक्षिण-पूर्व रेलवे पर १९५७–५८ में कुछ कम खर्च किया गया था।

(ख) १९५६–५७ में उत्तर पूर्व रेलवे पर २.२० लाख रुपये, दक्षिण रेलवे पर १.३२ लाख रुपये और दक्षिण पूर्व रेलवे पर २.७९ लाख रुपये कम खर्च हुए जो कि कुल दी गई राशि का ५ प्रतिशत है, १९५७–५८ में केवल दक्षिण-पूर्व रेलवे में २२ रुपये की राशि खर्च होने से बच गई थी।

माल डिब्बों में चोरियां

†१९२०. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की अगरपाडा रेल साइडिंग पर लुटेरों का एक गिरोह नियमित रूप से माल डिब्बों के ताले तोड़ कर उन्हें खोल लेता है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि २७ अक्तूबर, १९५८ को गिरोह के कुछ लोगों को पकड़ने में जनता ने रेलवे प्राधिकारियों की सहायता की थी ;

(ग) डाकुओं के पकड़ने में जिन लोगों ने सहायता की थी उनका क्या हुआ ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में कड़ी कार्यवाही करेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख). जी हां।

(ग) कार्तिक चौ० चक्रवर्ती को, जिस ने पुलिस को सूचित किया था, कुछ उपद्रवियों ने धमकी दी थी। उसकी हिफाजत के लिये उनके इलाके में एक पुलिस चौकी बिठा दी थी। श्री चक्रवर्ती ने उन लोगों के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कर दी है जिन्होंने उन्हें पहले धमकी दी थी।

(घ) राज्य पुलिस गिरोह को गिरफ्तार करने का प्रयत्न कर रही है। गिरोह के १० व्यक्तियों के खिलाफ पश्चिमी बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा ११ के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उनमें से पांच गिरफ्तार हो चुके हैं।

विमान दुर्घटनायें

†१९२१. श्री तंगामणि : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी दुर्घटनाओं में जो विमान टूट गये उन्हें बदलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) दुर्घटनाओं को कम करने के जो उपाय किये गये थे उनका क्या परिणाम निकला ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जो छः विमान दुर्घटनाओं के शिकार हुए थे उनमें से तीन की मरम्मत करके उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा रहा है। निगम ने एक खोल से, जो कि उनके पास उपलब्ध था, एक विमान तैयार कर लिया था। डेकोटा विमानों को बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) यह बताना तो सम्भव नहीं कि कितनी दुर्घटनायें रोकी गईं परन्तु १९५५ के बाद भारत में चलने वाले विमानों की प्रति १० करोड़ मील दुर्घटनाओं में कमी हुई है जैसे कि नीचे दिये गये आंकड़ों से पता चलता है :—

वर्ष	प्रति १० करोड़ मील दुर्घटनायें
१९५५	२·८२
१९५६	२·०१
१९५७	०·८३

मदुरै में डाक व तार बस्ती

†१९२२. श्री तंगामणि : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै में डाक व तार बस्ती किस तिथि तक तैयार हो जायेगी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त बस्ती का शीघ्र निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) और (ख). क्वार्टरों के निर्माण के लिये नियत सारी राशि खर्च हो चुकी है इसलिये मदुरै में रिहायश के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने की परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की गई है । यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में शुरू किया जायेगा । यह सुनिश्चय करने के लिये कि १९६१–६२ में यह कार्य आरम्भ करने में कोई विलम्ब न हो क्वार्टरों के लिये भूमि का एक टुकड़ा चुन लिया गया है और उसे अर्जित करने के लिये अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

मदुरै का टेलीफोन एक्सचेंज

†१९२३. श्री तंगामणि : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै (मद्रास सर्कल) में आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का काम चालू वर्ष में पूरा हो जायेगा ; और

(ख) निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) मदुरै में आटो-ऐक्सचेंज लगाने का कार्य १९६०–६१ के कार्यक्रम में शामिल किया गया है । वर्तमान स्थिति यह है :—

१. काम का परियोजना प्राक्कलन मंजूर कर दिया गया है ;

२. एक्सचेंज की इमारत के लिये ज़मींन का एक टुकड़ा अर्जित कर लिया गया है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इमारत के निर्माण के लिये टेंडर मांगे थे और वे इनके पास पहुंच गये हैं ;

३. इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ (आई० टी० आई०) को उपकरण सप्लाई करने के आदेश पहले से दे दिये गये हैं । उपकरण की सप्लाई १९६० तक पूरी हो जायेगी ।

वैद्यों द्वारा सरजरी करना

†१९२४. श्री वारियर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को ये हिदायतें दी गई हैं कि आयुर्वेदिक वैद्यों को सर्जरी करने की मंजूरी न दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक घरों में पेनशनों का भुगतान

†१९२५. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में पेनशनरों को अपनी पेनशन लेने के लिये तीन या चार मील दूर सब पोस्ट आफिसों में जाना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रांच पोस्ट आफिसों से इन की पेनशनों का भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) सम्भव है कि कई मामलों में उन्हें चार या पांच मील से भी अधिक दूरी पर जाना पड़ता है ।

(ख) उन ब्रांच पोस्ट आफिसों को जो बचत बैंक का काम करते हैं डाक व तार के पेन्शनरों को ५० रुपये मासिक तक की पेनशनें देने का अधिकार सौंप दिया गया है ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

†१९२६. श्री दलजीत सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई कितनी समितियां इस समय काम कर रही हैं ।

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई दो समितियां इस समय भी कार्य कर रही हैं :—

१. केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की रचना का परीक्षण करने वाली समिति ।

२. बोकारी थर्मल पावर स्टेशन पर खर्च किये गये धन से पूरा लाभ हुआ या नहीं इसकी जांच करने वाली समिति ।

जलडमरूमध्य/बम्बई/कराची/फारस खाड़ी कान्फ्रेंस

†१९२७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी, अमरीकन, ब्रिटिश और डच लाइनों के सम्मिलित सहयोग से जलाई, १९५८ में जलडमरूमध्य/बम्बई/कराची/फारस खाड़ी कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय नौवहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक अनुमान है यह प्रतीत नहीं होता है कि इस नई कान्फ्रेंस के बनने से भारतीय नौवहन हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

माल गाड़ी के डिब्बों का पटरी से उतरना

†१९२८. श्री सुबिमन घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में सीतारामपुर स्टेशन पर हाल में मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर दे दिया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). २३ नवम्बर, १९५८ को लगभग १३ बजकर ३५ मिनट पर जब कि ट्रेन नं० पांचवी टोपोसी सप्लाई पाइलट सीतारामपुर स्टेशन में प्रवेश कर रही थी तो गाड़ी के चार माल डिब्बे यार्ड में पटरी से उतर गये। पटरी से उतरने वाले यह भार मालडिब्बे सिग्नल पोस्ट से टकरा गये जहां पर दो खलासी काम कर रहे थे। दोनों खलासी घायल हो गये। तदनन्तर उनमें से एक की घावों के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई और दूसरे ने अपना कार्य संभाल लिया।

(ग) अभी नहीं किन्तु मृत व्यक्ति के परिवार को श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अधीन १८,०० रुपये देने की व्यवस्था की जा रही है।

खाद्य उत्पादन

†१९२९. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-५८ की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिये खाद्य उत्पादन के आंकड़े क्या-क्या हैं ; और

(ख) अगले दस वर्षों में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की गणना का क्या आधार है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन) : (क) अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता का हिसाब प्रत्येक योजना अवधि के लिये फैलाया जाता है। और इन-इन बातों को ध्यान में रखा जाता है : (१) कुल जन संख्या में होने वाली सम्भावित वृद्धि, (२) नगरीय जन संख्या में होने वाली सम्भावित वृद्धि, (३) खाद्य उपभोग का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव और उसके विवरण में परिवर्तन, (४) प्रति-व्यक्ति उपभोग में सुधार करने की आवश्यकता और (५) पूंजी विनियोग के स्तर में सम्भावित वृद्धि में परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति की सम्भावनाओं के प्रतिरोध की आवश्यकता।

उड़ीसा में कलशपुर से ब्राह्मणी नदी तक एक नहर का निर्माण

†१९३०. श्री वै०च० मलिक : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के कटक जिले में कलशपुर से ब्राह्मणी नदी तक एक नहर का निर्माण करने के लिये उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मांगी गई २० लाख रुपये की अनुमानित रकम मंजूर हो गई है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): उड़ीसा सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

फैशन फिल्म

†१९३१. श्री राम कृष्ण : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "हार्पर्स बाजार" नामक पत्रिका के दल ने भारतीय पृष्ठभूमि की एक फैशन फिल्म तैयार करने में अब तक क्या प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** भारतीय पृष्ठभूमि की फैशन फिल्म तैयार करने का काम वस्तुत: लन्दन की इंडिपेंडेंट टेलीविज़न यूनिट ने "हार्पर्स बाजार" पत्रिका के लिये लिया था। भारत में जो चित्र लिये गये हैं वे उस फिल्म में शामिल किये जायेंगे जो इंडिपेंडेंट टेलीविज़न यूनिट भारत, थाइलैण्ड और आस्ट्रेलिया के बारे में तैयार कर रहे हैं। यह फिल्म यूनिट इस मास के अन्त में ही लन्दन लौट जायेगी। इस के बाद फिल्म के डेवलपिंग, प्रोसेसिंग, उस पर टीका लिखने और उस के सम्पादन का काम पूरा होगा। इस फिल्म के मई, १६५६ में तैयार हो जाने की आशा है जब कि हार्पर्स बाजार वाले भारत, थाइलैण्ड और आस्ट्रेलिया के बारे में अपनी पत्रिका का एक विशेषांक निकालेंगे।

सहकारिता आन्दोलन

†१६३२. **श्री रामकृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवशेष अवधि में सहकारिता आन्दोलन के प्रसार के लिये किस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन सहकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। १६५६-६० के लिये कार्यक्रम पर राज्यों से चर्चा की जा रही है और उस पर जनवरी १६५६ तक अन्तिम रूप से निश्चय हो जायेगा।

नवम्बर ८ और ६, १६५८ को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहकारिता आन्दोलन के भाग पर विचार किया गया तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिये लक्ष्य और कार्यक्रम सुझाये गये। राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक प्रशासकीय तथा वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण करने के लिये, भारत सरकार, योजना आयोग, रक्षित बेंक तथा भारत सरकार का राज्य बेंक के प्रतिनिधियों का एक दल कार्य कर रहा है।

रेलवे स्टेशन

†१६३३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष १६५६-६० में पंजाब राज्य में रेलवे स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों के नाम और इन पर काम कब तक शुरू हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सलग्न है।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८४]

रेलवे समय-सारणी

†१६३४. { **श्री गोरे :**
श्री जाधव :
श्री हेम बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे समय-सारणियों में एक वर्ष में कितनी बार परिवर्तन किया जाता है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) गत वर्ष प्रत्येक खंडीय (ज़ोनल) रेलवे की समय-सारणियों को कितनी-कितनी प्रतियां छपीं थीं और उनमें से कितनी बिकीं थीं;

(ग) छपाई पर कुल कितना खर्च हुआ था; और

(घ) विज्ञापनों से कितनी आमदनी हुई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) आमतौर से रेलवे समय-सारणियों में वर्ष में दो बार यानी, पहली अप्रैल और पहली अक्तूबर को परिवर्तन किया जाता है। समय-सारणियों में पहली जनवरी और पहली जुलाई को भी परिवर्तन किया जाता है परन्तु यह तभी होता है जब कि समय में परिवर्तन ऐसे हों जिनके लिये समय-सारणी को फिर से प्रकाशित करने की ज़रूरत पड़े।

(ख) सूचना इस प्रकार है :—

रेलवे	१९५७ में छ ी प्रतियों की संख्या	१९५७ में बिकी प्रतियों की संख्या
मध्य	२,५४,५४०	२,३३,००७
पूर्व	३,०४,०००	२,५५,४७४
उत्तर	२,५१,५००	२,३७,४२०
दक्षिण	४,२२,०००	३,८४,७७९
पश्चिम	१,३८,०००	१,२७,६७१
पूर्वोत्तर	१,१८,६००	७७,६६५
दक्षिण-पूर्व	१,२७,४९०	१,०४,२६५

उत्तर-पू सीमान्त १९५७ में नहीं थी।

(ग) लगभग १५,०७,२७४ रुपये।

(घ) लगभग १,२९,७३६ रुपये।

कोट्टयम का मुख्य डाकघर

†१९३५. श्री नणिप्रंगाडन: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कोट्टयम के मुख्य डाकघर के अधीन कितने सब-पोस्ट आफिस व ब्रांच पोस्ट आफिस हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस मुख्य डाक घर से इन सब सब-पोस्ट आफिसों की आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं;

(ग) मद्रास डाक सर्किल के अन्य भागों में मुख्य डाक घर के अधीन कितने सब-पोस्ट आफिस होते हैं;

(घ) क्या वर्तमान कोट्टयम डिवीजन के अधीन कोई अन्य मुख्य डाकघर स्थापित करने का विचार है; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ङ) यदि हां, तो यह कब स्थापित हो जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) ६९ सब-आफिस और २१८ ब्रांच आफिस ।

(ख) इस मुख्य डाकघर को राहत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) ३५ से ५० सब-आफिस ।

(घ) जी हां।

(ङ) अभी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

ट्रंक काल

†१९३६. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमीरपुर से पंजाब के अन्य प्रमुख नगरों के लिये सीधा ट्रंक काल सम्बन्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र की जनता की कठिनाइयां दूर करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) हमीरपुर में एक सार्वजनिक टेलीफोन है जो धर्मशाला टेलीफोन एक्सचेन्ज के अन्य चार सार्वजनिक टेलीफोन से होकर है। पंजाब के अन्य मुख्य नगरों को ट्रंक काल धर्मशाला एक्सचेन्ज होकर किये जाते हैं।

(ख) अधिक सुविधाओं के उपबन्ध के प्रश्न की जांच की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

†१९३७. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा १९५८ में अभी तक जिलों में कुल कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं; और

(ख) उन सड़कों पर कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे इंजनों और माल डिब्बों की खरीद

†१९३८. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में नये रेलवे इंजन और माल डिब्बे खरीदने पर भारतीय रेलवे ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : विगत पांच वर्षों में १६५३-५४ से १६५७-५८ तक नये रेलवे इंजन और माल डिब्बे खरीदने पर भारतीय रेलवे द्वारा व्यय की गई विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में जानकारी इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
आयात किये गये रेलवे इजन (लोकोमोटिव)	५२.०६
आयात किये गये माल डिब्बे	३६.४५

नोट : इन आंकड़ों में वह लोकोमोटिव और माल डिब्बे सम्मिलित नहीं हैं जो टेक्नीकल सहकारी मिशन और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता स्वरूप प्राप्त हुए हैं।

पंजाब में होशियारपुर जिले के लिये पीने का पानी

†१६३६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पंजाब में होशियारपुर जिले में पीने का पानी सम्भरित करने के लिये एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा और स्वरूप क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त योजना तथा लाजपतराय वाटरवर्क्स का केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक योजना के लिये अभी तक कितनी रकम मंजूर की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	अनुमानित लागत
१. होशियारपुर जल संभरण योजना	१२.२८ लाख
२. दरहरा जल संभरण योजना	१३.४६ लाख
३. आबौर बास, बराई और भाटोली जल सम्भरण योजना .	१.१४५ लाख
४. चिन्तपुर्नी जल सम्भरण योजना .	१.६४ लाख
५. होशियारपुर जल उत्सारण	६.७६ लाख
६. दसुया जल उत्सारण . .	३.५६ लाख

(ग) दो योजनायें अर्थात् होशियारपुर जल उत्सारण और दरहरा जल सम्भरण योजनाओं का अभी तक अनुमोदन किया गया है।

जहां तक लाजपतराय वाटर वर्क्स का सम्बन्ध है टेहलीवाला में बिजली से चलने वाले पम्पिंग सेट के उपबंध के लिये १.२६ लाख रुपये की लागत का प्राक्कलन प्राप्त हुआ था जिसकी जांच केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनीयरिंग संगठन ने की थी। यह मालूम हुआ कि यह योजना केन्द्रीय सहायता की पात्र नहीं थी।

(ख) सम्पूर्ण अनुमोदित योजनाओं के लिये सामूहिक और पृथक्-पृथक् रूप से रकम मंजूर की गई है। प्रत्येक योजना के लिये मंजूरशुदा रकम आवंटित करने का काम राज्य सरकारों पर निर्भर है। पंजाब सरकार को अनुमोदित नगरीय जल संभरण योजनाओं के लिये मार्च, १६५८ तक ६०.६२५ लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे वर्क्स विभाग में सुपरवाइजरों की भर्ती

†१९४०. { **श्री हाल्दर :**
श्री दशरथ देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वर्क्स विभाग में सुपरविजन कार्य के लिये ५० सुपरवाइजरों के पदों के लिये उम्मीदवारों को २५ नवम्बर, १९५८ को कलकत्ता बुलाया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उम्मीदवारी के इच्छुक अनेक व्यक्तियों को पुलिस की सहायता से बाहर कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे की शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों के वेतन-क्रम

१९४१. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेलवे मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन द्वारा चलायी जाने वाली सभी शिक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के वेतन-क्रमों के बारे में क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो वह सभा पटल पर कब रखी जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). रेलों से जो सूचना आयी है उससे मालूम होता है कि ट्रेण्ड ग्रेजुएट अध्यापकों के वेतन-मान के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के ता० ३१-५-५५ के पत्र नं० ई(एस)५४—सी पी सी/१११ में जो आदेश दिया गया था उस पर पूर्वोत्तर और मध्य रेलों को छोड़ कर दूसरी सभी रेलों में अमल किया जा चुका है। इन दो रेलों में भी इस आदेश पर अमल किया जा रहा है।

आबकारी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा यात्रियों की तलाशी

१९४२. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवारी गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की आबकारी विभाग के पदाधिकारी द्वारा उन क्षेत्रों के बड़े-बड़े स्टेशनों पर तलाशी ली जाती है जहां राज्य सरकारों द्वारा मद्य-निषेध कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये तलाशियां रेलवे विभाग के किस विनियम के अन्तर्गत की जाती हैं; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन इन तलाशियों के कारण रेलवे यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के कुछ उपायों पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). रेलवे स्टेशनों पर संदिग्ध यात्रियों की तलाशी किसी रेलवे विनियम के अधीन नहीं, प्रान्तीय मद्य-निषेध और आबकारी अधिनियमों के अधीन ली जाती है।

(ग) रेल-प्रशासनों को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे यह पता चल सके कि इन तलाशियों के कारण यात्रियों को अनुचित रूप से तंग किया जाता है। इसलिये विशेष उपाय करने का सवाल नहीं उठता।

गन्ना

†१९४३. **श्री जाधव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में (जिन में संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित हैं) १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितने एकड़ भूमि में गन्ने की खेती हुई है ; और

(ख) सम्पूर्ण किस्म की चीनी और गुड़ के यथार्थ उत्पादन पर विचार करते हुए प्रति एकड़ उत्पाद और वसूली के प्रतिशत की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). संलग्न विवरण में मांगी गई जानकारी दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८५]

देशी पद्धति की औषधियां

†१९४४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सा एसोसियेशन की ओर से सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में यह प्रार्थना की गई है कि देशी और होम्योपैथिक औषधियों के अध्ययन की संवृद्धि के बारे में अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद (५०वें सत्र) की सिफारिशें स्वीकार न करने के लिये प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशें स्वीकार करने के पहले अखिल भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सा एसोसियेशन और आयुर्वेदिक तथा यूनानी एसोसियेशनों से परामर्श करने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) चूंकि भारतीय चिकित्सा परिषदने कोई सिफारिश नहीं की है अतः अखिल भारतीय चिकित्सा एसोसियेशन और आयुर्वेदिक तथा यूनानी एसियेशनों से परामर्श करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में प्राइवेट स्कूल

†१९४५. **श्री पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण-पूर्व रेलवे में स्थित प्राइवेट स्कूलों को १९५७-५८ में वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से कितनी शैक्षणिक संस्थायें लाभान्वित हुई हैं ;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारी हित निधि से १९५७-५८ और १९५८-५९ में गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन में किन-किन शैक्षणिक संस्थाओं को रेलवे कर्मचारी हित निधि से अनुदान प्राप्त हुआ है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को वित्तीय सहायता मंजूर की है ।

(ख) २१ ।

(ग) १९५७-५८—जी हां, अनुदान मंजूर कर दिये गये हैं किन्तु कर्मचारी लाभ निधि लेखा अभी दिया नहीं गया है ।

१९५८-५९—अभी तक कुछ भी नहीं ।

(घ) आंध्र हाई स्कूल, खड़गपुर ।

भोला गर्ल्स मिडिल स्कूल, मोतीबाग ।

स्लीपर नियंत्रण अधिकारी

†१९४९. श्री पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे, कलकत्ता के स्लीपर नियंत्रण अधिकारी बर्मी स्लीपरों का निरीक्षण करने के लिये हाल ही में बर्मा गये थे ;

(ख) यदि हां, तो बर्मा से हाल में मंगाये जाने के लिये कितने स्लीपरों का प्रबन्ध किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि हाल के सौदे में घटिया किस्म के स्लीपर खरीदने की व्यवस्था की गई है ; और

(घ) क्या रेलवे बोर्ड ने इन बर्मी स्लीपरों के निरीक्षण का आदेश दिया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां । दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्लीपर नियंत्रण अधिकारी को बर्मा इस प्रयोजन से डेप्यूट किया गया था कि वह बर्मा सरकार के राज्य टिम्बर बोर्ड के साथ मिल कर भारतीय प्रमापीकरण के अनुसार निरीक्षण का समुचित स्टैंर्ड स्थापित करें ।

(ख) ४,३५,००० टैक स्लीपर और ५०० सेट विशेष साइज के क्रासिंग स्लीपर का प्रबंध किया गया है ।

(ग) और (घ). जहाज में लाये गये स्लीपरों की पहली किस्त का कलकत्ता में निरीक्षण किया जा रहा है । इस निरीक्षण के फलस्वरूप यदि कोई स्लीपर नमूने के अनुसार नहीं हुए तो ठेके की शर्त के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में नलकूप

†१६४८. श्री कुम्भार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नलकूपों के निर्माण के लिये क्या उड़ीसा राज्य सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तर्गत अभी तक कितनी रकम आवंटित की गई है ;

(ख) अभी तक वर्षवार कितनी रकम दी गई है ;

(ग) उन स्थानों के जिलेवार क्या-क्या नाम हैं जहां यह कुएं बनाये गये हैं ; और

(घ) प्रत्येक कुएं की यथार्थ लागत कितनी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) कुओं के निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को कोई राशि आवंत्रित नहीं की गई है। किन्तु राज्य सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७ लाख ५६ हजार रुपये का उपबन्ध है।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर भोजन व्यवस्था करने वाले

†१६४६. श्री कुम्भार: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में विभिन्न गाड़ियों पर भोजन-व्यवस्था करने वालों की संख्या क्या है ;

(ख) इन भोजन व्यवस्था करने वालों के खिलाफ इस वर्ष कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे की गाड़ियों में अल्पाहार डिब्बों का प्रबन्ध विभागीय तौर पर ही किया जाता है ।

(ख) और (ग). अप्रैल से नवम्बर, १६५८ तक जो शिकायतें मिली और उन पर जो कार्यवाही की गई वह बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८६].

त्रिपुरा में दूध सप्लाई योजनायें

†१६५०. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के लिये दूध सप्लाई योजना को कार्यान्वित करने के लिये अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ग) कार्यान्वित की गई योजना से कितना दूध प्राप्त होता है ; और

(घ) यदि योजना कार्यान्वित नहीं की गई है तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) से (घ). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

(क) त्रिपुरा प्रशासन ने १९५७-५८ में अगरताला में दूध सप्लाई योजना के लिये डेयरी की इमारत के निर्माण पर और कुछ उपकरण खरीदने पर ०.३३ लाख रुपये खर्च किये थे। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में किये गये खर्च के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) २.४६ लाख रुपये।

(ग) आरम्भ में ५० मन दूध से काम शुरू किया जायेगा परन्तु २०० मन तक विस्तार करने की सम्भावना होगी।

(घ) योजना कार्यान्वित की जा रही है। डेयरी की इमारत तैयार होने वाली है और कुछ उपकरण खरीदा जा चुका है।

खोवाई नदी का कटाव

†१९५१. श्री दशरथ देब : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन को दुर्गानगर में खोवाई नदी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये 'स्पन' का निर्माण करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस कटाव के कारण दुर्गानगर का कुछ भाग पाकिस्तानी क्षेत्र बन गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां।

(ख) विषय विचाराधीन है।

(ग) नहीं।

त्रिपुरा में रुद्रसागर को कृषि योग्य बनाना

†१९५२. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में रुद्र सागर, सुक सागरजला, बुरिमा और रंगापानी को कृषि योग्य बनाने के लिये कोई योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में धान की खेती होती है ;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि इन योजनाओं का त्याग कर दिया गया है तो इस के क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) नहीं।

(ख) सुक सागरजला, रंगापानी और बुरिमा में धान की खेती होती है। रुद्र सागर के कुछ क्षेत्र में भी जब पानी की सतह कम हो जाती है तो 'बोरो' धान की खेती की जाती है।

(ग) और (घ). प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक व तार कर्मचारी

†१९५३. { **श्री सुबिमन घोष :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी डाक कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश देने के आदेश दिये जाने के बाद डाक विभाग के कर्मचारियों के किन वर्गों को रविवार को भी काम पर बुलाया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को गत ३ या ४ वर्ष से सरकार के आदेश के बावजूद प्रतिकर भत्ते की राशि नहीं दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो भुगतान रुकने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उन्हें किस तिथि से और किस दर से भुगतान किया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) (१) पोस्टल क्लर्क, सिगनेलर, सार्टिंग पोस्टमेन और डाक चपरासी और पैकर ;

(२) चौकीदार, भिश्ती, माली और भंगी ।

(ख) और (ग). उन वर्गों को जिन का उल्लेख (क) (१) में किया गया है, हमेशा इस के बदले में एक दिन का अवकाश अन्यथा ओवरटाइम भत्ता दिया जाता है। (क) (२) में उल्लिखित कर्मचारी प्रतिकर भत्ते की राशि प्राप्त नहीं कर सकते । परन्तु उन्हें सप्ताह में एक दिन का अवकाश इस शर्त पर मिलता है कि इस पर कोई अतिरिक्त व्यय न हो ।

(घ) उन वर्गों के कर्मचारियों को, जिनका उल्लेख (क) (१) में किया गया है, १५ दिसम्बर, १९५२ से ओवर टाइम भत्ता, यदि आवश्यक हो, दिया जाता है । भत्ते की दरें विवरण में दी गई हैं जो सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८७**]

बिजली से गाड़ियां चलाना

†१९५४. { **श्री गोरे :**
श्री हेम बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री ९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इगतपुरी और भूसावल के बीच बिजली से गाड़ियां चलाने सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) सर्वेक्षण के लिये प्राक्कलन हाल ही में स्वीकृत किया गया :

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सड़क के ऊपरी पुल और पटरी को फिर से लगाने आदि सिविल इंजीनयरिंग कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही आरम्भ किये जायेंगे। उन पर बिजली का सामान लगाना, सिगनलिंग, दूर संचार और बिजली के सामान को बदलने और विद्युत चालित इंजन मंगवाने का काम तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जायेगा जब विद्युत शक्ति उपलब्ध हो जायेगी।

पाकिस्तान में भारतीय रेलवे कर्मचारी

१९५५. श्री स० म० बनर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे और भारत-पाक पार परिवहन रेल मूवमेंट के डायरेक्टरेट के कुछ कर्मचारी क्रमवार पूर्वी पाकिस्तान के दर्सना और सन्ताहार स्थानों पर नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, १९५८ में मार्शल ला के दौरान में उनके जीवन और सम्पत्ति के बचाव के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलवे कर्मचारियों के जीवन और सम्पत्ति के बचाव का अभी तक कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ।

दोहरी लाइन बिछाना

†**१९५६. श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सराये रोहेला से गढ़ी हरसारु तक दोहरी लाइन बिछाने के काम का ठेका सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख). केवल दो काम (१) दो केबिनों के निर्माण का काम और (२) २" और १" के पत्थर के टुकड़ों जिनका मूल्य क्रमवार ३०,००० रुपये और १,८१,००० रुपये था, दो ऐसे ठेकेदारों को दिये गये जो सेवा निवृत्त पाधिकारी थे, एक रेलवे का और दूसरा पंजाब सरकार का। सामान्य टेंडरों में इनकी दरें निमनतम थीं।

नई दिल्ली की सड़कें

१९५७. श्री भक्त दर्शन : क्या स्वास्थ्य मंत्री २६ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच नई दिल्ली की कुछ और सड़कों के नाम बदल कर उनके भारतीय नाम रखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न सड़कों को कौन-कौन से नये नाम दिये गये हैं ;

(ग) उनके सिवाय और किन-किन सड़कों के नये नामकरण करने का प्रश्न विचाराधीन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि इस बीच इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है तो उसका क्या कारण है ; और

(ङ) कब तक नई दिल्ली की सब सड़कों के भारतीय नाम प्रचलित हो जाने की आशा की जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है ।

जोरहाट हवाई अड्डे में टर्मिनल बिल्डिंग

†१९५८. **श्री पु० चं० बरुआ** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में जोरहाट हवाई अड्डे पर टर्मिनल स्टेशन बिल्डिंग के पुनर्निर्माण की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ।

(ख) १.३८ लाख रुपये ।

(ग) टर्मिनल स्टेशन बिल्डिंग के निर्माण भारतीय वायु सेना से वह ज़मीन प्राप्त होते ही शुरू हो जायेगा जहां उसका निर्माण किया जाना है । आशा है कि वह भूमि शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी ।

परिवार नियोजन

†१९५९. **श्री कुम्भार** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को परिवार नियोजन के लिये अब तक कितनी राशि दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५४–५५ से लेकर भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य को परिवार नियोजन के लिये कुल १,१७,७७२ रुपये की राशि स्वीकृत की है ।

इस राशि में ७७,००० रुपये की वह राशि भी शामिल है जो उड़ीसा राज्य को १९५८–५९ परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये दी गई । इस राशि का १/१२ भाग राज्य सरकार को प्रत्येक मास अर्थोपाय पेशगियों के रूप में दिया जाता है ।

हीराकुड बांध

†१९६०. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड जलाशय में अधिकतम कितना पानी जमा किया जा सकता है और इस वर्ष वर्षा के दौरान में कितना पानी जमा किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बिजली घर को चलाने के लिये प्रतिवर्ष कितना पानी चाहिये ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष कितना पानी सूख जाता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) हीराकुड जलाशय में ६६.० लाख एकड़ फुट पानी जमा किया जा सकता है। इस वर्ष इसे पूरा भर लिया गया है।

(ख) १९५३ के आंकड़ों के अनुसार बिजली घर नं० १ में ७४.८ लाख एकड़ फुट बिजली पैदा करने के लिये प्रत्येक वर्ष इस्तेमाल होगा। इसमें वह पानी भी शामिल है जो मानसून और गैर-मानसून मौसम में प्रत्यक्ष रूप से नदी में से लिया जाता है।

(ग) अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष ५.९० लाख एकड़ फुट पानी सूख जाता है।

पूर्वोत्तर रेलवे में चोरियां

१९६१. स्वामी रामानन्द शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल का संगठन कब हुआ था ; और

(ख) वर्ष १९५४, १९५५, १९५६, १९५७ और १९५८ में उक्त रेलवे में कितनी चोरियां हुई; और

(ग) रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) मई, १९५४ में।

(ख) चोरियों की तादाद इस प्रकार है :—

१९५४	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८ (अक्तूबर तक)
८९६	७०८	५९६	६२६	३०९

(ग) रेलवे को जो नुकसान हुआ उसका अनुमान इस प्रकार है :—

वर्ष	ढोने के लिये रेलवे को जो माल सौंपा गया उसकी चोरी से नुकसान	रेल-सम्पत्ति की चोरी से नुकसान
१९५४	४,७०,०००	२,३४,०००
१९५५	३,३५,०००	३,२०,०००
१९५६	१,८८,०००	३,२८,०००
१९५७	३,३९,०००	२,३७,०००
१९५८ (अक्तूबर तक)	१,२७,०००	२,६०,०००

नोट:—ऊपर (ख) व (ग) में जो आंकडे दिये गये हैं उनमें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बनने के बाद के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

†मूल अंग्रेजी में

रेलों में चोरियां

†१९९३. **श्री का० च० जेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से लेकर प्रत्येक ज़ोन में प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे की माल गाड़ियों और पार्सल डिब्बों में कितनी चोरियां हुई ;

(ख) इन में से कितनों को रेलवे प्राधिकारियों ने 'चलती गाड़ी में चोरी' की श्रेणी में रखा है ;

(ग) १९५२ से आज तक चलती गाड़ी में चोरी के कितने मुकदमे अदालतों में लाये गये और माल के मालिकों ने कुल कितनी राशि के दावे किये और कितने मुकदमे सरकार ने जीते ;

(घ) इस अवधि में हुई चोरियों के लिये सरकार को प्रतिकर के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ; और

(ङ) इस अवधि में चोरी के मुकदमों पर कितना खर्च किया गया और माल भाड़े के तौर पर कितनी राशि वसूल की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ङ). उपलब्ध जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में मुर्गी पालन

†१९९४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में राजकीय सहायता प्राप्त वैज्ञानिक आदर्श मुर्गीपालन योजना शुरू की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). "राजकीय सहायता प्राप्त वैज्ञानिक आदर्श मुर्गीपालन योजना" नाम की कोई योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू नहीं की गई है। विचार है कि कमलाही में जो राज्य मुर्गीपालन केन्द्र है उसका विकास करके उसे क्षेत्रीय मुर्गीपालन केन्द्र का कार्य सौंप दिया जाये। आशा है कि यह कार्य अप्रैल, १९५९ से शुरू होगा। इस योजना की मुख्य विशेषतायें लोक-सभा में १२ दिसम्बर, १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १३७२ के उत्तर में बताई जा चुकी हैं।

हिमाचल प्रदेश में फल परिरक्षण उद्योग

†१९९५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में फलपरिरक्षण योजना शुरू करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के फल परिरक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन को चालू तथा आगामी वित्तीय वर्षों के लिये क्रमशः २०,००० रु०

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा २१,००० रु० की वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी केन्द्र नहीं खोला गया है पर आशा है कि शिमला या उसके आस-पास कोई केन्द्र खोला जायेगा जो कि महासू जिले के फल उत्पादकों की आवश्यकता को पूर्ण करेगा और फल तथा सब्जियों के उत्पाद को तैयार करने का प्रशिक्षण देगा।

उत्तर रेलवे में डीजल कारें

†१६६६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे में कितनी डीजल कारें चल रही हैं ;

(ख) क्या जालन्धर-पठानकोट लाइन पर एक डीजल कार चलाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कोई नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) बड़ी लाइन की डीजल कारों की कमी के कारण जालन्धर-पठानकोट सेक्शन पर डीजल कार चलाने की कोई योजना नहीं है।

पाकिस्तानी नाविक

†१६६७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३६ पाकिस्तानी नाविकों को, जबकि वे कलकत्ते में आस्ट्रेलिया के एक जहाज़ से अपनी बकाया राशि लेने का प्रयत्न कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सत्यता क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) जी हां, आस्ट्रेलिया से आने पर दमदम हवाई अड्डे पर ३० नवम्बर, १६५८ को ३६ पाकिस्तानी नाविकों को गिरफ्तार किया गया था। ये नाविक आस्ट्रेलिया से छूटने के बाद यात्री के रूप में लाये जा रहे थे। उन्हें इसलिये गिरफ्तार किया गया था कि उनके पास भारतीय पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित पुनः प्रवेश के दृष्टांक नहीं थे। अब पुलिस अधिकारियों ने उनके ऊपर चलाये गये मुकदमों को वापस लेने का फैसला कर लिया है क्योंकि जहाज के मास्टर ने प्रमाणित कर दिया है कि वे नेकनियत नाविक थे और जल्दी के कारण उनकी पंजीयन पुस्तकों में पुनः प्रवेश दृष्टांकों का अंकन नहीं किया गया था।

हिन्दी अनुवादक और सहायक

१६६८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में कितने हिन्दी अनुवादक और सहायक (असिस्टेंट) हैं ; और

(ख) उनके लिये क्या योग्यतायें नियत हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

हिन्दी अनुवादक	हिन्दी सहायक (असिस्टेंट)
	३

(ख) इस मंत्रालय का दफ्तर गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित सैण्ट्रल सैक्रेटेरियट सर्विस स्कीम में सम्मिलित हैं जो इस स्कीम में शामिल सभी दफ्तरों में हिन्दी असिस्टेंटों की भरती के सवाल पर विचार कर रहा है। जब तक इसका कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक के लिये मौजूदा असिस्टेंट या अपर डिवीज़न या लोअर डिवीज़न क्लर्कों में से ही हिन्दी का ज्ञान रखने वाले असिस्टेंट हिन्दी असिस्टेंटों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर लिये गये हैं।

माल डिब्बे बनाने का ठेका

†१९६९. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेगन अथवा माल डिब्बों के कुछ पुर्जे बनाने का ठेका सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर को दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह ठेका कब दिया गया और उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उक्त फर्म द्वारा अब तक कितने माल-डिब्बे अथवा माल-डिब्बों के पुर्जे बना कर दिये गये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) एक बयान साथ नें नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८८]**

(ग) कोई नहीं।

बम्बई आगरा रोड

†१९७०. **श्री जाधव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-आगरा रोड को चौड़ा करने का काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में शुरू किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) किस ओर से काम शुरू किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) राशि की कमी के कारण इस कार्य को कम प्राथमिकता दी गई है और इस कारण आशा नहीं है कि वर्तमान योजना के अन्त तक यह कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(ख) और (ग). इस सड़क को दो सड़कों के बराबर चौड़ा करने तथा उसे सुधारने पर कुल लागत लगभग ३०० लाख रुपये लगेगी। यातायात की मात्रा देखते हुये विभिन्न खण्डों में काम शुरू किया जायेगा।

मनमाड–नारदाना–इन्दौर रेलवे लाइन

†१९७१. **श्री जाधव :** क्या **रेलवे** मंत्री दिनांक ३१ मई, १९५७ तथा ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्नों संख्या ५५५ और ३५७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रथम सर्वेक्षण के बाद स्थितियों में हुये परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार मनमाद-नारदाना-इन्दौर रेलवे परियोजना का दूसरा सर्वेक्षण कराना चाहती है ताकि इस परियोजना को तीसरी पंच वर्षीय योजना में लिया जा सके ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : यह बताना समय से बहुत पूर्व होगा कि सर्वेक्षण किया जायेगा या नहीं।

गोहाटी में सामान परिवहन के ठेके

†**१९७२. श्री हेम बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष १९५८–५९ में गोहाटी में केन्द्रीय खाद्य गोदाम में सामान के परिवहन ठेकों के आवंटन में कुछ गड़बड़ी रही है ;

(ख) यदि हां, क्या सरकार को वर्ष १९५८–५९ के ठेकों के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में छानबीन की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क), (ख), (ग) और (घ). कुछ गड़बड़ियों के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। मामले की जांच हो रही है।

नागार्जुन सागर परियोजना

†१९७३. { **श्री दे० वें० राव** :
श्री रामम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन परियोजना क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये स्थायी मकान बनाने की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां तो कितने कर्मचारियों को अभी तक मकान दिये गये हैं ; और

(ग) निकट भविष्य में कितने कर्मचारियों को मकान मिलने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) २२८४।

(ग) ३१०।

गबन

†**१९७४. श्री बैं० ना० कुरील** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राय बरेली (उ० प्र०) के कचहरी के डाकखाने के बचत बैंक से रुपया गबन किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो कुल कितनी राशि गबन की गई है ;

(ग) कितने व्यक्तियों को गबन के लिये जिम्मेदार ठहराया गया ;

(घ) इस से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों को रुपया चुकाने की व्यवस्था कर दी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

(ख) ७ वर्ष में ७६,४०५ रुपये ।

(ग) यद्यपि काम एक व्यक्ति ने किया तथापि ३१ व्यक्ति इस काम में मिले हुए थे ।

(घ) ७८ बचत बैंक में रुपया जमा करने वाले व्यक्ति ।

(ङ) अभी नहीं । दावे तब तक स्वीकार नहीं किये जा सकते जब तक न्यायालय में चलने वाले मुकदमें का फैसला न हो जाये ।

ओल्वाकोडे में डिवीजनल हैडक्वार्टर

†१९७५. { **श्री अ० के० गोपालन** :
श्री कुन्हन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को जनता से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि दक्षिण रेलवे के ओल्वाकोडे स्थित हैडक्वार्टर में भेजे गये पत्रों तथा अभ्यावेदनों का उत्तर बहुत विलम्ब के बाद भी नहीं मिलता है ;

(ख) यदि हां तो सरकार उक्त डिवीजनल हैडक्वार्टर की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये क्या कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे बोर्ड की एसिस्टेंट पदाली में ज्येष्ठता के सम्बन्ध में संशोधन

†१९७६. { **श्री अ० के० गोपालन** :
श्री कुन्हन :

क्या रेलवे मंत्री २८ अगस्त १९५८ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में एसिस्टेंट पदाली में ज्येष्ठता के सम्बन्ध में संशोधन करने के सम्बन्ध में अंतिम निश्चय हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अभी नहीं।

(ख) कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदनों का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है ।

रुड़की से बद्रीनाथ तक सड़क

१९७७. श्री भक्त दर्शन: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री क्रमशः १२ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ और फरवरी २५, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५७ के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुड़की से बद्रीनाथ तक की सड़क का सुधार व विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता देने का जो निश्चय किया गया था, उसके अन्तर्गत उस सड़क के प्रत्येक खंड के सुधार व विकास के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस सड़क के प्रत्येक भाग के लिए अब तक कुल कितना अनुदान दिया जा चुका है;

(ग) प्रत्येक खंड के शेष कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ;

(घ) क्या इस सड़क के और अधिक विकास और सुधार के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुछ और वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया गया है या विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी धनराशि और किस प्रकार के कार्य के लिए दी जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण साथ में लगा दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८९]**

ग्लाइडरों के निर्माण के लिये लकड़ी

†**१९७८. श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के लाहौल और स्पीति क्षेत्रों में विशेष प्रकार की लकड़ी उपलब्ध है ;

(ख) क्या इस लकड़ी का उपयोग ग्लाइड्रों के निर्माण में हो सकता है ;

(ग) यदि हां तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). सरकार को लाहौल और स्पीति इलाके में ऐसी लकड़ी मिलने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है जो ग्लाइडरों के निर्माण में काम में आ सकती है। तथापि सरकार को यह ज्ञात है कि कुल में मिलने वाला सरो का वृक्ष विदेशी सरो के वृक्षों से बहुत मिलता है । इसका प्रयोग असैनिक उड्डयन विभाग के टैक्नीकल केन्द्र के द्वारा दो सीटों वाले अश्विनी ग्लाइडर के बनाने में काम में लाया गया। जिसका अभी हाल उड़ान परीक्षण किया गया ।

पंजाब में अभाव की स्थिति

†**१९७९. श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के पहाड़ी जिलों में अभाव की स्थिति मौजूद है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो केन्द्र ने नवम्बर और दिसम्बर महीनों में कितना खाद्यान्न भेजा तथा ऐसी ही स्थिति रहने पर अन्य महीनों में कितना अनाज भेजा जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). जी, नहीं। राज्य सरकार पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को कम मात्रा में खाद्यान्न वितरित कर रही है। जनवरी से नवम्बर १९५८ तक इस प्रयोजन के लिये केन्द्र से ३४०० टन खाद्यान्न दिया गया।

हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजना

†१९८०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय कितने सामुदायिक विकास परियोजनाओं में काम हो रहा है; और

(ख) वे स्थान कहां स्थित हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ख). पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०**]

पंजाब में फलों के बगीचे

†१९८१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से फलों के बगीचों के विकास के निमित्त सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां। राज्य सरकार ने १९५७–५८ में एक योजना प्रस्तुत की थी।

(ग) इस योजना का उद्देश्य नये फलों के बगीचे लगाने के लिये, तथा टेक्नीकल सलाह देने के लिये वित्तीय सहायता देकर बगीचे का विकास करना है ।

योजना का व्योरा निम्नलिखित है:—

विशेष विवरण

१. लक्ष्य : १९५७–५८ के दौरान ४००० एकड़ में नये बगीचे लगाये जायेंगे।

२. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राशि { वित्तीय सहायता ६४१०० रुपये।
दीर्घकालीन ऋण १२,००,००० रुपये।

३. राज्य सरकार का अंश ६४,१०० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५६–५७ में एक ऐसी ही योजना पेप्सू राज्य से भी प्राप्त हुई थी बाद में वह राज्य पंजाब में विलय हो गया। उनके द्वारा भेजी गई योजना जिस पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था इस प्रकार है :—

विशेष विवरण	
१. लक्ष्य	१९५६–५७ में २००० एकड़ में बगीचे लगाये जायेंगे। १००० एकड़ के वर्तमान बगीचों का पुनर्नवीकरण किया जायेगा।
२. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	वित्तीय सहायता २५,६००० रु० दीर्घकालीन ऋण ६०,००,००० रु० अल्पकालीन ऋण—बिल्कुल नहीं।
३. राज्य सरकार का अंश	२५,६००० रुपये।

पंजाब में काजू की खेती

†१९८२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में काजू की खेती की कोई योजना क्रियान्वित कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई राशि प्रदान की गई है ; और

(ग) यदि हां तो योजना का विवरण क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भ्रष्टाचार के मामले

†१९८३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० नवम्बर १९५८ के दिन उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामले निलम्बित थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : ३०–११–५८ को उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के ३११ मामले निलम्बित थे।

वर्षा में क्षतिग्रस्त रेलवे पुल

†१९८४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में कुल कितने पुल क्षतिग्रस्त हैं उन में से चालू वर्ष में बाढ़ के कारण कितने पुलों को हानि पहुंची है ; और

(ख) इसके फलस्वरूप किन-किन स्थानों में कितनी अवधि के लिये रेलवे यातायात रूक गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) चालू वर्ष में बाढ़ से कोई पुल क्षति-ग्रस्त नहीं हुआ ।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित कारण से पुलों को क्षति न पहुंचने के कारण यातायात में कोई बाधा नहीं पहुंची ।

मुसाफिरखाने

†**१९८५. श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में उत्तर रेलवे में अब तक कितने मुसाफिरखाने बनाये गये ; और

(ख) कितने मुसाफिरखानों की मरम्मत हुई और उनमें कितना व्यय हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १९५८–५९ में अब तक ७ मुसाफिरखाने निम्न स्टेशनों में बनाये गये हैं :

(१) ज्वालामुखी रोड
(२) एलेनाबाद
(३) मलीहाबाद
(४) राजक सहसपुर
(५) जलेसर सिटी
(६) आवागढ़
(७) ऐटा

(ख) मुसाफिरखानों का हिसाब किताब पृथक नहीं रखा जाता है क्योंकि वे स्टेशन की इमारत का ही एक भाग होते हैं उनके निर्माण व मरम्मत का व्यय सेवा सम्बन्धी इमारतों के अन्तर्गत लिखा जाता है ।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मोटे चावल की खरीद

१९८६. श्री रा० च० शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में नियत की गई दर से मध्य प्रदेश सरकार कितना मोटा चावल खरीदेगी ; और

(ख) ग्वालियर और भिण्ड जिलों में पैदा होने वाली चावल की ऊंची किस्म की खरीद के लिये क्या कोई दर निर्धारित की जा रही है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अजित प्रसाद जैन) : (क) और (ख). कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु खपत से बचा हुआ जितना निर्यात हो सकता है वह सब केन्द्रीय सरकार के हिसाब में खरीदा जायेगा । अच्छी किस्म का चावल भी खरीदा जायेगा जिसके भाव निर्धारित किये जा रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू और श्रीनगर के बीच रज्जुपथ[1]

१९८८. श्री हेम बरुआ : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने जम्मू और श्रीनगर के बीच रज्जुपथ बनवाने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता या अनुदान के लिए प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि मांगी है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में अस्थायी कर्मचारी

१९८९. श्री प० ला० बारुपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के विभिन्न विभागों में ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने १ स ३-४ वर्ष तक नौकरी की है ;

(ख) क्या यह सच है कि कई नये लोग नियुक्त किये गये किन्तु अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २२०१ ।

(ख) आमतौर पर पक्की जगहों पर भी सभी नियुक्तियां प्रोबेशन पर की जाती हैं, इसलिये शुरू में वे अस्थायी होते हैं जब कभी आगे जगहें होती हैं तो उन पर नयी नियुक्तियां की जाती हैं । पहले से नियुक्त कर्मचारियों के स्थायी होने में नयी नियुक्तियों का कोई असर नहीं पड़ता । ज्यों-ज्यों स्थायी जगहें होती हैं उन पर कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है ।

(ग) सवाल नहीं उठता

हैदराबाद और बंगलौर के बीच राष्ट्रीय राजपथ

†**१९९०. श्री अगाड़ी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद से बंगलौर तक राष्ट्रीय राजपथ बनाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है ;

(ख) यह राष्ट्रीय राजपथ किन किन जिलों से होकर गुजरेगा ; और

(ग) उसमें अनुमानित कितना व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) हैदराबाद बंगलौर मार्ग बनारस कन्याकुमारी मार्ग का ही एक भाग है इसे राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ घोषित कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Ropeway.

(ख) यह मार्ग आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, महबूबनगर, कुर्नूल, अनन्तपुर और मैसूर के कोलार और बंगलौर जिलों से गुजरता है ।

(ग) राजपथ के इस अंश के निर्माण का कुल अनुमानित व्यय २३३.६ लाख रुपये है।

रेलवे टिकट

†१९९१. { **श्री हीं० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड (कलकत्ता संस्करण नवम्बर ४, १९५८) का यह संवाद सही है कि कलकत्ता के टिकट गोदाम में बहुत बड़ी संख्या में टिकट पाये गये जिनका मूल्य कई लाख रुपया था ;

(ख) क्या बहुत पहिले छपे हुए टिकटों का मूल्य टिकटें बदल कर उन्हें जनता में बेचने की प्रथा है ;

(ग) क्या इससे रेलवे को घाटा हो रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ; और

(घ) क्या ऐसे गोदाम और उनके बेचने का सही-सही हिसाब रखा गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । हावड़ा स्टेशन के टिकट गोदाम में ११२ लाख अतिरिक्त और पुराने टिकट नष्ट करने के लिये रखे हुए हैं।

(ख) यात्री भाड़े में परिवर्तन होने पर, नये टिकटो के आने के पूर्व भाड़े को स्याही से लिख कर यात्रियों को टिकट जारी करने की प्रथा है। लेकिन प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट टिकट पुराने टिकट हैं जो किसी प्रयोग में नहीं आ सकते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां । ऐसे टिकटों और उनकी बिक्री का सही हिसाब रखा जाता है ।

समुचित अधिरक्षण के अधीन २५००० टिकट प्रतिदिन नष्ट किये जा रहे हैं ।

रेल दुर्घटना

†१९९२. श्री संगण्णा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ नवम्बर, १९५८ को दक्षिण पूर्व रेलवे के दूसो स्टेशन में एक दुर्घटना हुई थी जिसके फलस्वरूप एक बाइलर कर्मचारी की मृत्यु हो गई ;

(ख) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई ;

(ग) क्या मृतक के आश्रितों को कुछ प्रतिकर दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं, प्रतिकर सम्बन्धी कागजात तैयार किये जा रहे हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

तेल वाली सारडीन मछलियां

†१९९३. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल वाली सारडीन मछलियों के जीवविज्ञान सम्बन्धी बहुत सी बुनियादी बातों का अभी पता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो तेल वाली सारडीन मछलियों के पालन के लिये आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). तेल वाली सारडीन मछलियों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

मालगाड़ी दुर्घटना

†१९९४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ अक्तूबर, १९५८ को दक्षिण-पूर्व रेलवे के रूरकेला के निकट विसरा स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई मालगाड़ी के ब्रेक वान से टकरा गई और गाड़ी का गार्ड मर गया ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २५-१०-५८ को लगभग ४.५२ बजे जब कि ६०१ अप मालगाड़ी विसरा स्टेशन पर खड़ी हुई थी तो गाड़ी संख्या ६०३ ए अप उसी लाइन पर आई और ६०१ ए अप मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई । इसके परिणामस्वरूप ६०१ ए अप मालगाड़ी का ब्रेक वान और उससे लगा हुआ डिब्बा उलट गया । ६०१ अप का गार्ड ब्रेक वान से बाहर गिर पड़ा और तत्काल मर गया ।

(ख) ६०३ ए अप मालगाड़ी को एक बन्द लाइन पर ले जाया गया ।

दिल्ली में श्रमिक शिविर

†१९९५. { श्रीमती सुचेता कृपालानी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने श्रमिक शिविर हैं और प्रत्येक शिविर में कितने श्रमिक है ;

(ख) इन शिविरों को स्थायी जगहों पर ले जाने की क्या कोई योजना बनाई गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन शिविरों को उस समय तक हटाने का नहीं है जब तक कि उनको स्थायी जगहों पर न ले जाया जाय ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) पूरे दिल्ली में श्रमिक शिविरों की संख्या जानने के लिये किसी भी प्राधिकारी द्वारा अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। १९५६ में नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन समस्त झोपड़ियों के बारे में सवक्षण किया था। स्थान का नाम उस समय तथा इस समय की झोपड़ियों की संख्या का विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ख) और (ग). अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। तथापि दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों में झोपड़ियों झुग्गियों तथा श्रमिक बस्तियों के विकास और अस्तित्व की समस्या की जांच करने तथा उसके हल के लिये और उपयुक्त स्थानों के चुनाव के लिये ठोस सुझाव देने के लिये एक समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस बीच कोई भी शिविर नहीं हटाया जायेगा।

त्रिपुरा में मंजरी प्रकार के स्कूल

†**१९९५-क. श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा प्रशासन द्वारा मंजरी प्रकार के स्कूलों की स्थापना के हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धन राशि रखी गई है;

(ख) अब तक कुल कितनी धन राशि व्यय हुई है ;

(ग) यदि कुछ भी व्यय नहीं किया गया है तो क्या इस योजना को समाप्त कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तीन लाख रुपये।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) जी हाँ।

(घ) इसका कारण यह है कि (१) त्रिपुरा में कृषि उपायों के प्रशिक्षण के लिये कुछ सुविधायें पहिले से ही वर्तमान हैं, (२) कृषि के लिये योजना में व्यय की जाने वाली अधिकतम राशि को कम करना पड़ा और योजना आयोग द्वारा नियत की गई पुनरीक्षित सीमा के अन्दर कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी योजनाओं में आवश्यक संशोधन करना पड़ा।

बिहार में सस्ते अनाज की दूकानें

†**१९९५-ख. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों को सस्ता अनाज देना अभी हाल से रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) कितनी दुकानों को अब भी बेचने के लिये अनाज दिया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में कितना अनाज उठाया गया; और

(ङ) क्या बिहार की राज्य सरकार ने आने वाले महीनों में अनाज मांगना बन्द कर दिया है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) १९-११-५८ को बिहार राज्य में १७०४५ सस्ते गल्ले की दुकानें थीं।

(घ) अक्तूबर लगभग १०२ हजार टन
नवम्बर लगभग ६१ हजार टन
दिसम्बर (केवल प्रथम सप्ताह) लगभग ८ हजार टन

(ङ) जी नहीं।

पटसन और मेस्टा का निम्नतम मूल्य

†१९९५-ग. **श्री रामकृष्ण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने सरकार से यह आग्रह किया है कि पटसन और मेस्टा की प्रत्येक किस्म का निम्नतम मूल्य तत्काल निर्धारित कर दिया जाय; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अंगूर और आम के अचार का निर्यात

†१९९५-घ. **श्री जाधव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक अंगूर और आम के अचार के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा, कमाई गई;

(ख) उपर्युक्त चीजों का निर्यात किन-किन राज्यों और संघ क्षेत्रों से होता है

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य का नासिक जिला आम और अंगूरों का सबसे बड़ा केन्द्र है;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त वस्तुओं के निर्यात के लिये वहां की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना वांछनीय समझती है; और

(ङ) इन चीजों का निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) यह जानकारी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यकीय

---

†मूल अंग्रेजी में

में उपलब्ध है। पत्रिका से अंगूर में और आम के अचार के निर्यात संबंधी लिया गया विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९२]

(ख) अंगूर :

बम्बई

आम का आचार

१. बम्बई

२. पश्चिमी बंगाल

३. मद्रास

४. मैसूर

५. दिल्ली

६. पंजाब

(ग) जी नहीं, यह केवल अंगूरों के उत्पादन का केन्द्र है आमों का नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित व्यापार पत्रिका में जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। संलग्न विवरण में देशों के नाम बताये गये हैं।

टेलीफोन का सामान

†१९९५–ङ. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में भारतीय टेलीफोन उद्योग के लिये कौन-कौन सी चीजों का आयात अभी होता हैं और कितने मूल्य का; और

(ख) क्या टेलीफोन के सामान का निर्यात बर्मा को होता है?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही हैं जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि सम्बन्धी ऋणों की वसूली

†१९९५–च. श्री ले० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तृतीय मूल्यांकन समिति की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि वसूली सम्बन्धी काम की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए उसे निबटाने के लिये ऋण की वसूली की उचित व्यवस्था नहीं हो रही है और कृषि संबंधी ऋणों के लिये ऋण देने वाली एजेंसी और वसूल करने वाली एजेंसी के बीच पर्याप्त समायोजन न होने से ऋण की बकाया राशि और भी बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) और (ख). जी हां, राज्यों का ध्यान बकाया राशि की वसूली में सुधार करके उनको अपने संसाधन जुटाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया है।

नई दिल्ली में आवारा पशु

†१९९५-छ. श्रीमती सुचेता कृपलानी । क्या खाद्य तथा कृषिमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में आवारा पशु उपद्रव किया करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह आवारा पशु अड़ोस-पड़ोस की बस्तियों के हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) और (ख). जी हां।

(ग) (१) नई दिल्ली नगरपालिका समिति के अधीन आवारा पशु पकड़ने के पांच जत्थे दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली छावनी बोर्ड आवार पशुओं पर नियमित रूप से छापा मारने का प्रबन्ध करते हैं। ये जत्थे औसतन प्रति मास १,५०० आवारा पशुओं को पकड़ते हैं।

(२) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कहने पर नियुक्त की गई केन्द्रीय पशु पकड़ने की समिति की सेवाओं से भी स्थानीय निकाय लाभ उठा सकते हैं।

(३) मालिकों द्वारा पशुओं को छोड़ देने को अनुत्साहित करने की दृष्टि से बन्द किये गये प्रति पशु को छोड़ने की फीस २० रुपये प्रति पशु से बढ़ा कर ५० रुपये प्रति पशु कर दी गई है; और

(४) दिल्ली दुग्ध संभरण योजना के अधीन ऐसे अधिकाधिक पशुओं को रखने का विचार है। योजना का विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मनीपुर के लिये मोटरगाड़ी नियमों में संशोधन

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत मनीपुर गजट में प्रकाशित मनीपुर के लिये मोटर गाड़ी नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या बी-टीपी/२४/५६/५७-८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०-११३१/५८]

प्रतिरक्षा सेवाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत (वर्ष १९५६-५७ के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उसके वाणिज्यिक परिशिष्ट सहित) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवायें, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०-११३२/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में ज्ञापन का उत्तर

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९५८-५९ के सम्बन्ध में एक सदस्य से प्राप्त ज्ञापन के उतर के विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति का तेतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हवाई अड्डों का विकास

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नौशीर भरूचा ने परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया है कि बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के हवाई अड्डों में जेट विमानों के उतरने से सम्बन्धित विकास के लिये क्या कार्यक्रम अपनाया जा रहा है। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, अतः माननीय मंत्री सदस्यों की जानकारी के लिये सभा पटल-पर एक विवरण रखेंगे ।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं तत्सम्बन्धी वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

सरकार बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता के तीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही कर रही है जिससे वे जैट विमानों के परिवहन के योग्य बन सकें।

बम्बई में शान्ताक्रुज हवाई अड्डे के लिये ४ करोड़ रुपये की एक योजना मंजूर ई है, जिसके अनुसार धावन पथ (रन वे) को पहले १०,५०० फीट और तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर १२००० फीट और बढ़ा दिया जायेगा। योजना में अधिक रुपया व्यय होने का कारण यह है कि इस प्रयोजन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन किया जायेगा और हवाई अड्डे के पूर्व में स्थित तीन पहाड़ियों को आवश्यक ऊंचाई तक समतल किया जायेगा ।

दिल्ली में जैट परिवहनों के संचालन की सुविधा के लिये १.५ करोड़ की एक योजना स्वीकार की गई है।जसके अनुसार धावन पथ को १०,५००० फीट लम्बा बनाया जायेगा । आशा है कि यह कार्य १९६० तक पूरा हो जायेगा ; इस बीच वर्तमान धावन पथ की विशेष मरम्मत की जा रही है जिससे नया धावन पथ तैयार होने के पूर्व वह समस्त यातायात सम्भालने में समर्थ हो सके। कलकत्ता में डमडम हवाई अड्डे के वर्तमान धावन पथ को बढ़ाने और वहां एक नई टर्मिनल इमारत बनाने के लिये ३.२३ करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गई है। यह धावन पथ पहले ८५०० फीट तक और बढ़ाया जायेगा, तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर उसे १०,५०० फीट लम्बा कर दिया जायेगा ।

सरकार इस बात पर ध्यान रख रही है कि तीनों हवाई अड्डों का कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरा हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक*

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १६५४ में अग्रेतर सशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १६५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक*

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, १६५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, १६५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

विशेषाधिकार समिति

छठा प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो १२ दिसम्बर, १६५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : सभा इसके पूर्व विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन स्वीकार कर चुकी है । उसमें इस सभा के एक सदस्य श्री वाल्वी को बम्बई विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष एक साक्षी के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी ।

---

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग—२ अनुभाग—२ दिनांक १७–१२–५८ में प्रकाशित

†मूल अंग्रेजी में

तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में आशंका उठाई गई थी कि यदि संसद् के किसी एक सदन के सदस्य को दूसरे सदन की विशेषाधिकार समिति में ुलाया जाय या संसद् सदस्यों को राज्य विधान सभा की विशेषाधिकार समितियों में अथवा वहां के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की विशेषाधिकार समिति में बुलाया जाय तो कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाय । हमने इस सम्बन्ध में भारत के महाधिवक्ता की भी राय ली उन्होंने भी हमें यह सुझाव दिया है कि किसी लिखित विधि के अभाव में हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रचलित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये । तदनुसार इस प्रश्न पर चर्चा करने के पश्चात् हमने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं । पहिली सिफारिश यह है कि समिति सभा के किसी सदस्य को तब तक दूसरी सभा या उसकी किसी समिति या राज्य विधान सभा या उसकी किसी समिति में साक्ष्य देने की अनुमति तब तक नहीं देगी जब तक कि उक्त सभा या उसकी समिति से तदर्थ प्रार्थना नहीं की गई हो । उस निवेदन में कारण स्पष्टतथा: लिखा जाना चाहिये । दूसरी सिफारिश यह है कि कोई सदस्य सभा की अनुमति के बिना किसी सभा या समिति में साक्ष्य न देवे । तीसरी सिफारिश यह है कि ऐसी प्रार्थना आने पर अध्यक्ष उसे समिति को भेजेंगे । समिति उस पर निर्णय कर सभा के सम्मुख रखेगी तदनुसार सदस्य को अनुमति या अस्वीकृति प्रदान की जाये ी । सभा के सत्रावसान के समय अध्यक्ष महोदय सभा की अनुमति की संभावना के आधार पर अनुमति दे सकेंगे तथापि सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् सम्पूर्ण प्रक्रिया वही अपनाई जायेगी जो ऐसे अन्य मामलों में अपनाई जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और सदस्यों की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखता है वस्तुतः हम सदस्यों के स मुख ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहते हैं कि कोई समिति उन्हें डरा या धमका सके अथवा स बात पर तर्क या जिरह करे कि उन्होंने अमुक विधेयक पर मतदान क्यों दिया था इत्यादि । यह ब त आपत्तिजनक बात होगी । अतः सर्वप्रथम सदस्य की सहमति आवश क है तत्पश्चात् सभा की अनुमति लेनी अनिवार्य है । जहां तक सत्रावसान के समय किसी सदस्य के साक्ष्य देने का सम्बन्ध है मेरा मत है कि सम्बन्ध सभा या समिति को तब तक ठहरना चाहिये जब तक सभा उसकी अनुमति न दे देवे । मैं इस दायित्व को अपने कंधों पर नहीं लेना चाहता । अतः इन सिफारिशों का उद्देश्य सदस्यों की स्वतंत्रता और विशेषाधिकार की रक्षा करना है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : अध्यक्ष सम्मेलन में आपने स बात का जिक्र किया था कि यदि किसी विधान सभा को स राज्य के किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायत हो तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिये । इस सम्बन्ध में कई राज्यों ने ऐसे विधान बनाये हैं कि यदि उन्हें किसी लोक सभा के सदस्य से शिकायत हो तो वे उस मामले को सभा में भेजेंगे । हमें भी इसी प्रकार के विधान बनाने चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या ने जिस मामले का जिक्र किया है वह मानहानि से सम्बन्ध रखता है यथा यदि कोई लोक-सभा का सदस्य दूसरी सभा के प्रति कोई ऐसी बात कह दे जिस पर उस सभा को आपत्ति हो तो ऐसा मामला लोक सभा को ही निर्देश किया जा गा और लोक-सभा उस पर उचित कार्यवाही करेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :**

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो १२ दिसम्बर, १६५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग (संख्या ५) विधेयक

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** अब खंडों पर मतदान होगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३, अनुसूची, खंड १ अधिनियम सूत्र व विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ और ३, अनुसूची, खंड १, अधिनियम सूत्र व विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० बे० ोपाल रेड्डी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को पारित किया जाय '।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

'कि विधेयक को पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली किराया नियंण विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, और आगे खंडवार विचार करेगी। हम खंड ६ को लेंगे।

†**श्री परुलकर** (थाना) : मैं खंड ६ के उपखंड (२) (क) और (२) (ख) को लेता हूं। (२) (क) में यह व्यवस्था की गई है कि जून १९५१-से १९५५ के बीच निर्मित इमारतों में आगामी कई वर्षों तक मनमाना किराया लेने की खुली छूट होगी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस उपबन्ध के अधीन वे इमारतें नहीं आनी चाहियें जिन्हें सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के लिये निर्मित किया है और अब वह उनका मनमाना किराया ले रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ।

उपखंड (२) (ख) के अधीन ऐसी इमारत जो रहने के योग्य न हो किराया नियंत्रण के आदेश से तुड़वायी जा सकती है। आपको ज्ञात होगा कि पुरानी दिल्ली में ८०१० मकान रहने के योग्य नहीं हैं उनके मकान मालिक इस उपबन्ध का लाभ उठा कर अपनी इमारत गिरवा देंगे और उनके स्थान पर जो नई इमारत बने उस पर वह मनमाना किराया लेने के अधिकारी होंगे इस प्रकार हजारों किरायेदार मुसीबत में आ जायेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी इमारतों के मकान मालिकों को, जो तुड़वा कर नई बनाई गई हैं मन माने किराये की छुट नहीं देनी चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। पहिला श्री नायर के द्वारा उठाया गया है उन्होंने इस बात का जिक्र अपने विमति टिप्पण में भी किया था। जिस में उन्होंने कहा था कि ७१/२ प्रतिशत की जगह ६१/२ प्रतिशत कर दिया जाय। इस प्रश्न पर संयुक्त समिति ने भली भांति विचार किया और तत्पश्चात् विशेष निश्चय किये। उन्होंने १९४४ के पूर्व किराये पर दिये गये ६०० रुपये वार्षिक किराये तक के मकानों पर और १९४४ के बाद किराये पर दिये गये १२०० रु० किराये तक के मकानों में छूट प्रदान की है। माननीय सदस्य ने अपने विमति टिप्पण में यह बात लिखी है कि संयुक्त समिति ने इस विषय पर महत्वपूर्ण सुधार किया है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में संतोषजनक व्यवस्था कर दी गई है।

दूसरा प्रश्न मनमाने किराये की छुट के सम्बन्ध में उठाया गया है। इस विषय खंड ६ के उपखंड २ और (क) और (ख) में भी उठाया गया है। खंड ६ (२) (क) में लगभग वही व्यवस्था की गई है जोकि १९५२ के अधिनियम में की गई थी। इसी कारण इसे कुछ प्रकार के मकानों को बनाने में प्रोत्साहन मिला। इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि हमें इस विधेयक के प्रस्तुत होने के पूर्व के किराये पर विचार करना चाहिये। इसीलिये विधेयक के पुरस्थापित होने के पूर्व की तारीख रखी गई है।

खंड ६(२) (क) में मार्च १९५८ की तारीख रखी गई है। किरायेदार पर देने के लिये मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये, किराये पर विचार करने के लिये यह तारीख रखी गई है, जिसके किराये पर विचार किया जायेगा। अतः हमारा उद्देश्य यह था कि पहिले एक तारीख निश्चित की जाय उस तारीख को दोनों पक्षों द्वारा निश्चित किराये को उपयुक्त किराया मान लिया जाय। इस प्रयोजन के लिये वह तारीख निश्चित करना ठीक समझा गया है। जबकि लोगों को इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं था। अतः खंड ६(२) (क) आंशिक रूप से १९५२ के अधिनियम की ही अनुकृति है।

खंड ६ (२) (ख) केवल उस आवश्यकता को पूरी करता है जोकि १९५२ के अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक है। इस में यह स्पष्ट किया गया है कि ९ जून १९५५ के पश्चात् जिस तारीख से मकान किराये पर दिया गया था या जिस दिन पहले-पहल किराये पर दिया गया था उसे अनुमति अवधि के लिये किराया मान लिया जायेगा। इसलिये यह कहना कि ऐसे मामलों में मनमाने किराये की छूट दी गई है बिल्कुल गलत बात है। वस्तुतः किराया स्थिर कर दिया गया है और कुछ दिनों तक के लिये किराया वही रहेगा जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले।

खंड १४(१) (च) के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया है उसकी पूर्ति खंड २० से हो जाती है। यदि किरायादार उस मकान में नहीं रहना चाहेगा तो निस्संदेह वह नया मकान माना जायेगा और उस पर खंड ६ (२) (ख) लागू होगा। वस्तुतः किरायेदार के हक में मकान मालिक पर प्रतिवन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

लगाया गया है। और उसे पसन्द करने की छूट दी गई है। लेकिन यदि वह उस छूट का लाभ नहीं उठाता है तो उसे नया मकान माना जायेगा। और तदनुसार उस पर इस धारा के प्रतिबन्ध या अधिकार लागू होंगे। मकान मालिक के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है। अन्ततः मकान मालिक को भी मकान बनाने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मकान बनने के पश्चात् ही ये शर्तें लागू होंगी और किराया निश्चित किया जायेगा। अतः मैं इस सामान्य प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं कि हम समाजवादी ढांचे के समाज के आदर्श को नहीं अपना रहे हैं और एक विशेष वर्ग के साथ पक्षपात कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि भूमि की कीमतें ४०० परसेंट बढ़ा दी जांय तो भी वह चिन्ता नहीं करेंगे तथापि श्री भरूचा ने कहा है कि अधिकतम वृद्धि २५ $^1/_2$ परसेंट की जाय। तथापि वस्तुतः यह होता है कि अधिकतम निश्चित सीमा से भाव प्रारम्भ होकर बढ़ने शुरू होते हैं।

†**श्री परुलकर** : यदि किसी पुरानी इमारत को गिराकर उसके स्थान पर नई इमारत बनाई जायेगी तो मकान मालिक उपखंड २ (ख) का लाभ उठायेगा और मनमाना किराया वसूल करेगा इसे रोकने के लिये हमने अधिनियम में क्या व्यवस्था की है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि हमने खंड ६ (२) में यह व्यवस्थाकी है कि पूरी इमारत के लिये दोनों पक्षों द्वारा जो किराया तय होगा उसे प्रामाणिक किराया माना जायेगा। उसी के अनुपात से किरायेदार से उसके हिस्से का किराया लिया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ७ (कुछ दशाओं में प्रमाणिक किराये की वैध रीति से वृद्धि तथा अन्य राशियों की वसूली)

†**श्री दातार** : श्रीमान् मैं अपना संशोधन संख्या १३५ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३० से ३२ में ;

"Where a lanlord with the written approval of the tenant or of the Controller has at any time, whether before or after the commencement of this Act," [जब किसी मकान मालिक ने किरायेदार अथवा नियन्त्रक की लिखित स्वीकृति से, इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अथवा पश्चात् किसी भी समय,] शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Where a landlord has at any time before the commencement of this Act with or without the approval of the tenant or after the commencement of this Act with the written approval of the tenant or of the controller." [जब किसी मकान मालिक ने इस अधिनियम के लागू होने

† मूल अंग्रेजी में

से पहले किसी भी समय किरायेदार की स्वीकृति से अथवा अन्यथा या इस अधिनियम के लागू होने के बाद किरायेदार अथवा नियन्त्रक की लिखित स्वीकृति से]

यह संशोधन स्थिति को स्पष्ट करने के लिये रखा गया है। श्री बोस ने इस त्रुटि की ओर संकेत किया था। हमने उसको दूर करने के लिये यह संशोधन कर दिया है। यह भूल अचानक रह गई थी। अब इस संशोधन के पश्चात् फिर ऐसी भ्रान्ति नहीं हो सकेगी कि हम किरायेदारों द्वारा मकानों के आगे किराये पर उठाये जाने के विरोध में हैं। इससे सब स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : और कोई संशोधन ?

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : मैं अपना संशोधन संख्या ६६ प्रस्तुत करता हूं। इस खंड के परन्तुक में यह कहा गया है कि इस खंड को किसी भी बात का जनवरी १९५२ से पहले किये गये करारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इस विधेयक का ऐसे करायेनामों पर कोई प्रभाव न पड़ा तो अधिकांश किरायेदार पहले की तरह ही पीड़ित होते रहेंगे। मुझे इस प्रकार की छूट देने का कोई आशय नहीं समझ आता। यह परन्तु हटा दिया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि किसी किरायेदार ने यह करार किया हो कि वह गृह-कर देगा तो क्या आप यह उचित समझते हैं कि अब वह इस विधेयक की शरण लेकर कर देना बन्द कर दे। यदि किसी किरायेदार का इतना कम किराया हो कि वह बड़ी मुश्किल से गृह-कर के बराबर हो तब मालिक मकान को क्या बचेगा ?

†**श्री मू० च० जैन** (कैथल) : इस विधेयक के अन्तर्गत मालिकों को अपने नये अधिकार दिये जा रहे हैं। जब मालिकों को नये अधिकार मिल जायेंगे फिर उन्हें पुराने अधिकारों का लाभ उठाने का कोई हक नहीं रहना चाहिये।

†**श्री दातार** : श्रीमान् किराया सम्बन्धी विधि में यह बात पहली बार स्पष्ट की गई है कि सम्पति संबंधी सभी कर मालिक मकान को देने पड़ेंगे। हमने यह अनुमान लगाया है कि १९५२ से पहले हुए किरायानामों में अगर किसी किरायेदार ने ये कर स्वयं देने का जिम्मा लिया है तो उसने जरूर किराये में उतनी कमी करनी ही होगी। इसलिये हमने यह नीति अपनाई है कि जहां कहीं बहुत ही आवश्यक हो, उन मामलों को छोड़ कर शेष सभी मामलों में किरायेदारों और मालिकों के बीच हुए करारनामों की शर्तों का पालन किया जाना चाहिये।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बहुत सारी क्लाज़िज़ रख कर आप वकीलों को बहुत ज्यादा मौका देते हैं कि वे बहुत सारा पैसा बनायें। सीधी सादी और साफ-साफ बात यहां आनी चाहिये थी ताकि उनका आपस में ही फैसला हो जाता। मेरा यह कहना है कि इसमें ज्यादा मारेलेटी का, इखलाक का खयाल रखा जाना चाहिये था। सरकार कानून बना कर जब अपने हाथ में काम ले लेती है, तब और भी ज्यादा तकलीफ़ होने लगती है। मेरा कहना यह है कि होना यह चाहिये कि जो किरायेदार हैं और जो लैंडलार्ड हैं वे खुद ही फैसले कर लें और हमारा यह काम नहीं होना चाहिये कि हम बहुत ज्यादा कानून बना कर उनको उलझनों में डालें। हमें चाहिये कि जो अव्वाम हैं उनको मौका दें कि वे अपना इन्तजाम आप करें।

† मूल अंग्रेजी में

[राजा महेन्द्र प्रताप]

मुझे दो ही बातें कहनी हैं। मैं कोई ज्यादा तकरीर नहीं करना चाहता। एक तो यह है कि कानून बना कर हम बहुत ज्यादा उलझनें पैदा न करें और आपको चाहिये कि आप वकीलों को ज्यादा पैसा कमाने के लिये प्रोत्साहित न करें और उनका ज्यादा खयाल न करें। दूसरे मुझे यह कहना है कि ज्यादा कानूनों को अपने हाथ में लेने की कोशिश आप मत करें और यह भी और वह भी पावर अपने हाथ में आप न लें। होना यह चाहिये कि जो अव्वाम हैं उनको जिसमें फायदा मालूम देता है जो उनके फायदे की चीज है उसको करने का उनको मौका दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मैं मश्विरा दूंगा कि जो ला कमिशन बना हुआ है, उसके सामने बतौर गवाह के जाकर वह ये बातें कहें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या १३५ मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३० से ३२ में ;

"Where a landlord with the written approval of the tenant or of the Controller has at any time, whether before or after the commencement of this Act." [जब किसी मकान मालिक ने किरायेदार अथवा नियंत्रक की लिखित स्वीकृति से, इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अथवा पश्चात्, किसी भी समय,] शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Where a landlord has at any time before the commencement of this Act with or without the approval of the tenant or after the commencement of this Act with the written approval of the tenant or of the Controller." [जब किसी मकान मालिक ने इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी भी समय किरायेदार की स्वीकृति से अथवा अन्यथा या इस अधिनियम के लागू होने के बाद किरायेदार अथवा नियंत्रक की लिखित स्वीकृति से"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ७ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ८ विधेयक में जोड़ा गया।

खंड ९—(नियन्त्रक प्रमाणित किराया निश्चित करेगा आदि)

†**श्री मू० च० जैन** : मैं संशोधन संख्या १३८ प्रस्तुत करता हूं। मेरा निवेदन है कि खंड ९ का परन्तुक हटा दिया जाना चाहिये। खंड ४ और ५ में हम पहले यह पारित कर चुके हैं कि केवल वैध किराया वसूल किया जा सकता है। प्रमाणिक किराये से अधिक किराया नहीं लिया जा सकता।

† मूल अंग्रेजी में

किन्तु इस परन्तुक के अनुसार कोई भी नियन्त्रक इस विधेयक के लागू होने से एक वर्ष से पूर्व काल के लिये प्रमाणिक किराया नहीं निश्चित कर सकेगा। यदि यह परन्तुक हटा दिया जाता है तब वह किसी भी काल के लिये प्रमाणिक किराया निश्चित कर सकेगा। अतः यह परन्तुक हटा दिया जाना चाहिये।

†**श्री दातार :** ऐसे मामले में सामान्यतया प्रार्थना पत्र दिये जाने वाले दिन से किराया निश्चित किया जाता है। संयुक्त समिति ने बहुत सोच-विचार कर एक वर्ष का काल निर्धारित किया है। इससे और पीछे के समय का प्रमाणिक किराया निश्चित करना न्यायसंगत नहीं होगा।

†**श्री मू० च० जैन :** इससे नियन्त्रक केवल एक वर्ष पीछे का प्रमाणिक किराया निश्चित कर सकेगा। जबकि मैं चाहता हूं कि वह ३ वर्ष अथवा ४ वर्ष अथवा किसी भी अवधि का किराया निश्चित कर सके। यदि वह परन्तुक बना रहता है तो खंड ४ और ५, जिनको हम पहले पारित कर चुके हैं, अपने आप रद्द हो जाते हैं।

†**श्री दातार :** नियन्त्रक एक वर्ष के लिये प्रमाणिक किराया निश्चित कर सकता है और शेष के लिये वह उचित किराया।

उपाध्यक्ष महोदय के संशोधन संख्या १३८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १०, ११, १२ और १३ विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १०, ११, १२ और १३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १४ (किरायेदार द्वारा निष्कासन से संरक्षण का लाभ प्राप्त करने की स्थिति)

†**श्री परुलकर :** मैं अपने संशोधन संख्या २९, ३३, ३२ और ३१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री आसर** (रत्नागिरि) : मैं अपना संशोधन संख्या १३१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री छ० म० केदरिया** (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां) : मैं अपना संशोधन संख्या १०५ और १०६ स्तुत करता हूं।

†**श्री दातार :** मैं अपना संशोधन संख्या १३६ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ११, पंक्ति ३९ में,

"Sub-let" [आगे किराये पर दिया गया हो] शब्द के स्थान पर "Let" [किराये पर दिया गया हो] शब्द रखा जाय।

† मूल अंग्रेजी में

†श्री मू० चं० जैन : मैं अपना संशोधन संख्या १५५ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री पु० र० पटेल : मेरा एक छोटा सा संशोधन है। मेरा निवेदन है कि खंड १४(१)(छ) में "उपयुक्त" शब्द और जोड़ दिया जाये । पुरानी विधि में "उपयुक्त निवास" दोनों शब्द थे किन्तु इस विधेयक में खाली 'निवास' शब्द रह गया है । मैं समझता हूं किसी व्यक्ति को निकालने से पहले उसे 'उपयुक्त निवास' देना जरूरी है अन्यथा यदि आप किसी बड़े परिवार को छोटा सा मकान एलाट कर के कहें कि वह पहला मकान छोड़ दे तो उसके साथ बड़ा अन्याय होगा । इसलिये मैं 'उपयुक्त' शब्द रखना चाहता हूं ।

†श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : माननीय सदस्य ने कहा है कि 'निवास' के साथ 'उपयुक्त' शब्द ही रहना चाहिये । संयुक्त समिति ने भी इस पर विचार किया था तथा यह निश्चय किया है कि इस शब्द के रखने की कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि जब किसी को कोई मकान दिया जाता है तो यह नितान्त स्वाभाविक है कि वह सब बातें सोच कर दिया जायेगा । 'उपयुक्त' शब्द के रहने से मुकदमेबाजी बहुत बढ़ जायेगी क्योंकि यह शब्द बड़ा अस्पष्ट तथा व्यापक है । अतः स शब्द को रखने की कोई आवश्यकता नहीं ।

†श्री मू० चं० जैन : खंड १४(१)(ङ) में यह कहा गया है कि यदि मकान मालिक को अपने अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के लिये निजी रिहायश के लिये जरूरत हो तो वह मकान खाली करवा सकता है । मेरा निवेदन है कि यह खंड केवल रिहायशी मकानों पर ही लागू होना चाहिये दुकानों तथा अन्य परिषदों पर नहीं ।

इसी कार उपखंड (ङ) तथा (ज) में भी परस्पर विरोध है । उपखंड (ङ) के अनुसार कोई किरायेदार केवल रिहायशी मकान में से ही निकाला जा सकता है किन्तु उपखंड (ज) के अनुसार वह गैर-रिहायशी स्थानों से भी निकाला जा सकता है । मैंने अपने संशोधन में न दोनों उपखंडों का विरोध दूर करने का प्रयास किया है । आशा है कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री आसर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने क्लाज़ १४ पर अमेंडमेंट नं० १३० और १३१ दिये हैं । मेरे अमेंडमेंट देने का विशेष कारण यह है कि यह दिया गया है कि ९ जून, १९५२ के बाद अगर कोई किरायेदार अपनी जगह को सब्लेट कर दे या दूसरे को दे दे तो मालिक मकान उस जगह को किरायेदार से वापस लेने का अधिकार रखता है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि "९ जून, १९५२" के बजाय "आफ्टर दिस एक्ट कम्स इनटु फार्स" का वाक्य वहां रख दिया जाय । जगह को सबलेट करने की मनाही तो पिछले एक्ट में भी थी, लेकिन जगह की कमी के कारण सबलेटिंग नित्य का व्यवहार हो गया था । सन् १९५२ के बाद आज ६ वर्ष हो गये । जिन लोगों ने उसके बाद सबलेटिंग की है उनको ६ वर्ष के बाद घर से निकालना बहुत बड़ा अन्याय है । आज सबलेटिंग वालों की संख्या इतनी बड़ी है कि उन लोगों को बेघर करने से या घर से बाहर निकालने से एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी, और उन लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार तो होगा ही । इसलिये मेरा सुझाव है कि उनको घर से बाहर निकालने के लिये इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद का समय लिखा जाय और उसे स्वीकार किया जाय ।

†श्री परुलकर : उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन संख्या २९ उपखंड (ख) के बारे में है । इस उपखंड में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने १९५२ के बाद कब्ज़ा लेने के बाद मकान मालिक की रज़ामन्दी के बगैर कोई दूसरा किरायेदार रखा होगा तो उस किरायेदार को इस आधार

†मूल अंग्रेजी में

पर बेदखल किया जा सकता है और उस किरायेदार को भी बाहर निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे १००० रुपये का अर्थ-दण्ड भी दिया जा सकता है। मैं समझता हूं पुराने अधिनियम का यह उपबन्ध बड़ा कठोर तथा अव्यावहारिक है। आज ऐसे हजारों उप-किरायेदार हैं जो मालिक मकान की रजामन्दी के बिना रह रहे हैं। उन लोगों पर क्या गुजरेगी ? हम स उपखण्ड को यों रख सकते हैं कि भविष्य में मकान मालिक की स्वीकृति के बिना कोई उपकिरायेदार न रखा जाये किन्तु जो लोग आज घरों में बस गये हैं उनकी किरायेदारी को हमें वैध स्वीकार कर लेना चाहिये।

मेरा एक और संशोधन संख्या ३२ है। यह उन लोगों के बारे में है जिनको अगले नियोजकों द्वारा रहने का स्थान दिया गया है। उपखंड (१) में यह उपबन्ध है कि जैसे उनकी सेवा समाप्त हो वैसे ही उनसे मकान खाली कराया जा सकता है। मैं ने अपने संशोधन में यह कहा है कि यदि सेवा समाप्ति के समय नि ोजकों और कर्मचारि ों में कोई झगड़ा चल रहा हो अथवा जब एक नियोजक किसी झगड़े के कारण किसी कर्मचा ी की सेवा समाप्त करता है तब उसे उस समय तक मकान खाली कराने का हक नहीं होना चाहिये जब तक कि उस झगड़े का किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं हो जाता।

मेरा अगला संशोधन संशोधन संख्या ३३ है। यह खंड १४ के उपखंड (१) के बारे में है। इस खंड में यह कहा गया है कि यदि दिल्ली विकास प्राधिका ी अथवा कोई अन्य नगरपालिका प्राधिका ी किन्हीं मकानों को मरम्मत करवाने के लिये खाली कराना चाहे तो नियंत्रक की अनुमति से मकान खाली कराया जा सकता है। मैं इस उपखंड के साथ एक और परन्तुक जोड़ने का समर्थक हूं वह यह कि जब मरम्मत आदि पूरी हो चुके तब यह मकान फिर से उसी किरायेदार को वापस दे दिया जाये।

†**श्री राधा रमण**: बशर्ते कि वह पूरा किराया ेने को तैयार हो।

†**श्री मूल चन्द दूबे** (फर्रुखाबाद) : मैं निर्धन मकान मालिकों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। प्रायः कभी कभी २००-२५० औसतन वेतन वाले लोग दो कमरों के मकान खरी लेते हैं। उनको मकान का कब्जा लेते समय कभी कभी एक ही कमरा मिल पाता है ऐसे लोग यदि दूसरा कमरा खाली कराना चाहें तो उनके लिये इस विधेयक में क्या उपबंध है ? क्योंकि खंड १४ के अनुसार यदि दूसरे कमरे में कोई कारोबार किया जा रहा हो अर्थात् अगर वह रिहायश के लिये न प्रयो किया जा रहा हो तब ऐसा मालिक उस कमरे को खाली नहीं कर सकता। सलि े मेरा यह निवेदन है कि हमें इस विधेयक में से रिहायशी और गैर-रिहायशी मकानों का भेद निकाल, दे ा चाहिये। ताकि गरीब कोटि के मकान मालिक मकानों को भी कुछ राहत मिल सके।

†**श्री छः म० केडरिया**: मैंने संशोधन संख्या १०५ और १०६ प्रस्तुत किये हैं। मैंने समें यह कहा है कि नि न किरायेदा ों पर कभी कभी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। इसलिये किसी भी किरायेदार को किराया न चुकाने के कारण बेदखल करने से पहले उसको किराया चुकाने के लि े काफी समय दे ा चाहिये।

†**श्री दातार** : इस वाद-विवाद में चार बातें उ ाई गई हैं। पहले मैं श्री मूलचंद जैन के संशो नों का उत्तर दूंगा। उन्होंने एक संशोधन में यह कहा है कि 'निवास' की बजाय 'उपयुक्त निवास' शब्द रखे जाने चाहियें। मैं समझता कि केवल निवास शब्द ही पर्याप्त है क्योंकि जब कोई व्यक्ति रहने के लिये मकान बनाता है तो वह विध्यानुकूल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

उपयुक्त मकान ही बनायेगा । दूसरे जो कोई भी पहले मकान लेता है या जब किसी को मकान अलाट किया जाता है तब भी उपयुक्तता के सभी कारणों को देखकर ही मकान दिया जाता है । अतः इस शब्द के रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

संशोधन संख्या २९ में माननीय सदस्य ने उप-किरायेदार रखने के प्रश्न को फिर से उठाने का प्रयत्न किया है । संयुक्त समिति ने भी उन्हें इस बारे में विमति टिप्पण दिया है । मैं इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति की अथवा बहुमत की सिफारिशों के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता ।

सके बाद उन्होंने नियोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये मकानों का प्रश्न उ या है । उन्होंने यह कहा है कि जब तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा झगड़े का फैसला न हो जाये नियोजक की सेवा समाप्ति करके कर्मचारी से मकान खाली कराने का हक नहीं होना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान खंड १४ के उपखंड ९ की ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें पहले ही यह उपबन्ध किया हुआ है कि जहां कहीं भी सद्भावनिष्ठ विवाद चल रहा होगा वहां पर नियं क निष्कासन आदेश नहीं जारी करेगा । इसलिये इस संशो न का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जहां तक मकान मालिक की निजी आवश्यकता या उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य की रिहायश के लिये मकान खाली कराने का सम्बन्ध है वहां तक संयुक्त समिति ने पहले ही 'परिवार' शब्द को काफी परिसीमित कर दिया है । अब केवल वही लड़के या लड़कियां जो कि मकान मालिक पर आश्रित हैं, उनके रहने के लिये ही मकान खाली कराया जा सकेगा ।

सरकारी संशोधन संख्या १३६ केवल शाब्दिक संशोधन मात्र है । उसमें केवल पृष्ठ ११ पर "सब लेट' शब्द के स्थान पर 'लेट' शब्द रखने के लिये कहा गया है । आशा है सभा सको स्वीकार करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ११, पंक्ति ३६ में "sub-let" (आगे किराये पर दिया गया हो) शब्द के स्थान पर "let" (किराये पर दिया गया हो) शब्द रखा जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १५ (किरायेदार को निष्कासन से संरक्षण कब मिलेगी)

†**श्री जाधव :** मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन के समर्थन में २२ सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं। कई किरायेदारों के विरुद्ध दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम १६५२ के अधीन कुछ कारणों से बेदखली की आज्ञप्ति पारित हो चुकी है लेकिन वे लोग लगातार किराया दे रहे हैं और उनको बकाया किराया नहीं देना है। उनकी बेदखली नहीं होनी चाहिये ऐसे किरायेदारों में से अधिकांश किरायेदार सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें इस विधेयक के अधीन सुरक्षा मिलनी चाहिये।

†**श्री परुलकर :** यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल विरोधी पक्ष के लोग ही नहीं अपितु कांग्रेसी पक्ष के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है। इसके समर्थन में २२ सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं। यदि सरकार इसे इसी रूप में स्वीकार नहीं करती है तो कम से कम वर्तमान अधिनियम में इन मामलों पर पुनर्विचार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। क्योंकि इस प्रकार के मामलों से ३००० किरायेदार प्रभावित हैं। उन्हें कुछ रियायत मिलनी चाहिये।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय यह एक ऐसा संशोधन है जिसके कि बारे में अधिकांश सदस्यों ने चाहे वह किसी भी दल के हों एक मत होकर इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। इस संशोधन को स्वीकार करने में शासन की ओर से यह आपत्ति खड़ी की जा सकती है कि न्यायिक दृष्टि से, न्यायदान की दृष्टि से किसी भी डिग्री को रीओपेन करना ठीक नहीं है जैसा कि कल पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था।

मैं आपका ध्यान इस विधेयक के क्लाज ५५ की तरफ खींचना चाहता हूं। इस क्लाज में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो भी डिग्रियां दिल्ली टेनेन्ट्स टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन एक्ट १६५६ के अन्तर्गत होंगी उनको रीओपेन किया जा सकेगा। अब जो संशोधन रक्खा गया है उसके सम्बन्ध में सरकार चाहे तो उस संशोधन को सीधा स्वीकार कर ले और जिनके खिलाफ डिग्रियां दिल्ली अजमेर रेंट कंट्रोल ऐक्ट १६५२ के अन्तर्गत जारी हो चुकी हैं किन्तु जो मकानों का किराया दे रहे हैं और उन्हीं मकानों में बने हैं, उनकी बेदखली करना रोक दे। यदि मंत्री महोदय को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति हो तो मेरा निवेदन है कि क्लाज ५५ के अन्तर्गत जो व्यवस्था दिल्ली टेनेन्ट्स टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन ऐक्ट १६५६ के अन्तर्गत जारी की गई डिग्रियों के सम्बन्ध में की गई है वही व्यवस्था दिल्ली और अजमेर रेंट कंट्रोल ऐक्ट १६५२ के सम्बन्ध में कर दी जाय तो बहुत सी बेदखलियां रुक सकती हैं।

†**श्री पु० र० पटेल :** यह संशोधन बहुत उपयोगी है अतः सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये। यह संशोधन ऐसे किरायेदारों से सम्बन्ध रखता है जिनके खिलाफ किराया जमा न करने के कारण बेदखली की डिग्री हो चुकी है लेकिन वे किरायेदार अभी बेदखल नहीं हुए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि मकान मालिकों पर प्रतिबन्ध लगे और नियमित रूप से किराया देने वाले किरायेदारों की बेदखली न होने पावे क्योंकि यदि उनकी बेदखली हो गई तो ३००० से ५००० किरायेदार बेदखल हो जायेंगे।

१६५६ के अधिनियम के खंड ५५ में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि आज्ञप्तियों पर पुनर्विचार किया जा सकता है अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को उन किरायेदारों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये, जो किसी कारण किराया नहीं दे सके। इससे उन किरायेदारों को सुरक्षा मिलेगी जो किराया देते चले आ रहे हैं और जो किराया देना चाहते हैं और मकान के कब्जा धारी हैं। आशा है माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

†श्री मू० चं० जैन : इस संशोधन में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो मकान मालिक के विरुद्ध हो। इसमें कहा गया है कि किरायेदार ने पिछला बकाया किराया चुका दिया हो, किराया देता जा रहा हो और मकान उसके कब्जे में हो ऐसी अवस्था में यदि उस पर बेदखली की आज्ञप्ति जारी हो गई थी तो वह क्रियान्वित न की जाय। यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तो स्पष्टतः मकान मालिकों के साथ पक्षपात किया जा रहा है।

†श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली): हमारा उद्देश्य किरायेदारों को संरक्षण देना है। वस्तुतः किरायेदार यह आशा कर रहे थे कि इस नये अधिनियम के अधीन उन्हें कुछ रियायतें मिलेंगी हमने संशोधन में जिस बात की मांग की है वह नितांत न्यायसंगत बात है। अन्यथा किरयेदारों के द्वारा नियमित रूप से किराया दिये जाने और कब्जा रहने के बावजूद भी उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी। अतः उनको यह संरक्षण दना आवश्यक है।

†श्री दातार : मुझे दुख है कि मैं निम्नलिखित कारणों से इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। १६५२ के अधिनियम की धारा १३ (क) उन किरायेदारों से सम्बन्ध रखती है जिन्होंने किराया अदा नहीं किया है। इसके पश्चात् संसद् ने १६५६ का अधिनियम पारित किया। कुछ आज्ञप्तियों पर कार्यवाही रोक दी गई।

आज्ञप्तियों के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने के पश्चात् ही संसद इस परिणाम पर पहुँची थी कि आज्ञप्तियों पर कार्यवाही स्थगित कर दी जाय या रोक दी जाय। उक्त कार्यवाही १६५६ के अधिनियम की धारा ४ के अन्दर की गई। वस्तुतः उक्त अन्तःकालीन अधिनियम को पारित करते समय ही इस प्रश्न पर विचार किया गया था। उन्होंने इस प्रकार की आज्ञप्तियों पर कार्य-स्थगित करने की आज्ञा न दी जो उन कारणों के आधार पर थी जिनका उल्लेख इस संशोधन में किया गया है।

इन आज्ञप्तियों पर कार्यवाही की जा चुकी होगी और कब्जा लिया जा चुका होगा। और इस सम्बन्ध में न्यायालय की आज्ञा क्रियान्वित की जा चुकी होगी। इस संशोधन को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि जो कुछ किया गया है वह भी मिट्टी में मिल जायेगा। वर्तमान विधेयक में हमने किरायेदारों को पर्याप्त छूट दी है। वस्तुतः किरायेदारों को किराया देना चाहिये और यदि वे किराया नहीं देते हैं तो आप उनकी गलती के लिए उन्हें सदैव क्षमा नहीं कर सकते है। उक्त अधिनियम, १६५२ में पारित हुआ था और १६५८ में आप उन्हें वह देने को कह रहे हैं जो उन्हें १६५२ में संसद ने नहीं दिया था।

ऐसा ही एक उपबन्ध संयुक्त समिति के समक्ष रखा गया था लेकिन संयुक्त समिति ने उसे स्वीकार नहीं किया। अपने विमति टिप्पणों में भी सदस्यों ने इस प्रकार की व्यवस्था का सुझाव नहीं दिया है। वस्तुतः इस प्रश्न पर पहिले ही दो बार विचार कर लिया गया है। किराया न देने पर भी किरायेदार को मकान पर रहने देने की अनुमति देना उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन संख्या १ पर मतदान ३ई बजे तक स्थगित रखा गया।

खण्ड १६—किरायेदार द्वारा मकान आगे किराये पर उठाने पर रोक

†**श्री जाधव** : **मैं** अपने संशोधन संख्या ६७, ६८ तथा ६९ प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन ६७ द्वारा मेरा अभिप्राय यह है कि पृष्ठ १४ पर पंक्ति संख्या २४ से २७ हटा दी जायें तथा संशोधन संख्या ६८ द्वारा मेरा अभिप्राय है कि किरायेदार आगे किराये पर देने की इच्छा की सूचना नियंत्रक को दे तथा संशोधन संख्या ६९ द्वारा मेरा आशय पंक्ति ३४ से ३७ हटाना है।

†श्री दातार: ये दोनों संशोधन आगे किराये पर उठाने के सिद्धान्त को ही खराब करने वाले हैं। किरायेदार द्वारा मकान आगे किराये पर दिया जाना ही उचित नहीं है। होता यह था कि किरायेदार ज्यादा किराया लेने के लिये मकान आगे किराये पर दे देते थे और स्वयं उन्होंने यह मकान कम किराये पर लिया होता था। अतः मकान मालिकों तथा किरायेदारों में इस बात पर सहमति थी कि किरायेदार आगे किराये पर मकान न देंगे। मूल विधेयक में यह कार्य तब वैध था जब कि किरायेदार मकान मालिक की अनुज्ञा ले ले। पहले आज्ञा मौखिक रूप से ही ली जाती थी अथवा लिखित रूप से किन्तु अब यह लिखित रूप से ही कर दी गई थी। वास्तव में सिद्धान्त में तो कोई अन्तर नहीं है अपितु जो मकान किरायेदारों ने १९५२ से पूर्व किराये पर उठा दिये थे उनका विनियमन करना था। इस कारण से हुआ यह कि जो ९ जून, १९५२ से पूर्व के उपकिरायेदार थे उनको संरक्षित किया गया अर्थात् उनके किरायेनामों का विनियमन किया गया। अतः इन परिस्थितियों में जब कि बीच की एक बात निकाल ली गई है तब उससे इधर उधर होना ठीक नहीं रहेगा।

दूसरे संशोधन से माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि किरायेदार अपनी मर्जी से ही मकान को आगे किराये पर दे। इसमें यदि वह नियंत्रक को सूचना भी दे देगा तब भी क्या बनेगा। इससे अनियमिततायें तो समाप्त नहीं हो जातीं। मैं इन दोनों संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६७, ६८ और ६९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १७—(उप किरायेदार को रखने तथा निकालने का नोटिस)

†**श्री जाधव** : मैं अपना संशोधन संख्या ७० प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या ७० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १९- (मकानों का पुनः कब्जा लेना)

†श्री मू० चं० जैन : श्रीमान् मैं अपने संशोधन संख्या १५६ तथा १५७ प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान् अब मकान मालिक किरायेदारों से अपने मकान अपने ही प्रयोग के लिये छुड़ा लेते हैं और इस प्रकार मकान खाली करा कर वह उन पर कब्जा कर लेते हैं। किन्तु यदि मकान मालिक शरारत करे तो किरायेदार नियंत्रक के पास अभ्यावेदन कर सकेगा तथा वह भी यदि उचित समझे तो किरायेदार को दोबारा कब्जा दे सकता है। यदि "सकता" शब्द के स्थान पर यह कर दिया जाय कि वह अवश्य ही कब्जा देगा तो अधिक अच्छी बात है। यदि यही शब्द रखे गये तो मुकदमेबाजी की समाप्ति ही न हो जायेगी।

†उपाध्यक्ष महोदय : यहां "सकना" शब्द का अर्थ यही है जो माननीय सदस्य कहते हैं।

†श्री दातार : उपाध्यक्ष महोदय ने ठीक ही कहा है कि यहां अंग्रेजी शब्द 'मे'" से ही काम चल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५६ तथा १५७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १९ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २०—(मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिये कब्जा लेना)

†श्री परुलकर : मैं अपने संशोधन संख्या १२७ तथा १२८ प्रस्तुत करता हूँ।

मकान मालिक किरायेदारों को मकान में मरम्मत इत्यादि का आधार बनाकर भी निकाल सकते हैं। यदि कोई किरायेदार निष्कासित किया जाये तो किरायेदार से यह पूछा जायेगा कि क्या वह पुनः उसी मकान में जाना चाहता है अथवा नहीं। उसके पश्चात उसे प्रतिकर दे दिया जायेगा वास्तव में निष्कासित किरायेदार को प्रतिकर की आवश्यकता नहीं होती बल्कि उसे तो रहने का स्थान चाहिये। किन्तु इस खंड में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है इसी कारण मैंने यह दोनों संशोधन प्रस्तुत किये हैं। प्रतिकर वाली पंक्तियां हटा देनी चाहियें। यद्यपि सरकार अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही करती रहती है किन्तु कोई भी मकान मालिक ऐसा नहीं जो पगड़ी न ले।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

†श्री मूल चंद जैन : मैं इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं। इन्हें अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिये। इसमें नियंत्रक को किरायेदार के पुनः प्रवेश के बारे में अनुमति देने के लिये स्वविवेक दिया गया है वह ठीक नहीं है।

इस प्रकार के स्वविवेक से मुकदमे बाजी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त नियंत्रक को प्रतिकर के मामले में भी स्वविवेक दिया गया है। यह तो रिश्वत का दरवाजा ही खोला गया है। हमें तो समस्त प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

†श्री दातार : खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। यहां पर "में" शब्द का प्रयोग जान बूझ कर किया गया है और जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने व्याख्या की है कि यहां इस शब्द का वही तात्पर्य होगा जिस को माननीय सदस्य चाहते हैं—केवल अंतर वहां पड़ेगा जहां समान न्याय का प्रश्न आयेगा। इस विशेष मामले में दो उपबन्ध किये गये हैं। जब कभी खण्ड २० के उपखण्ड (३) का प्रश्न लिया जाय तब या तो नियंत्रक मकान मालिकों को कब्जा देने का आदेश दे सकता है या उपयुक्त प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। "प्रतिकर" शब्द भी यहां जानबूझ कर ही रखा गया है क्योंकि मकान में या तो पुनर्निर्माण होता है या उस में सारवान मरम्मत होनी होती है। अतः ऐसे मामलों में नियंत्रक से पदाधिकारी को स्वविवेक देना न्यायोचित ही है। इस कारण यहां "May" (सकता) शब्द ही ठीक है। ठीक यही है कि ऐसे मामलों का निपटारा किराया नियंत्रक पर छोड़ दिया जाये क्योंकि वह जिम्मेदार पदाधिकारी होगा। इसी कारण यह दो विकल्प यहां रखे गये हैं। न्यायाधीश जिस किसी भी मार्ग को चाहे अपना ले। वह ऐसा करने से पूर्व मामले की स्थिति पर विचार करेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२७ तथा १२८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २१ से २५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २६—(किराये के लिये रसीद देनी होगी)

†**श्री जाधव** : मैं अपना संशोधन संख्या ७१ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २७ से ३० विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३१—(न्यायोचित दर का निर्धारण)

†श्री वें० प० नायर (क्विलोन) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

इस संशोधन से मेरा आशय यह है कि सेवा के लिये ली जाने वाली समस्त राशि कर्मचारियों में ही बांटी जानी चाहिये। ऐसा कभी नहीं होता। शहर के बड़े होटलों में खाद्य सामग्री के अतिरिक्त सेवा शुल्क के रूप में भी कुछ राशि ले ली जाती है किन्तु वह राशि भी होटलों के मालिकों ही की जेब में जाती है। जो श्रमिकों का न्यायोचित भाग है वह तो इन्हें मिलना चाहिये। जब तक हमारे यहां इस प्रकार का उपबन्ध न होगा तब तक न्यायोचित दरें निर्धारित नहीं हो सकतीं। हमारा संशोधन सरल है।

†श्री दातार : माननीय सदस्य तो एक अन्य व्यापक प्रश्न उठा रहे हैं। यहां हमारा संबंध केवल ग्राहक तथा होटल वाले के बीच की दरों के न्यायोचित निर्धारण से है जहां तक नियोजक तथा कर्मचारी के सम्बन्धों का प्रश्न है वह इस विधेयक की परिधि के बाहर की बात है।

†सभापति महोदय : यहां सेवा-शुल्क से अभिप्राय क्या है ?

†श्री दातार : अनेक सेवायें होती हैं। किसी को कार या टैक्सी की आवश्यकता पड़ जाती है। यह ठीक है कि यह बात स्पष्ट होनी चाहिये किन्तु यहां इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने इस पर गहन विचार नहीं किया। संभव है कि विशेष प्रतिकर तथा कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करते समय इस बात पर विचार किया गया हो।

†सभापति महोदय : इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये।

†श्री दातार : श्रीमान् मैं श्री नायर की बात समझ गया हूं। वह कहते हैं कि जब घरेलू नौकर से काम लिया जाता है तो उन्हें उपयुक्त मुआवजा नहीं दिया जाता। दूसरे शब्दों में यदि खाने तथा रहने के शुल्क के अतिरिक्त और राशि ली जाये तो उसका लाभ कर्मचारियों को पहुंचना चाहिये अब जहां तक इसका संबंध है यह विधेयक की परिधि से ही बाहर है।

†सभापति महोदय : प्रश्न तो केवल इतना है कि क्या होटल वाले कर्मचारियों को वह देते भी हैं या नहीं।

†श्री दातार : यह तो नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच का प्रश्न है।

†श्री वें० प० नायर : तब फिर नियंत्रक बीच में क्यों आता है।

†श्री दातार : मैं इस बात का परीक्षण कराऊंगा।

†श्री वें० प० नायर : तब खंड पर विचार स्थगित रखा जाय।

†श्री दातार : जी नहीं। यह टेक्निकल मामला है।

†श्री वें० प० नायर : सरकार तो कर्मचारियों की कोई सहायता ही नहीं करना चाहती किन्तु मुझे इतनी प्रसन्नता अवश्य है कि सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन तो दे दिया है। किन्तु इस खंड को स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

†श्री दातार : यह विधेयक मकान मालिक तथा किरायेदार के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में है। कल्पना करो कि मैं एक या दो दिन एक होटल में जा ठहरता हूं—इससे भी न्यूनाधिक रूप में वही सम्बन्ध बन जाते हैं जो किरायेदार मकान मालिक के सदृश्य होते हैं। इसी कारण यहां

†मूल अंग्रेजी में

अध्याय पांच भी रखा गया है । अब आप यह नहीं कह सकते कि जो लोग सेवा करते हैं वह किरायेदार या उपकिरायेदार की हैसियत में हैं अतः यह आपत्ति टेक्निकल है । इस प्रश्न पर अब अधिक समय नहीं लगाया जा सकता है । यदि माननीय मित्र कुछ उदाहरण देंगे तो मैं उन पर विचार कर लूंगा। हम इन बातों पर प्रशासनिक स्तर पर विचार करेंगे।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३२, ३३ तथा ३४ विधेयक में जोड़े गये ।

खण्ड ३५—(नियंत्रकों तथा अतिरिक्त नियंत्रकों की नियुक्ति)

†श्री वाजपेयी : मैं अपना संशोधन संख्या १३४ प्रस्तुत करता हूं।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, इस धारा का सम्बन्ध कंट्रोलरों की नियुक्ति से है। अभी हमने जो धारायें स्वीकार की हैं उनके अनुसार कंट्रोलरों को बड़े व्यापक अधिकार दिये गये हैं। वे किरायेदारों को बेदखल भी कर सकते हैं, उनको कम्पेन्सेशन देने के सम्बन्ध में भी अधिकार दिये गये हैं। उनके व्यापक अधिकारों को देखते हुए यह आवश्यक जान पड़ता है कि कंट्रोलरों की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव द्वारा न होकर हाई कोर्ट द्वारा होनी चाहिये। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से एक ऐसी प्रवृति दिखायी देती है कि एग्जीक्यूटिव, जूडिशियरी के अधिकारों को कम करती जा रही है और अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाती जा रही है । मैं समझता हूं कि यह प्रवृति लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक है। कार्यपालिका को मर्यादा में रहना चाहिये और न्यायपालिका के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिये।

यह किराये का मामला मकान मालिक और किरायेदारों के सम्बन्ध का मामला है । अगर दोनों में यह विश्वास पैदा किया जाना है कि उनके बीच जो भी विवाद हैं उनका न्यायपूर्ण रीति से हल होगा तो मैं समझता हूं कि अगर कंट्रोलर हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तो वह मकान मालिक और किरायेदार दोनों में अधिक विश्वास पैदा कर सकेंगे। एग्जीक्यूटिव का मतलब है सरकार, और सभापति जी मैंने उस दिन कहा था कि लोकतंत्र में सरकार पार्टी की सरकार है, वह पार्टी के लोगों के दबाव में रहती है ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हाई कोर्ट के जजों को कौन नियुक्त करता है ।

श्री वाजपेयी : मैं समझता हूं कि दिल्ली के चुने हुए मेम्बर हाई कोर्ट के जजों के पास दौड़-धूप नहीं करेंगे लेकिन कंट्रोलर के पास वह दौड़ धूप कर सकते हैं और वह उन से प्रभावित भी हो सकते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि कंट्रोलरों की नियुक्ति सीधे हाईकोर्ट के अधीन होनी चाहिये। लेकिन मैंने जो संशोधन रखा है, उस में इतनी बात नहीं कही है। सरकार के रवैये को देख कर मैं ने कहा है कि सरकार जो भी कंट्रोलर नियुक्त करे, उन की पुष्टि या उन के नामों की सूची हाई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

कोर्ट द्वारा स्वीकृत होनी चाहिये । यद्यपि इस धारा के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जो कंट्रोलर नियुक्त किया जायेगा, वह सात साल तक का प्रैक्टिसिंग लाइयर हो या उस को न्यायदान का अनुभव हो, लेकिन मैं समझता हूं कि यह अपर्याप्त है और इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट के अधिकार को पूर्ववत रखा जाना चाहिये। जैसा कि पहले दिल्ली के रेन्ट कंट्रोल का एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब हाई कोर्ट के अधीन था, उस में परिवर्तन नहीं करना चाहिये और कंट्रोल की नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए और वह हाई कोर्ट के प्रति उत्तरदायी हो, सरकार के प्रति नहीं।

†श्री जाधव : मैं अपने संशोधन संख्या ७३, ७४ तथा ७५ प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान नियंत्रकों की नियुक्ति पंजाब उच्च-न्यायालय के परामर्श से होनी चाहिये। ये ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जिन्हें कम से कम पांच वर्ष का न्यायिक अनुभव प्राप्त हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पदाधिकारियों को एक कर दें।

†श्री दातार : यह प्रश्न विधेयक पर सामान्य चर्चा के समय भी उठाया गया था तथा माननीय गृह मंत्री ने इसका उत्तर भी दे दिया है। मैं तो समझता हूं कि इन संशोधनों के पीछे एक ऐसी भावना है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। वह भावना यह है कि किराया नियंत्रक पदाधिकारी कार्यपालिका के प्रभाव में आ सकता है। यह बात नहीं है। यहां उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जायेगा जो कुछ शर्तें पूरी करेंगे जिन्हें या तो पांच वर्ष तक न्यायपालिका सेवा का अनुभव होगा या फिर जो सात वर्ष तक वकालत कर चुके होंगे। अतः हम इन लोगों पर भरोसा रख सकते हैं क्योंकि ये दो शर्तें पूरी करने वाले लोगों को नियंत्रक का पद दिया जायेगा।

न्यायाधिकरण के लिये अधिक अर्हतायें रखी गई हैं वहां दस वर्ष के न्यायिक अनुभव की शर्त रखी गई है। जब हम किसी नये व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो हम संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात् ही ऐसा करते हैं। हम प्रत्यक्ष नियुक्तियां तो नहीं करते। आयोग ही अभ्यावेदन मांग कर नामों की सिफारिश करता है। इस वर्ष के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि हमने आयोग की प्रत्येक सिफारिश मानी है। अतः माननीय सदस्यों को इस बारे में कोई आशंका नहीं करनी चाहिये।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३४, ७३, ७४ और ७५ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १५ (किरायेदार द्वारा निकासन से संरक्षण का लाभ प्राप्त करने की स्थिति)

†**सभापति महोदय** : अब हम खंड १५ को लेंगे जिसे हमने छोड़ दिया था। मैं संशोधन संख्या १ को सभा के समक्ष रखूंगा।

†**श्री वाजपेयी** : अन्य संशोधन भी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : एक ही पर्याप्त है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया। सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ४५ तथा विपक्ष में ११८।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि खंड १५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३६ तथा ३७ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३६ तथा ३७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ३८——(न्यायाधिकरण में अपील)

†**श्री वें० प० नायर** : मैं अपना संशोधन संख्या ८४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : इस संशोधन के अन्तर्गत भी वही सिद्धान्त है कि नियंत्रक के ऊपर का न्यायाधिकरण उच्च-न्यायालय के अधीन होना चाहिये। माननीय मंत्री ने स्वतः कहा है कि नियंत्रक ऐसे लोग होंगे जिन्हें न्यायिक सेवा का समुचित अनुभव होगा। इस कारण इन लोगों को उच्च-न्यायालयों के अधीन करने से भी किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। न्यायाधिकरण वालों को विधि का निर्वचन करना होगा अतः उच्च-न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यावश्यक है। अतः माननीय मंत्री को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**श्री दातार** : उपबन्ध स्पष्ट है। न्यायाधिकरण के लिये ऊंची योग्यतायें निर्धारित कर दी गई हैं। खंड ३८(५) के अनुसार कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण का सदस्य नहीं बन सकेगा जब तक कि उसे १० वर्ष तक भारतीय न्यायिक सेवा का अनुभव न हो अथवा वह जिला न्यायाधीश न रह चुका हो। आप जानते ही हैं कि वही व्यक्ति जिला न्यायाधीश लगाया जा सकता है जिसको पर्याप्त अनुभव हो। हमने यह ऊंची अर्हतायें जानबूझ कर ही रखी हैं। इन से सारी बातें पूरी हो जाती हैं।

विधि के प्रश्न पर किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्च-न्यायालय में अपील हो सकेगी। इससे माननीय मित्र को सन्तोष होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३९ से ४७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ४८ —(दंड)

†**श्री वें० प० नायर** : मैं अपना संशोधन संख्या ८६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : यह संशोधन पगड़ी के बारे में है। इस विधेयक का आधार ही यह था कि पगड़ी के भ्रष्टाचार को बन्द किया जाय। किन्तु पगड़ी लेने के कार्य को हस्तक्षेप्य अपराध नहीं बनाया गया—इस कारण इससे कोई उपयुक्त लाभ नहीं होगा। उद्देश्य तभी पूरा होगा जब कि पगड़ी लेने का अपराध हस्तक्षेप्य बनाया जाय। मैं माननीय मंत्री से यही प्रार्थना करता हूं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये वह कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे।

†**श्री वें० प० नायर** : इस अपराध को हस्तक्षेप्य बनाने की बात विशेषज्ञ साक्ष्यों के समक्ष रखी गई थी। दिल्ली मकान मालिकों के प्रतिनिधि ने कहा था कि पुलिस को अनुसंधान करने का अ कार न दिया जाय। वह तो अलग बात थी। हमारी न्यायपालिका हमारे लिये गौरव की बात है। यदि इस अपराध को हस्तक्षेप्य बना कर न्यायपालिका पर जांच छोड़ दी जाये तो इसमें कोई खराबी न होगी।

†**श्री दातार** : मूल विधेयक में अधिकतम दंड ३ मास का था। इसके पश्चात् प्रश्न पर विचार किया गया और संयुक्त समिति में भी इस बात पर चर्चा हुई। वहां पर निष्कर्ष निकला कि अधिकतम दंडावधि ६ मास की कर दी जाये।

जहां तक हस्तक्षेप्यता का सम्बन्ध है हमें मकान मालिक तथा किरायेदारों के सामंजस्य की स्थिति में ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। विधि जहां आवश्यक हो वहां ही रखनी चाहिये। यदि पुलिस हस्तक्षेप करने लगे तो हो सकता है कि दोनों पक्षों में से शरारतें हों और गलत जानकारी पुलिस को दी जाये। इन परिस्थितियों में हमें अपराध को हस्तक्षेप्य नहीं बनाना चाहिये। इसी कारण मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहता।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया था कि यह तो व्यवस्था १९५२ के अधिनियम में भी की गई थी। क्या वह हमें बता सकते हैं कि तब से अब तक कितने ऐसे मामले हुये।

†**श्री दातार** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४९ से ५७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

प्रथम तथा द्वितीय अनसूचियां विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड १ अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : एक प्रश्न अभी और भी शेष है और वह यह कि अभी तक दिल्ली में भूमि के मूल्यों के प्रश्न पर कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बारे में व्यवस्था का होना अत्यावश्यक है।

जो ज़मीन आज लाखों रुपयों की है उसे पहले मकान मालिकों ने कुछेक रुपयों में ही खरीदा था। आज देश में अत्यधिक पूंजी का विनियोजन हो रहा है। जब पूंजी का विनियोजन हुआ करता है तब ये जमींदार लोग बहुत लाभ उठाते हैं। अतः दिल्ली में इन लोगों को अपार धन राशि हाथ लग गई है। किन्तु ये सारे लाभ अनैतिक हैं। ज़मीन मालिकों ने हाथ तक तो कभी नहीं हिलाया। अब सरकार को ज़मीन के मूल्यों पर रोक लगाने की उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

जब तक सरकार ज़मीन के मूल्यों की कीमत निर्धारित नहीं करती तब तक इस कानून से कोई लाभ न होगा। इस प्रकार तो किराये बढ़ते ही जायेंगे। इसलिये इस स्थिति का समुचित उपाय किया जाय।

†श्री दातार : यह प्रश्न संयुक्त समिति के समक्ष भी आया था जिसने अपने प्रतिवेदन में कहा है :

> "समिति ने आमिलदारों को सहायता देने के विचार से खाली स्थान को भूगृहादि की परिभाषा की व्याप्ति में लेने के प्रश्न पर विचार किया। समिति समझती है कि उनको ऐसी सहायता देने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जाये . . . ।"

इस कारण किया यह गया है कि १९५६ का अधिनियम जिसने फरवरी १९५९ में व्यपगत हो जाना था अब एक वर्ष और रहेगा और तब तक सरकार इस बारे में विचारविमर्श कर लेगी। कल भी उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था। इन परिस्थितियों में इस बात पर विचार किया जायेगा जो कार्यवाही आवश्यक समझी जायेगी वह भी की जायेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

> "कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनूभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक द्वारा भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जायेगा ताकि आयोग की कतिपय सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से सभा को ज्ञात होगा कि इस विधेयक द्वारा सोडा ऐश, कैल्शियम

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मनुभाई शाह]

कार्बाइड, कास्टिक सोड़ा, कृषिपालन, अलूमिनीयम, सुरमा, इंजिनियर स्टील फाइल तथा विद्युत् मोटर उद्योग पर ३१ दिसम्बर, १९५८ के बाद तक भी संरक्षण जारी रहेगा और कोकोआ पाउडर, चाकोलेट, वाइक्रोमेट, ब्लीचिंग वेस्ट तथा ब्लीचिंग पाउडर तथा कृत्रिम रेशम तथा मिश्रित वस्त्रों तथा स्टील रास्पों पर संरक्षण जारी नहीं रहेगा ।

भारतीय प्रशुल्क विधेयक के वादविवादों में जैसा कि सभा ने बार बार यह इच्छा प्रकट की है कि सरकार प्रशुल्क आयोग के कार्य का पुनरीक्षण करती रहे उसी के अनुसार मैं इस अवसर पर आयोग के कार्य के बारे में जानकारी दूंगा।

आयोग के प्रतिवेदन तथा तत्संबंधी सरकारी संकल्पों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी गई हैं और प्रत्येक उद्योग सम्बन्धी टिप्पण सदस्यों में परिचालित कर दिये गये हैं ।

जैसा कि सभा को विदित है, १९४० में सरकार ने घोषणा की थी कि युद्धकाल में संवर्धित उद्योग यह अनुभव करेंगे कि यदि वे ठोस तरीके पर चलाये जायें, तो उन तरीकों से जिन्हें सरकार बनाये उनका परिरक्षण होगा और वे विदेशी प्रतियोगिता के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगी ।

इसी आधार पर युद्धकाल में ४३ उद्योग स्थापित हुए और उन्होंने युद्ध समाप्ति के समय सुरक्षा के लिये आवेदन किया । सरकार ने उन उद्योगों के दावे पर विचार करने के लिये अन्तरिम बोर्ड बना दिया और दीर्घकालीन नीति के निर्माण पर विचार होने लगा । अतः नवम्बर, १९४५ के एक संकल्प के द्वारा दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये अस्थायी बोर्ड बनाया गया । उसके पश्चात् सरकार न उसी बोर्ड को तीन वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिये बनाया । बोर्ड के रहने की अवधि को और भी बढ़ाया गया अर्थात् उस समय तक किया गया जब तक कि राजकोषीय आयोग की सिफारिश द्वारा स्थायी प्रशुल्क आयोग की स्थापना न हो ।

जब तक १९५२ में प्रशुल्क आयोग स्थापित हुआ देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्रगति का कार्य आरंभ हो चुका था । सरकार की नीति १९४८ की घोषणा तथा पुनश्च १९५६ की उद्‌घोषणा के अनुसार ही है ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है वह है हाल ही के वर्षों में भुगतान संतुलन का असंतुलित रहना तथा उसको विनियमित करने के लिये आयात की मात्रात्मक रोक । इस प्रकार की रोक से देश के उद्योगों को संरक्षण मिला है अतः आजकल प्रशुल्क के माध्यम से संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है । किन्तु हमें यह बात भूल न जानी चाहिये कि जब तक मात्रात्मक रोक का प्रभाव तो सीमित है तब तक स्वदेशी उद्योग निरंतर खतरे की स्थिति में ही रहेंगे। वह खतरा उस समय तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि शुल्क लगा कर उनको संरक्षण न प्रदान किया जाये ।

निस्संदेह ऐसे उद्योग भी हैं जिनका विकास पहले पहल आयात नियंत्रण की संतुलित व्यवस्था से ही हो सकता है । अविकसित देशों के लिये "गाट" संगठन ने इसे सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर लिया है । उनका हाल ही का संकल्प इस बात का प्रमाण है । किन्तु यह बात भी सर्वमान्य है कि आयात नियंत्रण को संरक्षण के लिये दीर्घकालीन स्तर पर अपनाना वांछनीय नहीं है । अतः इन सब मामलों पर प्रशुल्क आयोग को विचार करते

रहना होता है। भूत में मात्रात्मक रोक की अपनी कार्यवाही को हम न्यायोचित ठहराते रहे हैं क्योंकि प्रशुल्क आयोग इन बातों पर विचार करता रहा है और प्रत्येक मात्रात्मक रोक के साथ साथ सम्बद्ध उद्योगों की प्रतिक्रिया भी देखता रहा है तथा उपभोक्ताओं के हितों को भी उसने देखा है।

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों से अनियमित प्रकार के आयात के सारे मामले प्रकाश में आते रहे हैं और स्वदेशी उत्पादन पर उनका प्रभाव भी ज्ञात होता रहा है। अतः आयोग ने आयात नियंत्रण सम्बन्धी व्यवस्था का जो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया है उस पर अधिक क्या कहूं। वह बड़ा भारी काम है यह कार्यवाही यों भी लोकतंत्रात्मक रीति के अनुसार ही है। और आयोग की कार्यवाही का आवधिक पुनरीक्षण अत्यन्त वांछनीय भी है।

जब १९५२ में आयोग बना ४३ उद्योग संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। आयोग ने इन का पुनरीक्षण किया तथा २३ उद्योगों पर से संरक्षण हटा लिया गया। यह बात मैं ने यहां इसलिये कही कि यहां आलोचना होती रहती है कि सरकार कभी भी किसी उद्योग को अपने पांव पर खड़ा होने के लिये संरक्षण नहीं हटाती। किन्तु ऐसी बात नहीं है। २३ उद्योगों पर से संरक्षण हटाया गया तथा १७ नये उद्योगों को संरक्षण दिया गया। ६ नवीन उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया। इस कारण यह नहीं समझना चाहिये कि चूंकि एक उद्योग ने आवेदन दे दिया है उसको संरक्षण मिल ही जायेगा।

इस समय ३७ उद्योगों को संरक्षण है जिनमें से कृत्रिम रेशम, बाईक्रोमेट्स, कोकोआ चूर्ण तथा चाकोलेट उद्योग पर १ जनवरी १९५९ से संरक्षण नहीं रहेगा। इससे संरक्षित उद्योगों की संख्या ३४ हो जायेगी।

दियासलाई उद्योग पर उत्पादन शुल्क लगता है और कई वर्षों से दियासलाइयों का आयात नहीं हुआ है।

इस समय अलूमिनियम, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, रंग, पीसने वाले पत्थर, मशीनों के पेच, वालवेयरिंग, तांबे तथा अलूमिनियम के कंडक्टर, ए० एस० सी० आर० कंडक्टर, बाइसिकल वस्त्रोद्योग की मशीनें, विद्युत् ट्रांसफार्मर, कैल्शियम कार्बाइड, विद्युत् मोटरें, प्लाईवुड की पेटियां इत्यादि पर संरक्षण है। १९५२—५८ तक इन उद्योगों में से बहुत ने विभिन्न प्रकार की प्रगति की है। वास्तव में उत्पादन, कोटि तथा सस्ते मूल्य करने की दृष्टि से इन सभी उद्योगों ने प्रगति की है। कुछेक उद्योगों ने बहुत प्रगति कर ली है। १९५२ में साइकिल बनाने के ६ कारखाने थे और वर्ष भर में १,९७,००० साइकल बनते थे। इस समय १९ कारखाने हैं और ४५ छोटे पैमाने के एकक हैं और १० लाख से अधिक साइकिल बनते हैं। अगले वर्ष इससे भी अधिक उत्पादन होगा। अब हमारा यह उद्योग निर्यात भी करने लगा है। हाल ही में भारत से २५,००० साइकिल मध्यपूर्व में भेजे जाने के लिये बातचीत हो रही है।

दूसरी उद्योग जिस ने प्रगति की है वह है पीसने वाले पत्थरों के निर्माण का उद्योग। १९५२ में हमारे यहां केवल एक कारखाना था और उत्पादन था ३८६ टन। अब ५ कारखाने हैं और उत्पादन है १,५०० टन। इसी प्रकार वालवेयरिंग उद्योग ने भी अपना उत्पादन बढ़ाया है। १९५२ में ६.४८ लाख वालवेयरिंग बनते थे आज २३.७ लाख तक संख्या पहुंच गई है। अभी तक देश में इनका एक ही कारखाना है। हम ज्यादा कारखाने लगवाने का प्रयास कर रहे हैं।

[श्री मनुभाई शाह]

रासायनिक उद्योगों में सोडा ऐश का उत्पादन जो कि १९५२ में ४३,३७२ टन था अब ७३,००० टन हो गया है। अब देश में दो कारखाने सोडा ऐश बनाते हैं। इन दोनों के प्रसार की योजनायें हाथों में हैं और शीघ्र ही २,३०,००० टन ऐश वार्षिक रूप से तैयार होने लगेगी।

यद्यपि यह सारी बात तो संतोषप्रद है किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ उद्योगों की स्थिति संतोषजनक न थी। उदाहरणार्थ रंगों के उद्योग का उदाहरण हमारे समक्ष है। सरकार जैसा चाहती थी वैसी प्रगति यह न कर सकी। जब रंग बनाने वाले द्रव्यों का संतोषप्रद उत्पादन नहीं होता तब तक इधर अधिक प्रगति की संभावना नहीं है। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब रंग बनाने वाली वस्तुओं के सम्पूर्ण क्षेत्र को लिया जा चुका है और हम आगामी वर्षों में जर्मन वालों की सहायता के साथ इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर जायेंगे।

मोटर उद्योग में भी प्रगति धीमी है। यद्यपि मोटरों के पुर्जे जोड़कर मोटरें बनाने का काम युद्ध से भी पहले शुरू हो गया था तथापि वास्तविक कार्यक्रम १९५४-५५ से ही आरंभ हुआ। इस लिये इस उद्योग पर विचार करते समय हमें यह बात ध्यान में रख ही लेनी चाहिये कि १९५४-५५ से पूर्व यहां केवल पुर्जे ही जोड़े जाते थे और उसके पश्चात ही सरकार ने स्वदेशी उत्पादन पर आग्रह शुरू किया। तब हमें पता चलेगा कि प्रगति इतनी असंतोषप्रद नहीं है। मोटर बनाने वाले बड़े ६ निर्माताओं ने अब पुर्जों का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त की है और ढलाई इत्यादि का कार्य भी इसी देश में होने लगा है। इस मामले में जो धीमी प्रगति है उसके लिये आंशिक रूप से सरकार भी जिम्मेदार है क्योंकि देश की वैदेशिक मुद्रा की समस्या बड़ी भीषण हो चुकी थी। अभी कुछ मास पूर्व तक ही तो हम औजारों इत्यादि के लिये भी विदेशी मुद्रा की छूट न दे सके थे। किन्तु अब हमने लगभग उनकी समस्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें पूरी कर दी है। आशा की जाती है कि १९५९ के अन्त तक व्यापारिक गाड़ियों के ७०/७५ प्रतिशत पुर्जे भारतीय हुआ करेंगे हिन्दुस्तान कार भी इसी प्रकार स्वदेशी पुर्जों से ही बना करेगी। १९६०-६१ तक सभी गाड़ियां ८० प्रतिशत स्वदेशी पुर्जों से बनेंगी क्योंकि हमने उद्योग की पूंजीगत वस्तुओं का अनुज्ञप्तिकरण कर दिया है।

संरक्षित उद्योगों से आशा की जाती है कि वे लागत के उचित अनुपात में ही अपनी वस्तुओं के मूल्य रखेंगे। सभा में इसके बारे में कई बार चिन्ता व्यक्त की जा चुकी है। अक्सर यह आलोचना की गई है कि ये संरक्षित उद्योग संरक्षण का गलत लाभ उठाते हैं और अपनी वस्तुओं के दाम ऊंचे रखते हैं। आयोग इन संरक्षित उद्योगों की वस्तुओं के मूल्यों पर काफी नजर रखता है, और इसका मत यह है कि ऐसी सारी आलोचना सदा ही तथ्यों पर आधारित नहीं होती। आयोग ने अपने प्रतिवेदनों में इस बात पर भी जोर दिया है कि सम्भरण की कमी होने पर तो हमेशा ही मूल्य ऊंचे चढ़ जाते हैं, लेकिन इस मूल्य-वृद्धि में हमेशा उत्पादकों का ही हाथ नहीं रहता, बल्कि बीच के वितरक लोग मूल्य चढ़ा देते हैं और खुदरा विक्रेता उसे और भी बढ़ा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जब तक सरकार बहुत अधिक संख्या में प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त नहीं करती और उन्हें पुलिस की शक्तियां नहीं देती, तब तक मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखना कठिन है। लेकिन यह वांछनीय नहीं है। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि अधिकांश वस्तुओं का सम्भरण आवश्यकता

से कम है और अभी प्रतियोगी आर्थिक शक्तियां पूरी तौर पर सक्रिय नहीं है। ऐसी दशा में उत्पादकों को ही मूल्यों की वृद्धि के लिये पूरी तौर पर उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा।

अभी इस समय उपभोग वस्तुओं के चार उद्योगों को संरक्षण दिया जा रहा है। साबूदाने बटनों (प्लास्टिक के बने स्टड और कफ लिंक्स), कैलसियम लैक्टेट और बाइसिकलों के उद्योगों को संरक्षण दिया गया है। बाइसिकलों के मामले में देश में बड़ी प्रतियोगिता चल रही है। कई फर्मों की बनी साइकिलें बाजार में हैं और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुलभ हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय बाइसिकल का मूल्य १९५४ में १६१.५० रुपये था, जो अब १९५८ में घटकर १४१.५० रुपये रह गया है। बाइसिकलों के मूल्य बहुत अधिक होने के बारे में कोई भी शिकायत नहीं की गई है। कैलसियम लैक्टेट का मूल्य भी निर्माताओं ने घटा दिया है, जो १९५२ में सवा तीन रुपये प्रति पौण्ड था अब एक रुपया अस्सी नये पैसे प्रति पौण्ड रह गया है। साबूदाने या बटनों के मूल्यों के बारे में आयोग को ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

अन्य उद्योगों के बारे में अधिकतर शिकायतें उन्हीं खरीददारों की हैं जो बाजार से बहुत कम मात्रा में खरीदते हैं। अधिक पैमाने पर खरीदने वाले खरीददारों को ये वस्तुयें काफी उचित मूल्य पर मिल जाती हैं। उनको उसी मूल्य पर मिल जाती है जिसे उनकी लागत को देखते हुए आयोग ने उचित ठहराया है। जहां भी घरेलू उत्पादन मांग को पूरी नहीं कर पाता, वहां बाजार मूल्य बढ़ने के कारण केवल यही है कि आयात अनियमित और अपर्याप्त रहते हैं। फिर भी, उन उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई नहीं पड़ती, जो नियमित रूप से घरेलू बाजार से इन वस्तुओं को खरीदते रहते हैं। आयोग द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई जांचों से यह सिद्ध हो गया है, खास तौर से सोडा एश और सोडा कास्टिक के बारे में। इसलिये ऊंचे मूल्यों के लिये पूरी तौर पर उद्योग को ही दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। हां लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उद्योग में कई अवस्थाओं पर कई तरह का कदाचार भी होता है, और जब तक इन वस्तुओं का अभाव बना रहेगा, उनको रोकना भी असम्भव है। इसलिये इलाज सिर्फ यही है कि उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि की जाये। इसलिये हम सभी को, विदेशी मुद्रा के संकट के बावजूद अपनी सारी शक्ति उत्पादन बढ़ाने में ही लगानी चाहिये।

कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि निर्माताओं ने आपस में मिलकर सम्मिलित रूप से साठगांठ करके परिस्थिति से गलत फायदा उठाने को कोशिश की है। आयोग और सरकार दोनों ही ने कुछ उद्योगों में मौजूद गलत ढंग के वितरण संगठनों के कारण उत्पन्न होने वाली बुराइयों को दूर करने पर जोर दिया है। जैसे कि सोडा एश उद्योग के क्षेत्र में, आयोग ने एक निर्माता के क्रय-विक्रय की पद्धति में गलती बताई है। आयोग ने, उपभोक्ता उद्योग की शिकायतों पर, और सरकार के कहने पर बालबियरिंग उद्योग की वितरण प्रणाली की जांच की है। वह जांच अब पूरी हो चुकी है। कुछ संरक्षित उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं के थोक मूल्यों में क्रमशः गिरावट भी आई है।

मुझे प्रसन्नता है कि इन सब उपायों से कई क्षेत्रों में मूल्य काफी स्थिर हो गये हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण है शीट ग्लास। जिसका मूल्य १९५२ में ३८) रुपये हंडरैड स्क्वायर फीट था। जो अब २९) रुपये रह गया है। इंजीनियर्स की इस्पात की रेतियां जो १९५५ में २१) रुपये दर्जन थीं और अब १६।।) रुपये दर्जन हो गयीं हैं, कास्टिक सोडा जो

[श्री मनुभाई शाह]

१९५५ में ३४ रुपये ६९ नये पैसे हन्डरवेट था और अब ३१) रुपये प्रति हन्डरवैट हो गया है। सोडा ऐश जो १९५२ में २२ रुपये ५६ नये पैसे प्रति हंडरवेट था और अब १९५८ में १९।।) रुपये प्रति हंडरवेट हो गया है।

इंजीनियर्स वस्तुओं के मूल्य भी गिरते रहे हैं लेकिन इस्पात की और अन्य कच्चे माल के मूल्य बढ़ने के साथ-साथ उनमें कुछ वृद्धि हुई है। इसलिये मैं उद्योग, व्यापार और उपभोक्ताओं से अपील करता हूं कि वे मूल्यों में स्थायित्व लाने के लिये सरकार के साथ पूरा पूरा सहयोग करें क्योंकि इस सहयोग और सरकार द्वारा किये गये नियंत्रण से ही मूल्यों में स्थायित्व पैदा किया जा सकता है।

सभा जानती ही है कि प्रशुल्क आयोग और सरकार ने लगातार इस दिशा में प्रयास किया है। खासतौर से निर्मित वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में स्थायित्व लाने की दिशा में और उसे काफी सफलता भी मिली है। निर्मित वस्तुओं के थोक मूल्यों में १०८.९ से अधिक वृद्धि नहीं हुई। यदि १९५२–५३ से १९५८ तक देखा जाये और १९५२–५३ को १०० मान लिया जाये तो देशनांक इस तरह होंगे :—

१९५३ में . .	९८.६
१९५४ में . .	१००.४
१९५५ में . .	९४.४
१९५६ में .	१०४.९
१९५७ में . .	१०७.९

हालांकि इस बीच में विदेशी मुद्रा का अभाव रहा है और विश्व व्यापी पैमाने पर मूल्यों में काफी वृद्धि होती रही है इससे पता चलता है कि हमारे प्रयासों को काफी सफलता मिली है और थोक निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के देशनांक पिछले ६ साल में केवल ८ पाइन्ट ही बढ़े हैं।

आयोग ने अपनी सभी जांच पड़तालों में देशी उद्योगों के उत्पादों की किस्म अच्छी बनाये रखने की जरूरत पर जोर दिया है। और इस बात का समर्थन किया है कि भारत मानक संस्था मापदण्ड स्थिर करने का यह सही प्रयास कर रहा है। आयोग ने लगभग सभी वस्तुओं के क्षेत्र में भारत मानक संस्था के मानदण्डों को ही अपनाने का अनुमोदन किया है।

अक्सर यह कहा जाता है कि संरक्षित उद्योग बेतरह मुनाफा कमा रहे हैं। आयोग नियमित तौर पर संरक्षित उद्योगों के संतुलन पत्रों का विश्लेषण करता रहता है वह उनकी लागत और मूल्यों की जांच भी इस दृष्टि से करता है कि कहीं वह अत्यधिक मुनाफा तो नहीं कमा रहे हैं। कुछ समवायों के संतुलन पत्रों में तो अधिक मुनाफा दिखाई देता है लेकिन वे ज्यादातर ऐसे ही समवाय हैं जो संरक्षित वस्तुओं के अलावा भी अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिये दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कास्टिक सोडा भी तैयार करता है और कास्टिक सोडा संरक्षित वस्तु है। लेकिन इसके अलावा वह और भी कई वस्तुओं का उत्पादन करता है इसलिये यह कहना गलत होगा कि कास्टिक सोडे का उत्पादन करने वाली इकाई को ही अत्यधिक मुनाफा हुआ है। अन्य उत्पादन इकाइयां भी काफी मुनाफा दे रही हैं। इसी प्रकार एक से अधिक उत्पादन करने वाले कई और भी उद्योग है जैसे कि अलकेले एण्ड कैमिकल्स एण्ड रोहतास लिमिटेड जिसने कई उद्योगों में काफी

फायदा दिखाया है लेकिन उन अलग-अलग उद्योगों पर हुए अलग-अलग मुनाफे की गणना करना मुश्किल है। यह कहना भी सही नहीं है कि संरक्षित उद्योग बेतरह मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफे का होना इस बात पर निर्भर करता है कि किस इकाई विशेष की कार्य-क्षमता कितनी है। उदाहरण के लिये टीटागढ़ पेपर मिल्स और ओरियन्ट पेपर मिल्स ने जो बहुत अधिक मुनाफा कमाया है वह अपनी कार्यक्षमता के बल पर ही। चीनी उद्योग क्षेत्र में गोदावरी शुगर और वालचन्दनगर शुगर ने भी अपनी कार्यक्षमता के बल पर ही अधिक मुनाफे कमाये हैं।

नौवहन के क्षेत्र में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी ने बहुत अधिक मुनाफा कमाया है। कुछ चाय समवायों ने अन्य चाय समवायों के मुकाबले अधिक मुनाफों कमाया है और अगर इन मुनाफों को देखा जाये और उनकी दूसरे उद्योगों के मुनाफों से तुलना की जाये तो ऐसा लगता है कि यह मुनाफे काफी अधिक हैं। लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है।

†श्री वें० प० नायर (क्विलोन) : ये उद्योग बिल के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

†श्री मनुभाई शाह : मैं प्रशुल्क आयोग के काम के बारे में बोल रहा हूं। सभा में प्रशुल्क आयोग के कार्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती रही है इसलिये मैं यह तथ्य सभा के सामने रख रहा हूं।

हां, तो मैं कह रहा था कि यह सही स्थिति नहीं है। मुनाफे की औसतन दर काफी कम रही है। एक से अनेक वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योगों के कुल मुनाफे इस कारण नहीं हुए हैं कि उनको एक किसी वस्तु को संरक्षण दिया गया है।

ऐसे मामलों में हमें एक समवाय विशेष के एक उत्पादन विशेष पर होने वाले मुनाफे की गणना पूरी सावधानी के साथ करनी चाहिये और ऐसी गणना करने के बाद ही हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिये कि संरक्षित वस्तु पर अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है या नहीं। दूसरी चीज यह है कि जिस उद्योग में अनेक इकाइयां होती हैं जैसे कि प्लाईवुड उद्योग में हैं वहां संरक्षण की मात्रा इस आधार पर निश्चित की जाती है कि किसी इकाई विशेष में उत्पादन की लागत कितनी है। यह तो स्वाभाविक ही है कि अधिक कार्यक्षमता वाली इकाइयों को अन्य इकाइयों के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा होगा।

यह सही है कि कई उद्योगों द्वारा कमाये जाने वाले समूचे मुनाफे की गणना करने के समय लोग यह भूल जाते हैं कि अलग-अलग एक इकाई में कितना मुनाफा किया है इसकी भी गणना की जाये। एक दो इकाइयों के अलग से ले लेने पर उन पर मुनाफे की दर अधिक मालूम पड़ सकती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि सभी इकाइयों ने एक वर्ष विशेष में उतनी ही अधिक दर पर मुनाफा कमाया है।

यदि सभी साथों में सभी उद्योगों के लिये एक सी शर्तें रख दी जायें या एक सी परिस्थितियां पैदा कर दी जायें तो फिर आन्तरिक मतैक्यता के आधार पर वे अपनी कार्य-क्षमता बढ़ाने की बात नहीं सोचेंगे और आन्तरिक प्रतियोगिता के बिना उनको अपनी लागत मूल्य घटाने की कोई प्रेरणा नहीं रह जायेगी। इस लिये हर उद्योग में और खास कर उन उद्योगों में जिन में बहुत सी इकाइयां हों हमने इस उद्देश्य को सामने रखकर काम किया है कि सभी इकाइयों पर होने वाले सामान्य मुनाफे अत्यधिक न हों। संरक्षित वस्तुओं के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

उत्पादन में लगी हुई कुछ बड़ी-बड़ी इकाइयों के संतुलन पत्रों को देखने से पता चलता है कि ७ समवाय तो १९५२ से लेकर १९५६ तक के काल में कोई लाभांश ही नहीं घोषित कर सके। ९ अन्य समवाय १९५४ तक कोई भी लाभांश नहीं दे सके। उन्होंने १९५४ के बाद ही लाभांश घोषित किया। लेकिन वह भी २॥ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक ही रहा। १० अन्य समवायों के मामलों में लाभांश की दर बहुत धीरे-धीरे बढ़ी---१९५२ में ३ से लेकर ८ प्रतिशत से १९५८ में ६ से लेकर २० प्रतिशत तक हुई। एक समवाय के लाभांश की दर तो १२ प्रतिशत से घटकर ७॥ प्रतिशत ही रह गयी और ५ अन्य समवायों के लाभांश की दर ५ प्रतिशत से घटकर शून्य प्रतिशत तक हो गई। इस काल में ३ समवायों के मुनाफे घटते बढ़ते रहे।

हम जब अपने देश में औद्योगिक विकास की गति बहुत तेज करना चाहते हैं तो उसके लिये जरूरी है कि हम उद्योग को यह विश्वास दिलायें कि उसके हितों की रक्षा की जायेगी और यह विश्वास उनमें तभी पैदा हो सकता है जब कि प्रशुल्क आयोग जैसी निष्पक्ष निकाय उसको मदद देने की बात सोचे। मदद ही नहीं प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के आधार पर किसी उद्योग को संरक्षण देने से विदेशों में उस उद्योग की साख बढ़ जाती है। खास-तौर से जब उसे विदेशों के साथ प्रविधिक और वित्तीय सहयोग करना पड़ता हो। बाइ-सिकलों, इलैक्ट्रिक-मोटरों अल्यूमिनियम इत्यादि के उद्योगों का विकास नहीं हो सकता था यदि उनको संरक्षण नहीं दिया जाता और सरकार की ओर से कोई सहायता न दी जाती। यह देखा गया है कि यदि किसी उद्योग को संरक्षण मिल जाता है तो विदेशी निर्माता यह समझ लेते हैं कि सरकार उस उद्योग को मदद करने के लिये सब कुछ करेगी और यदि निरन्तर विस्तृत होते हुए बाजार में अपना भी कोई हित बनाये रखना चाहते हैं तो उन्हें देश के घरेलू उद्योग को ही सहायता करनी चाहिये।

यहां मैं प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का भी उल्लेख करना चाहता हूं। पहले जब यह करार किया गया था तो इस करार में संरक्षित उद्योगों को या संरक्षण दिये जाने वाले उद्योगों को शामलि नहीं किया गया था। उस समय सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह अनुमान लगा सके कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थ-व्यवस्था का विकास क्या-क्या होगा और वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जिस का नतीजा यह हुआ था कि हमने यह सोचकर कि अभी कुछ समय तक देश में कुछ वस्तुओं विशेष का निर्माण नहीं हो सकेगा और इसलिये हमने उनके सम्बन्ध में कुछ प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें दे दी थीं। अब यह बड़े संतोष की बात है कि हम यह महसूस करने लगे हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था का हित इसी में है कि उस करार के क्षेत्राधिकार से और उसके दायित्वों से कई वस्तुओं को मुक्त किया जाये। प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर हमने रंगों और अडैप्टेटर बीअरिंगस् को करार से मुक्त कर भी दिया है। अब आयोग जस्त और सीसा उद्योग को संरक्षण देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। अभी यह उद्योग करार में सम्मि-लित है। प्रशुल्क आयोग के काम पर यही सामान्य रूप रेखा है। नये संस्थापित उद्योगों का उल्लेख भी आवश्यक है। जब भी कोई नया उद्योग संस्थापित किया जाता है तो वह घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ रहता है। कभी-कभी तो वह २० प्रतिशत घरेलू मांग भी पूरी नहीं कर पाता। ऐसी दशा में यह जरूरी है कि उन वस्तुओं के घरेलू मूल्यों और आयात मूल्यों में उचित अनुपात कायम किया जाये जिससे कि उपभोक्ताओं को अधिक कठिनाई न पड़े। इसमें प्रशुल्कों का काफी बड़ा महत्व होता है। कास्टिक

सोडा, सोडा ऐश टिटेनियम डाई आक्साईड, कैलसियम कारबाइट इत्यादि के क्षेत्र में प्रशुल्क आयोग ने जो विक्रय मूल्य और संरक्षणात्मक मूल्य निश्चित किया था और जिनकी सिफारिश की थी उनसे इन उत्पादों के मूल्य स्थिर करने में बड़ी सहयता मिली है। हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये मूल्यों का स्थायित्व अत्यावश्यक है।

कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि उद्योगों को संरक्षण देने से उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं होता। वे उद्योग उपभोक्ताओं के हित में काम नहीं करते। यह सही है कि प्रशुल्क आयोग को यह शक्ति दी गयी है कि वह सभी संरक्षित उद्योगों से सांख्यकीय जानकारी मांग सकता है।

अब मैं उन उद्योगों की बात कहना चाहता हूं जिनको पहली जनवरी, १९५९ से संरक्षित नहीं रखा जायेगा। सभा को कोको पाउडर, चाकलेट इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि के उद्योगों के बारे में तो मालूम ही है। मैं कृत्रिम रेशमी वस्त्रों और सूती तथा कृत्रिम रेशम की मिलावट वाले वस्त्रों के उद्योग को लेता हूं। इस उद्योग को सबसे पहले १९३४ में संरक्षण दिया गया था। क्योंकि जब कृत्रिम रेशमी वस्त्र उद्योग को संरक्षण देने की योजना थी अब उसके संरक्षण समाप्त करने की बात सोची जा रही है लेकिन इसका कई ओर से विरोध भी हुआ है। १९४७ में कृत्रिम रेशमी वस्त्रों के निर्माण के लिये वस्त्र आयुक्त ने केवल १५०० शक्ति चालित करघों का पंजीयन किया था। इस समय ४४ हजार शक्ति चालित करघे हैं। इस प्रकार १० साल में ही यह करघे १५०० से बढ़कर ४५ हजार हो गये हैं। देशी उत्पादन १९४७ में १७४१.४ लाख गज से बढ़कर १९५७ में २७९० लाख गज हो गया है। यह उद्योग कृत्रिम रेशमी वस्त्रों की किस्म बेहतर बनाने का और तमाम किस्मों के उत्पादन का प्रयास कर रहा है। पहली जनवरी, १९५७ के बाद से कृत्रिम रेशमी वस्त्रों के आयात पर रोक लगा दी गयी है लेकिन निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत वस्त्रों के निर्यातकों को कुछ विशेष आयात करने की अनुमति दी जाती है इसी प्रकार के आयातों से एक फायदा यह भी होता है कि उद्योग को पता चल जाता है कि अन्य देशों में किन किस्मों का उत्पादन हो रहा है या कौन से डिजाइन वहां चल रहे हैं। हमारा निर्यात ३५ लाख गज के करीब रहा है। सरकार ने कृत्रिम रेशमी वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये कई कदम उठाये हैं जिन में आयात किये हुए सूत पर प्रशुल्क वापिस करने, उत्पादन शुल्क की वापसी इत्यादि की अनुमति शामिल हैं।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री को अपना भाषण इस संशोधन विधेयक के अन्तर्गत आने वाले विषयों तक ही सीमित रखना चाहिये।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : अच्छा तो यह हो कि इसके लिये कुछ समय और दिया जाये क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

†**श्री मनुभाई शाह** : दो घंटे का समय बहुत कम है। फिर भी मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि जिन उद्योगों का संरक्षण वापिस लेने की बात सोची जा रही है उनके बारे में काफी सावधानी से विचार कर लिया गया है। प्रशुल्क आयोग ने कुछ उद्योगों को संरक्षण देने की सिफारिश की है और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है। इस विधेयक में उन सभी निष्कर्षों को रख दिया गया है और मैं इसकी स्वीकृति के लिये सभा का कृतज्ञ रहूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं संरक्षण देने का विरोधी नहीं, परन्तु उद्योग विशेष को संरक्षण देने से पूर्व हमें उसके कुछ महत्वपूर्ण अंगों को अवश्य देख लेना चाहिए। हमें देखना होगा कि उद्योग पर नियन्त्रण किस का है और जिन वस्तुओं को संरक्षण प्राप्त है उसका वितरण किसके द्वारा होता है। सभा से एक दो वर्ष के लिए नहीं बल्कि पांच वर्ष के लिये संरक्षण देने को कहा गया है परन्तु उसे यह भी मालूम करने का अधिकार है कि जिन लोगों ने संरक्षण देने की सिफारिश की है और उसके बारे में जांच पड़ताल की है, वे कितने योग्य हैं। मुझे प्रशुल्क आयोग के सदस्यों के प्रति कोई द्वेष नहीं। आयोग के सचिव बहुत योग्य व्यक्ति हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या किसी ने उद्योगों में जा कर जांच की है और क्या वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन को सारे उद्योगों की प्रविधिक बातों का ज्ञान हो। हमें बताया गया है कि आयोग के कुल चार-पांच सदस्य हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहता कि भारत सरकार का सारा विकास उप-विभाग (डेवेलपमेन्ट विंग) उनकी सेवा में हाजिर है और उसके सारे प्रविधिक अधिकारी उनको जरूरत के समय सहायता देते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : इस अवस्था में इन सदस्यों के लिए कारखानों में जाना आवश्यक नहीं है। तो क्या यह केवल यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए ही जाते हैं। यदि यह बात नहीं तो किस आधार पर प्रशुल्क आयोग के सदस्यों को धन दिया जाता है। एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि कितनी राशियां प्रशुल्क आयोग के सदस्यों को दी जाती हैं। प्रशुल्क आयोग के अध्यक्ष की योग्यतायें यह है कि वह उद्योग-धन्धों पर नहीं बल्कि काव्य और संगीत पर इंग्लिश और तामिल में लेख लिखते रहे हैं। वह १९५१ में इम्पीरियल बैंक से निवृत होकर इस पद पर नियुक्त हुये थे और समय-समय पर उनकी पदावधि को बढ़ाया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में यह सारी जानकारी एक प्रश्न के उत्तर में सदन के समक्ष रखी गयी थी और हमें उस पर आलोचना करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त प्रशुल्क आयोग की कोई निश्चित नीति नहीं। विभिन्न उद्योगों के प्रतिवेदन मेरे पास हैं जिनका कि संरक्षण १९६३ तक चलेगा। उनके सम्बन्ध में न कोई नियम है और न कोई सूत्र ही निर्माण किया गया है। मेरे विचार में हम से १९६३ तक संरक्षण की मांग करना बिलकुल निरर्थक है। हालात को ठीक ढंग से अध्ययन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लगभग इसी परिणाम पर पहुंचेगा। मेरा निवेदन है कि मैं प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों के विरुद्ध नहीं परन्तु मेरा कहना है कि कुछ नियम और स्तरों का पालन किया जाना चाहिए। जिस सदस्य को किसी उद्योग विशेष का पूर्ण ज्ञान न हो, उसे प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, न ही वहां जाना चाहिए। जब भी किसी उद्योग के निरीक्षण के लिए जाया जाये तो लागत लेखापाल अवश्य साथ हो। स्वयं प्रशुल्क आयोग ने कहा है कि सोडा एश की कीमतों को भी उचित प्रकार से प्रहस्ततित निर्धारित नहीं किया जा रहा है। इसकी वितरण प्रणाली असन्तोषजनक और दोष पूर्ण है, परन्तु फिर भी इसे १९६३ के अन्त तक संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा एकाधिकार स्थापित करके न केवल सोडा एश प्रयोग करने वाले उद्योगों के लिए ही संकट पैदा हुआ है परन्तु देश के हजारों धोबी भी इससे

†मूल अंग्रेजी में

प्रभावित हुये हैं। सोडा कस्टिक की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं थी। प्रशुल्क आयोग ने स्वयं ही अपने प्रतिवेदन में इस प्रकार के रहस्योद्‌घाटन किये हैं।

उद्योगों को इस प्रकार संरक्षण दिया गया है कि वतमान एकाधिकारों को फलने की गुंजाइश हो जाये; साथ ही पुराने एकाधिकारों के स्थान पर नये एकाधिकार स्थापित कर दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार काम ठीक नहीं चलेगा।

†**सभापति महोदय**: माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें। अब हम अगला विषय लेंगे।

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों द्वारा ग़ैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करने के बारे में चर्चा

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: सभापति महोदय, यह चर्चा तारांकित प्रश्न संख्या ४०५ के उत्तर से उत्पन्न हुई है। इस चर्चा को प्रारम्भ करने से पहले मैं सभा को रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में पूरे-पूरे तथ्य बता देना चाहता हूं ताकि सभी सदस्य उस की सही जानकारी के प्रकाश में उस प्रश्न की आलोचना कर सकें।

सबसे पहले मैं सभा का ध्यान अपने से पूर्व मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री द्वारा इस सभा म २४ सितम्बर, १९५४ को दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने रेलवे बोर्ड के गठन के बारे में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की थी। ये परिवर्तन १ अक्टूबर, १९५४ से लागू हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन की सेवावधि ३० सितम्बर, १९५४ के बाद आगे नहीं बढ़ाई गई। इसलिये उन्हें अपनी अधिकायिकी सेवा की वास्तविक समाप्ति से एक वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त होना पड़ा। वह १ अक्तूबर, १९५४ से अवकाश पर चले गये और तब से उनका रेलवे बोर्ड के कार्य से कोई संबंध नहीं रहा। यदि वह छुट्टी पर न जाते तब उन्हें किसी क्षेत्रीय रेलवे का जनरल मैनेजर बन कर काम करना पड़ता।

जब वह छुट्टी पर थे तब लंका सरकार ने यह प्रार्थना की कि यदि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उनकी सेवाएं लंका सरकार को उपलब्ध की जा सकें तो भारत सरकार की बड़ी कृपा होगी। भारत सरकार इस बात पर सहमत थी। इसलिये इनको वापस बुलाकर लंका में रेलवे प्रशासन के सुधार के लिये परामर्शदाता बन कर जाने के लिये कहा गया। प्रतिनियुक्ति के दौरान में इनको जनरल मैनेजर का ही वेतन दिया गया बोर्ड के सदस्य का नहीं।

लंका में अपना कार्य पूरा करने के बाद आप २८ अप्रैल १९५५ को पुनः भारत आकर फिर छुट्टी पर चले गये। इस छुट्टी की अवधि में उन्होंने ३ मई, १९५५ को रेलवे बोर्ड के चेयरमेन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि मैं आपको तथा रेलवे मंत्री को यह इच्छा प्रकट कर चुका हूं कि में कुछ वर्षों के लिये सरकारी क्षेत्र से बाहर कार्य करना चाहता हूं ताकि देश में औद्योगिक विकास में शीघ्रता हो सके। मैंने अपना यह इरादा प्रधान मंत्री तथा कई अन्य मंत्रियों को भी बताया है। वे सभी मेरे इस इरादे

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जगजीवन राम]

का अनुमोदन करते हैं। मैं अपने सेवा नियमों के अन्तर्गत भी सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई भी व्यवसाय अपनाने में स्वतंत्र हूँ। ....मुझे लगभग आधे-दर्जन उद्योगों से निमन्त्रण आये हैं। मैंने सब पर विचार करने के पश्चात् अगस्त, १९५५ में मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी में शामिल होने का निश्चय किया है। मेरी अपनी सारी सेवावधि में इस सार्थ के साथ सरकारी कर्मचारी होने के नाते कोई संबंध नहीं रहा है?"

यह पत्र रेलवे मंत्री के सामने रखा गया था। मंत्री ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भूतपूर्व चेयरमैन को इस सार्थ में सेवा करने की अनुमति देने की सूचना देने के लिये कहा।

अब मैं सकरीगलीघाट तथा मनिहारीघाट पर हेंडलिंग कन्ट्रेक्टरों की इतिहासिक पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डालूंगा। ये दोनों स्थान गंगा नदी के दायें व बायें किनारे पर सामान लादने के स्थान हैं। पहला स्थान पूर्व रेलवे में है और दूसरा पुर्वोतर रेलवे में। इन दोनों स्थानों पर माल उतारने चढ़ाने का ठेका दोनों रेलवे प्रशासनों द्वारा पृथक पृथक करारों द्वारा मेसर्स वल्लभदास अग्रवाल को दिया गया था। सकरीगलीघाट का ठेका १ अगस्त १९४९ को दिया गया था। और मनीहारीघाट का १५ अगस्त १९४७ को। ये दोनों ठेके मुलतः क्रमशः तीन तथा पांच वर्षों के लिये दिये गये थे।

आसाम रेल लिंक की स्थापना के पश्चात तथा पाकिस्तान से आने जाने वाले यातायात में कठिनाई होने के कारण इन दोनों घाटों का महत्व बहुत बढ़ गया और इन पर यातायात बहुत बढ़ गया। दोनों रेलवे प्रशासन स्वतंत्र रूप से मेसर्स वल्लभदास के ठेकों को बढ़ाते गये और उनमें आवश्यक संशोधन वं रूपांतर करते रहे। क्योंकि यह ठेकेदार कई वर्षों से काम कर रहे थे इस लिये रेलवे प्रशासन ने सोचा कि वे देखें कि इस समय बाजार का क्या रुख है। इसलिये उन्होंने १ अप्रैल, १९५४ से नये टेंडर मंगवाने का निश्चय किया किन्तु कई बातों का विचार करके उन्होंने इस निश्चय को स्थगित कर दिया। अन्त में रेलवे उपमंत्री ने यह निश्चय किया कि इन दोनों ठेकों को १९५५ के अन्त तक समाप्त करके फिर से दोनों रेलवे द्वारा संयुक्त टेंडर मंगवाये जायें। इसके अनुसार दोनों रेलवे प्रशासनों ने सितम्बर, १९५५ में ठेका समाप्त करने के नोटिस दे दिये तथा २१ जनवरी १९५६ को नये टेंडर बुलवाये। ये टेडंर २ मार्च, १९५६ को खोले गये।

मैं आशा करता हूँ कि सभा को यह सूचना लाभदायक सिद्ध होगी।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : माननीय मंत्री को जो कुछ भी सूचना देनी थी वह पहले दे देनी चाहिये थीं ताकि हम उसी के अनुसार तैयारी कर सकते। खैर आज हम इस चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं कि क्या उच्च सरकारी कर्मचारियों को, जैसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा सदस्य अथवा अन्य उच्च पदाधिकारियों, सेवानिवृत्ति के पश्चात उन सार्थों में सेवा करने की अनुमति दी जानी चाहिये जिन के साथ कि उनका सरकारी पदाधिकारी होने के नाते घनिष्ठ संबंध रहा है? यद्यपि यह चर्चा भूतपूर्व रेलवे चेयरमैन के मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी में सेवा करने के प्रसंग से उठी है तथापि हम केवल एक उदाहरण को न लेकर इस संबंध में सरकार की सामान्य नीति की आलोचना करना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकार की सामान्य नीति यह है कि भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी को सेवा निवृत्ति से दो तीन वर्ष तक सरकार की अनुमति के बिना किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी नहीं करनी चाहिये। यह नियम इस लिये बनाया गया था ताकि सरकारी सेवाओं में भ्रष्टता न आ सके और सरकारी अधिकारी किसी प्रकार के लालच में आये बिना ठीक तरह से अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें। किन्तु आज क्या स्थिति हो रही है?

रेलवे मंत्रालय ने अपने टिप्पण में यह बताया है कि केवल ४ या ५ व्यक्तियों ने इस प्रकार से नौकरी की है। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि श्री बारवले, बल्कि उससे भी पहले से लेकर सभी ऐसे व्यक्तियों की सूची दी जाये। मगर मंत्री महोदय ने अभी तक कोई ऐसी सूची नहीं दी है।

†**श्री जगजीवन राम :** हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई सूचना नहीं है।

†**श्री अ० चं० गुह :** यदि माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं तो मैं उनको निजी रूप से ऐसे अनेक अधिकारियों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने सेवा निवृत्ति के पश्चात तुरन्त ऐसी प्राइवेट कम्पनियों में नौकरियों कर ली हैं जिन के साथ उनका आजीवन लेन देन रहा है। ६ अगस्त, १९५७ को एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय रेलवे मंत्री ने कहा था कि मैं ऐसे लोगों की सूचना सभा को दूंगा। केवल इतना ही नहीं इस वर्ष १ दिसम्बर को फिर सभा में यह मांग की गई थी कि केवल रेलवे मंत्रालय ही नहीं बल्कि सभी मंत्रालयों के ऐसे अधिकारियों की सूची बताई जानी चाहिये जिन्होंने सेवा निवृत्ति के पश्चात गैर-सरकारी सार्थों या कंपनियों में नौकरी कर ली है। किन्तु आज तक किसी मंत्रालय की सूची नहीं देखने में आई।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सूची मिल चुकी है।

†**श्री फीरोज गांधी** (राय बरेली) : श्री सी० सी० देसाई ने भी बिड़ला के यहां नौकरी कर ली है। मगर उनके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

†**श्री अ० चं० ुह :** खैर मैं व्यक्तिगत मामलों को इतना जरूरी नहीं समझता जितना की इस नीति के अनौचित्य को। आज हमारे मंत्री ऐसे कर्मचारियों के प्राइवेट नौकरियों में जाने पर उनको बधाइयां देते हैं। उनको नौकर रखने वालो फर्मों को बधाइयां देते हैं। इससे बढ़ कर और क्या प्रोत्साहन हो सकता है। ऐसी दशा में लोग अपने कर्त्तव्यों का कैसे इमानदारी से पालन कर सकते हैं?

रेलवे मंत्रालय ने जो चार-पांच दृष्टान्त दिये हैं इनमें सभी अधिकारियों ने सेवा निवृत्ति के दूसरे हो दिन उस प्राइवेट कंमनी में नौकरी कर ली है जिस के साथ कि उनका सरकारी अधिकारी होने के नाते घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। ऐसा मालूम होता है कि ये अधिकारी अपने सेवा काल में ही अपनी नौकरी की बातचीत चलाते रहे हैं जबकि सामान्य नियम यह है कि सेवा काल के दौरान में अगर कहीं भी नौकरी के लिये प्रार्थना पत्र दिया जाये तो वह प्रापर चेनल से जाना चाहिये। परन्तु ऐसा प्रकट होता है सरकार के यह व्यवहार नियम इन उच्चाधिकारियों के लिये नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० चं० गुह]

इन दोनों स्थानों के ेकों के बारे में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि बर्ड एण्ड कंपनी का टेंडर न्यूनतम था इस लिये स्वीकार किया गया। किन्तु पूर्व रेलवे के चीफ कमर्शल सुपरिन्टेंडेंट श्री आनन्दमोहन द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर किये गये एक हलफनामा में आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह न्यूनतम टेंडर नहीं था। बल्कि यह न्यूनतम टेंडर से अगला उच्च टेंडर था। मेरी जानकारी यह है कि पूर्व तथा पूर्वोत्तर दोनों रेलवे तथा टेंडर समिति ने किसी अन्य सार्थ का टेंडर स्वीकार करने की सिफारिश की थी। मैं इस समय उस सार्थ का नाम नहीं बताना चाहता। किन्तु अचानक ही श्री कल्याणरमन नामक एक व्यक्ति ने, जो कि यातायात संचालक हैं, बिना कोई कारण बताये तथा रेलवे बोर्ड से सहमति लिये बिना मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पना का टेंडर स्वीकार कर लिया। मैं समझता हू इसके लिये इन महाशय ने कभी भी रेलवे बोर्ड की सहमति नहीं ली।

रेलवे मंत्री ने यह कहा है कि यह दूसरी फर्म बिना उचित टेंडर मेरे तथा रेलवे बोर्ड की जानकारी के बिना ही काम कर रही थी। मैं पूछता हूं अगर ऐसी बात थी तो इस सार्थ का करार श्री बधबार की सेवा निवृत्ति के सिर्फ चार दिन पहले क्यों समाप्त किया गया। इसको पूरे छः महीने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया। मुझे माननीय मंत्री महोदय द्वारा दी गई तिथियों में कुछ गोरखधन्धा दिखाई देता है।

मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि सरकार को अपनी सेवाओं की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये सभी उच्च सरकारी पदाधिकारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात इस प्रकार से नौकरी करने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और केवल इतना ही नहीं बल्कि ऐसे सब मामलों का भी ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे अधिकारियों के निकट संबंधी जैसे, लड़के, लड़कियां या दामादों इत्यादि को भी ऐसी फर्मों में नौकरी करने पर सरकार को इस तथ्य की तुरन्त सूचना देनी चाहिये। बिना उचित जांच के किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की सेवा स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यदि रेलवे बोर्ड आदि के कर्मचारी पेंशन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते तो इन नियमों का विस्तार करके उन लोगों पर भी लागू किया जाना चाहिये।

†श्री तंगामणि (मदुरै) : श्रोमान्, यह चर्चा रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा एक प्राइवट फर्म में, जिसके साथ उनका सरकारी कर्मचारी के नाते काफी संबंध रहा है, नौकरी करने के प्रसंग से उठी है। सरकार को यह देखना है कि क्या वह अपने उच्च कर्मचारियों को इस प्रकार से प्राइवेट फर्मों में नौकरी करने दे अथवा नहीं।

आजकल हम प्रायः समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन पढ़ते हैं कि अमुक-अमुक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी जिसका इतना अनुभव है तथा जिसका बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क है अमुक-अमुक प्रकार की पुनः नौकरी करना चाहता है, इत्यादि। सरकार को यह सोचना है कि क्या उसकी यह नीति उचित है।

रेलवे मंत्री ने हमें रेलवे बोर्ड के केवल चार सदस्यों के नाम बताये हैं जिन्होंने सेवा निवृत्ति के पश्चात इस प्रकार से प्राइवेट नौकरी की है। किन्तु २२ जून, १९५८ के 'न्यू एज' साप्ताहिक पत्रिका में ९ ऐसे व्यक्तियों की सूची बताई गई है। इसमें स्पष्ट बताया गया है अमुक-अमक सचिवों एवं आई०सी०एस० अफसरों के पुत्र तथा दामाद कहां-कहां पर लगे

---

†मूल अंग्रेजी में

हुए हैं और कितने कितने वेतन पा रहे हैं। इनमें से कुछ के नाम यह हैं : श्री ए० डी० गोरखाला, श्री न० डांडेकर, श्री एफ० सी० बधवार, श्री के० सी० बाखले, श्री एल० पी० मिश्र, श्री एस० के० सिन्हा इत्यादि इत्यादि।

मुझे पता लगा है कि गृह मंत्रालय ने एक परिपत्र भेजा है कि जिस किसी प्रथम श्रेणी के अधिकारी का कोई निकट संबंधी किसी ऐसी फर्म में नौकरी करना चाहे जिसका सरकार के साथ लेन देन हो तब उस अधिकारी को पहले उसकी अनुमति लेनी चाहिये। मैं जानना चाहूंगा कि इन ९ या १० अधिकारियों ने क्या सरकार से अनुमति लेकर प्राइवेट नौकरियां स्वीकार की हैं?

जिन चार व्यक्तियों की सूची रेलवे मंत्री ने दी है इनमें एक श्री वशिष्ठ भी हैं। वह १९५६ और १९५७ में रेलवे बोर्ड के सदस्य थे। उस समय से उनका 'खम्भात' फर्म के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि 'नार्थ ब्लाक' के स्वागत कार्यालय में रखी गई 'आगुन्तक पुस्तक' से देख कर यह पता लगावें कि उस समय इन महाशय को मिलने के लिये खम्भात फर्म के कितने व्यक्ति तथा कौन कौन से व्यक्ति आये तथा वे किस काम के लिये आये? मुझे उनके बारे में कई प्रकार की सूचना मिली है यदि माननीय मंत्री चाहेंगे तो मैं उनको वह सब सूचना दे भी सकता हूं।

इसके बाद मैं इन ठेकों के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि इनके बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की कार्यवाही देखने पर मुझे यह पता लगा है कि मेनेजर ने कुछ बयान दिया था। उससे यह पता चलता है कि इन टेंडरों के बारे में जनरल मैनेजर का कुछ और विचार था तथा वित्तीय परामर्शदाता का कुछ और। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों महानुभावों के विचारों में यह अन्तर क्यों आया। एक न्यायाधीश ने भी यह कहा है कि भविष्य में कोई टेंडर स्वीकार करने से पहले तीन चार व्यक्तियों को उसके ब्यौरों का भली भांति अध्ययन कर लेना चाहियें और फिर तभी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उस टेंडर पर विचार करना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि टेंडर समिति में से कैसे एक सदस्य को निकाल कर शेष लोगों ने तुरन्त मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी का टेंडर स्वीकार कर लिया?

श्रीमान् मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हमें इन सब मामलों की भली भांति जांच करनी चाहिये और सरकार को इस बात से सतर्क रहना चाहिये कि कुछ निहित स्वार्थी लोग उसके उच्च अधिकारियों को न खरीद सकें।

†श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित आदिमजातियां) : मैं तो समझता हूं कि यह चर्चा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ रेलवे बोर्ड का ही एक प्रश्न नहीं है। इसके लिये तो २० घण्टे की चर्चा रखी जानी चाहिये थी। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसलिये इस पर अगले सत्र में पूरे २० घण्टे वाद-विवाद होना चाहिये। इसका प्रभाव केवल रेलवे मंत्रालय पर नहीं, बल्कि अन्य मंत्रालयों, मंत्रियों, विधान सभा के सदस्यों और सरकारी नौकरों पर भी पड़ेगा। इसलिये इस विषय पर इतनी संक्षिप्त सी चर्चा नहीं होनी चाहिये। यह सिद्धान्त का प्रश्न है।

मैं एक अर्से से संसद-सदस्य हूं। मैंने संसद-सदस्यों, मंत्रियों और अन्य लोगों के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। हम चाई से कतराना नहीं चाहिये। मैं इन लोगों को, जिनका यहां जिक्र किया गया है, काफ़ी निकटता से जानता हूं। कीचड उछालना तो सबसे आसान बात है। मैं तो कहता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

हुं कि माननीय सदस्यों को दूसरों की आलोचना करने में जिम्मेदारी से काम लेना चाहिये । मैं पूछता हुं कि क्या आज की सेवा की शर्तें देखते हुए हम सरकारी सेवकों से यह आशा रख सकते हैं कि वे पूरी ईमानदारी से काम करेंगे ?

मेरे राज्य में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश वकालत कर रहे हैं। श्री पी० आर० दास आज पटना उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही नहीं, राज्यपालों को भी देखिये ।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमने इस देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपनाई है । हम यहां निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के गैर सरकारी क्षेत्र में जाने की बातें कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में आने की भी छूट होनी चाहिये । मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का यही मतलब है ।

हमें सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि नये लोगों को भी रखना जरूरी है । इसलिये उनको निवृत्त करना पड़ता है । अब क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि निवृत्त होने के बाद प्रविधिक कर्मचारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, देश को कोई लाभ न पहुंचायें ?

मेरे पास एक ऐसा भी उदाहरण है कि सरकार ने गैर-सरकारी व्यावसायिक संस्था से एक व्यक्ति को अपने यहां लिया है । मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा । सरकार को उसकी सलाहों पर सोच-समझ कर अमल करना चाहिये । उसने अपनी फर्म छोड़ने से पहले ही हमारे मंत्रियों से कहा था कि वह इस विशाल अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्था की सभी गुप्त बातें जानता है, और यदि उसे रख लिया जाये तो सरकार को लाखों-करोड़ों रुपयों की बचत होगी । आज वह संयुक्त सचिव बना दिया गया है ।

लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हम इस चर्चा में केवल इसी प्रश्न को बार-बार उठा रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ कर्मचारी निवृत्त होकर गैर-सरकारी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं । सभा को तो ऐसे लोगों को बधाई देनी चाहिये कि वे देश की सेवा तो कर रहे हैं । हमारा सरकारी क्षेत्र दिन-दिन व्यापक बनता जा रहा है ; हम नयी नयी व्यावसायिक संस्थाओं को राष्ट्रीय कृत करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां उतने प्रविधिक कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये हम गैर-सरकारी क्षेत्र से कर्मचारी लेना चाहते हैं । हमें गैर-सरकारी क्षेत्र से और भी अधिक संख्या में प्रविधिक कर्मचारी लेने चाहियें, क्योंकि हमारी राष्ट्रीयकृत संस्थायें ठीक से नहीं चल रही हैं, उनको वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर नहीं चलाया जा रहा है ।

आशा है कि यह सभा माननीय संसद्-कार्य मंत्री से कहेगी कि अगले सत्र में इस विषय पर गम्भीरता से वाद-विवाद हो । लेकिन, अभी इस समय तो मुझे उन सरकारी कर्मचारियों की ही चिन्ता है जो सरकारी सेवा के नियमों का पालन करते रहे हैं, फिर भी उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है ; वह भी ऐसे समय जब कि वे अपनी सफाई देने के लिये यहां मौजूद भी नहीं हैं । माननीय सदस्यों को माननीय मंत्रियों के स्पष्टीकरण से संतुष्टि ही नहीं होती । माननीय सदस्यों ने तो शायद अपना पक्का विचार बना लिया है कि सरकारी अधिकारी अपने सेवा-काल में अपना भविष्य बनाने के अलावा और कुछ नहीं करते । ऐसा दृष्टिकोण बना कर, हम सरकारी कर्मचारियों से काम नहीं ले सकते ।

इस चर्चा का सार यही है कि सरकारी कर्मचारी देशभक्त नहीं होते; वे अपने कार्य-काल में सरकार को हानि पहुंचाते हैं और गैर-सरकारी व्यावसायिक संस्थाओं की मदद इसलिये करते रहते हैं कि निवृत्त होने पर उन्हें वहां काम मिल जाये। गैर-सरकारी क्षेत्रों में यह नहीं होता कि एक व्यक्ति को रखने के बाद उसे हटाया न जाये। वह तो वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर चलता है। गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुपयुक्त व्यक्ति को हटा दिया जाता है, वह चाहे कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो।

अब ठेकों का प्रश्न लीजिये। मैं तो कहता हूं, कि ऐसी चर्चा में अधिकारियों को घसीटना ही नहीं चाहिये। हां, आप मंत्रियों को घसीट सकते हैं, और उन्हें दण्डित भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत अधिकारियों के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये यह स्थान उपयुक्त नहीं है। सभा के प्रति तो माननीय मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत अधिकारी नहीं। यह संसदीय प्रथा के प्रतिकूल है।

श्री अ० चं० गुह ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कार्यावलि में फर्म का नाम दिया गया है। श्री आल्वा ने बड़े वाक्-चातुर्य के साथ कहा है कि उन्होंने कलकत्ता में 'बर्ड एण्ड कम्पनी' के कार्यालय में जाकर कई नामों की एक बड़ी लम्बी सूची देखी है।

मैं भी कलकत्ता के पास का ही रहने वाला हूं। मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि उन्होंने उस फर्म के भारतीय कर्मचारियों की सूची देखी होती, तो उन्हें असली स्थिति का पता चल जाता। उन्हें ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बात नहीं कहनी चाहिये थी।

†**श्री वि० च० शुक्ल** (बलोदा बाज़ार) : मैं श्री जयपाल सिंह द्वारा दी गई अधिकारियों की सफाई के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। निवृत्त होने के बाद सभी अधिकारी अपनी जीविका के लिये अच्छी फर्म में काम करना पसन्द करेंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि सभी सक्षम अधिकारियों को बड़ी-बड़ी फर्मों में काम क्यों नहीं मिलता। कुछ को ही क्यों मिलता है? इससे क्या यह मान लिया जाये कि रेलवे बोर्ड के केवल वही अधिकारी सक्षम थे, जिनको निवृत्त होने पर 'मार्टिन बर्न', 'बर्ड एण्ड कम्पनी' और टाटा जैसी बड़ी-बड़ी फर्मों में काम मिला है?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य यह कैसे जानते हैं कि अन्य व्यक्तियों को भी काम नहीं मिला है?

†**श्री वि०च० शुक्ल:** बहुत से सक्षम अधिकारियों को निवृत्त होने के बाद कोई काम नहीं मिला है। स्पष्ट है कि केवल उन अधिकारियों को ही गैर-सरकारी फर्मों में काम मिलता है जो अपने सेवा काल में गैर-सरकारी फर्मों को लाभ पहुंचाते रहते हैं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : उनको सक्षम होने के कारण ही काम मिला है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या अन्य सभी अक्षम थे?

अब उस ठेके की बात लीजिये, जिससे कि यह इतनी चर्चा उठ खड़ी हुई है। मंत्रालय ने इस ठेके के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं जुटाई है। हमें वह प्रविधिक जानकारी नहीं जुटाई गई है, जिसके आधार पर हम अपने निष्कर्ष निकाल सकें।

श्री गुह ने कहा है कि रेलवे के पास ऐसे आंकड़े हैं, जिनसे पता चलता है कि इस ठेके के लिये सबसे कम बोली एक दूसरी फर्म की थी, जो इसे ५५,००० रुपयों पर करने को तैयार थी, जबकि 'बर्ड एण्ड कम्पनी' की बोली ७५,००० रुपयों की थी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वि० च० शुक्ल]

इसके अलावा, टेंडर की सूची में मद १४ भी थी, जिस पर इन आंकड़ों को तैयार करते समय विचार नहीं किया गया था। बाद में, उस मद के आधार पर 'बर्ड एण्ड कम्पनी' का टेण्डर कम कराया गया था।

†श्री जगजीवन राम : 'बाद में' का क्या मतलब है? क्या टेण्डर खुलने के बाद?

†श्री वि० च० शुक्ल : जी, हां। टेण्डर में यह नहीं दिखाया गया था। बाद में, टेण्डर समिति ने विचार करते समय उसको नहीं देखा था। पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने भी सुझाव दिया था कि रेलवे प्रशासन को सब से कम राशि वाले टेण्डर पर ही विचार करना चाहिये। पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर ने भी सब से कम राशि के टेण्डर को ही स्वीकार करने के लिये कहा था। बाद में, जब रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे के प्रशासनों से यह आंकड़े मांगे थे, तो केवल पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने ही कुछ आंकड़े जुटाये थे; पता नहीं कहां से......

†श्री जगजीवन राम : वल्लभदास अग्रवाल के दावे से।

†श्री वि० च० शुक्ल : घाटों पर तो ये आंकड़े नहीं रखे गये थे। वहां कोई लेखा नहीं रखा गया था। मेरे पास जो दस्तावेज हैं, उससे यह स्पष्ट है। माननीय मंत्री मुझे बतायें कि किस आधार पर यह आंकड़े तैयार किये गये थे और किस प्रकार की गणना के बल पर 'बर्ड एण्ड कम्पनी' के टेण्डर को ही सब से कम बताया गया था।

माननीय मंत्री को अपने वचन के अनुसार, इसका एक विवरण सभा-पटल पर रखना चाहिये। अभी जो पत्र परिचालित किया गया है, उससे यह सब जानकारी नहीं मिलती।

†श्री जगजीवन राम : फिर मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। पिछले अवसर पर मैंने केवल यही कहा था कि कम से कम राशि का टेण्डर होने पर ही उसको स्वीकार किया गया था।

†श्री वि० च० शुक्ल : चीफ कमर्शियल सुपरिन्टेंडेण्ट द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र से तो लगता है कि वल्लभदास अग्रवाल का टेण्डर ही सबसे कम का था। मैं जानना चाहता हूं कि बाद में यह गणना किस प्रकार की गई थी। होता यह है कि यदि किसी टेण्डर में किसी मद का उल्लेख नहीं होता, तो टेण्डर समिति वह टेण्डर देने वाले से वार्ता करने की सिफारिश करती है। लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में ऐसी सिफारिश क्यों नहीं की गयी। रेलवे अधिकारियों ने अन्य मामलों में वार्ता की भी थी। हावड़ा स्टेशन पर माल उतारने चढ़ाने के ठेके के बारे में वार्ता कर के ही तय किया गया था।

श्री सें० वें० रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सरकार को यह मालूम नहीं था कि 'मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी' ने मनिहारी घाट, सकरी गली घाट और साहब गंज के इस ठेके को किराये पर दे दिया है।

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने तो कहा था कि उस पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री वि० च० शुक्ल : उन्होंने कहा था कि उस कार्य के लिये श्रमिकों को काम के अलग-अलग खण्डों के आधार पर रखा जायेगा और फर्म अधीक्षण के लिये कार्यकर्ता जुटायेगी । उन्हों ने कहा था कि इस संबंध में जांच की जा रही है ।

इस प्रकार ठेके को किराये पर उठाना नियमानुकूल नहीं है । और 'मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी' के पास इतना काम है कि वह विदेशी समवाय सभी का अधीक्षण नहीं कर सकता ।

†श्री शाहनवाज खां : क्या इसलिये ठेका वल्लभदास को दिया जाना चाहिये ?

†श्री वि० च० शुक्ल : मुझे किसी भी व्यक्ति से कोई दिलचस्पी नहीं है । मैं तो तथ्य पेश कर रहा हूं ।

बर्ड एण्ड कम्पनी के अधीन काम करने वालों की शिकायत है कि वह समवाय अतिरिक्त काम के लिये रेलवे से तो रुपया लेता है, लेकिन श्रमिकों को अदा नहीं करता । रेलवे प्रशासन से यह शिकायत की गई है । रेलवे प्रशासन ने उस की जांच भी कराई है । उस जांच के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये ।

मेरा अनुरोध है कि इन मामलों की जांच कराई जाये ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : मैं ने भी इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किये हैं और मैं इसे प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा अभिप्राय किसी विशेष अधिकारी या फर्म की आलोचना करना नहीं है न हम किसी विशेष ठेके के गुणावगुणों की चर्चा करना चाहते हैं अपितु हमारा स्पष्ट आशय यह है कि सरकार अपने पदनिवृत अधिकारियों को गैर-सरकारी फर्मों या कारखानों में नौकरी देने की नीति पर पुनः गौर करें और उसमें आवश्यक संशोधन करे ।

इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने १९५४ में यह सिफारिश की थी कि सरकार को चाहिये कि पद निवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी नौकरियां करने वाले अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम उन अधिकारियों पर भी लागू हों जिन्हें पेंशन नहीं मिलती अपितु केवल उपदान ही मिलता है, जैसे रेलवे के कर्मचारी । इस सम्बन्ध में जब राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया था तो गृह-कार्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून शीघ्र बनाये जायेंगे ।

जहां तक सेवा निवृत्त अधिकारियों का गैर सरकारी नौकरियां करने से सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में बहुत अच्छे नियम मौजूद हैं तथापि कई मामलों में उन का पालन कड़ाई से नहीं किया जाता है और अधिकारियों को ऐसे फर्मों या कम्पनियों में नौकरी करने की अनुमति दे दी जाती है जो उन मंत्रालयों से व्यापार करते या ठेके लेते हैं जहां वह अधिकारी पहिले काम करता था । इस प्रकार वह अधिकारी उक्त मंत्रालय के नये अधिकारियों को प्रभावित करने और इस प्रकार अनुचित जानकारी प्राप्त करने या लाभ उठाने में समर्थ होता है । सरकार को चाहिये कि वह अनुमति देते समय इस ओर सावधानी से गौर करे । दूसरे ये नियम उन सरकारी अधिकारियों पर भी लागू हों जिन्हें केवल उपदान दिया जाता है, जैसे रेलवे । इसका यह परिणाम होगा कि रेलवे अधिकारी उन कम्पनियों में नौकरी नहीं कर पायेंगे जो रेलवे के ठेकेदार हैं । यथा बर्ड एण्ड कम्पनी । एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ये अधिकारी दिल्ली ही रहते हैं जिस से यह सम्बन्धित मंत्रियों, मंत्रालयों या अधिकारियों को प्रभावित कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

अतः इस विषय पर मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा की जानी चाहिये और सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । साथ ही साथ मेरा मत यह भी है कि स्वस्थ्य तथा योग्य व्यक्तियों को पदनिवृत्ति के पश्चात् काम करने की अनुमति अवश्य दी जाय तथापि अनुमति देने के पूर्व हमें उन प्रतिबन्धों को कठोरता से लागू करना चाहिये जो कि इस सम्बन्ध में बनाये गये हैं ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : हमारे समक्ष तीन मामले हैं । प्रथम यह कि कुछ रेलवे अधिकारियों ने गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरियां की हैं, यह कहां तक उचित था । दूसरा यह कि रेलवे मंत्रालय ने बर्ड एण्ड कम्पनी के साथ जो ठेका देने का सौदा किया है वह कहां तक उचित है । तीसरी बात कुछ व्यापक सी है कि सरकारी सेवाओं से निवृत्त हुए अधिकारियों के लिये गैर-सरकारी कम्पनियों में जाना कहां तक उचित है ।

रेलवे अधिकारियों का फर्मों में सम्मिलित होना और ठेके दिये जाने का प्रश्न सम्बद्ध है । जो दस्तावेज रेलवे मंत्रालय ने परिचालित किये हैं, उन से पता चलता है कि जो टेंडर बर्ड एण्ड कम्पनी ने दिया था, वह सब से कम नहीं था । उस से हम ने यह अन्दाजा लगाया कि रेलवे बोर्ड के कुछ सेवा निवृत्त सदस्यों का कम्पनी से सम्बन्ध है इसी लिये उन को ठेके लेने में सफलता प्राप्त हुई है । बड़े बड़े अधिकारी ही नहीं, प्रत्युत बड़े बड़े राज्यों और केन्द्रीय सरकारों के मंत्रियों के पुत्र, पुत्रियों ो भी उपरोक्त कम्पनियों में नौकरियां प्राप्त हैं । बड़े अधिकारी भी निवृत्त होते ही इन गैर-सरकारी फर्म द्वारा झड़प लिये जाते हैं । मेरा मत यह है कि तुरन्त ऐसे नियम बनाये जाने चाहियें कि संविधान के अन्तर्गत जिन पदों का विशेष स्थान है और जिन के लिये विशेष प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं, उन पर कार्य करने वाले अधिकारियों को निवृत्त होने के पश्चात् किसी गैर-सरकारी फर्म में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होनी चाहिये । मैं यह नहीं मानता कि देश में बुद्धि का इतना अभाव हो गया है कि निवृत्त अधिकारियों के बिना देश का कार्य रुक जायेगा ।

†**श्री जोकीम अल्वा** (कनारा) : श्रीमान्, यह एक बड़ा सीमित सा विषय है। कुछ उच्च सरकारी कर्मचारियों ने सेवा निवृत्त होने के पश्चात् प्राइवेट कम्पनियों में नौकरियां कर लीं । इसलिये यह चर्चा उठाई गई है । मैं कहता हूं जो गुजर चुका उस पर पछताने का क्या लाभ । हमें कोई ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि भविष्य में यह अनुमति सोच समझ कर दी जाये । इस के लिये सरकार को एक प्रश्नावलि बनानी चाहिये । जो भी उच्च पदाधिकारी प्राइवेट फर्म में नौकरी करना चाहे उस से यह पूछना चाहिये कि सरकारी हैसियत में उस का उस फर्म से कितनी देर संबंध रहा है, उस ने उस फर्म के पक्ष में क्या क्या आर्डर पास किये हैं इत्यादि । इन सब बातों की छान बीन के बाद सरकार चाहे तो उसे अनुमति दे सकती है । ऐसी दशा में न तो कोई सरकार को कोसेगा और न ही लोगों को सरकारी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा पर किसी किस्म का सन्देह पैदा होगा ।

इस के अतिरिक्त मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं । सरकार को इस प्रकार के लदाई के ठेके विदेशी कम्पनियों को नहीं देने चाहिये थे। यह मामली सा काम है कोई भी भारतीय फर्म भारतीय मजदूर लगवा कर माल उतार व लदवा सकती है । बर्ड एण्ड कम्पनी एक बड़ी भारी विदेशी कम्पनी है जिस को भारतीयों से कोई सहानुभति नहीं है । इस कम्पनी में केवल दो या तीन भारतीय हैं शेष सभी विदेशी कार्यकर्ता हैं । ऐसी कम्पनी को हरगिज यह ठेका नहीं देना चाहिये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात मैं अपने आई० सी० अफसरों तथा उच्च पदाधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि जीवन भर ३००० या ४००० वेतन पाने के बाद वह फिर बुढ़ापे में क्यों प्राइवेट नौकरियों के पीछे दौड़ते हैं। क्या वे लोग अपनी योग्यता, अनुभव और चरित्र के बल पर लोक सेवा के क्षेत्र में नहीं आ सकते। सरकार को उन में ऐसी भावना पैदा करनी चाहिये कि वे सेवा निवृत्ति के पश्चात् लोक सेवा कार्यों में स्वतन्त्र रूप से रूचि लें। और देश को उन के अनुभवों व योग्यता का लाभ पहुंच सके।

मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन चार व्यक्तियों के नाम बताये गये हैं इन को भविष्य निधि के रूप में कितना रुपया मिला है? यदि लाखों रुपया लेने के बाद भी इन की संतुष्टि नहीं हुई तब भगवान ही हमारे देश का रखवाला होगा।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस संबंध में शीघ्र ही उचित नियम बनाने चाहियें ताकि जनता का धन अनुचित रूप से निहित स्वार्थी लोगों के हाथों में न पड़ सके।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जिस मामले के कारण यह चर्चा आरम्भ की गयी है उसके गुणावगुणों में मुझे जाने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। मैं संक्षेप से इतना ही कहना चाहता हूं कि सम्बद्ध अधिकारी ने काफी वफ़ादारी और ईमानदारी से ३० वर्ष तक सरकार की सेवा की है। सब ने ही उन्हें एक योग्य अधिकारी माना है। उसकी सेवाओं के बदले में सरकार ने उन्हें विशेष पुरस्कार भी दिया है। इस पद पर आने से लगभग एक वर्ष पूर्व उन्होंने एक पत्र लिखा था। मैं उसमें से कुछ पढ़कर सुनाता हूं ....

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उसे पढ़ा जा चुका है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यदि उसे पढ़ा जा चुका है, तो माननीय सदस्यों पर प्रकट हो चुका होगा कि सम्बद्ध अधिकारी का आचरण दोषरहित था और उन्होंने सरकार और सम्बद्ध अधिकारियों को गैर-सरकारी नौकरी में जाने की सूचना देने का बराबर ध्यान रखा था। यद्यपि पत्र को पढ़ा जा चुका है परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं ही अपने बारे में क्या क्या शर्तें रखी थीं:

"मेरे आगे के कार्य ऐसे होने चाहियें जिससे भारतवासियों के लिये अधिक लाभदायक रोजगार की व्यवस्था करने में सहायता मिले और इंजीनियरिंग उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की दिशा में भी कुछ प्रगति हो।

"जिस संस्था में मैं जाऊं उसकी प्रतिष्ठा काफी ऊंची होनी चाहिए और वह एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसका मेरे साथ रेलवे बोर्ड की मेरी सरकारी हैसियत में कोई सीधा सम्पर्क न रहा हो। सम्भव हुआ तो मैं किसी औद्योगिक समवाय में ऊंचे पद पर नियुक्त किसी गैर-भारतीय का उत्तराधिकारी बनूंगा।"

फिर वह कहते हैं:—

"लगभग आधे दर्जन प्रतिष्ठित सार्थों के प्रस्तावों का परीक्षण कर के मैं ने अगस्त, १९५५ में मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के निदेशक बोर्ड में सम्मिलित होने का फैसला किया है।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[पं० गो० ब० पन्त]

इस तरह उपरोक्त समवाय में सम्मिलित होने से कई महीने पूर्व उन्होंने अपना आशय सरकार पर प्रकट कर दिया था और यह भी बता दिया था कि निश्चय करते समय उनके समक्ष क्या सिद्धान्त होंगे। इसके लगभग डेढ़ वर्ष बाद बर्ड एण्ड कम्पनी को ठेका देने का प्रश्न उत्पन्न हुआ था और उसके लिए टेंडर मांगे गये थे। अत: जहां तक इस अधिकारी का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे, कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की थी। उनका व्यवहार आरम्भ से ही प्रतिष्ठा, निष्ठता और गौरव से परिपूर्ण रहा है। (**अन्तर्बाधायें**)

मेरी अनावश्यक विवाद में पड़ने की इच्छा नहीं, परन्तु मैं चाहता हूं कि हमें अधिकारियों को यह समझने का अवसर नहीं देना चाहिए कि चाहे वे कितना ही परिश्रम करें और कितनी ही ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य को निभायें, उनकी कभी भी सराहना नहीं होगी और संसद् में उनकी आलोचना ही की जायेगी। आखिर कोई भी सरकार होगी, उसे अपने अधिकारियों से काम लेना होगा। यह हमारे ही देश के हैं और रहेंगे। सरकार कोई गलती करे तो उसकी खबर ली जा सकती है, और ली जानी चाहिये परन्तु जब अधिकारीगण, जिनके द्वारा ही संसद् द्वारा निर्धारित नीति का पालन होता है, ठीक काम करें तो उन अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए सराहना करनी चाहिए जिससे उनका उत्साह बढ़े। इस मामले के सम्बन्ध में जितना मैंने कहा है, उतना कहने की भी मेरी इच्छा नहीं थी।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, प्रश्न के अन्य बड़े और व्यापक अंगों की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं, जिनका कि ऐसे मामलों पर विचार करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। हम उन अधिकारियों के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं जिनका सरकार से सम्बन्ध समाप्त हो चुका है। जब तक अधिकारी सीधे सरकार के अधीन कार्य करते हैं, तो उनके लिए काफी कड़े आचरण नियम हैं। उसके अनुसार ही उन्हें चलना पड़ता है। खैर, इस समय तो हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर रहे। अब तो प्रश्न यह है कि सेवा निवृत्त होने पर हम सरकारी कर्मचारी को कहां तक उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। उन्हें केवल इस बात के कारण तो अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वे राज्य के संरक्षण में सरकार की सेवा करते रहे हैं। यह अतिरिक्त योग्यता, अयोग्यता में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम देश में उपलब्ध योग्यता, ज्ञान और अनुभव का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। सरकारी अधिकारियों को सारी आयु सार्वजनिक समस्याओं के अध्ययन का अवसर उपलब्ध होता रहता है। जब वे सेवा-निवृत्त हों, तो क्या उन्हें यह अवसर नहीं देना चाहिये कि वे अपने ज्ञान और अनुभव से राष्ट्र को लाभ पहुंचा सकें। आज जब कि हम आर्थिक प्रगति करते हुये समाजवादी समाज की रचना कर रहे हैं, तो सभी लोगों को सरकारी सेवा से निवृत्त होकर सरकार की सहायता करने का अधिकार है। इस में सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति होने का कोई प्रश्न नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी अन्य नागरिकों की भांति ही है। मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी सेवा निवृत्त होने के पश्चात् वकालत करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वे केवल उन उच्च न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते, जहां के वे न्यायाधीश रह चुके हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित गो० ब० पन्त : परन्तु व्यापारिक सार्थों को उच्च न्यायालयों के स्तर पर नहीं रखा जा सकता। खैर, इस समय प्रश्न इतना ही है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त होने पर कुछ लाभदायक कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं। अमरीका, रूस और इंग्लैण्ड सभी अन्य देशों में ऐसा होता है। गैर-सरकारी समवायों में सम्मिलित होने की अधिकारियों को अनुमति प्राप्त है। मैं अभी हाल ही के उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। इंग्लैण्ड में सर जॉन वुड्स को जो कि कुछ वर्ष पूर्व वाणिज्य बोर्ड के स्थायी सचिव थे, समय से पूर्व ही सेवा से निवृत्त करके एक बिजली कम्पनी तथा कुछ अन्य कम्पनियों के बोर्ड में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गयी थी। सर जेम्स हैलीमोर जो कि सम्भरण मंत्रालय के सचिव थे, को एक बैंकिंग सार्थ में सम्मिलित होने की अनुमति दी गयी थी। इसी प्रकार अन्य देशों में अपने व्यक्तियों पर विश्वास किया जाता है। मुझे दुःख इस बात का है कि इस देश में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को बेईमान समझा जाता है। हमें अपने लोगों पर अधिक विश्वास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से ३० वर्ष तक कार्य करता है, और बाद में सरकार की अनुमति से किसी समवाय में चला जाता है, तो उसकी निन्दा करना मैं ठीक नहीं समझता।

अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हम यह भी चाहते हैं कि विदेशी सार्थों में विदेशियों के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त किया जाये। इन विदेशी सार्थों में सभी स्तरों के लोग हैं। बड़े बड़े पदों पर लोग बीस बीस, तीस तीस वर्षों से काम कर रहे हैं। यदि हम शीघ्र ही उनके स्थान पर भारतीय लगाना चाहें तो उसके लिये हमें आदमी चाहिए। हमारे सरकारी कर्मचारियों को अच्छा अनुभव है और उनका नाम भी है; हमें विदेशी सार्थों से ही नहीं प्रत्युत राष्ट्र संघ, यूनेस्को, तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों तक से उन्हें अपने यहां रखने के लिये आवेदन किये गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारे ही लोग अच्छे हैं। परन्तु सामूहिक रूप में हमारे उत्तरदायी अधिकारियों ने अच्छा नाम प्राप्त किया है। यदि अन्य सार्थ उन्हें अपने यहां रखना चाहते हैं तो यह स्वाभाविक ही है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। केवल इतना ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे देश में सरकारी अधिकारियों के ऊंचे नैतिक स्तर क़ायम रहे चले आयें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी अपने कर्त्तव्य को बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता से पूरा करें। यदि कोई अधिकारी इस कारण किसी सार्थ का पक्ष करता है कि उसे बाद में वहां नौकरी मिल जायेगी तो उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। परन्तु ईमानदारी से कार्य करते हुये यदि कोई ५५ वर्ष की सेवा के पश्चात् खाली न रह कर कोई लाभदायक कार्य करना चाहता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये। सभी बिना कुछ पारिश्रमिक लिए काम कर सकेंगे, ऐसा तो सम्भव नहीं। कुछ ही लोग शायद ऐसा कर सकें। पहले से यह नियम मौजूद है कि केन्द्रीय अथवा अखिल भारतीय सेवा का कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पद से निवृत्त होने के दो वर्ष तक सरकार की अनुमति के बिना किसी सार्थ अथवा समवाय की नौकरी नहीं कर सकता। परन्तु जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, सम्बद्ध अधिकारी ने निवृत्ति वेतन प्राप्त नहीं किया था क्योंकि रेलवे में निवृत्ति वेतन नहीं दिया जाता। उन्हें अपनी भविष्य निधि और उपदान की राशि प्राप्त हो गयी थी। उन्हें इस बात की आवश्यकता भी नहीं थी कि वह सरकार की अनुमति प्राप्त करें। परन्तु उन्होंने ऐसा किया।

मेरे मित्र श्री माथुर का कहना है कि नियम तो ठीक हैं परन्तु उन्हें लागू करने का प्रश्न है। यदि कहीं कोई गलती होती है तो दोष मेरा है, सम्बन्धित मंत्री का है, पदाधिकारी का नहीं। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने मुझ से अनुमति मांगी और मैंने अनुमति दे दी। कोई ऐसी बात नहीं

†मूल अंग्रेज़ी में

[पं० गो० ब० पन्त]

थी जिससे उन्हें अपनी योग्यता का प्रयोग करने से रोका जाता । प्राक्कलन समिति के परामर्श पर कार्यवाही की गयी और इसे उन्होंने अपने १९५६-५७ के प्रतिवेदन में स्वीकार किया है और कहा है कि इस दिशा में पग उठाये गये हैं । प्राक्कलन समिति के परामर्श पर हम ने सभी इंजीनियरों पर इसी प्रकार की रोक लगा दी है । पहले हम प्रथम श्रेणी के लिये ही ऐसा करते थे अब द्वितीय श्रेणी के लिये भी, उनके परामर्श से, ऐसा कर दिया गया है कि इंजीनियरों को सरकार की विशेष स्वीकृति प्राप्त किये बिना ठेकेदारों के पास कार्य नहीं करना चाहिये और सरकार के ठेकों के काम में भाग नहीं लेना चाहिये । इसी प्रकार का आदेश आयकर अधिकारियों के लिये भी शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा । उन्हें आयकर अधिकारियों के समक्ष वकालत करने की अनुमति नहीं होगी । यह भी नियम है कि सरकारी अधिकारी ऐसे सार्थों में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे जिनके साथ सरकारी हैसियत में उनके सम्पर्क रहे हैं । यह भी एक प्रकार का संरक्षण है और ये उन पर भी लागू होता है जो कि निवृत्ति वेतन प्राप्त नहीं करते, जैसे रेलवे अधिकारी हैं, जिन्हें केवल भविष्य निधि तथा उपदान दिया जाता है । यह भी प्राक्कलन समिति की मंत्रणा पर ही किया गया था । उन्हें भी यह लिखित आश्वासन देना होगा कि सेवा-निवृत्त होने के दो वर्ष तक वह सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी व्यापारिक अथवा औद्योगिक सार्थ में सम्मिलित नहीं होंगे । प्राक्कलन समिति की मंत्रणा पर हम ने निम्नलिखित ज्ञापन समस्त मंत्रालयों में परिचालित किया है और यह पता करने का प्रयत्न किया है कि इस दिशा में और क्या किया जा सकता है । ज्ञापन में हम ने लिखा है :

> "सभी मंत्रालयों में इस बात का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये कि उनके अधीन दूसरी श्रेणी के किन पदों पर इस मंत्रालय के ज्ञापन संख्या . . . . की तरह के आदेश नैतिक स्तर ऊंचा बनाये रखने की दृष्टि से लागू किये जायें; और क्या इन पदों को धारण करने वाले निवृत्ति-वेतन न पाने वाले अधिकारियों से भी उपदान या भविष्य निधि देते समय ऐसा आश्वासन देने के लिये कहा जाना चाहिये ।"

अन्य सुझाव भी दिये गये हैं; इस प्रकार के प्रश्नों पर हम बराबर ध्यान देते रहते हैं । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हमारे सरकारी पदाधिकारियों का स्तर गिरने न पाये, बल्कि हो सके तो उन्हें और ऊंचा किया जाये । स्वतंत्र देश में हमें अपने लोगों पर विश्वास करना ही होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे लोगों को काम करने के उपयुक्त अवसर प्राप्त हों । इस अवस्था में जब कि हम अपने देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो किसी के मार्ग में कृत्रिम रुकावटें खड़ी नहीं होनी चाहियें ।

अतः काम को अच्छी तरह चलाने तथा अधिक सुचारू बनाने के लिये, तथा यह देखने के लिये सरकारी कर्मचारियों में चरित्र की दृढ़ता तथा ईमानदारी पैदा हो और किसी भी सरकारी कर्मचारी के भ्रष्ट होने के सम्बन्ध में किसी को कोई सन्देह भी न हो, मैं प्रत्येक सुझाव का स्वागत करूंगा, लेकिन साथ ही मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इन लोगों के प्रति कुछ अधिक उदारता का व्यवहार करें ।

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद के लिये मैं उन माननीय सदस्य का जो कि रांची से आये हैं और गृह-मंत्री जी को दो बातों के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं । जो माननीय सदस्य रांची से आये हैं उन्होंने सुझाव दिया कि इस समस्या पर २० घंटे तक वादविवाद हो । कम से कम मैं तो उन का समर्थन करता हूं कि इस पर २० घंटे तक वादविवाद हो । उस

उद्देश्य के लिये नहीं जिस के बारे में श्री जयपाल सिंह जी ने कहा बल्कि दूसरे उद्देश्य के लिये कि हम यह जानें कि हमारे मुल्क में जो हमारी स्थायी सेवायें हैं उन में और जो हमारी जनतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार है, जो हमारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दोनों में क्या सम्बन्ध हो। और अपने गृह-मंत्री जी को मैं इस लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह चाहते हैं कि हम अपने देश की सर्विसेज में विश्वास करें, उन के लिये अपने अन्दर विश्वास पैदा करें। मैं उन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश का कोई नागरिक, जिस का पब्लिक की सेवा से कुछ भी सम्बन्ध है, कभी यह नहीं चाहता है कि देश की जो सेवायें हैं, जो सर्विसेज के लोग हैं उन के लिये कोई अविश्वास पैदा हो। हमारी कतई यह मंशा नहीं है। लेकिन मैं अपने गृह-मंत्री जी को इस खतरे से आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह से वह हर उस कार्रवाई का, जो कि पब्लिक सर्विसेज़ की तरफ से हुई हो, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, समर्थन करते हैं, वह ठीक नहीं है। वह वह तरीका नहीं है जिस से देश की जनता में इन सर्विसेज के प्रति कोई विश्वास पैदा हो सके। बल्कि यह तो बिल्कुल उल्टा ही तरीका है। जब भी कोई ऐसी बात आये तो यह कहा जाय कि देश के लोग क्या यह नहीं चाहेंगे कि जो अनुभव प्राप्त लोग हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उन की सेवाओं का फायदा उठाया जाय, यह ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं कहता कि उन से फायदा न उठाया जाय। हम चाहते हैं कि उन के अनुभव से फायदा उठाया जाय। लेकिन वह फायदा तभी उठाया जा सकता है जब उन को ४,००० रुपये की तन्ख्वाह मिले, उस के बाद पेंशन हो, यह कोई देश में आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। हम देश में समाजवादी ढंग का समाज बनाना चाहते हैं, इस तरह का ढांचा बनाना चाहते हैं जिस की दुहाई बार-बार सरकारी बेंचेज की तरफ से दी जाती है कि हम देश का निर्माण कर रहे हैं और देश के नवनिर्माण के लिये हमें उनके तजुर्बे की जरूरत है। मैं मानता हूं कि हमें उन के तजुर्बे की जरूरत है, लेकिन क्या उन में से ऐसे कोई साहब नहीं हैं जो सिर्फ अपनी पेंशन ले कर ही देश की सेवा करने को तैयार हों? निर्माण करने और उत्पादन को बढ़ाने में हमें योग दे सकें? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है।

मैं ने शुरू में कहा कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। अब भी हमारी तरफ से कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम पूरी सर्विसेज को डिनाउंस करें, उन को बदनाम करें। जब भी यहां कहा जाता है कि हमारी सर्विसेज के लोगों की मांग यू० एन० ओ० से आती है, बाहर के दूसरे मुल्कों से आती है तो हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह की मांग बराबर आये क्योंकि इस से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन जो इस प्रकार के लोग हैं, उन के लिये हम नियम भी बनाने के लिये तैयार न हों, यह बहुत अफसोस की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां दिल्ली में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० में काम करते थे और उन्होंने रिटायर होने के बाद रिएम्प्लायमेंट लिया डी० एल० एफ० यानी दिल्ली लैंड फाइनेंस में। इसी तरह से एक साहब हैं, मैं उन का नाम नहीं लूंगा, वह भी सी० पी० डब्ल्यू० डी० में एक आफिसर थे, लेकिन उन्होंने रिएम्प्लायमेंट लिया तीरथ राम ऐंड सन्स में, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कम्पनी है और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ठेके का काम करती है। उन्होंने एक बिल्डिंग ऐसी बनाई कि दूसरे साल ही उस का एक बड़ा भारी कमरा गिर गया।

इसी तरह की और भी बातें कही जा सकती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की बातों को सुधारने की हमें जरूरत नहीं है। क्या यह नियम बनाने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों का सम्बन्ध उस विभाग से हो जिस में कि उन्होंने सर्विस की हो उस में उन को न जाने दिया जाय। उसी विभाग से सम्बन्ध रहे होने के कारण उन को ही काम दिया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई निर्माण का तरीका नहीं है। उत्पादन का काम इस तरह नहीं होगा कि ६ औरंगजेब

[श्री ब्रजराज सिंह]

रोड में एक बड़ा भारी दफ्तर रखा जाय और उस पर हजारों रुपये खर्च किये जायें बहुत शान के साथ। हाई गवर्नमेंट आफिशल्स जो हैं उन से उन का सम्बन्ध हो और उन लोगों से सम्बन्ध कम हो जो दूसरे लोग हैं, यह उचित नहीं है। मैं इस लिये अपने गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आशय वह व्यक्त करना चाहते हैं अपने भाषण में वह आशय उन के भाषण से पूरा होने वाला नहीं है। उन्हें ऐसे लोगों से आगाह रहना चाहिये जो इस उद्देश्य को पूरा नहीं करना चाहते, बल्कि उस की पीठ में छुरी भोंकना चाहते हैं, उसे असफल करना चाहते हैं। यहां पर इस तरह से बहस करने के पीछे हमारी यह मंशा नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति को बदनाम करना चाहते हैं, हर एक को डिनाउंस करना चाहते हैं और ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं कि इस जनतंत्र में ऐसी सेवाओं के लिये कोई स्थान नहीं है। स्थान है। मैं यह मानता हूं कि कोई भी सरकार हो, इन सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, हमें उन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहां पर कोई लैप्सेज होती हैं, कमियां होती हैं तो क्या हमें उन की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने का अधिकार नहीं है और यह कहने का अधिकार नहीं है कि उन गल्तियों को दुरुस्त किया जाना चाहिये? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती जिस की पूर्ति हमारे गृह मंत्री महोदय चाहते हैं। गृह मंत्री महोदय अपने सुन्दर भाषण में उद्देश्यों और प्रश्नों को, समस्याओं को मिश्रित कर के कहना चाहते हैं कि जहां बाहर हमारे लोगों की प्रतिष्ठा होती है, वहां हम उन की प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते। ऐसी बात नहीं है। मेरे निवेदन करने की मंशा तो यह है कि हम इस तरह के नियम बनायें जिस में सब कुछ बिल्कुल साफ तौर पर हो। गृह मंत्री जी ने कहा कि वे लोग दो साल तक कहीं काम नहीं कर सकते। यहां दो साल का तो सवाल ही नहीं है, जैसे हाई कोर्ट के जजों के लिये किया गया है, वैसे ही इन लोगों के वास्ते भी होना चाहिये कि जिस डिपार्टमेंट या विभाग से वे लोग सम्बन्धित रहे हों, जिस में उन्होंने सेवायें की हों, कम से कम उन में वे कोई सेवा बाद में न लें। हिन्दुस्तान में निर्माण का काम चल रहा है, बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है, उस में वह काम कर सकते हैं। जो चाहें करें। यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश में सेवा की बड़ी अच्छी परम्परा रही है। सर्विसेज से कहना चाहिये कि रिटायरमेंट के बाद वाणप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, आप उस के बाद आइये और मुल्क की सेवा कीजिये। हमारे यहां हमेशा से बिना पैसे के सेवा करने की परम्परा रही है और उन को भी ऐसे ही करना चाहिये। सेवा करने के लिये कहा जाय कि पेंशन दीजिये, फिर ऊंची तन्ख्वाहें दीजिये उस के बाद सेवा हो, यह हमारे मुल्क की परम्परा नहीं है। इस लिये मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। अगर किसी शख्स का किसी विभाग से सम्बन्ध रहा है तो वह उस विभाग में सेवा नहीं करेगा, दूसरी जगह करेगा।

जहां तक निर्माण का सवाल है, निर्माण में योगदान, उत्पादन में योगदान, बड़ी खुशी की बात होगी, लेकिन जिन आदमियों के सम्बन्ध में बार बार चर्चा की गई है, जिन का सम्बन्ध बर्ड एंड कम्पनी से था, गृह मंत्री जी ने भी कहा, रेलवे मंत्री महोदय ने भी कहा कि वे उत्पादन बढ़ाने के काम में लगना चाहते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि इस बर्ड कम्पनी के द्वारा कितना उत्पादन बढ़ा है उनके वहां जाने से। बर्ड कम्पनी का उत्पादन कितना बढ़ा है जिस से मुल्क की बहबूदी हुई हो? मैं किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, मेरी मंशा यही है कि जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस की पूर्ति के लिये जो भी आवश्यक हो वह काम करना चाहिये। अगर उस के लिये रिटायर्ड आदमियों की जरूरत पड़ती है तो ऐसा नियम किया जाना चाहिये कि जिस विभाग में उन्होंने काम किया हो, प्राइवेट एन्टर्प्राइज में जा कर उस से सम्बन्धित कार्य वे न करें। इस चीज़ में हमें बड़ा खतरा दिखाई पड़ता है कि ऐसे लोग जितनी सेवायें करते हैं, वे सब

दिल्ली में करते हैं। अगर वे कोई आफिस कायम करेंगे तो दिल्ली में कायम करेंगे। यह लोग दिल्ली में इसलिये रहते हैं कि दिल्ली में रह कर उनके कुछ पुराने सम्पर्क चलते हैं और उनके जरिये वे ऐसे काम करा लेते हैं, जो शायद वैसे न हो पाते। यह साबित करना कि वह नाजायज काम थे, यह हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे काम किये जाते हैं तो लोगों में दुर्भावना पैदा होती है। इस को खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिये।

अगर यह कहा जाय कि सिर्फ वही लोग रखे गये हैं, जिन के पास अनुभव है, जिन को ऐसे कामों का तजुर्बा है, जो अच्छा काम कर सकते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आज देश में ९९ फी सदी ऐसे लोग हैं जिन का राज्य से सम्बन्धित किसी कार्य से सम्बन्ध नहीं है। कोशिश कर के उन ९९ फी सदी आदमियों में से, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, चाहे वे सेवा करने के लिये आये हों, चाहे जिस क्षेत्र से आये हों, आप आदमियों को ले सकते हैं। हमारे मुल्क में आदमियों का कोई अकाल नहीं हो गया है। हमारी वीरों को पैदा करने वाली भूमि है। उसमें दूसरे भी अच्छे लोग निकल सकते हैं। हम उन को मौका न दें और कहें कि हम उन लोगों से फायदा नहीं उठा सकते, यह ठीक बात नहीं है। अगर वे सेवा करना ही चाहें तो सेवा करने के और तरीके हो सकते हैं, सेवा का एक यही तरीका नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस वाद विवाद से कम से कम यह सबक लेगी कि जो गलत बातें हो रही हैं उन पर ध्यान रखेगी और यह भी प्रयत्न करेगी कि जो नियम हाई कोर्ट के जजों के लिये लागू हो सकते हैं वह नियम कम से कम आई० सी० एस० और ऊंचे केडर के लोगों पर भी लागू हों और इस तरह के काम न हो, जिससे लोगोंमें दुर्भावना फैलती है और सरकार की बदनामी होती है।

†श्री जगजीवन राम : श्रीमान्, मुझे अब इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना है। रेलवे के अधिकांश अधिकारी बोर्ड तथा उनके बीच हुए करारों की शर्तों के अनुसार अपनी सेवाएं कर रहे हैं पुराने अधिकारियों के साथ सेक्रेटरी आफ़ स्टेट द्वारा करार किये गये थे। रेलवे अधिकारियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के बीच सब से बड़ा भेद यह है कि जब कि अन्य विभागों के अधिकारियों को पेंशन मिलती है वहां रेलवे के अधिकारी के सेवा छः महीने का नोटिस दे कर समाप्त की जा सकती है या वह छः महीने का नोटिस दे कर अपनी नौकरी छोड़ सकता है और फिर जो कुछ चाहे कर सकता है। जब किसी रेलवे अधिकारी की सेवावधि अथवा अधिवार्षिकी समाप्त हो जाती है और जब उसको भविष्य निधि तथा उपदान की राशि दे दी जाती है तब हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। तब वह कहीं पर भी सेवा या जो कुछ चाहे कर सकता है।

जहां तक भूतपूर्व चेयरमेन का प्रश्न है इन्होंने सरकार को काफी समय पहले अपने इरादे से अवगत करा दिया था तथा सेवा करने से पहले सम्बन्धित मंत्री की अनुमति भी ले ली थी। इसलिये उनकी ओर से कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं हुई है।

मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि सेवानिवृत्ति के बाद किसी व्यक्ति के प्रशासकीय या प्राविधिक अनुभव का देश में उपयोग उठाना जरूरी है अथवा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर माननीय गृह मंत्री पहले ही दे चुके हैं। वह बता चुके हैं कि हमारे देश में प्रशासकीय तथा प्राविधिक अनुभवों वाले लोगों की पहले से ही बहुत कमी है इसलिये हमें उनकी सेवाओं की हरदम आवश्यकता रहती है यदि सरकार किन्हीं कारणों से उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दे सकती अथवा सरकारी नौकरी पर नहीं रख सकती तब प्रश्न उठता है कि क्या वे लोग गैर-सरकारी क्षेत्र में जायें अथवा नहीं। मेरा विचार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

है कि ऐसे अनुभवी व्यक्तियों का सरकारी या गैर-सरकारी किसी भी क्षेत्र में रहना देश के लिये बड़ा लाभकारी है। इसलिये यदि सरकार उन्हें अपने यहां नहीं रख सकती तो उसे इन लोगों के प्राईवेट सेक्टर में जाने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह रेलवे बोर्ड के लिये यश और गौरव की बात है कि इसके सभी सदस्य अथवा चेयरमेन रिटायर होते हैं वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं मे फिर से ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर लिये गये हैं। उनमें से कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं बैठा है। वह किसी न किसी क्षेत्र में देश की सेवा कर रहा है। उन की सर्वत्र मांग है। इससे उनकी योग्यता, दक्षता तथा प्राविधिक चतुराई का अनुमान लगाया जा सकता है।

†श्री ब्रजराज सिंह : शायद आप उनके पुराने सम्बन्धों को भूल रहे हैं।

†श्री जगजीवन राम : रेलवे बोर्ड को उनके सभी सम्बन्धों का ज्ञान रहता है। यह बोर्ड देश में हर प्रकार के व्यापारी से सरोकार रखता है। हमें किसी भी व्यापार या उद्योग के ऊंचे से लेकर नीचे तक के प्रत्येक अधिकारी का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। देश में कोई ऐसा व्यापारी या उद्योगपति नहीं जिसका रेलवे प्रशासन से वास्ता न पड़ता हो। इसलिये यह सोचना कि रेलवे बोर्ड के सदस्यों का किसी से सम्बन्ध न हो बड़ा गैर-मुमकिन है। सदस्यों को इस पहलू का खास ध्यान रखना चाहिये था।

जहां तक भूतपूर्व चेयरमैन का प्रश्न है उनका बर्ड एण्ड कम्पनी से किसी प्रकार का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। मैं सभा को पहले ही सब तथ्य तथा तिथियां बता चुका हूं। रेलवे बोर्ड में विभिन्न सदस्यों के जिम्मे भिन्न काम सौंपे हुए हैं। इस अधिकारी का वाणिज्यिक क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह क्षेत्र एक अन्य सदस्य जो परिवहन तथा वित्तीय आयुक्त थे उनके पास था।

मेरे मित्र श्री गुह ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में चीफ़ कमर्शल सुपरिन्टेंडेंट द्वारा दिये गये हलफनामें का उल्लेख किया है। उन्होंने कुछ आधारभूत आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध करना चाहा है कि मेसर्स वल्लभदास अग्रवाल का टेंडर न्यूनतम टेंडर था। इसी प्रकार श्री महन्ती ने भी यह सिद्ध करना चाहा है कि बर्ड एण्ड को का टेंडर न्यूनतम नहीं था। यह ठीक हो सकता है किन्तु हमने सब मदों को सामूहिक रूप से साथ रख कर तथा वस्तुओं की मात्रा का ध्यान रख कर ही गणना की है। इस आधार पर हिसाब लगाने से मेसर्स वल्लभदास अग्रवाल का टेंडर न्यूनतम बैठता था और बर्ड एण्ड को० का उससे अगला ऊंचा टेंडर। किन्तु जब 'लीड फेक्टर' की गणना की गई तब यह पाया गया कि बर्ड एण्ड को० का टेंडर वल्लभदास अग्रवाल से कहीं कम था।

†श्री अ० चं० गुह : 'लीड फेक्टर' के कारण पिछले दो वर्षों में बर्ड एण्ड को० को कितना रुपया दिया गया है ?

†श्री जगजीवन राम : मैं इस का अभी उत्तर देता हूं।

†श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : क्या टेंडर फर्मों में 'लीड फेक्टर' की कोई मात्रा बताई गई थी ? क्या इसके कारण कोई राशि जोड़ी गई थी ?

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह शून्य दिखाया गया था।

†श्री जगजीवन राम : मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि टेंडर फार्म में गलती से इस फेक्टर को शून्य दिखाया गया था क्योंकि यह किसी भी हाल में शून्य नहीं हो सकता था।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सिंहासन सिंह : यदि यह गलती से शून्य दिखाया गया था तब दूसरे ठेकेदारों को यह बात बतानी चाहिये थी तथा फिर से नये टेंडर मंगवाये जाने चाहियें थे।

†श्री जगजीवन राम : मैं अपनी गलती स्वीकार कर चुका हूं। किन्तु टेंडर भरने वाले जानते थे कि यह कभी शून्य नहीं हो सकता। इसलिये सब ने अपने आप इसके रेट भर दिये थे। इसलिये नये टेंडर मंगवाने की कोई जरूरत नहीं समझी गई।

पिछले दो वर्षों में जितना माल लादा व उतारा गया उसके एवज में मेसर्स बर्ड एण्ड को० को २३,२४,३४२ रुपये दिये गये थे। इसके बदले में अब वल्लभदास अग्रवाल ने टेंडर में जो रेट दिये थे, उसमें लोड फैक्टर' को शामिल करने से उनको कोटेशन २८,०९,९०९ रुपये बैठती थी। अतः यह बात निस्सन्देह तय थी कि बर्ड एण्ड को० का टेंडर सबसे न्यूनतम बैठता है। रेलवे बोर्ड ने इसीलिये इसको स्वीकार किया है।

श्री गुह ने यह कहा है कि इसका अन्तिम निश्चय केवल एक अधिकारी श्री कल्याणसुन्दरम ने किया है। यह बात सर्वथा गलत है। यह टेंडर वित्तीय आयुक्त की सहमति से स्वीकार किया गया है और उपमंत्री के अनुमोदन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल ने मजदूरों की शिकायतों तथा काम को आगे ठेके पर देने के बारे में कुछ बातें कही हैं। मुझे सकरीगलीघाट, मनिहारीघाट तथा शालीमार से इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं। मैं उन पर विचार कर रहा हूं। हम इन का उचित निर्णय करेंगे। किसी भी ठेकेदार के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अन्त में मैं फिर एक बार कहूंगा कि रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन ने रेलवे प्रशासन तथा देश की बड़ी ईमानदारी, निष्ठा तथा दक्षता से सेवा की है। उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना या उनके प्रति कोई सन्देह प्रकट करना उनके साथ सरासर अन्याय होगा। हमने यह टेंडर न्यूनतम आधार तथा टेंडर के गुण दोषों को देखते हुए बिना किसी प्रकार के पक्षपात के स्वीकार किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब चर्चा समाप्त होती है।

तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर*

†श्री नागी रेड्डी (अनन्तपुर) : तुंगभद्रा की उच्च स्तरीय नहर, रायलसीमा, बैलारी, अनन्तपुर और कुडप्पा जिलों के लिये जीवन मरण का प्रश्न है। उक्त जिले मद्रास में उन जिलों में से हैं जहां हर दूसरे तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है। १९५२–५३ में रायलसीमा पर घोर अकाल पड़ा था और उस समय संसद् में उस क्षेत्र को काफी स्थायी सहायता देने की पर्याप्त चर्चा उठाई गई थी। स्वयं प्रधान मंत्री उस क्षेत्र का दौरा करने गये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उक्त नहर का काम तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा।

तत्पश्चात् यह योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी लेकिन आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीतने पर हमें यह बताया जा रहा है कि निम्न लिखित दो कारणों से नहर का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हो पायेगा।

(१) यह नहर, मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्पादन स्तर तक नहीं आती है, जहां तक इस आपत्ति का प्रश्न है मैं सभा को बताना चाहता हूं कि उक्त क्षेत्र मद्रास राज्य में सबसे कम वर्षा वाला प्रदेश है

†मूल अंग्रेजी में
*आधे घंटे की चर्चा

जहां अधिकांश वर्षों में वर्षा २०" से भी कम हुई है। इस प्रदेश में अकाल पड़ते रहते हैं। जनता बहुत गरीब, बेकार और अत्यधिक ऋणग्रस्त है। साथ ही साथ बांध बनाया जा चुका है, निम्नस्तरीय नहर भी बन चुकी है तब भला इस नहर को बनाने में क्यों विलम्ब किया जाता है।

(२) दूसरा कारण यह बताया गया है कि सरकार के पास पर्याप्त निधि नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सरकार प्रतिवर्ष लगान की छूट इत्यादि देने में लाखों रुपये व्यय करती है। १९५२–५३ में अकाल सहायता कार्यों के लिये सरकार को करोड़ों रुपये व्यय करने पड़े तब भला सरकार कोई ऐसा स्थायी कार्य क्यों नहीं करती है जिससे कि प्रतिवर्ष यह व्यय न करना पड़े।

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस नहर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देवे। तथापि अब सरकार का यह कहना है कि यह नहर कई प्रक्रमों में बनाई जायेगी। जिसके लिये नये प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। जिनके लिये मैसूर और आंध्र राज्यों को परस्पर सहमति देनी होगी। तत्पश्चात् उन प्राक्कलनों की योजना आयोग और सिंचाई मंत्रालय द्वारा जांच की जायेगी फल यह होगा कि काम प्रारम्भ होने में वर्षों लग जायेंगे।

तत्पश्चात् पानी को यदि ३५-६५ के अनुपात से दोनों राज्यों के बीच वितरित किया जायेगा तो उससे दोनों राज्यों के बीच कटुता और मतभेद बढ़ेगा परिणामस्वरूप एक नई समस्या हो जायेगी।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस पूरी योजना को तत्काल स्वीकृति दे और मध्य पनार व गंडीकोटा परियोजनाओं में भी साथ साथ कार्य प्रारम्भ करे क्योंकि ये उक्त नहर का अनिवार्य अंग हैं। मैं आशा करता हूं सरकार आंध्र तथा रायलसीमा के निवासियों को यह आश्वासन देगी कि यह परियोजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

†श्री रामी रेड्डी (कड़पा) : प्रस्तावक महोदय ने यह बताया है कि केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय ने इस परियोजना को क्रियान्वित न करने का एक कारण यह बताया है कि यह सिंचाई मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्पादन के स्तर तक नहीं आती है। तथापि एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कल ही सिंचाई उपमंत्री महोदय ने राज्य सभा में बताया है कि आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों ने तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के सम्बन्ध में जो संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था वह मंजूर कर लिया गया है।

अतः अब प्रश्न केवल संसाधन का रह जाता है। उपमंत्री ने राज्य सभा में कल ही इस सम्बन्ध में यह बताया है कि आंध्र राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिये दूसरी और तीसरी योजना की अवधि में ७० करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। अतः संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह इस योजना को दो प्रक्रमों में पूरा करे।

इस प्रकार प्रश्न केवल संसाधन का रह जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर की योजना नागार्जुनकोंडा परियोजना से भी पहिले की है। वस्तुतः जब नागार्जुनकोंडा की योजना स्वीकृत हो गई थी और यह योजना विचाराधीन थी, तभी रायलसीमा की जनता ने यह आशंका व्यक्त की थी कि कहीं ऐसा न हो कि निधि के अभाव में यह योजना प्रारम्भ न की जाये तब राज्य तथा केन्द्र के प्राधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि नागार्जुनकोंडा परियोजना के व्यय के कारण तुंगभद्रा का कार्य स्थगित नहीं किया जायेगा।

किन्तु अब यही किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में सिंचाई पर जो ७० करोड़ रुपये व्यय होने की व्यवस्था है उस में ५५ करोड़ रुपये नागार्जुनकोंडा परियोजना में व्यय होंगे फलस्वरूप इस परियोजना के लिये राशि उपलब्ध नहीं हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे यदि इस योजना को प्रक्रमों में क्रियान्वित किया जायेगा तो इस से सब से अधिक हानि कुडप्पा जिले की होगी ।

वस्तुतः आंध्र प्रदेश की जनता इस समस्या से बहुत चिन्तित है अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें और इस पूरी योजना को तत्काल मंजूर करें ।

†श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बल्लारी) : मैसूर तथा आन्ध्र राज्यों के उक्त प्रदेशों में बार-बार अकाल पड़ा करता है अतः इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करना आवश्यक है जिससे जनता को इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम्) : जब विभिन्न परियोजनाओं के लिये धन राशि दी जा रही है तो क्या कारण है कि तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीतने के अनन्तर कोई राशि नहीं दी जा रही है ?

†श्री वेंकट सुब्बय्या (अडोनी) : क्या तुंगभद्रा जलाशय निम्नस्तरीय तथा उच्चस्तरीय दोनों नहरों के लिये नहीं बनाया गया है यदि हां तो क्या उच्चस्तरीय नहर न बनाने से उसका पानी व्यर्थ नहीं जायेगा ।

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : माननीय सदस्य ने एक ऐसी परियोजना के बारे में चिन्ता प्रगट की है जिस से अकाल पीड़ित क्षेत्रों को सिंचाई होगी । इसी सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने यह कहा था कि यद्यपि यह मंत्रालय द्वारा विहित उत्पादन के मापदंड के अन्दर नहीं आती है तथापि उक्त क्षेत्र को मिलने वाले लाभ का ध्यान रख कर इसे टैक्नीकल समिति ने स्वीकार कर दिया है। अन्य कई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी हमें इस मापदंड की सीमा को हटाना पड़ा है। इसलिये उत्पादन के स्तर के अनुरूप न होने के कारण इस परियोजना के अस्वीकृत होने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। अब यह आशंका व्यक्त की गई है कि यदि इस परियोजना को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है तो द्वितीय प्रक्रम का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परियोजना के सम्बन्ध में नया प्रतिवेदन मांगा जायेगा और नये प्राक्कलन तैयार करने होंगे और पुनः दोनों राज्यों की सहमति प्राप्त करनी होगी । इन सब बातों में बहुत समय लगेगा । अतः मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि दोनों राज्यों की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। दोनों राज्यों का अंश ३५ और ६५ रहेगा और इसी अनुपात से उन दोनों के बीच जल वितरण किया जायेगा ।

वस्तुतः पूर्ण योजना टैक्नीकल रूप से स्वीकृत हो चुकी है । इसलिये इस संबंध में किसी प्रकार की आशंका नहीं की जानी चाहिये। सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्रों का दो प्रक्रमों में विभाजन किया जायेगा । पहिले प्रक्रम में मैसूर को ६८,००० एकड़ और आन्ध्र को १२०,००० एकड़ भूमि मिलेगी । इस प्रकार कुल १८८,००० एकड़ की सिंचाईकी जायेगी। दूसरे प्रक्रम में मैसूर को १२६,००० एकड़ और आंध्र को २५२,००० एकड़ सिंचाई के योग्य भूमि मिलेगी। इसलिये नहरें बना कर क्षेत्रों का विकास करते जाना अधिक उपयुक्त होगा । किसी विशेष क्षेत्र का विकास कर उस से लाभ प्राप्त करते जाना अधिक अच्छा होगा। तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि दूसरे प्रक्रम का कार्य हाथ में नहीं लिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि पहिले और दूसरे प्रक्रम में उपलब्ध पानी उस अनुपात में उपलब्ध नहीं होने पर पुनः यह विवाद उठ सकता है। तथापि इस सम्बन्ध में मैं आप को आश्वासन देना चाहता हूं कि पानी सदैव ६५ और ३५ के अनुपात से मिलेगा। अब उपर्युक्त संसाधन प्राप्त करने का प्रश्न बाकी रहता है। योजना आयोग जब किसी परियोजना को स्वीकार करता है तो उसमें उसके वित्तीय संसाधन शामिल नहीं रहते हैं। आवश्यकतानुसार धनराशि हम प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये नागार्जुनकोंडा परियोजना के लिये हमने ५.५ करोड़ रुपये प्रदान किये। अग्रेतर मांग किये जाने पर हमने १.५ करोड़ रुपये और प्रदान किये। प्रश्न केवल धनराशि को व्यवस्था करने का रह गया है। अतः सदस्यों को इस बात में कोई भ्रम नहीं होना चाहिये कि यह योजना पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं हुई है। वस्तुतः दोनों राज्यों को सहमति प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण सदस्यों को यह भ्रम हुआ कि परियोजना के सम्बन्ध में नया प्रतिवेदन मांगा जा रहा है वस्तुतः यह सारी योजना स्वीकार की जा चुकी है केवल इसकी क्रियान्विति प्रक्रमों में की जायेगी।

†श्री बासप्पा (बंगलौर) : क्या इसके कार्य के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य भी रखा गया है ?

†श्री हाथी : परियोजना का कार्य समाप्त करने के लिये कोई तारीख निश्चित करना संभव नहीं हुआ है ।

इसके पश्चात लोक-सभा की बैठक गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

[बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६११—३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०६०	जम्मू और काश्मीर में टेलीफोन व्यवस्था	२६११-१२
१०६१	भाखड़ा नंगल परियोजना	२६१२-१३
१०६२	पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजना का प्रारूप	२६१३-१४
१०६३	सड़क परिवहन निगम	२६१४—१७
१०६४	हिमाचल प्रदेश में जड़ी-बूटियां	२६१७—१९
१०६५	दरभंगा-मुजफ्फरपुर रेलवे लिंक	२६१९-२०
१०६६	गंडक परियोजना	२६२०-२१
१०६७	गुडिवाडा-भीमवरम सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना	२६२१—२३
१०६८	रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम	२६२३-२४
१०६९	राज्यों में खाद्य समितियां	२६२४—२६
१०७०	हावड़ा और बर्दवान के बीच बिजली से चलने वाली रेलें	२६२६-२७
१०७१	इन्फ्लुएंजा	२६२८
१०७२	ब्रह्मपुत्र बेसिन में विद्युतशक्ति का सर्वेक्षण	२६२८-२९
१०७३	आन्ध्र में चावल की वसूली	२६२९-३१
१०७४	चिल्का झील में विश्राम-गृह	२६३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६३३—२७९२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०७५	रूरकेला से बरसुआ तक रेलवे लाइन	२६३३
१०७६	राजस्थान में गेहूं के भाव बढ़ना	२६३३
१०७७	'विचारों से लाभ उठाओ' योजना	२६३३
१०७८	मध्य प्रदेश में विद्युत् सम्भरण	२६३४
१०७९	मनीपुर में मेडिकल कर्मचारी	२६३४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०८०	ताम्बरम्-बिल्लीपुरम् सेक्शन का विद्युतीकरण .	२६३४
१०८१	बम्बई में खाद्यान्न .	२६३४-३५
१०८२	परादीप पत्तन का विकास . .	२६३५
१०८३	सड़कों के सिगनल की बत्तियां . .	२६३५
१०८४	रेलवे श्रमिक संघ . . .	२६३६
१०८५	सवारी-डिब्बों के गैर-सरकारी निर्माता . .	२६३६
१०८६	त्रिपुरा की सड़कें	२६३७
१०८७	दक्षिणी चावल क्षेत्र में बम्बई का सम्मिलित किया जाना	२६३७
१०८८	खेती का चीनी तरीका .	२६३७
१०८९	जाब को एक्सरे फिल्मों का संभरण	२६३८
१०९०	कोचीन पत्तन . . .	२६३८
१०९१	भारी गाड़ियों के निरीक्षण के लिये समिति .	२६३८-३९
१०९२	सिलेरू जल विद्युत परियोजना .	२६३९
१०९३	त्रिपुरा और आसाम के लिये विमान सेवा .	२६३९-४०
१०९४	एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड .	२६४०
१०९५	उत्तर प्रदेश से धान और चावल .	२६४१
१०९६	भारत मलाया स्टीमर सेवा	२६४१-४२
१०९७	दिल्ली में दाइयां	२६४२
१०९८	इन्डामेर कम्पनी . . .	२६४२-४३
१०९९	अन-अनुसूचित विमान संचालन .	२६४३
११००	खण्ड परामर्शदात्री समितियां . . .	२६४३-४४
११०१	डूंगर कालिज, बीकानेर के पास ऊपरी पुल .	२६४४
११०२	रेल के इंजन डिब्बों आदि के लिये मरम्मत का सामान	२६४४
११०३	स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली	२६४४
११०४	दिल्ली में आटे का विक्रय .	२६४५
११०६	विषैले रसायन	२६४५-४६
११०७	बम्बई बन्दरगाह में पानी के साथ आये रेत का जमाव .	२६४६
११०७क	नागार्जुन सागर परियोजना . .	२६४७
११०८	दुर्गम क्षेत्र समिति	२६४७-४८
११०९	जमना बाजार क्षेत्र के निवासियों के लिये बस्ती . .	२६४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१११०	चीनी उत्पादन की लागत . .	२६४८–४६
११११	सिकन्दराबाद में बच्चों के लिये होस्टल .	२६४६
१११२	कलकत्ता-इलाहाबाद स्टीमर सेवा .	२६४६
१११३	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन भवन . .	२६४६–५०
१११४	आल इंडिया इन्स्टीच्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता . .	२६५०
१११५	रेंड़ बांध	२६५०
१११६	हीराकुड परियोजना . .	२६५०
१११७	उर्वरक . . .	२६५१
१११८	खतरे की जंजीर का खींचा जाना .	२६५१
१११९	भारत-नेपाल डाक करार . . .	२६५१–५२
११२०	नेपाल में विमान दुर्घटनायें .	२६५२
११२१	चटनी उद्योग . . .	२६५२–५३
११२२	हैफकिन इन्स्टीच्यूट, बम्बई . .	२६५३
११२३	भाखड़ा बांध	२६५३
११२४	मनीपुर में तेरा के पौधे . .	२६५४
११२५	मद्रास में चीनी के सहकारी कारखाने . .	२६५४
११२६	दिल्ली तथा नई दिल्ली में कैंसर के रोगी . .	२६५५
११२७	उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र अनुभाग .	२६५५–५६
११२८	माधोपुर और कथूरा के बीच रेलवे लाइन.	२६५६
११२९	राज्य की परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी तदर्थ समिति का प्रतिवेदन	२६५६–५७
११३०	चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी समिति .	२६५७
११३१	जनता ट्रेन . .	२६५७–५८
११३२	भारतीय बहु प्रयोजनीय अन्न .	२६५८
११३३	विमान किरायों में वृद्धि	२६५९
११३४	कोसी पर तटबन्ध .	२६५९
११३५	उड़ीसा में चावल की वसूली	२६६०
११३६	चावल की वसूली के दाम	२६६०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६८१	दिल्ली के लाहोरी गेट पर लाइन के ऊपर का पुल	२६६१
१६८२	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण	२६६१
१६८३	चीनी का निर्यात	२६६१–६२
१६८४	पैराम्बूर का सवारी डिब्बे बनाने वाला कारखाना	२६६२
१६८५	परिवार नियोजन	२६६३
१६८६	दिल्ली और नई दिल्ली में गन्दी बस्तियां	२६६३
१६८७	पठानकोट रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण	२६६३–६४
१६८८	उत्तर रेलवे में खतरे की जंजीरें खींचने की घटनायें	२६६४
१६८९	दिल्ली रिंग रोड	२६६४
१६९०	विमान दुर्घटनायें	२६६४–६५
१६९१	तार जांच समिति का प्रतिवेदन	२६६५
१६९२	अवकाश गृह	२६६५
१६९३	उत्तर रेलवे के विरुद्ध डिगरियां	२६६६
१६९४	रेलवे सुरक्षा बल	२६६६–६७
१६९५	खतरे की जंजीर खींचना	२६६७
१६९६	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस	२६६७
१६९७	बिना टिकट यात्रा	२६६८
१६९८	उत्तर रेलवे के संवरण पद	२६६८
१६९९	दिल्ली और फाजिल्का के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी	२६६८
१७००	प्रथम श्रेणी के डिब्बे	२६६८–६९
१७०१	भाखड़ा नंगल परियोजना जाने वाले दर्शक	२६६९
१७०२	दामोदर घाटी निगम की नहरें	२६६९–७०
१७०३	केसिंगा रेलवे स्टेशन पर पुल	२६७०
१७०४	पोस्टमैनों तथा मेलगार्डों के पदों के लिये प्रार्थना-पत्र	२६७०–७१
१७०५	संघ राज्य-क्षेत्रों में अस्पताल और डिस्पैंसरियां	२६७१–७२
१७०६	कर्मचारियों के नकद प्रत्याभूति निक्षेप	२६७२
१७०७	बरहामपुर-गंजों स्टेशन पर भंगी बस्ती	२६७२
१७०८	बैलगाड़ियां	२६७२–७३
१७०९	बम्बई राज्य में कृषि तरीकों का सर्वेक्षण	२६७३
१७१०	मालडिब्बे	२६७३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७११	कैंसर . . .	२६७४
१७१२	परिवार नियोजन केन्द्र . .	२६७४
१७१३	बम्बई राज्य में बी० सी० जी० दल	२६७४
१७१४	मध्य रेलवे ज़ोन में बच्चों के लिये स्कूल .	२६७५
१७१५	बम्बई राज्य में मुर्गीपालन केन्द्र	२६७५
१७१६	समुद्र से मछली पकड़ना	२६७५
१७१७	पश्चिमी तट के जीव जन्तु .	२६७५
१७१८	तेल वाली सारडीन शोल मछलियां	२६७६
१७१९	मत्स्यपालन .	२६७६
१७२०	नदी घाटी योजनाओं में मत्स्यपालन	२६७७
१७२१	मछलियों का लाना ले जाना . . .	२६७७
१७२२	ग्लासगो के मालवाही पोत पर एक भारतीय नाविक की मृत्यु .	२६७८
१७२३	वन गवेषणा संस्था का डिप्लोमा	२६७८
१७२४	शाहगंज-मऊ रेलवे लाइन	२६७८-७९
१७२५	रेलवे स्कूल .	२६७९-८०
१७२६	पंजाब का विद्युतीकरण . .	२६८०
१७२७	ब्रह्मपुत्र नदी में मालगाड़ी के डिब्बों का गिर जाना .	२६८०
१७२८	दिल्ली और हावड़ा के बीच खाने के पैकटों की बिक्री .	२६८०-८१
१७२९	हावड़ा-दिल्ली के बीच चलने वाली गलियारे वाली वायु अनुकूलित गाड़ी . .	२६८१
१७३०	उत्तर-पूर्व रेलवे के विरुद्ध दावे .	२६८१-८२
१७३१	टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों की देख रेख	२६८२
१७३२	ठेके .	२६८३
१७३३	तिनसुकिया-मकूम एक्सप्रेस रोड	२६८३
१७३४	ओक ग्रोव स्कूल . .	२६८३
१७३५	खाद्यान्नों का राज्य-व्यापार .	२६८४
१७३६	आलू . .	२६८४
१७३७	गोहाटी में पर्यटक निवास .	२६८४-८५
१७३८	रेलवे स्कूलों के शिक्षा परामर्शदाताओं की रिपोर्ट .	२६८५
१७३९	बहुप्रयोजनीय स्कूल .	२६८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७४०	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६	२६८६
१७४१	बर्दवान स्टेशन	२६८६
१७४२	मजदिया और बगूला के बीच नया स्टेशन . . .	२६८६
१७४४	विभिन्न कृषि योजनाओं के लिये सहायता . .	२६८७
१७४५	टेलीफोन राजस्व कार्यालय (उत्तर प्रदेश) में क्लर्कों की भर्ती के लिये परीक्षा	२६८७
१७४६	दिल्ली और नई दिल्ली की सड़कें	२६८७
१७४७	चरखी दादरी स्टेशन पर नल . . .	२६८८
१७४८	दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की सामान की चोरी के बारे में गिरफ्तारी .	२६८८
१७४९	परिवार नियोजन . .	२६८८
१७५०	कटक रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण .	२६८८-८९
१७५१	गाड़ी परीक्षकों के लिये शिशिक्षु योजना .	२६८९
१७५२	आंख की पुतली बदलना .	२६८९
१७५३	हिमाचल प्रदेश में चीनी का कारखाना . .	२६९०
१७५४	हिमाचल प्रदेश में सीमा-निर्धारण कार्य . . .	२६९०
१७५५	हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादन विक्रय योजना .	२६९०-९१
१७५६	हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी-पालन . .	२६९१
१७५७	शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे . .	२६९१-९२
१७५८	बसों और रेलवे में प्रतिस्पर्धा . .	२६९२
१७५९	कोयला खान साइडिंग . .	२६९२
१७६०	रामवरम् में रेलवे स्टेशन .	२६९३
१७६१	राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ .	२६९३
१७६२	क्षतिग्रस्त स्काइमास्टर विमान .	२६९४
१७६३	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का देर से चलना . .	२६९४-९५
१७६४	मिलरगंज क्षेत्र और लुधियाना नगर के बीच ऊपरी पुल	२६९५
१७६५	स्नेहन पदार्थ	२६९५
१७६६	उत्तर रेलवे के भूतपूर्व बीकानेर सेक्शन पर रेल का फाटक (लेवल क्रासिंग)	२६९६
१७६७	टेलीफोन मशीनरी . .	२६९६

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
अतारांकित	
प्रश्न संख्या	
१७६८ हसन-मंगलौर रेल सम्पर्क . .	२६९६
१७६९ पाकिस्तान पर बकाया बिजली की रकम .	२६९६-९७
१७७० गाड़ी के साथ चलने वाले रेल कर्मचारी .	२६९७
१७७१ रेलों पर पुलियों तथा पुलों का निर्माण .	२६९७
१७७२ बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क पर विश्राम-गृह	२६९७-९८
१७७३ अनाज को नुकसान .	२६९८-९९
१७७४ उभयलिंगी व्यक्ति	२६९९
१७७५ भारतीय रेलें .	२७००
१७७६ रेलों के डीज़ल इंजन . . .	२७००
१७७७ केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड	२७००-०१
१७७८ कृषक मण्डल	२७०१
१७७९ पर्यटक यातायात परामर्शदात्री समिति	२७०१
१७८० विद्यार्थियों के लिये रेलवे रियायत	२७०१-०२
१७८१ कीड़े मारने की नई दवा 'सिटीसाइड'	२७०२
१७८२ गलियारे वाली रेलें	२७०२-०३
१७८३ लापता जलयान	२७०३
१७८४ खेती के तरीके	२७०३
१७८५ पूर्व रेलवे पर चोरी व डाके की घटनायें	२७०३-०४
१७८६ सोमासन स्टेशन	२७०४
१७८७ विदेशी फर्मों से केरल को चावल	२७०४-०५
१७८८ आसाम-त्रिपुरा सड़क	२७०५
१७८९ मध्य रेलवे के यातायात अधिकारी	२७०५
१७९० दिल्ली-कलकत्ता सड़क	२७०५-०६
१७९१ गन्ना .	२७०६
१७९२ पूर्वोत्तर रेलवे का भूतपूर्व अवध-तिरहुत सेक्शन	२७०६-०७
१७९३ गंडक नदी पर पुल	२७०७
१७९४ स्थानापन्न भत्ते का भुगतान न किया जाना	२७०७
१७९५ मैसूर राज्य में सामुदायिक विकास	२७०७
१७९६ रेलवे वायरलेस कार्यालय, बीकानेर .	२७०८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१७९७	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के दैनिक वेतन प्राप्त कर्मचारियों की छंटनी .	२७०८
१७९८	मालगाड़ियों में चोरी	२७०९
१७९९	खुर्दा रोड में डिवीज़नल हेडक्वार्टर	२७०९
१८००	विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्ड .	२७०९
१८०१	रेलवे की परियोजनायें तथा निर्माण कार्य .	२७१०
१८०२	मिशन अस्पतालों को सरकारी सहायता .	२७१०
१८०३	रेलवे डिस्पैंसरियों में बाहर के रोगी .	२७१०-११
१८०४	तुनि-वाल्टेयर सेक्शन पर लाइन का टूटना .	२७११
१८०५	कृष्णनगर में अस्वास्थ्यकर स्थिति	२७११-१२
१८०६	गोमोह जंकशन पर चोरियां . .	२७१२
१८०७	खड़गपुर स्टेशन पर कार खड़ी करने के लिये शेड	२७१२-१३
१८०८	मक्खी पकड़ने का उपाय	२७१३
१८०९	पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में खाद्यान्न वसूली आन्दोलन	२७१३
१८१०	बीकानेर डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये संवरण	२७१३-१४
१८११	मालगाड़ी के डिब्बों का उलट जाना	२७१४
१८१२	खम्भात के बन्दरगाह का विकास	२७१४
१८१३	रक्सोल स्टेशन पर माल की चोरी .	२७१५
१८१४	महेन्द्रूघाट स्टेशन का विस्तार .	२७१५
१८१५	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस . . .	२७१६
१८१६	टिकटों को छापने तथा जारी करने वाली मशीन .	२७१६-१७
१८१७	बरहामपुर से दुर्गा प्रसाद तक रेलवे लाइन	२७१७
१८१८	उड़ीसा में रेलवे लाइन . .	२७१७
१८१९	मनीपुर की सिंचाई योजनायें . .	२७१७
१८२०	हिन्दूमालकोट-भटिण्डा सेक्शन .	२७१८
१८२१	कलकत्ते के पूजा उत्सव पर रेलवे के प्रबन्ध . .	२७१८
१८२२	रेलवे स्टेशनों के अनाधिकृत फेरी वाले	२७१९
१८२३	टीके	२७१९
१८२४	ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें .	२७१९-२०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८२५	राज्यों की चावल मिलें . . .	२७२०
१८२६	तिलडांगा और निमतीता स्टेशनों के बीच सीधा यातायात .	२७२०-२१
१८२७	इंजन चालकों द्वारा निश्चित समय से अधिक समय तक कार्य किया जाना . .	२७२१
१८२८	केरल की केन्द्रीय दुग्धशाला योजना	२७२१
१८२९	पशु पालन	२७२१-२२
१८३०	रेलवे के टिकट . .	२७२२
१८३१	संथाल पहाड़ियां सेवा मण्डल, बिहार . . .	२७२२-२३
१८३२	रामगंगा पर पुल	२७२३
१८३३	पुलिस के जाली वारण्ट .	२७२३
१८३४	सामान की चोरी . . .	२७२४
१८३५	मनीपुर के लिये विद्युतिकरण योजना	२७२४
१८३६	कृत्रिम गर्भाधान योजना .	२७२४-२५
१८३७	मनीपुर में उर्वरकों की बिक्री .	२७२५
१८३८	मनीपुर प्रशासन के लिये ट्रकों की खरीद .	२७२५
१८३९	मनीपुर को ऋण . . .	२७२५-२६
१८४०	मनीपुर में सहकारी समितियां . .	२७२६
१८४१	टिड्डी नियंत्रण . .	२७२६
१८४२	माल बुक करने में जालसाजी . .	२७२७
१८४३	रेलवे-फाटकों पर दुर्घटनायें . .	२७२७
१८४४	सड़कों के निर्माण के लिये अनुदान . .	२७२७-२८
१८४५	रेलों में स्थानों के आरक्षण की सूचना देने वाले चार्ट आदि	२७२८
१८४६	सवारी तथा माल-डिब्बे	२७२८-२९
१८४७	गाड़ी की टक्कर . . .	२७२९
१८४८	पूना-लोनावाला सेक्शन पर अनियमित ट्रेन सेवा .	२७२९-३०
१८४९	कोंकण रेलवे	२७३०
१८५०	खाद्यान्नों के मूल्य .	२७३०
१८५१	जामसर रेलवे स्टेशन	२७३०-३१
१८५२	जमीन की खरीद .	२७३१
१८५३	उड़ीसा की नदियों पर पुल	२७३१-३१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१८५४	बाढ़ के कारण हानि	२७३२
१८५५	उत्तर रेलवे पर भोजन व्यवस्थापक	२७३२
१८५६	ट्रैक्टर की जांच करने का केन्द्र	२७३२
१८५७	रोहतक रोड पर ऊपरी पुल	२७३२-३३
१८५८	मनीपुर में मत्स्य पालन का विकास	२७३३
१८५९	मनीपुर में मत्स्य पालन केन्द्र	२७३३
१८६०	मनीपुर में वन	२७३३
१८६१	मनीपुर में तिल्ली तथा रक्त का सर्वेक्षण	२७३४
१८६२	मनीपुर में कोढ़	२७३४
१८६३	मनीपुर में भूमि राजस्व विभाग	२७३४-३५
१८६४	एस० एस० "सिटी श्राफ न्यूयार्क"	२७३५
१८६५	सामुदायिक विकास खण्ड	२७३५
१८६६	मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	२७३६
१८६७	पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर सुविधायें	२७३६-३७
१८६८	मन्त्रणा समितियां	२७३७
१८६९	डाक तथा तार भवन	२७३७
१८७०	सिकन्दराबाद में डाक तथा तार भवन	२७३७
१८७१	सेलम में डाक तथा तार भवन	२७३७-३८
१८७२	जयपुर में डाक तथा तार भवन	२७३८
१८७३	डी० टी० श्रो० कलकत्ता की इमारत	२७३८
१८७४	कोज़ीकोड में तार कर्मचारियों के क्वार्टर	२७३९
१८७५	मद्रास में सामुदायिक विकास कार्य	२७३९
१८७६	गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	२७३९
१८७७	दिल्ली में दूध की बस्तियां	२७४०
१८७८	चीन की कृषि प्रणाली के अध्ययन के लिये प्रतिनिधिमण्डल	२७४०
१८७९	भारत-तिब्बत सड़क पर टेलीफोन सुविधा	२७४०-४१
१८८०	हिमाचल प्रदेश में परिवहन	२७४१
१८८१	हिमाचल प्रदेश में परिवहन	२७४१-४२
१८८२	जहाज़ों की मरम्मत	२७४२
१८८३	परामर्शदाताओं की टीम	२७४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८८४	हिंगोली-खण्डवा रेल सम्पर्क . . .	२७४३
१८८५	नया फ्लैग स्टेशन .	२७४३
१८८६	रेलवे साइडिंग . . .	२७४३-४४
१८८७	प्रेस मशीनों का गायब होना .	२७४४
१८८८	द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सोने का स्थान	२७४४
१८८९	गन्ना . .	२७४४-४५
१८९०	रावलगांव शुगर फैक्टरी	२७४५
१८९१	होम्योपैथिक जांच समिति . .	२७४५-४६
१८९२	टेलीफोन के रिसीवर . .	२७४६
१८९३	वणिक् पोतों में नौकरी .	२७४६
१८९४	धर्मसाला आउट एजेन्सी . .	२७४७
१८९५	केरल में जल संसाधनों की खोज के लिये वृहद् योजना	२७४७
१८९६	सहकारी समिति के लिये भूमि का अधिग्रहण	२७४७-४८
१८९७	पर्यटक गाड़ियां . .	२७४८-४९
१८९८	आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिबिया कालेज, दिल्ली	२७४९
१८९९	दिल्ली के लिये जल संभरण	२७४९-५०
१९००	खाद्यान्नों की खरीद के लिये ऋण	२७५०
१९०१	बिना टिकट यात्रा	२७५०-५१
१९०२	रोहतक रोड दिल्ली पर पानी साफ करने का संयंत्र .	२७५१
१९०३	डाक तथा तार विभाग में लोअर सेलेक्शन ग्रेड	२७५१
१९०४	स्टेशनों पर सुविधायें	२७५१-५२
१९०५	स्टेशनों पर सुविधायें	२७५२-५३
१९०६	स्टेशनों पर बिजली लगाना	२७५३
१९०७	यात्री सहायक . . .	२७५३-५४
१९०८	कैम्पिग कोच .	२७५४
१९०९	डाक व तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी	२७५५
१९१०	मद्रास राज्य में चावल के मूल्य	२७५५
१९११	स्टेशनों पर सुविधायें .	२७५५-५६
१९१२	अफसरों के लिये बंगले	२७५६
१९१३	रेलवे अस्पतालों में नर्सें	२७५६

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६१४	बरहन-एटा रेलवे लाइन	२७५६-५७
१६१५	दम दम हवाई अड्डे पर क्वार्टरों में बिजली लगाना .	२७५७
१६१६	असैनिक उड्डयन विभाग में चौकीदार . .	२७५७-५८
१६१७	त्रिपुरा और आसाम में हवाई अड्डों पर कर्मचारियों के क्वार्टर .	२७५८
१६१८	असैनिक उड्डयन विभाग की सेवा संहिता तथा भर्ती सम्बन्धी नियम . .	२७५६
१६१६	यात्री सुविधायें . .	२७५६
१६२०	माल डिब्बों में चोरियां	२७५६-६०
१६२१	विमान दुर्घटनायें . . .	२७६०
१६२२	मदुरै में डाक व तार बस्ती	२७६०-६१
१६२३	मदुरै का टेलीफोन एक्सचेंज	२७६१
१६२४	वैद्यों द्वारा सर्जरी करना	२७६१
१६२५	डाकघरों में पेंशनों का भुगतान . .	२७६२
१६२६	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय .	२७६२
१६२७	जलडमरू मध्य/बम्बई/कराची/फारस खाड़ी कान्फ्रेंस .	२७६२
१६२८	माल डिब्बों का पटरी से उतरना	२७६२-६३
१६२६	खाद्य उत्पादन	२७६३
१६३०	उड़ीसा में कलशपुर से ब्राह्मणी नदी तक एक नहर का निर्माण .	२७६३
१६३१	फ़ैशन—फ़िल्म	२७६३-६४
१६३२	सहकारिता आन्दोलन .	२७६४
१६३३	रेलवे स्टेशन .	२७६४
१६३४	रेलवे समय-सारणी .	२७६४-६५
१६३५	कोट्टयम का मुख्य डाकघर .	२७६५-६६
१६३६	ट्रंक काल	२७६६
१६३७	हिमाचल प्रदेश में सड़कें	२७६६
१६३८	रेलवे इंजनों और माल डिब्बों की खरीद .	२७६६-६७
१६३६	पंजाब में होशियारपुर जिले के लिये पीने का पानी .	२७६७
१६४०	रेलवे के निर्माण विभाग में सुपरवाइजरों की भरती .	२७६८
१६४१	रेलवे की शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों के वेतन	२७६८
१६४२	आबकारी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा यात्रियों की तलाशी .	२७६८-६६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६४३	गन्ना	२७६६
१६४४	देशी पद्धति की औषधियां	२७६६
१६४५	दक्षिण-पूर्व रेलवे में प्राइवेट स्कूल	२७६६-७०
१६४६	स्लीपर नियंत्रण अधिकारी	२७७०
१६४८	उड़ीसा में नलकूप	२७७१
१६४९	दक्षिण पूर्व रेलवे पर भोजन व्यवस्था करने वाले	२७७१
१६५०	त्रिपुरा में दूध सप्लाई योजनायें	२७७१-७२
१६५१	खोवाई नदी का कटाव	२७७२
१६५२	त्रिपुरा में रुद्रसागर को कृषि योग्य बनाना	२७७२
१६५३	डाक व तार कर्मचारी	२७७३
१६५४	विद्युत् चालित गाड़ियां चलाना	२७७३-७४
१६५५	पाकिस्तान में भारतीय रेलवे कर्मचारी	२७७४
१६५६	दोहरी लाइन बिछाना	२७७४
१६५७	नई दिल्ली की सड़कें	२७७४-७५
१६५८	जोरहाट हवाई अड्डे में टर्मिनल बिल्डिंग	२७७५
१६५९	परिवार नियोजन	२७७५
१६६०	हीराकुड बांध	२७७५-७६
१६६१	पूर्वोत्तर रेलवे में चोरियां	२७७६
१६६३	रेलों में चोरियां	२७७७
१६६४	हिमाचल प्रदेश में मुर्गी पालन	२७७७
१६६५	हिमाचल देश में कल परिरक्षण उद्योग	२७७७-७८
१६६६	उत्तर देश में डीज़ल कारें	२७७८
१६६७	पाकिस्तानी नाविक	२७७८
१६६८	हिन्दी अनुवादक और सहायक	२७७८-७९
१६६९	माल-डिब्बे बनाने का ठेका	२७७९
१६७०	बम्बई-आगरा रोड	२७७९
१६७१	मनमाड-नारदाना-इन्दौर रेलवे लाइन	२७७९-८०
१६७२	गौहाटी में सामान परिवहन के ठेके	२७८०
१६७३	नागार्जुन सागर परियोजना	२७८०
१६७४	गबन	२७८०-८१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९७५ ओल्वा कोडे में डिवीज़नल हैड क्वार्टर . . . २७८१
१९७६ रेलवे बोर्ड की सिस्टेंट पदालि में ज्येष्ठता के सम्बन्ध में संशोधन . २७८१-८२
१९७७ रुड़की से बद्रीनाथ तक सड़क . २७८२
१९७८ ग्लाइडरों के निर्माण के लिये लकड़ी २७८२
१९७९ पंजाब में अभाव की स्थिति . . २७८२-८३
१९८० हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजना २७८३
१९८१ पंजाब में फलों के बगीचे २७८३-८४
१९८२ पंजाब में काजू की खेती २७८४
१९८३ भ्रष्टाचार के मामले २७८४
१९८४ वर्षा में क्षतिग्रस्त रेलवे पुल २७८४-८५
१९८५ मुसाफिरखाने २७८५
१९८६ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मोटे चावल की खरीद २७८५
१९८८ जम्मू और श्रीनगर के बीच रज्जुपथ . २७८६
१९८९ उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में अस्थायी कमचारी २७८६
१९९० हैदराबाद और बंगलौर के बीच राष्ट्रीय राजपथ . २७८६-८७
१९९१ रेलवे टिकट २७८७
१९९२ रेल दुर्घटना २७८७-८८
१९९३ तेल वाली सारडीन मछलियां . २७८८
१९९४ मालगाड़ी दुर्घटना २७८८
१९९५ दिल्ली में श्रमिक शिविर २७८८-८९
१९९५क त्रिपुरा में मजरी प्रकार के स्कूल २७८९
१९९५ख बिहार में सस्ते अनाज की दुकानें २७८९-९०
१९९५ग पटसन और मेस्टा का निम्नतम मूल्य २७९०
१९९५घ अंगूर और आम के अचार का निर्यात २७९०-९१
१९९५ङ टेलीफोन का सामान . २७९१
१९९५च कृषि सम्बन्धी ऋणों की वसूली २७९१-९२
१९९५छ नई दिल्ली में आवारा पशु २७९२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७९२-९३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत मनीपुर गजट में प्रकाशित मनीपुर के लिये मोटर गाड़ी नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या बीटीपी/२४/५६/५७–८ की एक प्रति ।

(२) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत (वर्ष १९५६-५७ के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उस के वाणिज्यिक परिशिष्ट सहित) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवायें, १९५८ की एक प्रति ।

(३) अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८-५९ के सम्बन्ध में एक सदस्य से प्राप्त ज्ञापन के उत्तर के विवरण की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित २७९३

तैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २७९३

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) ने जेट विमानों के उतरने के लिये बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के हवाई अड्डों के विकास के कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा .

विधेयक—पुरस्थापित २७९४

(१) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(२) दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत २७९४-९५

छठा प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक—पारित २७९६-२८१५

(१) राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डबार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

विधेयक—पारित—(क्रमशः)

(२) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पर आगे खण्डवार चर्चा समाप्त हुई और विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक—विचाराधीन २८१५-२५

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करने के बारे में चर्चा २८२५-४३

श्री अरुण चन्द्र गुह ने ऐसी कम्पनियों में, जिन के मंत्रालयों के साथ अधिक सम्बन्ध हैं और जिन्हें बड़े-बड़े ठेके मिलते हैं, रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन और भूतपूर्व सदस्यों तथा सेवा-निवृत अन्य उच्च सरकारी अधिकारियों द्वारा नौकरी करने के प्रश्न के बारे में सरकार की नीति, विशेष रूप से मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी में रेलवे बोर्ड के एक भूतपूर्व चेयरमैन के सेवा-निवृत होने की ता ीख से ही नियुक्ति होने के बारे में चर्चा उठाई।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई।

आधे घण्टे की चर्चा २८४३-४६

श्री नागी रेड्डी ने तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के १८ नवम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर चर्चा उठाई। सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा और विधेयक का पारित किया जाना तथा चलचित्र (संशोधन) विधेयक पर विचार और उस का पारित किया जाना।

———